IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

July 2021
Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

हिंदी

IN NEW AVATAR

Revamped With Revolutionary Aspects

- Easy To Remember Tabular Format
- Practice Mcq's At The End
- Top 20 Editorial Summaries Of The Month
- A Comprehensive Compendium Of News Sourced From More Than 5 Reputed Sources

"A Note from the Founder"

Hello everyone,

I hope that you all are fine, safe and healthy.

Every year a new set of students join the IASbaba family and then become integral part of it forever. It is an immense pleasure to see young and energetic aspirants embarking on this tedious journey and then finally achieving their goal. We at IASbaba are happy to help you shape your future.

I would also like to express my gratitude to all the students who have shown their faith on IASbaba. All of you have made IASbaba one of the most successful institutions providing guidance and education for Civil Services Examination.

Now, it's been more than 6 years since IASbaba started and in all these years what has kept us on our toes is our aim to be abreast of every change that UPSC is bringing in its pattern. We strive to innovate and bring the best possible programs and materials.

I am happy to introduce this **new Avatar of your favourite monthly magazine**. We have introduced several changes in the content and presentation based on your feedback and inputs of experts on the system. As your friend, guide and philosopher I hope that this new initiative is going to help you immensely in your preparation and it will become your one-point source of monthly current affairs.

I hope that you will put in your 100% and make yourself, your family and IASbaba proud with your success.

Regards

Mohan Kumar S

Founder, IASbaba

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC Preparation

Kanishak Kataria AIR 1, 2018 | Sachin Gupta AIR 3, 2017 | Saumya Pandey AIR 4, 2016 | Dinesh kumar AIR 6, 2017 | Sanjita Mohpatra AIR-10, 2019

1200+ Ranks From The Website, 350+ Ranks From ILP/TLP Alone In The Last 4 Years, The Most Trusted Institution For UPSC Preparation Is Now Back With Amazing Programs For Your UPSC Preparation

The Smartest Way To Get Into IAS/ IPS

Baba's Foundation Course - 2022

The Most Comprehensive CLASSROOM Program for Fresher's

- Mentorship By Subjectwise Experts
- Integrated Program (Prelims+Mains+Interview)
- Live Doubt Clearing Session (Online) & Direct Interaction With Mentors (Offline)
- Focus On Fundamentals Through Strategy Classes
- Sessions By Experts & Toppers
- Value Add Notes
- Hybrid Model Of Classes
- Prelims & Mains Test Series

8 Fold Path

New Batch Starts From August 16th

Available at Delhi, Bangalore and Online*

ENROLL NOW

SCAN QR/ Visit Website

www.iasbaba.com | support@iasbaba.com | +919169191888

विषय वस्तु

राजनीति

- निपुण भारत मिशन
- भारतनेट परियोजना
- पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना
- प्रोजेक्ट बोल्ड: केवीआईसी
- आंध्र प्रदेश- तेलंगाना जल विवाद
- केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नया सहकारिता मंत्रालय
- टेली-लॉ
- एकीकृत बाल विकास योजना
- मत्स्य सेतु ऐप
- कोंगु नाडु
- सार्वजनिक उद्यम विभाग
- स्पर्श : सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा)
- जल जीवन मिशन
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण
- एपीडा और नेफेड
- लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), लेह
- दिल्ली की शांति और सद्भाव समिति
- श्रेया सिंघल जजमेंट
- स्कूल नवाचार राजदूत प्रशिक्षण
- जी रोहिणी आयोग
- डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी
- न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास (DIFJ)
- ग्राम न्यायालय
- PMAY-U के तहत अनूठी पहल
- उत्प्रवास विधेयक 2021
- सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वैवाहिक अधिकार
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नया आयोग (एनएक्यूएम)
- राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला
- 97वां संविधान संशोधन अधिनियम
- मुस्कान योजना
- हनी मिशन कार्यक्रम
- आदर्श स्मारक योजना
- गरीब नवाज रोजगार योजना
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
- उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी)
- आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक
- राष्ट्रीय किसान डेटाबेस में कोई भूमिहीन किसान नहीं है
- संसदीय विशेषाधिकार
- एकेडमिक क्रेडिट बैंक
- फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020
- जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ)
- भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) संशोधन विधेयक
- मेडिकल सीटों में आरक्षण
- सामान्य बीमा (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021
- सूचना-निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए)
- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)

अर्थव्यवस्था

- भारत के अनौपचारिक मज़दूर वर्ग को विश्व बैंक का समर्थन
- ग्रीन हाइड्रोजन
- क्रय प्रबंधक सूचकांक
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
- विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) भंडार
- स्वतंत्र निदेशकों के लिए नए मानदंड
- टू पिलर प्लान (Two Pillar Plan)
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी
- भालिया गेहूं (Bhalia Wheat)
- माइक्रो ATM
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स
- अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम
- भारत का पहला निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र
- RBI की रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट्स (RDG) योजना
- मुद्रास्फीति
- दीर्घायु वित्त हब
- विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज
- भारत का कपड़ा क्षेत्र
- तीसरा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
- एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR)
- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)

- स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना
- फास्फेटिक चट्टान के स्वदेशी निक्षेप
- सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP)
- लिथियम अन्वेषण
- केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने के लिए गैर-बैंक PSPs

पर्यावरण

- गिद्धों का संरक्षण
- फ्लाई ऐश
- एंटी-मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट: हरित धारा
- किंग कोबरा
- खतरनाक रसायन के कारण मौतें
- ब्लैक पैंथर
- जीका वायरस रोग
- मंकी बी वायरस
- नोरोवायरस
- नमक-स्रावित मैंग्रोव प्रजाति एविसेनिया मरीना
- भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन
- नया वैश्विक जैव विविधता ढांचा
- बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक (CA | TS) मान्यता
- अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस

सामाजिक मुद्दे

- मानव तस्करी रिपोर्ट
- खुले में शौच करने वालों की संख्या में गिरावट : वॉश रिपोर्ट
- मलेरिया मुक्त चीन
- कप्पा और लैम्ब्डा कोविद -19 का संस्करण
- जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन
- बाल सैनिक भर्ती सूची
- बच्चों के लिए PM-CARES योजना
- आत्महत्या रोकने के लिए गेटकीपर मॉडल
- सलवा जुडूम

कला और संस्कृति

- कालबेलिया नृत्य
- कुवेम्पु पुरस्कार 2020
- इटली में भारतीय सैनिक: द्वितीय विश्व युद्ध
- सिलंबम
- आषाढ़ी बिज
- भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई)
- प्रह्लाद नाटक
- एनसीआर में पुरापाषाणकालीन गुफा चित्र
- कांवड़ यात्रा
- ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना
- यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व धरोहर का दर्जा दिया
- यूनेस्को ने काकतीय रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया
- धोलावीरा: भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
- कीलाडी
- इरुला

भूगोल और समाचार में स्थान

- हीट डोम
- मंगल के असतत अरोरा
- गिंडी राष्ट्रीय उद्यान: तमिलनाडु
- वेम्बनाड झील
- तिलारी संरक्षण रिजर्व
- नवेगांव-नागजीरा टाइगर रिजर्व

- कंचनजंगा बायोस्फीयर
- लेमरू हाथी रिजर्व
- सुंदरबन
- करलापट वन्यजीव अभयारण्य, ओडिशा
- कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य
- बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य
- कांडला पोर्ट
- चेरी की मिश्री किस्म
- राजा मिर्च 'राजा मिर्ची
- कांजीवरम सिल्क साड़ी: तमिलनाडु
- मदुरै मल्ली
- सुर्ख़ियों में जलविद्युत परियोजनाएं
- बगराम एयर फील्ड

आंतरिक सुरक्षा

- वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई)
- राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक
- आकाश मिसाइल
- व्यायाम इंद्र-21
- शेकेतकर समिति

विज्ञान और तकनीक

- राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय
- शनि के चंद्रमाओं में मीथेन
- गुरुत्वाकर्षण तरंगों का नया स्रोत
- मिट्टी रहित कृषि
- नासा का VIPER मिशन
- फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट
- सबऑर्बिटल फ्लाइट
- नई शेफर्ड रॉकेट प्रणाली
- आकाशीय बिजली (तड़ित) संबंधी घटनाएँ
- क्लाउड कंप्यूटिंग
- यूवी-सी प्रौद्योगिकी
- बुध का ठोस हृदय
- एआई संचालित शिकायत प्रबंधन अनुप्रयोग
- चंद्रमा के डगमगाने का प्रभाव
- सीरो सर्वे
- नासा का नया अंतरिक्षयान: NEA स्काउट
- गामा-किरण विस्फोट
- रूस का नउका साइंस मॉड्यूल
- इंट्रानैसल वैक्सीन
- भू-इमेजिंग उपग्रह "ईओएस-03"
- डेल्टा संस्करण चिकन पॉक्स के रूप में संक्रामक है
- हार्डवेयर वॉलेट

अंतरराष्ट्रीय

- LEAF गठबंधन
- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी
- लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
- ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध
- OIC के प्रस्ताव को भारत ने खारिज किया
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर इस्तांबुल कन्वेंशन
- वैश्विक शांति सूचकांक (जीपीआई)
- भारत और नेपाल रेल व्यापार को बढ़ावा
- ब्रिक्स
- भूटान में लॉन्च हुआ भीम-UPI
- चीन ने शुरू की कार्बन ट्रेडिंग योजना
- दक्षिण अफ्रीका में हिंसा
- नया क्वाड
- G7 की बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पहल
- फिट फॉर 55 पैकेज: यूरोपीय संघ
- चीन के नेतृत्व वाली दक्षिण एशियाई पहल
- नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन
- 'कटलैस एक्सप्रेस' अभ्यास
- इराक में अपने लड़ाकू मिशन को समाप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका
- संयुक्त राष्ट्र कर समिति
- सर चेट्टूर शंकरन नायर
- स्वामी विवेकानंद

मुख्य फोकस

- वैक्सीन हिचकिचाहट और अनिवार्य टीकाकरण
- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम- निजी स्कूलों द्वारा कोटा का समाप्ति
- कृषि निर्यात
- इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड
- दहेज
- संघवाद के लिए नई चुनौतियाँ
- ड्राफ्ट सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021
- 'राइट-टू-रिपेयर' आंदोलन
- उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति
- मालदीव में इंडिया आउट अभियान
- स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना
- चीनी सुधार
- मास्टरकार्ड पर आरबीआई का प्रतिबंध
- पेगासस परियोजना
- भारत और तालिबान
- असम-मिजोरम विवाद
- हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन
- यूरोप में बाढ़
- मनरेगा

MORE IN BABAPEDIA

प्रैक्टिस MCQs

<table>
<tr><td>निपुण भारत मिशन

NIPUN का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन प्रोफिशिएंसी विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकेसी प्रोग्राम है</td><td>
● इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है।
● यह पहल NEP (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) 2020 के एक भाग के रूप में शुरू की जा रही है।
● इसे समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शुरू किया गया है
✓ 'समग्र शिक्षा' कार्यक्रम तीन मौजूदा योजनाओं-सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) को मिलाकर शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पूर्व-विद्यालय से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से सुनिश्चित करना है।
● NIPUN का उद्देश्य: आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिये एक सक्षम वातावरण बनाना ताकि ग्रेड 5 का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके।
✓ आधारभूत भाषा और साक्षरता में मौखिक भाषा, विकास, लिखित शब्दों को समझना, प्रवाह को पढ़ना, पढ़ने की समझ और लिखना शामिल है।
✓ आधारभूत संख्यात्मकता का अर्थ है दैनिक जीवन की समस्या समाधान में सरल संख्यात्मक अवधारणा को तर्क करने और लागू करने की क्षमता
● NIPUN पर ध्यान देना
✓ यह स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक शिक्षा की पहुँच प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा जैसे- शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता और छात्र एवं शिक्षक संसाधनों/शिक्षण सामग्री का विकास तथा सीखने के परिणामों को लेकर प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखना।
● समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर एक पाँच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा।
● निष्ठा (NISHTHA) के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) के लिये एक विशेष पैकेज NCERT द्वारा विकसित किया जा रहा है।
✓ निष्ठा "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिये एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।
</td></tr>
<tr><td>भारतनेट परियोजना

2011 में शुरू किए गए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) का नाम बदलकर 2015 में भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया</td><td>
● समाचार में: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिये 19,041 करोड़ रुपए तक की व्यवहार्यता अंतराल अनुदान सहायता को मंज़ूरी दी।
● वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding- VGF) का अर्थ एक ऐसा अनुदान होता है जो सरकार द्वारा ऐसे आधारभूत ढाँचा परियोजना को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हो लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो, ऐसा अनुदान दीर्घकालीन परिपक्वता अवधि वाली परियोजना को प्रदान किया जाता है।
● यह संचार मंत्रालय द्वारा भारतनेट परियोजना, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है।
● द्वारा कार्यान्वित: भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) - कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित विशेष प्रयोजन वाहन
● फंडिंग: पूरी तरह से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा - जो टेलीकॉम के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर 5% लेवी द्वारा वित्त पोषित है।
● प्रथम चरण: दिसंबर 2017 तक भूमिगत ऑप्टिक फाइबर केबल (Optic Fibre Cable-OFC) लाइन बिछाकर एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
● द्वितीय चरण: मार्च 2019 तक भूमिगत फाइबर, बिजली लाइनों पर फाइबर, रेडियो और सैटेलाइट मीडिया के इष्टतम उपयोग से देश की सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।
</td></tr>
</table>

	• **तृतीय चरण:** वर्ष 2019 से 2023 तक एक अत्याधुनिक, फ्यूचर-प्रूफ नेटवर्क (Future-Proof Network) के तहत ज़िलों और ब्लॉकों के मध्य फाइबर को विस्तारित करने हेतु रिंग टोपोलॉजी (Ring Topology) का उपयोग किया जाएगा। • संशोधित रणनीति में निजी क्षेत्र के भागीदार द्वारा भारतनेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग शामिल होगा, जिसका चयन प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। • चयनित निजी क्षेत्र के भागीदार से पूर्वनिर्धारित सेवा स्तर समझौते (SLA) के अनुसार विश्वसनीय, उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद है।
पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना	• **समाचारों में:** हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3.03 ट्रिलियन रुपए की एक सुधार-आधारित और परिणाम से जुड़ी पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) को मंज़ूरी दी है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 97,631 करोड़ रुपए होगी। • **उद्देश्य:** डिस्कॉम (निजी क्षेत्र की डिस्कॉम को छोड़कर) की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना। • यह डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) की आपूर्ति के आधारभूत ढाँचे को मज़बूत करने के लिये सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ✓ शर्तों में स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, फीडर सेग्रीगेशन, वितरण का आधुनिकीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के नेटवर्क को मजबूत करना शामिल है। • **लक्ष्य:** AT & C के नुकसान को पूरे भारत में 12-15% के स्तर तक कम करना + 2024-25 तक लागत-राजस्व के अंतर को शून्य करना। • **नोडल एजेंसी:** ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम। • एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जैसी सभी मौज़ूदा विद्युत् क्षेत्र सुधार योजनाओं को इस अम्ब्रेला कार्यक्रम में शामिल कर दिया जाएगा। • यह प्रत्येक राज्य के लिये बनाई गई कार्य योजना पर आधारित होगा, न कि 'वन-साईज-फिट्स-ऑल' दृष्टिकोण पर।
प्रोजेक्ट बोल्ड: KVIC	• **समाचरों में:** राजस्थान में जनजातियों की आय (Tribals Income) और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अनोखी परियोजना 'सूखे भू-क्षेत्र पर बांस मरु-उद्यान' (बोल्ड) शुरू की है। ✓ यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। • इस परियोजना का उद्देश्य शुष्क और अर्ध-शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाना । • **बांस चुनने का कारण:** ✓ यह बहुत तेजी से बढ़ता है और लगभग तीन साल की अवधि में उन्हें काटा जा सकता है। ✓ यह पानी के संरक्षण और भूमि की सतह से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए भी जाना जाता है, जो शुष्क और सूखा प्रवण क्षेत्रों में उपयोगी है। • **महत्व:** मरुस्थलीकरण को कम करना + आजीविका और बहु-विषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करना + सतत विकास + खाद्य सुरक्षा
आंध्र प्रदेश- तेलंगाना जल विवाद कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण - 1 द्वारा तदर्थ आधार पर किए गए आवंटन के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कृष्णा नदी के	• आंध्र प्रदेश ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) से शिकायत की है कि तेलंगाना कृष्णा नदी के पानी को श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और पुलीचिंतला परियोजनाओं से KRMB से मंज़ूरी प्राप्त किए बिना विद्युत उत्पादन हेतु जल का प्रयोग किया जा रहा है। • इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश का कहना है कि श्रीशैलम में बिजली उत्पादन, जब भंडारण न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर से काफी नीचे है, रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना (RLIS) के प्रवाह को बुरी तरह प्रभावित करेगा। ✓ आंध्र प्रदेश के आरएलआईएस (अनुमोदन की कमी के लिए तेलंगाना द्वारा आपत्ति) रायलसीमा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रीशैलम जलाशय से रोजाना 3 टीएमसी फीट पानी लेने की योजना बना रहा है।

पानी को 66:34 अनुपात में साझा करना है।	• आंध्र प्रदेश सीएम का कहना है, उपरोक्त परियोजनाओं से पानी की अनधिकृत निकासी के परिणामस्वरूप कीमती पानी की बर्बादी हुई क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी में बह गया। • तेलंगाना उपरोक्त परियोजनाओं में कृष्णा जल का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए कलेश्वरन लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) के लिए पंपिंग स्टेशनों को संचालित करने के लिए करना चाहता है। ✓ KLIP कलेश्वरम, भूपलपल्ली, तेलंगाना में गोदावरी नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है। • दोनों राज्यों ने केआरएमबी, केंद्रीय जल आयोग और शीर्ष परिषद से मंजूरी लिए बिना कई नई परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है। • आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा अधिदेशित शीर्ष परिषद में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री + तेलंगाना के मुख्यमंत्री + आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं।
केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नया सहकारिता मंत्रालय	• 'सहकार से समृद्धि' (सहयोग से समृद्धि) के विजन को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को एकनई गति प्रदान करने के लिए बनाया गया है। • यह देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक केंद्रित प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। • यह सहकारी समितियों के लिए 'व्यापार करने में आसानी' के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। • सहकारिता व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होता है। • सहकारी साख समिति अधिनियम, 1904 के अधिनियमन ने सहकारी समितियों को एक निश्चित संरचना और आकार प्रदान किया। • 1919 - मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, सहयोग प्रांतीय (राज्य) विषय बन गया। भारत के संविधान में वर्गीकरण जारी रहा। • 1942, ब्रिटिशों ने एक से अधिक प्रांतों की सदस्यता वाली सहकारी समितियों को कवर करने के लिए बहु-इकाई सहकारी समिति अधिनियम बनाया। • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना 1962 में सांविधिक निगम के रूप में की गई थी • संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 ने निम्नलिखित परिवर्तन किए: ✓ भारत में कार्यरत सहकारी समितियों के संबंध में नया भाग IXB जोड़ा गया। (भाग IXA नगर पालिकाओं से संबंधित है) ✓ कला में 19(1)(c) शब्द "सहकारिता" को "संघों और एसोसिएशन" के बाद जोड़ा गया था। यह सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार का दर्जा देकर सहकारी समितियां बनाने में सक्षम बनाता है। ✓ राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) में "सहकारी समितियों के प्रचार" के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया।
टेली-लॉ	• **सुर्ख़ियों में:** हाल ही में न्याय विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Centre- CSC) के माध्यम से अपने टेली-लॉ (Tele-Law) कार्यक्रम के अंतर्गत 9 लाख लाभार्थियों तक पहुँचने का नया कीर्तिमान बनने के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। ✓ कॉमन सर्विस सेंटर कार्यक्रम, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक पहल है, यह गाँवों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने वाले केंद्र अथवा एक्सेस पॉइंट (Access Point) के रूप में कार्य करता है। • टेली-लॉ का अर्थ है CSCs और कानूनी सेवा प्राधिकरण में रखे गए वकीलों के विशेषज्ञ पैनल के माध्यम से कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

इसे कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से वर्ष 2017 में नागरिकों के लिये कानूनी सहायता को सुलभ बनाने हेतु लॉन्च किया गया था।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर CSC के विशाल नेटवर्क पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन/तत्काल कॉलिंग सुविधाओं से वकीलों और नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ा जा रहा है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत उल्लिखित मुफ्त कानूनी सहायता के लिये पात्र लोगों हेतु यह सेवा मुफ्त है। अन्य सभी के लिये मामूली शुल्क लिया जाता है।
यह वर्तमान में 50,000 CSC नेटवर्क के माध्यम से 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 633 ज़िलों (115 आकांक्षी ज़िलों सहित) में काम कर रहा है।
महत्व: समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच।

न्याय बंधु (निःशुल्क कानूनी सेवाएं) मोबाइल एप्लिकेशन:

अब गरीब कमजोर वर्ग को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा न ही उन्हें धन की कमी आड़े आएगी। कानूनी सहायता लेने के लिए न्याय मंत्रालय की ओर से न्याय बंधु मोबाइल एप लांच किया गया है। जिसकी सहायता से निशुल्क वकील की सुविधा मिलेगी।
इस प्रकार, अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं को पंजीकरण करने और पंजीकृत पात्र लाभार्थियों से जुड़ने में तेजी लाने और सुविधा प्रदान करने के लिए, न्याय मंत्रालय द्वारा न्याय बंधु मोबाइल ऐप विकसित किया गया ताकि भारत में निशुल्क संस्कृति को मजबूत किया जा सके।

</td>
</tr>
<tr>
<td>एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS)</td>
<td>

सुर्खियों में: हाल ही में एक सर्वेक्षण से पता चला है कि झारखंड में ICDS के अंतर्गत 2021 के पहले छह महीनों में एक बार भी 55% से अधिक को पूरक पोषण नहीं मिला।
1975 में शुरू किया गया अम्ब्रेला आईसीडीएस, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत छह योजनाएं:

<table>
<tr>
<td>आंगनवाड़ी सेवा योजना</td>
<td>

बचपन की देखभाल और विकास के लिए कार्यक्रम।
लाभार्थी: 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं।
यह छह सेवाओं जैसे पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं तक सुनिश्चित करना है।
पूरक पोषण में टेक होम राशन (THR), गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल हैं।

</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:</td>
<td>

यह एक केंद्र प्रायोजित सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।
इस योजना में कुछ शर्तों को पूरा करने पर DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मां के बैंक/डाकघर खाते में सीधे तीन किस्तों में 5,000/- रुपये का भुगतान किया जाता है।

</td>
</tr>
<tr>
<td>राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना:</td>
<td>

इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों (6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग) को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है।
शिशुगृह एक महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन साढ़े सात घंटे के लिये खुला रहेगा।
बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक बाल देखभाल शिक्षा और स्वास्थ्य तथा सोने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

</td>
</tr>
<tr>
<td>किशोरियों के लिए योजना:</td>
<td>

इसका उद्देश्य 11-14 आयु वर्ग की स्कूली लड़कियों को पोषण, जीवन कौशल और घरेलू कौशल के माध्यम से उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त

</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>बनाना और सुधारना है।
○ इस योजना में पोषाहार और गैर-पौष्टिक घटक हैं जिनमें पोषण शामिल है; लौह और फोलिक एसिड पूरकता; स्वास्थ य जांच और रेफरल सेवा; कौशल प्रशिक्षण; जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन; सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने पर परामर्श।</td></tr>
<tr><td>बाल संरक्षण योजना:</td><td>○ इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के सुधार और कल्याण में योगदान देना है, साथ ही उन स्थितियों और कार्यों की कमजोरियों को कम करना है ज दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और माता-पिता से बच्चों को अलग करने का कारण बनते हैं।</td></tr>
<tr><td>पोषण अभियान:</td><td>○ यह छोटे बच्चों में कुपोषण, एनीमिया को कम करके स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर को कम करने के साथ-साथ किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखता है।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>मत्स्य सेतु ऐप (Matsya Setu App)</td><td>
• द्वारा विकसित: ICAR-इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भुवनेश्वर, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य देश में जलीय कृषि करने वाले किसानों तक ताज़े पानी से संबंधित नवीनतम जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना और उनकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करना है।
• प्रजाति-वार/विषयवार स्व-शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल ऐप के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।
• कोर्स पूरा होने पर ई-सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
• एक्वाकल्चर मछली, शंख और जलीय पौधों के प्रजनन, उत्पादन और हार्वेस्टिंग को कहते हैं।
• भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक (वैश्विक मछली उत्पादन का 7.7%) और दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। (चीन मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है)।
</td></tr>
<tr><td>कोंगु नाडू</td><td>
• सुर्खियों में: हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जिन नए मंत्रियों के नाम की सूची जारी की गई है, उसमें तमिलनाडु के नेता एल मुरुगन "कोंगु नाडु" से थे, जिसके कारण इस तरह के वाक्यांश के उपयोग पर बहस हुई।
• 'कोंगु नाडु' न तो पिन कोड वाला स्थान है और न ही किसी क्षेत्र को औपचारिक रूप से दिया गया नाम। यह पश्चिमी तमिलनाडु के हिस्से के लिए अधिकतर उपयोग किया जाने वाला अनौपचारिक नाम है।
• यह नाम ओबीसी समुदाय' कोंगु वेल्लालर गौंडर' से लिया गया है, जिनकी इन ज़िलों में महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है।
• इस क्षेत्र में नमक्कल, सलेम, तिरुपुर और कोयंबटूर जैसे प्रमुख व्यावसायिक व औद्योगिक केंद्र भी शामिल हैं।
• साथ ही संगम साहित्य में भी एक अलग क्षेत्र के रूप में 'कोंगु नाडु' का उल्लेख मिलता है।
</td></tr>
<tr><td>सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE)
सुर्खियों में: हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय के दायरे से हटाकर पुनः वित्त मंत्रालय के दायरे में ला दिया है।</td><td>
• वित्त मंत्रालय में अब छह विभाग होंगे जबकि DPE के मूल मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय को अब केवल भारी उद्योग मंत्रालय कहा जाएगा।
• आर्थिक मामलों, राजस्व, व्यय, वित्तीय सेवाओं और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के अलावा DPE अब वित्त मंत्रालय में छठा विभाग होगा।
DPE के बारे में
• यह सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के लिए नोडल विभाग है और CPSEs से संबंधित नीतियाँ तैयार करता है।
• CPSEs ऐसी कंपनियाँ हैं जिनमें केंद्र सरकार या अन्य CPSEs की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है।
• यह विशेष रूप से, CPSEs में निष्पादकता सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियों के
</td></tr>
</table>

	प्रत्यायोजन और कार्मिक प्रबंधन के बारे में नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है। • DPE को वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित करने से CPSEs के पूंजीगत व्यय, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और वित्तीय स्वास्थ्य की कुशल निगरानी में मदद मिलेगी। **DPE की पृष्ठभूमि** ○ तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में, एक केंद्रीकृत समन्वय इकाई स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था, जो सार्वजनिक उद्यमों के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन भी कर सके। ○ जिसके कारण 1965 में वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (BPE) की स्थापना हुई। ○ वर्ष 1985 में, BPE को उद्योग मंत्रालय का हिस्सा बनाया गया था। मई 1990 में BPE को एक पूर्ण विभाग बनाया गया जिसे लोक उद्यम विभाग के रूप में जाना जाता है।
स्पर्श : सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा **सुर्खियों में:** हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श (System for Pension Administration Raksha- SPARSH) नामक एक एकीकृत प्रणाली लागू की है।	• स्पर्श रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। • यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को आगे बढ़ाती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना सीधे रक्षा पेंशनभोगियों के बैंक खातों में उनकी पेंशन जमा करती है। • पेंशनभोगियों के लिये एक पेंशनभोगी पोर्टल उपलब्ध है जिसके माध्यम से पेंशनभोगी अपनी पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शिकायत (यदि हो) तो दर्ज करा सकते हैं। • स्पर्श (SPARSH) ने उन पेंशनभोगियों को अंतिम छोर से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये सेवा केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की है जो किसी भी कारण से सीधे स्पर्श पोर्टल तक पहुँचने में असमर्थ हों। • रक्षा पेंशनभोगियों से संबंधित दो सबसे बड़े बैंकों-भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को साझा तौर पर सेवा केंद्र के रूप में चुना गया है।
जल जीवन मिशन (JJM) **सुर्ख़ियों में:** केंद्र ने "वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ओडिशा के लिए केंद्रीय अनुदान को बढ़ाकर 3,323.42 करोड़ रुपये कर दिया है, जो 2020-21 में 812.15 करोड़ रुपये था।"	• जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। • जल जीवन मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। • इसमें स्कूलों, आंगनबाडी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आरोग्य केन्द्रों और सामुदायिक भवनों के लिए कार्यात्मक नल कनेक्शन भी शामिल है। • कार्यक्रम अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों को भी लागू करेगा जैसे कि भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुन: उपयोग। • जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। • यह मिशन पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह पानी के लिए एक जन आंदोलन बनाना चाहता है, जिससे इसे हर किसी की प्राथमिकता बना दिया जाए। यह नकद, वस्तु या श्रम और स्वैच्छिक श्रम में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदाय के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देता है और सुनिश्चित करता है। • मूल मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय • केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है। • यह राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर योजना का चार स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी। • जहां कहीं आवश्यक हो, प्रत्येक ग्रामीण परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए थोक जल अंतरण, उपचार संयंत्र और वितरण नेटवर्क। • दूषित पदार्थों को हटाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप जहां पानी की गुणवत्ता एक मुद्दा है। • इसमें सहायक गतिविधियां भी शामिल हैं, अर्थात सूचना शिक्षा और संचार (जल संरक्षण के बारे में

	जागरूकता), मानव संसाधन प्रशिक्षण, उपयोगिताओं का विकास, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी, अनुसंधान एवं विकास, ज्ञान केंद्र, समुदायों की क्षमता निर्माण आदि।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)	• **खबरों में:** मद्रास उच्च न्यायालय ने 2017 की केंद्रीय अधिसूचना को अस्वीकार कर दिया, जिसने दिल्ली में NGT की उत्तर क्षेत्र की पीठ को एक प्रमुख पीठ करार दिया। • इसमें कहा गया है कि यदि मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो यह न्याय तक पहुंच से वंचित होगी। • यह देखा गया कि NGT की सभी पांच जोनल बेंच समान रूप से शक्तिशाली हैं और उनके आदेश पूरे देश में लागू हैं • क्षेत्रीय बेंच मध्य क्षेत्र - भोपाल, पूर्वी क्षेत्र - कोलकाता, दक्षिण क्षेत्र - चेन्नई, पश्चिम क्षेत्र - पुणे और उत्तरी क्षेत्र - नई दिल्ली हैं • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) की स्थापना 18 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (National Green Tribunal Act), 2010 के तहत की गई थी। • यह एक विशेष न्यायिक निकाय है जो पूरी तरह से देश में पर्यावरणीय मामलों के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से विशेषज्ञता से सुसज्जित है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)
तथा
नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED)
	खबरों में: APEDA ने NAFED के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
	• **समझौता ज्ञापन का उद्देश्य:** सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए
	• सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में APEDA पंजीकृत निर्यातकों को NAFED के माध्यम से कार्यान्वित सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करना शामिल है।
	• समझौता ज्ञापन प्रौद्योगिकी, कौशल, गुणवत्ता वाले उत्पादों और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों को संबोधित करके सहकारी समितियों द्वारा निर्यात की स्थिरता और वृद्धि सुनिश्चित करना है।
	APEDA के बारे में
	• यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष निकाय है जो कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
	• इसे 1985 के APEDA अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया।
	• **कार्य**
	    ○ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
	    ○ निर्यातोन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना।
	    ○ पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में सुधार करना।
	    ○ अनुसूचित उत्पादों के लिए मानक और विनिर्देश निर्धारित करना।
	    ○ संबंधित उद्योगों को वित्तीय सहायता, राहत और सब्सिडी देना।
	    ○ संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना।
	NAFED के बारे में
	• भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का यह शीर्ष संगठन है।
	• इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी।
	• यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत है।
	• NAFED अब भारत में कृषि उत्पादों के लिए सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है।
	• **उद्देश्य:**
	    ○ (1) यह कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित, बढ़ावा और विकसित करना;
	    ○ (2) कृषि मशीनरी, उपकरण और अन्य आदानों का वितरण करना;

	○ (3) कृषि उत्पादन में तकनीकी सलाह के लिए कार्य और सहायता करना
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), लेह **खबरों में:** NTPC ने भारत की पहली ग्रीन मोबिलिटी परियोजना स्थापित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और LAHDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।	• LAHDC, लेह एक स्वायत्त जिला परिषद है जो लद्दाख के लेह जिले का प्रशासन करती है। • परिषद LAHDC अधिनियम 1995 के तहत बनाई गई थी। • LAHDC-लेह में कुल 30 सीटें हैं और सरकार द्वारा चार पार्षद मनोनीत किए जाते हैं। • परिषद की कार्यकारी शाखा में एक मुख्य कार्यकारी पार्षद और चार अन्य कार्यकारी पार्षदों से बनी एक कार्यकारी समिति होती है। • स्वायत्त पहाड़ी परिषद आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, भूमि उपयोग, कराधान और स्थानीय शासन पर निर्णय लेने के लिए ग्राम पंचायतों के साथ काम करती है, जिसकी समीक्षा मुख्य कार्यकारी पार्षद और कार्यकारी पार्षदों की उपस्थिति में ब्लॉक मुख्यालय में की जाती है। • केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रशासन जिलों में कानून और व्यवस्था, संचार और उच्च शिक्षा की देखभाल करता है। • परिषद के लोकतांत्रिक संविधान ने स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ नियोजन प्रक्रिया के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरुआत की है। **क्या आप जानते हैं?** • लेह, जो लद्दाख का एक बौद्ध बहुल जिला है, ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन और अद्वितीय सांस्कृतिक और आदिवासी पहचान को कमजोर करने से बचाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची को लागू करने की मांग की है। • पड़ोसी कारगिल जिले में एक स्वायत्त पहाड़ी परिषद भी स्थापित की गई है। कारगिल में हिल काउंसिल जुलाई 2003 में अस्तित्व में आई।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की शांति और सद्भाव समिति के अधिकार को बरकरार रखा *केस: अजीत मोहन बनाम विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली*	• फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की जांच के लिए दिल्ली विधानसभा द्वारा शांति और सद्भाव समिति (PHC) का गठन किया गया था। • इसने 2020 के दिल्ली दंगों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा निभाई गई भूमिका पर सवाल उठाने के लिए फेसबुक प्रतिनिधियों को समन जारी किया था। • केंद्र सरकार और फेसबुक ने PHC और समन को इस आधार पर चुनौती दी कि PHC का गठन दिल्ली विधानसभा के अधिकार में नहीं था क्योंकि कानून और व्यवस्था तथा दिल्ली की पुलिस एक संघ का विषय है। • दिल्ली विधान सभा ने PHC के गठन का हवाला देते हुए बचाव किया ✓ सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित राज्य सूची में प्रविष्टि 1, जो कानून और व्यवस्था से अलग है और समवर्ती सूची में प्रविष्टि 1 जो राज्य विधानसभाओं को 'आपराधिक कानून' विषय पर कानून बनाने की व्यापक शक्ति देती है। ✓ राज्य सूची में प्रविष्टि 39 जिसने विधानसभाओं को बयान दर्ज करने के उद्देश्य से गवाहों की उपस्थिति को लागू करने की शक्ति दी थी और उन पर भी भरोसा किया था। • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पक्ष में फैसला सुनाया और PHC के अधिकार को बरकरार रखा ✓ SC ने फेसबुक द्वारा अपनाए गए सरलीकृत दृष्टिकोण को खारिज कर दिया - कि यह केवल तीसरे पक्ष की जानकारी पोस्ट करने वाला एक प्लेटफॉर्म है और उस जानकारी को उत्पन्न, नियंत्रित या संशोधित करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। ✓ हालांकि, समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले फेसबुक प्रतिनिधियों को कानून, व्यवस्था और पुलिस के संबंध में सीधे PHC से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, जो ऐसे विषय हैं जिन पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती है।
आईटी अधिनियम के 66 (A) और **श्रेया सिंघल फैसला**	**खबरों में:** केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आईटी अधिनियम, 2000 की निरस्त धारा 66 A के अंतर्गत दर्ज मामलों को तुरंत वापस लेने को कहा है। • हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि प्रावधान अभी भी लोगों को बुक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, हालांकि SC ने इसे असंवैधानिक और श्रेया सिंघल निर्णय, 2015 में

	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। ● सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(A) कंप्यूटर या अन्य संचार उपकरण के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने को अपराध बताती है। ● इसने पुलिस को इस संदर्भ में गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया कि पुलिसकर्मी अपने विवेक से 'आक्रामक' या 'खतरनाक' या बाधा, असुविधा आदि को परिभाषित कर सकते हैं। ● इसमे कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण जैसे- मोबाइल फोन या टैबलेट के माध्यम से संदेश भेजने पर सज़ा को निर्धारित किया है जिसमें दोषी को अधिकतम तीन वर्ष की जेल हो सकती है। ● कुछ वर्षों में, टिप्पणियों से संबंधित घटनाओं, सूचनाओं को साझा करने, या इंटरनेट पर किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (A) के अंतर्गत आपराधिक दंड को आकर्षित किया क्योंकि उन्हें "आक्रामक" माना जाता था। ● श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले, 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे प्रावधान को रद्द कर दिया था, जिसे भारत में ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। ● फैसले में पाया गया कि धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 19 (भाषण की आजादी) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) दोनों के विपरीत है। ● कानून को "पूरी तरह से अस्पष्ट" बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह जनता के जानने के अधिकार का अतिक्रमण करता है।
स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (SIATP)	● **खबरों में:** केंद्रीय शिक्षा मंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्री ने संयुक्त रूप से 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए 'स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम' शुरू किया। ● इसका उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), डिज़ाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार निर्माण आदि में प्रशिक्षण देना है। ● प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा। ● कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा स्कूली शिक्षकों के लिये "उच्च शैक्षिक संस्थान के संकाय सदस्यों हेतु नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। ● अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) एआईसीटीई अधिनियम, 1987 द्वारा पूरे देश में एक तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के विनियमन और उचित रखरखाव के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
जी. रोहिणी आयोग OBC उप-श्रेणीकरण के मुद्दे की जांच करेगा	**खबरों में:** कैबिनेट ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित जी. रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी। ● OBC का उप-वर्गीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि OBC समुदायों में अधिक पिछड़े भी शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकें। ● नियम के मुताबिक, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को केंद्र सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। ● उप-श्रेणीकरण की आवश्यकता इस धारणा से उत्पन्न होती है कि OBC की केंद्रीय सूची में शामिल कुछ ही संपन्न समुदायों को 27 प्रतिशत आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। **अनुच्छेद 340** ● यह पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति के लिए शर्तें निर्धारित करता है। ● भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच करने तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान के लिये एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति/गठन कर सकता है। **NCBC के बारे में** ● 1992 के इंद्रा साहनी मामले में, SC ने सरकार को निर्देश दिया था। लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेश और बहिष्कार के लिए मनोरंजन, जांच और सिफारिश करने

	के लिए एक स्थायी निकाय बनाना। ● इन निर्देशों के अनुसरण में संसद ने 1993 में NCBC अधिनियम पारित किया और NCBC (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय) का गठन किया। ● 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। संशोधन अधिनियम में नए अनुच्छेद 338B और 342 A भी शामिल किए गए। ✓ अनुच्छेद 338B सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए NCBC को अधिकार प्रदान करता है। ✓ अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ऐसा कर सकता है। तथापि, यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन करना है तो संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी	● **खबरों में:** हाल ही में किसानों को उनकी वांछित भाषा में 'सही समय पर सही जानकारी' प्राप्त करने की सुविधा के लिए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'किसान सारथी' शुरू किया गया। ● **द्वारा शुरू किया गया:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ● यह दूर-दराज के क्षेत्रों में किसान तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों को सशक्त बनाएगा। ● यह किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) के वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष तौर कृषि और संबद्ध विषयों पर वार्ता करने एवं व्यक्तिगत सलाह लेने में मदद करेगा। ● यह न केवल किसानों की स्थान विशिष्ट सूचना आवश्यकताओं को संबोधित करने में बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की कृषि विस्तार, शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों में भी अत्यधिक मूल्यवान होगा।
न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास (DIFJ) और ग्राम न्यायालय	● **खबरों में:** केंद्र सरकार ने DIFJ की केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) को अगले पांच वर्षों से 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ● इस योजना की पूरी लागत 9000 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से केंद्र 5357 करोड़ रुपये का योगदान देगा, जिसमें राष्ट्रीय न्याय वितरण और कानूनी सुधार मिशन के हिस्से के रूप में ग्राम न्यायालय योजना के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपये शामिल हैं। ● DIFJ 1993-94 से प्रचालन में है। ● केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों (JO) के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करती है। ● उन्नत "न्याय विकास-2.0" वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग पूर्ण और चालू परियोजनाओं की जियो-टैगिंग द्वारा CSS न्यायिक अवसंरचना परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। **ग्राम न्यायालय (GM)** ● भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली तक त्वरित और आसान पहुंच के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। ● संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र पर ग्राम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होता है। ● न्यायालय इस संबंध में व्यापक प्रचार करने के बाद, ऐसे ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एक मोबाइल अदालत के रूप में कार्य कर सकता है। ● अपराधों पर उनके पास दीवानी और फौजदारी दोनों क्षेत्राधिकार हैं। ● आपराधिक मामलों में सत्र न्यायालय और दीवानी मामलों में जिला न्यायालय में अपील

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार - संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित।
महाप्रबंधक की अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी द्वारा की जाती है, जिसके पास समान शक्ति होगी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान वेतन और लाभ प्राप्त होंगे।
ऐसे न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है
दीवानी वादों पर सीमित स्थगन के साथ दिन-प्रतिदिन के आधार पर कार्यवाही की जाती है और वाद की स्थापना की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर निपटारा किया जाता है।
डिग्री के निष्पादन में, न्यायालय प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करते हुए विशेष प्रक्रियाओं की अनुमति देता है।
ग्राम न्यायालय पहली बार में विवाद के समाधान और उसी के निपटारे की अनुमति देते हैं।
ग्राम न्यायालयों को कुछ साक्ष्यों को स्वीकार करने की शक्ति दी गई है जो अन्यथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं होंगे।
ग्राम न्यायालय पोर्टल लागू करने वाले राज्यों द्वारा ग्राम न्यायालयों के कामकाज की ऑनलाइन निगरानी में मदद करता है।
हालांकि, अधिनियम को ठीक से लागू नहीं किया गया है, देश में केवल 208 कार्यात्मक महाप्रबंधक (सितंबर 2019) ऐसी 5000 अदालतों के लक्ष्य के खिलाफ हैं।
गैर-प्रवर्तन के पीछे प्रमुख कारणों में वित्तीय बाधाएं, वकीलों, पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों की अनिच्छा शामिल हैं।

</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनूठी पहल - शहरी (PMAY-U)</td>
<td>

खबरों में: प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U), दुनिया के सबसे बड़े किफायती आवास मिशनों में से एक, ने दो अनूठी पहल शुरू की हैं।
इसने प्रधानमंत्री के 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए खुशी का आशियाना-लघु फिल्म प्रतियोगिता 2021 और आवास पर संवाद, जो 75 सेमिनारों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला है, का शुभारंभ किया है।
'आवास पर संवाद' का उद्देश्य सीखने और प्रथाओं की विभिन्न धाराओं से संबंधित कई हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना और चर्चा, विचार-विमर्श और प्रसार को बढ़ावा देना है। इंजीनियरिंग, शहरी सामुदायिक विकास, योजना, वित्त, आदि।

प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में - शहरी (PMAY-U)

उद्देश्य: वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 में शुरू किया गया।
द्वारा कार्यान्वित: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
विशेषताएं:

पात्र शहरी गरीबों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों सहित शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करेगा है।
PMAY(U) के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।
यह महिला सदस्यों के नाम या संयुक्त नाम पर मकानों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी वरीयता दी जाती है।

इसे चार कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

निजी भागीदारी के माध्यम से भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करने वाले मौजूदा स्लम निवासियों का यथास्थान पुनर्वास।

</td>
</tr>
</table>

	○ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। ○ साझेदारी में किफायती आवास। ○ लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण / वृद्धि।
उत्प्रवास विधेयक 2021 **सुर्खियों में:** प्रस्तावित उत्प्रवास विधेयक, 2021, 1983 के मौजूदा उत्प्रवास अधिनियम की जगह लेगा।	**विधेयक की मुख्य विशेषताएं** ● विधेयक में व्यापक उत्प्रवास प्रबंधन की परिकल्पना की गई है, भारतीय नागरिकों के विदेशी रोज़गार को नियंत्रित करने वाले नियामक तंत्र स्थापित किये गए हैं और प्रवासियों के कल्याण के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु एक ढाँचा स्थापित किया गया है। ● यह उन प्रवासियों को भारतीय नागरिकों के रूप में परिभाषित करता है जो रोजगार के लिए भारत से बाहर जाना चाहते हैं या छोड़ चुके हैं। ● **प्राधिकरण:** मसौदा विधेयक दो प्राधिकरणों को बनाने का प्रयास करता है: (i) उत्प्रवास नीति और योजना ब्यूरो (BEPP), और (ii) उत्प्रवास प्रशासन ब्यूरो (BEA)। ● BEPP के कार्यों में प्रवासियों के कल्याण से संबंधित मामलों पर नीतियां तैयार करना शामिल होगा; गंतव्य देशों के साथ श्रम और सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर बातचीत करना। ● BEA के कार्यों में भारतीय प्रवासियों का एक डेटाबेस बनाए रखना और प्रवासियों के कल्याण के लिए उपायों और कार्यक्रमों को लागू करना शामिल होगा। ● राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में नोडल समितियां: उनके कार्यों में शामिल हैं: (i) व्यक्तियों की तस्करी में शामिल संस्थाओं पर मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई शुरू करना, और (ii) संभावित प्रवासियों के लिए प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास कार्यक्रम और कौशल उन्नयन कार्यक्रम शुरू करना। ● **मानव संसाधन एजेंसियां:** ये एक नियोक्ता के लिए भर्ती में लगी एजेंसियां हैं। इन एजेंसियों को एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण का प्रमाण पत्र पांच साल के लिए वैध होगा और इसे विभिन्न आधारों पर रद्द किया जा सकता है। इन एजेंसियों के पंजीकरण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के निर्णयों के खिलाफ अपील केंद्र सरकार के पास होगी। ● **नियोक्ताओं का प्रत्यायन:** कोई भी नियोक्ता जो किसी उत्प्रवासी की भर्ती करना चाहता है, उसे सक्षम प्राधिकारी के पास प्रत्यायन के लिए आवेदन करना होगा। ऐसी मान्यता पांच साल की अवधि के लिए वैध होगी।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वैवाहिक अधिकार **सुर्खियों में:** सर्वोच्च न्यायालय (SC), हिंदू पर्सनल लॉ (हिंदू विवाह अधिनियम 1955) के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली (वापसी) की अनुमति देने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। इसे अब इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।	● वैवाहिक अधिकार विवाह द्वारा स्थापित अधिकार हैं, अर्थात् पति या पत्नी दोनों को एक-दूसरे के प्रति साहचर्य का अधिकार होता है। ● आसान शब्दों में इसका मतलब है साथ रहने का अधिकार। ● कानून इन अधिकारों को मान्यता देता है जिसके तहत विवाह, तलाक आदि से संबंधित हिंदू पर्सनल लॉ तथा आपराधिक कानून में पति या पत्नी को भरण-पोषण और गुजारा भत्ता के भुगतान की आवश्यकता होती है। ● **ब्रिटिश मूल:** ब्रिटिश कानून पत्नियों को पति की निजी संपत्ति/अधिकार मानता था, इसलिये उन्हें अपने पति को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ● हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (धारा 9) कहता है कि जब पति और पत्नी दोनों में से कोई एक, पक्ष की संगति से बिना उचित कारण के अलग हो जाता है तब पीड़ित पक्ष ज़िला अदालत में याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है। ● वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित पक्ष निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ● इस अवधि के दौरान क्या पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती है। ● इस आदेश का पालन न करने पर अदालत निर्णय-देनदार की संपत्तियों को कुर्क कर देगी। ● वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दोनों पक्षों को एक साथ रहने और सहवास करने की

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
आवश्यकता है।

लेकिन जीवन के अधिकार, निजता के अधिकार और समानता के अधिकार को भंग करते हुए इस उपाय का कई बार दुरुपयोग भी किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1984 में सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (Saroj Rani v Sudarshan Kumar Chadha) मामले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि यह प्रावधान विवाह को टूटने से रोककर एक सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है।

वैवाहिक अधिकारों पर बहस

भारत में विवाह - पवित्र संघ और सामाजिक अनुबंध नहीं (पश्चिम) है। इसलिए, समाज के हित में राज्य विवाह को संरक्षित करने में हस्तक्षेप करता है।
हालांकि, अन्य का कहना है कि दूसरे पक्ष को पीड़ित पक्ष के साथ रहने के लिए मजबूर करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं।
वर्ष 2019 के जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (Joseph Shine v Union of India) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में विवाहित महिलाओं की निजता के अधिकार और दैहिक स्वायत्तता पर ज़ोर दिया है जिसमें न्यायालय ने कहा है कि शादी महिलाओं की यौन स्वतंत्रता और उनकी पसंद के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती है।
अगर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक स्वायत्तता, पसंद और निजता का अधिकार है तो न्यायालय कैसे दो वयस्कों को सहवास करने हेतु बाध्य कर सकता है यदि उनमें से एक ऐसा नहीं करना चाहता है। न्यायालय दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कैसे कर सकता है या इन अधिकारों से अलग अन्यथा आदेश दे सकता है।

</td>
</tr>
<tr>
<td>वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नवीन आयोग</td>
<td>

खबरों में : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) मानसून सत्र के दौरान संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021 को पेश करने के लिये तैयार है।

बिल के बारे में

यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जहाँ किसी भी प्रकार का प्रदूषण राजधानी में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
यह विधेयक वर्ष 1998 में राजधानी दिल्ली के लिये स्थापित 'पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण' को भी भंग करता है।
संरचना: इस आयोग का नेतृत्त्व एक पूर्णकालिक अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जो कि भारत सरकार का सचिव या राज्य सरकार का मुख्य सचिव रहा हो। अध्यक्ष तीन वर्ष के लिये या 70 वर्ष की आयु तक पद पर रहेगा।
इसमें कई मंत्रालयों के सदस्यों के साथ-साथ हितधारक राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे।
इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और सिविल सोसाइटी के विशेषज्ञ होंगे।

कार्य:

संबंधित राज्य सरकारों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) द्वारा की गई समन्वय कार्रवाई।
NCR में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिये योजना बनाना तथा उसे क्रियान्वित करना।

</td>
</tr>
</table>

	• वायु प्रदूषकों की पहचान के लिये एक रूपरेखा प्रदान करना। • तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से अनुसंधान और विकास का संचालन करना। • वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिये एक विशेष कार्यबल का प्रशिक्षण और गठन करना। • विभिन्न कार्य योजनाएँ तैयार करना जैसे वृक्षारोपण बढ़ाने और पराली जलाने से रोकने से संबंधित विभिन्न कार्य योजनाएँ तैयार करना। **शक्तियां:** • नए निकाय के पास दिशा-निर्देश जारी करने और शिकायतों के समाधान की शक्ति होगी क्योंकि यह एनसीआर तथा आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता एवं सुधार के उद्देश्य से आवश्यक है। • यह वायु प्रदूषण (जैसे उत्सर्जन के अनुमेय स्तर और प्रदूषकों के निर्वहन) के नियंत्रण के लिए मानदंड भी निर्धारित करेगा। • इसके पास पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने, कारखानों एवं उद्योगों और क्षेत्र में किसी भी अन्य प्रदूषणकारी इकाई की निगरानी करने तथा ऐसी इकाइयों को बंद करने की शक्ति होगी। • इसके पास क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गए निर्देशों जो प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करती हों, को रद्द करने का भी अधिकार होगा।
राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR)	• शिक्षा मंत्रालय ने "डिजिटल फर्स्ट" दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, शिक्षण और सीखने की गतिविधियों का समर्थन करने और शैक्षिक योजना के साथ-साथ शासन और प्रशासनिक गतिविधियों की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR) की स्थापना की घोषणा की। • NDEAR एक नए शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद करेगा जो एक डिजिटल नींव तैयार करेगा और इसमें शामिल सभी दलों, विशेष रूप से राज्यों और केंद्र के स्व-शासन के लिए अग्रणी होगा। • नीति शिक्षाविदों को प्रतिभा और क्षमताओं के आधार पर मूल्यांकन करने देती है, जिससे छात्रों को उनकी विशिष्टताओं के क्षेत्र को समझने में मदद मिलती है जिनका उपयोग उनके भविष्य के पेशे में किया जा सकता है।
97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011	• **खबरों में:** हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने गुजरात उच्च न्यायालय के वर्ष 2013 के फैसले को बरकरार रखते हुए संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। • न्यायालय का यह फैसला संघवाद को बढ़ावा देता है क्योंकि 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों (एक ऐसा क्षेत्र जिसे अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदानकर्त्ता माना जाता है) पर राज्यों के अनन्य अधिकार को सीमित कर दिया है। **संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 ने निम्नलिखित परिवर्तन किए:** • भारत में कार्यरत सहकारी समितियों के संबंध में नया भाग IXB जोड़ा गया। • भाग IXB ने सहकारी समितियों को चलाने के लिए शर्तों को निर्धारित किया जैसे कि एक सोसायटी के निदेशकों की संख्या या उनके कार्यकाल की अवधि और यहाँ तक कि उसका सदस्य बनने के लिये आवश्यक विशेषज्ञता का निर्धारण करने की सीमा तक विस्तारित है। • संविधान के भाग-III के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में "यूनियन (Union) और एसोसिएशन (Association)" के बाद "सहकारिता" (Cooperative) शब्द जोड़ा गया था। यह सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर सहकारी समितियाँ बनाने में सक्षम बनाता है। • राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (Directive Principles of State Policy-भाग IV) में "सहकारी समितियों के प्रचार" के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था। **सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें** • 97वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। ○ हालांकि, जस्टिस नरीमन के असहमति वाले फैसले ने पूरे 97वें CAA को खारिज कर

	दिया। ● भाग IXB के उस हिस्से को नष्ट कर दिया जो राज्यों तक सीमित सहकारी समितियों से संबंधित था। कोर्ट ने माना कि सहकारी समितियां राज्य विधानसभाओं की "अनन्य विधायी शक्ति" के अंतर्गत आती हैं और केंद्र राज्य के अनन्य अधिकार को कम नहीं कर सकता है। ● हालांकि, संविधान का भाग IXB केवल तभी तक प्रभावी है जब तक यह बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहु-राज्य सहकारी समितियां संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। ● अदालत ने इस तथ्य पर भी आपत्ति जताई कि 97वां संविधान संशोधन राज्यों से अनुसमर्थन के बिना पारित किया गया था। **फैसले का महत्व** ● यह राज्यों के इस डर को दूर करता है कि नए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने उन्हें शक्तिहीन कर दिया होगा। ● यह निर्णय अपने क्षेत्रों के भीतर सहकारी समितियों पर राज्य की विशेष विधायी शक्ति को दोहराता है
मुस्कान योजना **मुस्कान = आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन**	● सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ● भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद यह एक नई योजना है। ● यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिए भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रदान करती है। ● **फोकस:** पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध आदि। ● **क्रियान्वयन**: इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से लागू किया जाएगा। **क्या आप जानते हैं?** ● 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 है और पिछली जनगणना की तुलना में यह संख्या बढ़ गई है। ● हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट भीख मांगने को अपराध से मुक्त करने के लिए एक याचिका की जांच करने के लिए सहमत हो गया है, जिसे विभिन्न राज्यों में भीख मांगने की रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध बना दिया गया है।
हनी मिशन कार्यक्रम	**कार्यक्रम की विशेषताएं** ● यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा शुरू किया गया। ● KVIC - MSME मंत्रालय के तहत KVIC, 1956 अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय है । ● यह मधुमक्खी पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण भारत में किसानों, आदिवासियों और बेरोजगार युवाओं के बीच आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हनी मिशन लागू किया जा रहा है। ● इस कार्यक्रम के अंतर्गत, लाभार्थियों को मधुमक्खी के बक्से, जीवित मधुमक्खी कॉलोनीज, टूल किट और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ● साथ ही, MSME मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना (SFURTI) के तहत, पारंपरिक मधुमक्खी पालकों को समूहों में संगठित करके और उन्हें नई मशीनरी तथा प्रशिक्षण के साथ समर्थन देकर स्थायी रोजगार प्रदान किया जाता है। ● इस योजना के तहत 29 शहद समूहों को मंजूरी दी गई है जिससे 13388 मधुमक्खी पालकों को भारत सरकार की 68.65 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से लाभ होगा।

	● वित्तीय वर्ष 2021-22 में बुंदेलखंड क्षेत्र के 80 मधुमक्खी पालकों को लाभान्वित करने वाले 08 स्वयं सहायता समूह बनाने का भी प्रस्ताव है।
आदर्श स्मारक योजना (Adarsh Smarak Scheme)	● इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में ऐतिहासिक स्मारकों में आगंतुकों (मुख्यतः शारीरिक रूप से अक्षम लोग) को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने लिये की गई थी। ● यह योजना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ● संरक्षित स्थलों पर नागरिक सुविधाओं का विस्तार - शौचालय, पेयजल, वाई-फाई सेवाएं, कैफेटेरिया, व्याख्या केंद्र, ब्रेल साइनेज आदि जैसी सुविधाएं। **इस योजना का उद्देश्य** ● स्मारकों को पर्यटक अनुकूल बनाना। ● व्याख्यान और ऑडियो-वीडियो केंद्रों की व्यवस्था की करना। ● स्मारकों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाना। ● स्वच्छ भारत अभियान को कार्यान्वनित करना।
गरीब नवाज रोजगार योजना **खबरों में:** हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री द्वारा संसद में दिये गए जवाब के अनुसार, गरीब नवाज़ रोज़गार योजना के तहत देश भर में कुल 371 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं।	● यह योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू की गई थी। ● इस योजना का कार्यान्वयन मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तत्त्वावधान में गठित एक स्वायत्त निकाय है, द्वारा किया जाता है। ● इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के युवाओं को कौशल आधारित रोज़गार के लिये सक्षम बनाने हेतु अल्पकालिक रोज़गार उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। ● यह योजना पैनलबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (Program Implementation Agencies-PIA) के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship- MSD&E) के सामान्य मानदंडों के अनुसार कार्यान्वित की जाती है। ● PIA को कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं में से न्यूनतम 70% प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना अनिवार्य है। ● लाभार्थियों को अधिकतम तीन माह की मासिक छात्रवृत्ति और रोज़गार मिलने के बाद नियुक्ति उपरांत अधिकतम दो माह तक सहायता का भुगतान भी सीधे उनके खाते में किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिपकार्ट, Amazon के खिलाफ CCI जांच को बरकरार रखा	● **समाचारों में :** हाल ही में ई-कॉमर्स प्रमुख अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट कर्नाटक के उच्च न्यायालय में अपनी कानूनी लड़ाई हार गए, क्योंकि एक खंडपीठ ने CCI के फैसले को इस बात की जांच करने के लिए बरकरार रखा कि क्या उन्होंने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते किए थे। **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बारे में** ● यह 2003 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है और 2009 में पूरी तरह कार्यात्मक हो गया। ● यह पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ● अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है। ● अधिनियम संयोजनों (अधिग्रहण, नियंत्रण का अधिग्रहण और विलय तथा अधिग्रहण) को नियंत्रित करता है, जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनता है या होने की संभावना रहती है। ● **संरचना:** CCI में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 सदस्य होते हैं। ● **पात्रता:** व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए, या, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कानून, वित्त में कम से कम पंद्रह वर्ष का विशेष ज्ञान और पेशेवर अनुभव होना चाहिए। ● **कार्य:** आयोग का यह कर्तव्य है कि ○ प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना। ○ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।

	○ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। ○ भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान **खबरों में:** राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना 2018-19 से सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है।	• **प्राथमिक उद्देश्य:** SDGs हासिल करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना। • **मुख्य जोर:** मिशन अंत्योदय के साथ अभिसरण और 117 आकांक्षी जिलों में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना। • यह "सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास" हासिल करने की दिशा में एक प्रयास है। • राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) 2.55 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से शासन क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। • राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी जो बहिष्कृत समूहों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, जैसे-गरीबी, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण, आदि। • यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित है और इसमें गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थान भी शामिल होंगे, जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। • यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पर्याप्त मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के साथ पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचे की स्थापना करेगा। • राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन के माध्यम से पंचायतों को उत्तरोत्तर मजबूत किया जाएगा जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा। • इस योजना के अंतर्गत जिलावार/पंचायतवार निधि जारी नहीं की जाती है। • राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के तहत नई पंचायतों के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। पंचायतों का गठन या पुनर्गठन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (NESAC)	• अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में सहायता के लिए मेघालय में शिलांग के पास उमियाम में स्थापित उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एनई-सैक), अंतरिक्ष विभाग और पूर्वोत्तर परिषद की एक संयुक्त पहल है। ○ NESAC ने लगभग 950 डेटासेट के साथ उत्तर पूर्वी स्थानिक डेटा रिपोजिटरी (NeSDR) जारी किया है। ये डेटासेट बुनियादी ढांचे, भूमि और जल संसाधन, आपदा प्रबंधन सहायता इनपुट से संबंधित हैं। ○ सभी राज्यों को अतिक्रमणों का पता लगाने और महामारी की योजना बनाने जैसी गतिविधियों के लिए NEC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इन डेटा सेट का लाभ उठाना है। • NESAC, अंतरिक्ष विभाग (DOS) और उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) की एक संयुक्त पहल मेघालय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1983 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। • केंद्र अव्वल दर्जे की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करके क्षेत्र में विकास प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। • यह संगठन अपने समग्र विकास और रणनीतिक योजना के लिए पूरे क्षेत्र के लिए आवश्यक रणनीतिक इनपुट भी प्रदान कर सकता है। • केंद्रीय गृह मंत्री NESAC सोसाइटी के अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) के अध्यक्ष भी हैं। ○ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत गठित एक वैधानिक सलाहकार निकाय है। ○ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम (2002 में जोड़ा गया)। ○ शिलांग, मेघालय में मुख्यालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर), भारत सरकार के तहत कार्य करता है।
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी	• बिल के माध्यम से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत दो शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय महत्व के

संस्थान, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2021 **सुर्खियों में:** संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया।	संस्थान (INI) बन गए। ○ राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (NIFTEM), कुंडली (हरियाणा) ○ भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजाबुर (तमिलनाडु) । **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI) के बारे में** ● शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो "देश/राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अत्यधिक कुशल कर्मियों के विकास में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में कार्य करता है"। ● केंद्र सरकार संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत में प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों को 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' का दर्जा प्रदान करती है। ● 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' का पहला संदर्भ भारत के संविधान, सातवीं अनुसूची में दिया गया है। ● वर्तमान में INI टैग वाले 130 संस्थान हैं। **INI को मिलने वाले कुछ लाभ नीचे सूचीबद्ध हैं:** ○ दक्षता, गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कार्यात्मक स्वायत्तता। ○ धन में वृद्धि। ○ शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता प्रदान की जाए और अनुसंधान सुविधाओं में सुधार किया जाए। ○ तेजी से निर्णय लेने की क्षमता। ○ राजनीतिक कार्यपालिका का न्यूनतम हस्तक्षेप। ○ ऐसे संस्थान छात्रों को अधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने में सक्षम हो। ○ वे अधिक खेल सुविधाएं, सेमिनार आदि भी प्रदान कर सकते हो।
आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 **खबरों में:** हाल ही में सरकार ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 (Essential Defence Services Bill, 2021) पेश किया।	**विधेयक की मुख्य विशेषताएं** ● यह "आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव के लिए प्रदान करने के लिए है ताकि राष्ट्र की सुरक्षा और बड़े पैमाने पर जनता के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित किया जा सके और इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए"। ● बिल सरकार को इसमें उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है। ● सरकार आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छँटनी पर रोक लगा सकती है। ● इसका उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाली आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। इसका देश भर के 41 आयुध कारखानों के लगभग 70,000 कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ता है, जो OFB के निगमीकरण से नाखुश हैं, उन्हें डर है कि यह उनकी सेवा और सेवानिवृत्ति की शर्तों को प्रभावित करेगा। **आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण** ● आयुध निर्माणी बोर्ड सीधे रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन था और सरकार के एक अंग के रूप में कार्य करता था। लेकिन, जून 2021 में सरकार ने इसके निगमीकरण की घोषणा की। ● इस योजना के अनुसार, सशस्त्र बलों के लिए 41 कारखाने गोला-बारूद और अन्य उपकरण सात सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं का हिस्सा बन जाएंगे। ● सरकार ने दावा किया है कि इसका उद्देश्य इन कारखानों की दक्षता और जवाबदेही में सुधार करना है। हालांकि, कई संघों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। ● यह आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश द्वारा प्रतिवाद किया गया था जिसे 30 जून, 2021 को प्रख्यापित किया गया।
नए डेटाबेस में कोई भूमिहीन किसान नहीं	● केंद्र सरकार के नए राष्ट्रीय किसान डेटाबेस में अभी के लिए केवल जमीन के मालिक किसान ही शामिल होंगे क्योंकि इसे डिजीटल भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। ● इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से कृषि क्षेत्र के लिए विशेष

	रूप से एक डेटा नीति तैयार की जा रही है। ● सरकार उच्च दक्षता के साथ लक्षित सेवा वितरण के लिए डेटाबेस का उपयोग कर सकती है। ● इस पहल के लिए यह पहला कदम है जो एग्रीस्टैक के मूल के रूप में काम करेगा ● एग्रीस्टैक प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है जो किसानों और कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है। ● एग्रीस्टैक किसानों को कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में शुरू से अंत तक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच तैयार करेगा। ● यह केंद्र के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत में भूमि के स्वामित्व से लेकर मेडिकल रिकॉर्ड तक डेटा को डिजिटाइज़ करने के लिए एक व्यापक आघात पहुँचाना है। ● प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान (किसानों की आईडी) होगी जिसमें व्यक्तिगत विवरण होगा। ● प्रत्येक आईडी व्यक्ति की डिजिटल राष्ट्रीय आईडी आधार से जुड़ी होगी। ● **लाभ** ✓ ऋण और सूचना तक अपर्याप्त पहुंच, कीट संक्रमण, फसल की बर्बादी जैसी समस्याओं को डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से दूर किया जाता है। ✓ इससे कृषि क्षेत्र में नवाचार और निवेश बढ़ेगा।
संसदीय विशेषाधिकार	● **खबरों में:** सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि कानून निर्माता संसद या विधानसभा के फर्श पर आपराधिक कृत्यों में शामिल नहीं हो सकते हैं और फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को छुपा सकते हैं। ○ सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक बजट भाषण के दौरान विधानसभा के फर्श पर बर्बरता और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोपी शीर्ष लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के नेताओं के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। ○ सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां विधायकों के लिए देश के कानून, विशेष रूप से आपराधिक कानून से छूट का दावा करने के लिए "प्रवेश द्वार" नहीं हैं। **संसदीय विशेषाधिकार** ● संसदीय विशेषाधिकार उन अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों को संदर्भित करता है जो संसद को एक संस्था के रूप में और सांसदों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में प्राप्त हैं, जिसके बिना वे संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। ● जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है, तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है। ● किसी भी सदन के सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन का दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ प्रस्ताव के रूप में एक नोटिस पेश किया जाता है। **विशेषाधिकार को नियंत्रित करने वाले नियम** ● अनुच्छेद 105 में दो विशेषाधिकारों का उल्लेख है - संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। ● लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्य सभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करता है। ● कोई सदस्य, अध्यक्ष या सभापति की सहमति से, किसी सदस्य या सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है। ● नियमों में कहा गया है कि कोई भी नोटिस हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए और इसमें सदन

	के हस्तक्षेप की आवश्यकता होनी चाहिए।
अकादमिक क्रेडिट बैंक	• **ख़बरों में:** मौजूदा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से 290 से अधिक शीर्ष संस्थानों में छात्रों के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शुरू किया जाएगा। • एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की परिकल्पना एक डिजिटल बैंक के रूप में की गई है जो किसी भी पाठ्यक्रम में एक छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट रखता है। • यह उच्च शिक्षा में बहु-विषयक, समग्र शिक्षा और बहु प्रवेश तथा निकास की सुविधा के लिए एक प्रमुख साधन है। • राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे के शीर्ष 100 में शामिल सभी संस्थानों के साथ-साथ NAAC के तहत A ग्रेड हासिल करने वालों को क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। • यह वित्तीय उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पैटर्न पर अकादमिक उद्देश्यों के लिए एक बैंक होगा, जिसमें अकादमिक खाताधारक के रूप में छात्र होंगे, जिन्हें यह क्रेडिट सत्यापन, क्रेडिट संचय, क्रेडिट हस्तांतरण या मोचन और अकादमिक पुरस्कारों के प्रमाणीकरण सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा।

चाय बोर्ड	**ख़बरों में :** हाल ही में टी बोर्ड इंडिया द्वारा जारी परिपत्र की आलोचना की गई।
	• यह परिपत्र निर्माताओं को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से कुल उत्पादन के 50% की अनिवार्य बिक्री के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।
	• 2001 में, सरकार ने आर्थिक उदारीकरण और मुक्त व्यापार की नीति के अनुरूप नीलामी के माध्यम से चाय की अनिवार्य रूटिंग को निरस्त कर दिया। हालांकि, 2015 में इसे फिर से संशोधित किया गया।
	• टी बोर्ड के अनुसार, इसके आदेश से नीलामी प्रणाली मजबूत और कीमतों में स्थिरता आएगी। हालांकि, चाय उत्पादकों द्वारा इस आधार पर इसका विरोध किया जाता है।
	    ○ भारत में चाय की नीलामियों में एक सीमित लोड-हैंडलिंग क्षमता होती है।
	    ○ इसके अलावा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि निर्माताओं को उत्पादन की लागत को पूरा करने के लिए उचित मूल्य मिलेगा।
	    ○ नीलामी के माध्यम से चाय की रूटिंग से लेन-देन की लागत भी बढ़ जाती है
	चाय बोर्ड के बारे में
	• यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है।
	• बोर्ड के 31 सदस्यों में संसद सदस्य, चाय उत्पादक, चाय विक्रेता, चाय ब्रोकर, उपभोक्ता व मुख्य चाय उत्पादक राज्यों से सरकार के प्रतिनिधि एवं व्यावसायिक संघ के सदस्य (अध्यक्ष सहित) शामिल होते हैं।
	• बोर्ड का प्रत्येक तीन साल में पुनर्गठन किया जाता है।
	कार्य:
	• चाय की खेती, निर्माण और विपणन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
	• निर्यात प्रोत्साहन
	• अनुसंधान और विकास गतिविधियां
	• श्रम कल्याण योजनाओं के माध्यम से बागान श्रमिकों और उनके बच्चों को सीमित रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
	• सांख्यिकीय डेटा और प्रकाशन का संग्रह तथा रखरखाव।

फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020 **ख़बरों में:** हाल ही में विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया।	• फैक्टरिंग एक लेन-देन है जहां एक इकाई (जैसे MSMEs) अपनी प्राप्य राशि (ग्राहक से बकाया) को तत्काल निधि (आंशिक या पूर्ण) के लिए किसी तीसरे पक्ष (बैंक या NBFC की तरह एक 'कारक') को बेचती है। • वर्तमान में, सात गैर-बैंक वित्तीय कंपनियां जिन्हें NBFC कारक कहा जाता है, अधिकांश फैक्टरिंग मुख्य व्यावसायिक स्थिति के माध्यम से करती हैं।

विधेयक उन संस्थाओं के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास करता है जो फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न होते हैं।	**बिल की मुख्य विशेषताएं** • **उद्देश्य:** बिल फैक्टरिंग व्यवसाय में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की भागीदारी को उदार (लिबरलीज़े) बनाने का प्रयास करता है। • **सीमा को हटाना:** यह विधेयक 'फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011' में संशोधन करने का प्रयास करता है. ताकि उन संस्थाओं के दायरे को बढ़ाया जा सके जो फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं। • वर्तमान कानून, भारतीय रिज़र्व बैंक को गैर-बैंक वित्त कंपनियों को फैक्टरिंग व्यवसाय में बने रहने की अनुमति देने का अधिकार देता है, यदि फैक्टरिंग उसका प्रमुख व्यवसाय है। • **व्यवसाय करने में आसानी:** यह इस व्यवसाय में एक इकाई की आवश्यकता को भी हटा देता है जिसे कारक कहा जाता है कि वह 30 दिनों के भीतर प्रत्येक लेनदेन की रिपोर्ट करे। • बिल में कहा गया है कि जहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स को व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (TReDS) के ज़रिये फाइनेंस प्रदान किया जाता है, वहाँ फैक्टर या फैक्टरिंग के आधार पर TReDS द्वारा ट्रांजैक्शन से जुड़ी डिटेल्स सेंट्रल रजिस्ट्री में फाइल की जानी चाहिये। • TReDS मंच कई फाइनेंसरों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिये एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत तंत्र है। **विधेयक का महत्व** • खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि से छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्ध धन की आपूर्ति में वृद्धि होने की उम्मीद है। • इसके परिणामस्वरूप निधियों की लागत कम हो सकती है और ऋण की कमी वाले छोटे व्यवसायों तक अधिक पहुंच संभव हो सकती है, जिससे उनकी प्राप्य राशियों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) **सुर्खियों में :** केंद्र ने राज्य से जिला खनिज कोष (District Mineral Fund – DMF) फंड का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यह खनन पट्टा धारकों (mining lease holders) से अनिवार्य योगदान से अर्जित धन में से किसी भी व्यय को मंजूरी देने या अनुमोदित करने के राज्यों के अधिकार को अस्वीकार करता है।	• DMF को केंद्रित खनन कानून, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR) 1957, जिसमें वर्ष 2015 में संशोधन किया गया था, के तहत मान्यता प्राप्त है। • खनन कार्य प्रभावित जिलों में प्रत्येक DMF की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा एक ट्रस्ट या गैर-लाभकारी निकाय के रूप में अधिसूचना द्वारा की जाती है। • DMF के उद्देश्य और कार्य भी संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया गए हैं क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्रों के लिये लागू पाँचवी और छठी अनुसूचियों, पंचायतों के लिये प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम (PESA) 1996 और अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी अधिनियम, 2006 (वन अधिकारों की मान्यता), वन अधिकार अधिनियम (FRA) से संबंधित है। • **निधियां:** प्रत्येक खनन पट्टाधारक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार DMF को रॉयल्टी के एक-तिहाई हिस्से का भुगतान करेगा, जो रॉयल्टी के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा। इस कोष का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा। • राजस्व मंडल आयुक्त या कलेक्टर, जैसा कि सरकार द्वारा तय किया जा सकता है, इसके अध्यक्ष होंगे। **प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** सितंबर 2015 में खान मंत्रालय ने DMF की निधियों के उपयोग के लिये दिशा-निर्देश जारी किये थे। इस योजना को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कहा जाता है और यह सभी राज्य सरकारों पर लागू होती है। **PMKKKY योजना का समग्र उद्देश्य होगा:** • खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जो राज्य एवं केंद्र सरकार के मौजूदा योजनाओं/ परियोजनाओं के अनुरूप हों। • पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं खनन मिलों में लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को समाप्त करना। • खनन क्षेत्र के प्रभावित लोगों के लिये दीर् कालीन टिकाऊ, आजीविका सुनिश्चित करना।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) संशोधन विधेयक	**खबरों में:** हाल ही में AERA संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित किया गया। • यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 में संशोधन करना चाहता है। • 2008 के अधिनियम ने हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) की स्थापना की। • AERA भारत में प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्क (जैसे हवाई अड्डा विकास शुल्क) को नियंत्रित करता है। • 2008 का अधिनियम एक हवाईअड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित करता है यदि उस पर कम से कम 35 लाख का वार्षिक यात्री यातायात है। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए किसी भी हवाईअड्डे को प्रमुख हवाईअड्डे के रूप में भी नामित करती है। • संशोधन विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार हवाई अड्डों का समूह बना कर और समूह को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में अधिसूचित करती है।
मेडिकल सीटों में आरक्षण	• **खबरों में:** हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) हेतु अखिल भारतीय कोटा (All India Quota- AIQ) योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) हेतु 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये 10% कोटा की घोषणा की है। • इस निर्णय से प्रत्येक वर्ष स्नातक स्तर (एमबीबीएस) पर लगभग 1,500 ओबीसी छात्रों और स्नातकोत्तर स्तर पर ऐसे 2,500 छात्रों को लाभ होगा। **प्रमुख बिंदु:** • वर्ष 1986 में AIQ योजना को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत पेश किया गया था ताकि किसी भी राज्य के छात्रों को दूसरे राज्य में स्थित मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने की स्थिति में डोमिसाइल से मुक्त तथा योग्यता के आधार पर अवसर (Domicile-Free Merit-Based Opportunities) प्रदान किया जा सके। • इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में UG सीटों का 15% और PG सीटों का 50% कोटा शामिल है। • प्रारंभ में, AIQ में कोई आरक्षण नहीं था। • 2007 में, अनुसूचित जातियों के लिये 15% और अनुसूचित जनजातियों हेतु 7.5% आरक्षण AIQ में शामिल किया जाए। • जब वर्ष 2007 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम प्रभावी हुआ, तो ओबीसी को एकसमान 27% आरक्षण प्रदान किया गया, यह योजना सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में लागू की गई थी।

सामान्य बीमा (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021	• **खबरों में:** हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया गया।
	• यह सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन है।
	• विधेयक में तीन प्रावधानों का प्रस्ताव है।
	  ○ पहला उद्देश्य उस प्रावधान (धारा 10B) को छोड़ना है जिसके लिएयह एक निर्दिष्ट बीमाकर्त्ता को 51 प्रतिशत से कम इक्विटी पूंजी रखने के लिये केंद्र सरकार की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त करेगा।
	  ○ दूसरा प्रावधान एक नई धारा 24B को सम्मिलित करना है जो ऐसे निर्दिष्ट बीमाकर्ता को अधिनियम के आवेदन को समाप्त करने के लिए प्रदान करेगा, जिस पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त हो जाता है।
	  ○ तीसरा प्रावधान एक नई धारा 31A को सम्मिलित करने के लिए भी है, जो एक निर्दिष्ट बीमाकर्त्ता का निदेशक, जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, केवल कुछ कृत्यों के लिये उत्तरदायी होगा
	• हालांकि बिल सरकार को अपनी हिस्सेदारी 51% से नीचे लाने की अनुमति देता है, लेकिन यह स्पष्ट

	किया गया कि यह निजीकरण का बिल नहीं है। **क्या आप जानते हैं?** ● आज की तारीख में, चार सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां हैं - नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ● अभी यह तय नहीं है कि सरकार किस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करेगी।
सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का सामाजिक लेखा-परीक्षण	● **खबरों में:** हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ने वित्त वर्ष 2021-22 में सूचना-निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखापरीक्षा (Information-Monitoring, Evaluation and Social Audit- I-MESA) नामक एक योजना तैयार की है। ● इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 से विभाग की सभी योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाएगी। ● ये सामाजिक अंकेक्षण राज्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों (SAU) और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के माध्यम से किए जाते हैं। ● सामाजिक लेखा परीक्षा सरकार और लोगों द्वारा संयुक्त रूप से एक योजना की लेखा परीक्षा है, विशेष रूप से उन लोगों द्वारा जो योजना या इसके लाभार्थियों से प्रभावित हैं। ● **लाभ:** यह योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु एक सशक्त माध्यम है। ● सामाजिक अंकेक्षण सामाजिक कल्याण के लिये उठाए गए कदमों के उद्देश्यों और वास्तविकता के बीच अंतर को पाटने का काम करता है।
भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)	● सरकार प्राकृतिक खेती सहित पारंपरिक स्वदेशी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 से परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) की उप-योजना के रूप में 'भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति' (Bhartiya Prakritik Krishi Padhati- BPKP) की शुरुआत की गई है। ● यह योजना मुख्य रूप से सभी कृत्रिम रासायनिक आदानों (synthetic chemical inputs) के बहिष्करण पर जोर देती है और बायोमास पुनर्चक्रण; गाय के गोबर-मूत्र से बनी सामग्री के उपयोग; पादप आधारित सामग्रियों; समय-समय पर वातन के लिए मृदा पर काम करने (soil for aeration) को बढ़ावा देती है। ● भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना के तहत, क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए 3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टेयर 12200 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत के कौशल विकास कार्यक्रम (संदर्भ: 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है)

नाम	वर्ष	प्रकार	उद्देश्य
औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (ITIs)	1950	केंद्रीय क्षेत्र	भारत में मौजूदा दीर्घकालिक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण करना।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)	2015	केंद्रीय क्षेत्र	भारत के युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना।
राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना	2015	केंद्रीय क्षेत्र	इसके साथ पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए अपनी राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) परियोजना के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (STRIVE)	2016	विश्व बैंक सहायता प्राप्त-भारत सरकार परियोजना	आईटीआई के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना।
प्रधानमंत्री युवा योजना (युवा	2016	केंद्र प्रायोजित	उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए

उद्यमिता विकास अभियान)			एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना; समर्थन और उद्यमिता समर्थन नेटवर्क तक आसान पहुंच और समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना।
आजीविका के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (SANKALP)	2018	केंद्र प्रायोजित योजना ने विश्व बैंक के साथ सहयोग किया।	अभिसरण और समन्वय के माध्यम से जिला स्तरीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र।
शिक्षा और कौशल में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए योजना (SHREYAS)	2019	केंद्रीय क्षेत्र	राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) के माध्यम से अप्रैल 2019 में बाहर निकलने वाले सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करना।
आत्म निर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (ASEEM)	2020		कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए।
कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्रों का प्रत्यायन (SMART)			यह एकल खिड़की आईटी अनुप्रयोग प्रदान करता है जो कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रशिक्षण केंद्रों (TC) की मान्यता, ग्रेडिंग, संबद्धता और निरंतर निगरानी पर केंद्रित है।

अर्थव्यवस्था

भारत के अनौपचारिक मज़दूर वर्ग को विश्व बैंक का समर्थन	• हाल ही में विश्व बैंक (World Bank) ने वर्तमान महामारी संकट से उबरने के लिए भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण कार्यक्रम (IDA द्वारा 125 मिलियन और शेष IBRD द्वारा) को मंजूरी दी है। • ऋण की परिपक्वता अवधि 18.5 वर्ष है जिसमें पाँच वर्ष की छूट अवधि शामिल है। • इस राशि का उपयोग शहरी अनौपचारिक कामगारों, गिग-वर्कर्स और प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में किया जाएगा। • अनौपचारिक क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिस पर न तो कर लगाया जाता है और न ही सरकार के किसी भी रूप द्वारा उसकी निगरानी की जाती है। • यह काफी हद तक औपचारिक शिक्षा के बाहर प्राप्त कौशल, आसान प्रवेश, स्थिर नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों की कमी और संचालन के एक छोटे पैमाने की विशेषता है। • औपचारिक अर्थव्यवस्था के विपरीत, अनौपचारिक क्षेत्र के घटकों को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। **विश्व बैंक समूह एक विशिष्ट वैश्विक साझेदारी है, जिसमें पाँच विकास संस्थान शामिल हैं।** • अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। IBRD के 189 सदस्य देश हैं, • अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। IDA के 173 सदस्य देश हैं, • अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है। • बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। • निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) निवेशकों और देशों के मध्य उत्पन्न निवेश-विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिये सुविधाएँ प्रदान करता है। भारत ICSID का सदस्य नहीं है।
ग्रीन हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी	**हाइड्रोजन का प्रकार उसके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है:** • ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा (जैसे सौर, पवन) का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।

(IRENA) के अनुसार, वर्ष 2050 तक कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 12% तक हो जाएगी।	○ इसके तहत विद्युत द्वारा जल (H_2O) को हाइड्रोजन (H) और ऑक्सीजन (O_2) में विभाजित किया जाता है। ○ उपोत्पाद: जल, जलवाष्प। • ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है जहाँ उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। • ग्रे हाइड्रोजन (Grey Hydrogen) प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहाँ संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। • ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen) प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहाँ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है अधिकांश समय CO2 को एक पाइपलाइन द्वारा ले जाकर गहरे भूमिगत में भंडारित किया जाता है, यह नमक की गुफाओं या घटते तेल और गैस जलाशयों में अधिकतर किया जाता है। • गुलाबी हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है। • पीला हाइड्रोजन जहां इलेक्ट्रोलिसिस पूरी तरह से सौर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है (ग्रीन के विपरीत जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन या सौर के संयोजन का उपयोग कर सकता है)।
क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) **खबरों में:** भारत का विनिर्माण PMI जून में घटकर 48.1 पर आ गया, जो मई में 50.8 था, जो संकुचन से विकास को अलग करते हुए 50-स्तर से नीचे चला गया।	• PMI एक सर्वेक्षण-आधारित उपाय है जो उत्तरदाताओं से पिछले महीने की तुलना में प्रमुख व्यावसायिक चरों के बारे में उनकी धारणा में बदलाव के बारे में पूछता है। • PMI का उद्देश्य कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। • विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए इसकी अलग से गणना की जाती है और फिर एक संयुक्त सूचकांक भी बनाया जाता है। • PMI को 0 से 100 तक के सूचकांक पर मापा जाता है। ○ ध्यातव्य है कि इस सूचकांक में 50 से अधिक अंक विस्तार का संकेत देते हैं, जबकि 50 से कम अंक संकुचन का संकेत देते हैं। • यदि पिछले महीने का PMI चालू माह के PMI से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। • यह आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में जारी किया जाता है। इसलिए, इसे आर्थिक गतिविधि का एक अच्छा अग्रणी संकेतक माना जाता है। • PMI को IHS मार्किट द्वारा दुनिया भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकलित किया गया है। • IHS मार्किट (मुख्यालय: लंदन) दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को चलाने वाले प्रमुख उद्योगों और बाजारों के लिए सूचना, विश्लेषण और समाधान में एक वैश्विक नेता है। • औद्योगिक उत्पादन पर आधिकारिक आंकड़ों के रूप में, जीडीपी वृद्धि बहुत बाद में आती है, पीएमआई पहले चरण में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट **खबरों में:** हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) का 23वाँ अंक जारी किया।	• FSR जो कि द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित होती है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC-आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में) की उप-समिति द्वारा वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन तथा जोखिम के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाती है। • रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करती है। **जुलाई की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु :** • भारतीय बैंकों की बैलेंस शीट पर कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव पहले की तुलना में कम रहा है और पूंजी बफर भविष्य के झटकों का सामना करने के लिये यथोचित है। • निरंतर नीति समर्थन, अनुकूल वित्तीय स्थिति और टीकाकरण की गति एक असमान वैश्विक सुधार का समर्थन कर रही हैं।

- भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात 2021-22 के अंत तक बढ़कर 11.2 फीसदी तक पहुँच सकता है, जो मार्च 2021 में 7.48% था।
- मार्च 2021 में SCBs का जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) बढ़कर 16.03% हो गया और 'प्रोविज़निंग कवरेज अनुपात' (PCR) 68.86% हो गया।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

- FSDC, 2010 में कार्यकारी आदेश द्वारा गठित वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर-सांविधिक शीर्ष परिषद है।
- वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर रघुराम राजन समिति (2008) ने सबसे पहले FSDC के निर्माण का प्रस्ताव रखा।
- इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं और इसके सदस्यों में सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों (RBI, SEBI, PFRDA और IRDA) के प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव (DEA), वित्तीय सेवा विभाग के सचिव (DFS) शामिल हैं।), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग के सचिव, आईबीबीआई के अध्यक्ष, राजस्व सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार।
- FSDC का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाना है।
- यह अर्थव्यवस्था के मैक्रो-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करने का भी इरादा रखता है। यह बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज का आकलन भी करेगा।
- यह परिषद आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों को अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकती है।
- FSDC उप-समिति की अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं।

विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) भंडार

खबरों में: RBI के अनुसार, 25 जून, 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $ 5 बिलियन से बढ़कर $ 609 बिलियन हो गया।

- विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित संपत्तियां हैं।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:

विदेशी मुद्रा संपत्ति	$ 566 बिलियन	
सोना	$ 36.296 अरब	
आईएमएफ का एसडीआर	$ 1.498 बिलियन	
आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति	$ 4.965 बिलियन	

- विदेशी मुद्रा भंडार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और पूंजी प्रवाह के व्यवस्थित अवशोषण को सक्षम करते हुए विनिमय दर को बनाए रखने या प्रबंधित करने के लिए साधन हैं।

विशेष रेखा - चित्र अधिकार

- SDR एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, जिसे IMF ने 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाया था।
- SDR न तो मुद्रा है और न ही IMF पर दावा है। बल्कि, यह IMF सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिए SDR का आदान-प्रदान किया जाता है।
- SDR के मूल्य की गणना अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चीनी युआन और ब्रिटिश पाउंड सहित प्रमुख मुद्राओं की भारित टोकरी से की जाती है।
- SDRs (SDRi) पर ब्याज दर सदस्यों को उनके SDR होल्डिंग पर भुगतान किया गया ब्याज है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित स्थिति

	• एक आरक्षित किश्त की स्थिति का तात्पर्य मुद्रा के आवश्यक कोटे के एक हिस्से से है जिसे प्रत्येक सदस्य देश को IMF को प्रदान करना चाहिए जिसका उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। • आरक्षित किश्त मूल रूप से एक आपातकालीन खाता है जिसे IMF के सदस्य किसी भी समय शर्तों से सहमत हुए या सेवा शुल्क का भुगतान किए बिना एक्सेस कर सकते हैं।
स्वतंत्र निदेशकों के लिए नए मानदंड **खबरों में:** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कड़े मानदंडों को मंज़ूरी दे दी है।	• एक स्वतंत्र निदेशक (जिसे कभी-कभी बाहरी निदेशक के रूप में भी जाना जाता है) एक गैर-कार्यकारी निदेशक होता है। • उसका कंपनी के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध (सामग्री या वित्तीय) नहीं है। • स्वतंत्र निदेशक का प्राथमिक कार्य स्वतंत्र पक्ष लेना होता है, ताकि बहुसंख्यक शेयरधारकों पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित किया जा सके, जो कंपनी को अनुचित जोखिमों में डाल सकता है। • कंपनी अधिनियम, 2013 ने सभी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों के लिये कुल निदेशकों में से कम-से-कम एक-तिहाई को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य किया है। • स्वतंत्र निदेशक के तौर पर उनकी भूमिका उन्हें सैद्धांतिक होने को मजबूर करती है, वहीं व्यवसाय उनसे व्यावहारिक होने की उम्मीद करता है, जिसके कारण उनके लिये संतुलन स्थापित करना चुनौतीपूर्ण होता है। • स्वतंत्र निदेशकों के लिए एक बड़ा कहना धोखाधड़ी, कुप्रबंधन और कुशासन को रोक सकता है। **सेबी के हालिया मानदंडों के प्रमुख बिंदु** • शेयरधारकों द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा सकती है। एक विशेष प्रस्ताव को पारित होने के पक्ष में 75% मतों की आवश्यकता होती है। • सेबी ने एक स्वतंत्र निदेशक बनने के लिए आवश्यक कौशल के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं को भी विस्तृत और मजबूत किया है। • निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जो नियुक्तियों और मुआवजे से संबंधित निर्णय लेती है एवं लेखा परीक्षा समिति में अब साधारण बहुमत की तुलना में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिये। • संबंधित पार्टी के सभी लेन-देन (एक कंपनी और उसकी संबंधित संस्थाओं के बीच) को ऑडिट समिति में केवल स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। • साथ ही एक सूचीबद्ध कंपनी को एक स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र का खुलासा करना आवश्यक होगा। ○ साथ ही एक स्वतंत्र निदेशक के लिये एक ही कंपनी/होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनी या प्रमोटर समूह से संबंधित किसी भी कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में संक्रमण के लिये एक वर्ष की 'कूलिंग अवधि' होगी। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है।
टू पिलर प्लान (Two Pillar Plan)	**समाचार में:** हाल ही में भारत और OECD/G20 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting) के अधिकांश सदस्य अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार के लिये एक नए टू पिलर प्लान (Two Pillar Plan) में शामिल हो गए हैं। • इस योजना के हस्ताक्षरकर्त्ता 130 देश हैं, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। • नया ढाँचा अर्थव्यवस्थाओं के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करेगा। **वन पिलर:**

	• यह डिजिटल कंपनियों सहित सबसे बड़े एमएनई के संबंध में देशों के बीच मुनाफे और कर अधिकारों का उचित वितरण सुनिश्चित करेगा। • ऑर्गेनाइज़ेशन फार इकॉनमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष बाज़ार के अधिकार क्षेत्र में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ का पुन: आवंटन होने की उम्मीद है। **टू पिलर:** • यह वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर के माध्यम से देशों के बीच न्यूनतम मानक कर दर निर्धारित करना चाहता है, जो वर्तमान में 15% प्रस्तावित है। • इससे कर राजस्व में अतिरिक्त 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पन्न होने की उम्मीद है। **आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS)** • BEPS का तात्पर्य ऐसी टैक्स प्लानिंग रणनीतियों से है जिनके तहत टैक्स नियमों में अंतर और विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनियाँ अपने लाभ को किसी ऐसे स्थान या क्षेत्र में हस्तांतरित कर देती हैं जहाँ या तो टैक्स होता ही नहीं और यदि होता भी है तो बहुत कम अथवा नाम-मात्र। • यह समग्र रूप से देय निगम कर को कम करने के लिए किया जाता है, या तो कर लाभ को 'गायब' कर दिया जाता है या मुनाफे को कम कर क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां यह बहुत कम या कोई वास्तविक गतिविधि नहीं होती है। • सामान्य तौर पर BEPS रणनीतियाँ अवैध नहीं होती हैं; बल्कि वे विभिन्न न्यायालयों में संचालित विभिन्न कर नियमों का लाभ उठाते हैं। • विकासशील देशों के बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNEs) के कारण कॉर्पोरेट आयकर पर भारी निर्भरता के कारण BEPS का इनके लिये प्रमुख महत्त्व है। • BEPS पहल एक आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) पहल है, जिसे G20 द्वारा अनुमोदित किया गया है, ताकि विश्व स्तर पर अधिक मानकीकृत कर नियम प्रदान करने के तरीकों की पहचान की जा सके।
एंटी-डंपिंग ड्यूटी **समाचार में:** अप्रैल 2021 में व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने एक जाँच के बाद चीन, कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड से "कॉपर और कॉपर अलॉय फ्लैट-रोल्ड उत्पादों" के आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश की।हालांकि, जुलाई के पहले सप्ताह में सरकार ने इन उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है।	• भले ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, वित्त मंत्रालय इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए अंतिम निर्णय लेता है और इसके लिए अधिसूचना जारी करता है। **डंपिंग के बारे में** • डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है।यह एक अनुचित व्यापार प्रथा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है। • एंटी-डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिये लगाया जाता है।लंबी अवधि में एंटी-डंपिंग ड्यूटी समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा को कम कर सकती है। ○ यह एक संरक्षणवादी टैरिफ है जिसे एक देश की सरकार द्वारा विदेशी आयातों पर लगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि इसकी कीमत उचित बाज़ार मूल्य से कम है। • विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्द्धा के साधन के रूप में डंपिंग-रोधी उपायों के उपयोग की अनुमति दी गई है। • भारत में डीजीटीआर (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) जैसे अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा गहन जांच के बाद ही शुल्क लगाया जाता है। • जहां डंपिंग रोधी शुल्क का इरादा घरेलू नौकरियों को बचाना है, वहीं इन शुल्कों से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

	• लंबी अवधि में, एंटी-डंपिंग शुल्क समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को कम कर सकते हैं। **काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) से अलग:** • काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVDs) निर्यातक देश में इन वस्तुओं के उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी को ऑफसेट करने के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क हैं (उदा: चीन)। • CVDs एक उत्पाद के घरेलू उत्पादकों और उसी उत्पाद के विदेशी उत्पादकों के बीच खेल के मैदान को समतल करने के लिए होते हैं, जो अपनी सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के कारण इसे कम कीमत पर बेचने का जोखिम उठा सकते हैं।
भालिया गेहूं (Bhalia Wheat) **खबरों में:** हाल ही में भौगोलिक संकेत (GI) प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूँ की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है।	• गेहूं की भालिया किस्म को 2011 में भौगोलिक संकेत (GI) प्रमाणन प्राप्त हुआ था। • इस गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में मीठा होता है। • यह फसल मुख्य तौर पर गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाई जाती है जिसमें अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, भरूच ज़िले शामिल हैं। • यह किस्म बिना सिंचाई के रेनशेड परिस्थितियों में उगाई जाती है। **गेहूं** • **रबी फसल:** यह रबी की फसल है जो अक्तूबर-दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल-जून में काटी जाती है। • **तापमान:** तेज़ धूप के साथ 10-15 डिग्री सेल्सियस (बुवाई के समय) और 21-26 डिग्री सेल्सियस (पकने और कटाई के समय) के बीच। • **वर्षा:** लगभग 75-100 सेमी. • **मृदा का प्रकार:** अच्छी तरह से सूखी उपजाऊ दोमट और चिकनी दोमट (गंगा-सतलुज मैदान तथा दक्कन का काली मिट्टी क्षेत्र)। • भारत के प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात हैं। • चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। • **गुजरात के अन्य GI उत्पाद हैं:** इस श्रेणी में नवीनतम उत्पाद पेठापुर की लकड़ी के प्रिंटिंग ब्लॉक शामिल हैं, वहीं अन्य उत्पादों में सांखेड़ा में बने फर्नीचर, खंभात से एगेट, कच्छ की कढ़ाई, सूरत से ज़री शिल्प, पाटन से पटोला साड़ी, जामनगर से बंधनी और गिर से केसर आम शामिल हैं।
माइक्रो ATM **संदर्भ:** फिनो पेमेंट्स IPO के लिए जा रहा है। माइक्रो एटीएम इसके बेहतरीन उत्पादों में से एक है।	• माइक्रो एटीएम एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग लाखों बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) द्वारा बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। • यह प्लेटफॉर्म व्यापार प्रतिनिधियों (जो स्थानीय किराना दुकान का मालिक हो सकता है और 'माइक्रो एटीएम' के रूप में कार्य करेगा) को तत्काल लेनदेन करने में सक्षम बनाएगा। • माइक्रो प्लेटफॉर्म कम लागत वाले उपकरणों के माध्यम से कार्य करने में सक्षम होगा जो देश भर के बैंकों से जुड़े होंगे। • यह किसी विशेष BC से जुड़े बैंक की परवाह किए बिना किसी व्यक्ति को तुरंत धनराशि जमा करने या निकालने में सक्षम करेगा। • यह उपकरण मोबाइल फोन कनेक्शन पर आधारित होगा और प्रत्येक BC पर उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राहकों को बस अपनी पहचान प्रमाणित (फिंगर प्रिंट) करवानी होगी और अपने बैंक खातों में पैसे निकालने या डालने होंगे। • यह पैसा BC के कैश ड्रॉअर से आएगा। अनिवार्य रूप से, BC ग्राहकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें केवल ग्राहकों के यूआईडी (उदाहरण: आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से फिंगर प्रिंट) का उपयोग करके ग्राहक की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की होगी।

	• माइक्रो-एटीएम द्वारा समर्थित बुनियादी लेनदेन प्रकार, जमा, निकासी, फंड ट्रांसफर और शेष पूछताछ हैं। • माइक्रो एटीएम भी कार्ड स्वाइप मशीन के जरिए व्यापारी लेनदेन कर सकते हैं। यह मशीन इसके साथ संलग्न एक फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आती है।
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स	• **खबरों में:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ONDC) परियोजना के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त करने के आदेश जारी किये हैं, जिसका उद्देश्य "डिज़िटल एकाधिकार" को रोकना है। **इसके के बारे में** • यह ई-कॉमर्स प्रक्रियाओं को ओपन सोर्स बनाने की दिशा में एक कदम है, इस प्रकार एक ऐसा मंच तैयार किया जा रहा है जिसका उपयोग सभी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं द्वारा किया जा सकता है। • एक सॉफ्टवेयर या एक प्रक्रिया को ओपन-सोर्स बनाने का मतलब है कि कोड या उस प्रक्रिया के चरणों को दूसरों के उपयोग, पुनर्वितरण और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाता है। • इससे पहले, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण के लिये ई-कॉमर्स नियमों का मसौदा जारी किया था, जिसमें ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस जैसे- अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट छोटे व्यवसायों द्वारा शिकायत (कि ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस बाज़ार के प्रभुत्व का दुरुपयोग करते हैं तथा एक अनुचित लाभ हासिल करने के लिये गहरी छूट देते हैं।) किये जाने के बाद कैसे काम करते हैं, में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। • ONDC का उद्देश्य किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र, खुले विनिर्देशों और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए ओपन-सोर्स पद्धति पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। • ओपन-सोर्स तकनीक पर आधारित नेटवर्क के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने की परियोजना को भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) को सौंपा गया है। • ONDC जिसका कार्यान्वयन एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) की तर्ज पर होने की उम्मीद है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा किये गए विभिन्न परिचालन पहलुओं को समान स्तर पर ला सकता है। • विभिन्न परिचालन पहलुओं में विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग, विक्रेता की खोज, मूल्य की खोज और उत्पाद सूचीकरण आदि शामिल हैं। • ONDC पर खरीदार और विक्रेता इस तथ्य के बावजूद लेन-देन कर सकते हैं कि वे एक विशिष्ट ई-कॉमर्स पोर्टल से जुड़े हुए हैं।
अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम	• **समाचार में:** हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs-CBIC) ने अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों (Authorised Economic Operators-AEO) के आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था शुरु की है। • AEO विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization- WCO) के तत्त्वावधान में एक कार्यक्रम (वर्ष 2007) है, जो वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने हेतु मानकों का एक सुरक्षित ढाँचा प्रदान करता है। • इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को बढ़ाना और माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। • इसके तहत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगी एक इकाई को आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा मानकों के अनुपालन के रूप में WCO द्वारा अनुमोदित किया जाता है और AEO का दर्जा दिया जाता है। • AEO स्थिति वाली एक इकाई को 'सुरक्षित' व्यापारी और एक विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार माना जाता है। • AEO एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। • भारत में AEO कार्यक्रम को 2011 में एक पायलट परियोजना के रूप में पेश किया गया था। **भारतीय AEO कार्यक्रम का उद्देश्य:**

	• व्यावसायिक संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रदान करना। • व्यावसायिक संस्थाओं को "सुरक्षित और विश्वसनीय" व्यापारिक भागीदारों के रूप में मान्यता देना। • परिभाषित लाभों के माध्यम से व्यावसायिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना जो समय और लागत में बचत में तब्दील हो जाते हैं। • निर्यात के स्थान से आयात तक सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला। • बढ़ी हुई सीमा निकासी। • रहने के समय और संबंधित लागतों में कमी। • सीमा शुल्क सलाह/सहायता यदि व्यापार देशों के सीमा शुल्क के साथ अप्रत्याशित मुद्दों का सामना करना।

भारत का पहला निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र	• **खबरों में :** 11 जुलाई, 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने नागपुर, महाराष्ट्र में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया।
	• यह प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह निकल जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है।
	• भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं।
	• जबकि ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस का विश्व औसत हिस्सा 23% है, यह भारत के लिए केवल 6% है।
	• हालांकि, भारत सरकार ने इसे 2030 तक 15% करने का लक्ष्य रखा है।
	• मंत्रालय ने ऊर्जा और बिजली क्षेत्र की ओर कृषि के विविधीकरण के लिए वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व पर जोर दिया।
	  ○ कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो कम समय में किसी कार्बनिक पदार्थ (जीवित या एक बार जीवित सामग्री) से उत्पन्न होता है, उसे जैव ईंधन माना जाता है।
	  ○ जैव ईंधन प्रकृति में ठोस, तरल या गैसीय अवस्था में हो सकती है।
	  ○ इन्हें डीजल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन के अलावा बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसके अलावा उनका उपयोग गर्मी और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
	  ○ जैव ईंधन में स्थानांतरित होने के मुख्य कारण: तेल की बढ़ती कीमतें, किसानों को लाभान्वित करती हैं और स्थानीय रूप से उत्पादित की जाती हैं जो तेल की आयात निर्भरता को कम करने में मदद करती हैं।

RBI की रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट्स (RDG) योजना	**खबरों में :** आरबीआई ने एक ऐसी योजना की घोषणा की है जिसके तहत खुदरा निवेशकों को सीधे केंद्रीय बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाते (RDG) खोलने की अनुमति होगी। • "गिल्ट खाता" का अर्थ है किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए खोला और बनाए रखा गया खाता। • यह ऑनलाइन पोर्टल पंजीकृत उपयोगकर्त्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक जारीकर्त्ता और 'नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सिस्टम' (NDS-OM) तक पहुँच प्रदान करेगा। ○ रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2005 में 'नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सिस्टम' की शुरुआत की थी। यह सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिये एक इलेक्ट्रॉनिक, स्क्रीन आधारित, ऑर्डर संचालन व्यापार प्रणाली है। • यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने हेतु वन-स्टॉप समाधान है। • आरबीआई के साथ खाता खोलने और बनाए रखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र अनिवासी खुदरा निवेशक भी योजना के तहत पात्र हैं।

वर्तमान सरकारी प्रतिभूति (G-sec) बाज़ार

- G-Secs सरकार द्वारा पैसा उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण साधन हैं।
- बैंक सावधि जमा की तरह, सरकारी प्रतिभूतियां कर-मुक्त नहीं हैं।
- इन्हें आम तौर पर निवेश का सबसे सुरक्षित रूप माना जाता है क्योंकि उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त होता है। तो, डिफ़ॉल्ट का जोखिम लगभग शून्य है।
- हालांकि, वे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के अधीन हैं। इसलिए, वे पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं हैं।
- ऐसी प्रतिभूतियां अल्पावधि (91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की परिपक्वता अवधि वाले ट्रेजरी बिल) या लंबी अवधि (एक वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सरकारी बांड) हैं।
- भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है जबकि राज्य सरकारें केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।
- जब सरकार अपनी प्रतिभूतियों को पहली बार (प्राथमिक बाजार) जारी करती है तो अधिकृत संस्थानों को सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की अनुमति होती है। इन संस्थानों को प्राथमिक डीलर कहा जाता है जिसमें बैंक और वित्त संबंधी कंपनियां शामिल हैं।
- एक बार जब ये सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लेते हैं, तो अन्य संस्थान जैसे कि आरबीआई, बैंक, एनबीएफसी इन प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाजार में खरीद सकते हैं।
- कुछ साल पहले, आरबीआई ने व्यक्तियों (खुदरा निवेशकों) को प्राथमिक बाजार के साथ-साथ द्वितीयक बाजार में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन अन्य संस्थानों के माध्यम से सीधे नहीं। लेकिन अब खुदरा निवेशक सीधे आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट योजना के तहत खरीद सकेंगे

मुद्रास्फीति

खबरों में: मुद्रास्फीति जून में 6% से ऊपर 6.3% पर रही।

- दूसरी COVID-19 लहर के साथ विकास की गति कमजोर बनी रही, जिससे रिकवरी की गति प्रभावित हुई।
- विशेषज्ञों का मानना है कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार की ओर से नीतिगत समर्थन की कमी (उदा: तेल करों में कटौती) आरबीआई को अपने विकास सहायक दृष्टिकोण (कम ब्याज दर) को उलट सकती है।
- टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत सामान मई में सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों के रूप में सामने आए।

क्या आप जानते हैं?

- भारत में विभिन्न सूचकांक हैं जैसे थोक मूल्य सूचकांक (WPI), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आदि जो भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापते हैं।
- लेकिन भारत में मुद्रास्फीति दर के रूप में हम आम तौर पर सुर्खियों में पाते हैं, वह है CPI पर आधारित मुद्रास्फीति दर।

संदर्भ	WPI	CPI
परिभाषा	थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन की मात्रा	खुदरा स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है।
प्रकाशन कार्यालय	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (वाणिज्य और	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) और श्रम ब्यूरो

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>उद्योग मंत्रालय)</td><td></td></tr>
<tr><td>माल</td><td>केवल सामान</td><td>सामान और सेवाएं दोनों</td></tr>
<tr><td>आधार वर्ष</td><td>2011-12</td><td>2012
नोट: आधार वर्ष संशोधित किया जाना है।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>दीर्घायु वित्त हब</td><td>
● खबरों में: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने 14 जुलाई, 2021 को गिफ्ट सिटी - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (GIFT- IFSC) में 'दीर्घायु वित्त हब' (Longevity Finance Hub) के विकास के लिए रोड मैप की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
○ विशेषज्ञ समिति की सह-अध्यक्षता बैंक ऑफ अमेरिका की अध्यक्ष और कंट्री हेड (भारत) काकू नखाटे और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्व प्रमुख प्रबंध निदेशक गोपालन श्रीनिवासन द्वारा की जा रही है।
○ IFSCA को भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के लिए एक एकीकृत नियामक के रूप में स्थापित किया गया है।
● सिल्वर जेनरेशन (अर्थात 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का एक वैश्विक समूह) के धन, स्वास्थ्य, बीमा और अन्य निवेश उत्पाद संबंधी जरूरतों को पूरा करना।
● वैश्विक अनुमान बताते हैं कि चांदी उत्पादन में एक अरब लोग हैं।
● उनकी संयुक्त खर्च करने की शक्ति $15 ट्रिलियन है और आकार लगातार बढ़ रहा है।
● औषधीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास से चांदी के उत्पादन के जीवनकाल और दीर्घायु को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
● यह अनुमान लगाया गया है कि 2040 तक चांदी पीढ़ी के सदस्य 20 साल से कम उम्र के लोगों की तुलना में अधिक होंगे।
● यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन विशेष रूप से धन प्रबंधन, स्वास्थ्य, बीमा और अन्य निवेश उत्पादों के क्षेत्रों में नई चुनौतियों और अवसरों को खोलेगा, इस प्रकार समर्पित दीर्घायु वित्त हब की आवश्यकता होगी।
</td></tr>
<tr><td>विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज

खबरों में: हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) ने विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी है।</td><td>
● उद्देश्य: पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में लगे 10 करोड़ किसानों के लिये पशुपालन (Animal Husbandry) को अधिक लाभकारी बनाना।
● कुल राशि: इस क्षेत्र में लगभग 55,000 करोड़ रुपए के बाहरी निवेश का लाभ उठाने के लिये केंद्र सरकार अगले पाँच वर्षों में पशुधन विकास पर 9,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
● विभाग की सभी योजनाओं को तीन व्यापक श्रेणियों में मिला दिया जाएगा:
○ विकास कार्यक्रम: इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission), डेयरी विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Dairy Development), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) और पशुधन जनगणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (Livestock Census and Integrated Sample Survey) उप-योजनाओं के रूप में शामिल हैं।
○ रोग नियंत्रण कार्यक्रम: इसका नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (Livestock Health and Disease Control) कर दिया गया है, जिसमें वर्तमान पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना तथा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme) शामिल हैं।
○ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड: पशुपालन बुनियादी ढाँचा विकास कोष (Animal Husbandry Infrastructure Development fund) और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (Dairy Infrastructure Development Fund) का विलय कर दिया गया है तथा डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी सहकारी समितियों (Dairy Cooperative) एवं किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organization) को समर्थन करने
</td></tr>
</table>

	वाली वर्तमान योजना भी इस तीसरी श्रेणी में शामिल है।
भारत का कपड़ा क्षेत्र **सुर्खियों में:** हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये कपड़ा मंत्रालय (Ministry of Textile) द्वारा की गई पहलों की गहन समीक्षा की।	● कपड़ा और वस्त्र उद्योग श्रम प्रधान क्षेत्र है जो भारत में 45 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। ● रोजगार के मामले में यह कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। ● यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन का 7%, भारत की निर्यात आय में 12% और कुल रोज़गार में 21% से अधिक का योगदान देता है। ● भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों (Technical Textile) का छठा (विश्व में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक) बड़ा उत्पादक देश है। ○ तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक कपड़े होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं। ● भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है जिसकी विश्व में हाथ से बुने हुए कपड़े के मामले में 95% हिस्सेदारी है। **कपड़ा क्षेत्र में भारत द्वारा प्रमुख पहल?** ● **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (Amended Technology Upgradation Fund Scheme- ATUFS):** वर्ष 2015 में सरकार ने कपड़ा उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (ATUFS) को मंज़ूरी दी। ● **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Parks- SITP):** यह योजना कपड़ा इकाइयों की स्थापना के लिये विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करती है।। ● **समर्थ (कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना):** कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए। ● **पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्द्धन योजना (North East Region Textile Promotion Scheme- NERTPS):** यह कपड़ा उद्योग के सभी क्षेत्रों को बुनियादी ढांँचा, क्षमता निर्माण और विपणन सहायता प्रदान करके NER में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित योजना है। ● **पावर-टेक्स इंडिया:** इसमें पावरलूम टेक्सटाइल में नए अनुसंधान और विकास, नए बाज़ार, ब्रांडिंग, सब्सिडी और श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। ● **रेशम समग्र योजना:** यह घरेलू रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करती है जिससे आयातित रेशम पर देश की निर्भरता कम हो जाती है। ● **जूट आईकेयर:** वर्ष 2015 में शुरू की गई इस पायलट परियोजना का उद्देश्य जूट की खेती करने वालों को रियायती दरों पर प्रमाणित बीज प्रदान करना और पानी सीमित परिस्थितियों में कई नई विकसित रेटिंग प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। ● **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन:** इसका उद्देश्य देश को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थान देना और घरेलू बाज़ार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक घरेलू बाज़ार का आकार 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है।
तीसरा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) समाचार में: हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जुलाई 2019 और जून 2020 के बीच आयोजित 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (PLFS) पर तीसरी वार्षिक	**तीसरी रिपोर्ट की मुख्य बातें** ● NSO के आंकड़ों से पता चला है कि श्रम संकेतकों ने पिछले दो वर्षों की तुलना में 2019-20 में चारो ओर से सुधार हुआ है। ● वित्तीय वर्ष 2019-20 में बेरोज़गारी दर गिरकर 4.8% तक पहुँच गई है, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 5.8% और वर्ष 2017-18 में 6.1% पर थी। ● इसमें वर्ष 2018-19 में 35.3% और वर्ष 2017-18 में 34.7% की तुलना में वर्ष 2019-20 में सुधार हुआ है तथा यह 38.2% पर पहुँच गई है।

<table>
<tr>
<td>रिपोर्ट जारी की है।</td>
<td>

- श्रम बल भागीदारी अनुपात (LFPR) वर्ष 2019-20 में यह पिछले दो वर्षों में क्रमशः 37.5% और 36.9% की तुलना में बढ़कर 40.1% हो गया है।
- **लिंग आधारित बेरोजगारी दर:** आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 में पुरुष और महिला दोनों के लिये बेरोज़गारी दर गिरकर क्रमशः 5.1% और 4.2% पर पहुँच गई है, जो कि वर्ष 2018-19 में क्रमशः 6% और 5.2% पर थी।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) शुरू किया गया था।

PLFS का उद्देश्य मुख्य रूप से दो पहलुओं पर है:

- पहला शहरी क्षेत्रों के लिए केवल वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में तीन महीने के कम समय अंतराल में श्रम बल की भागीदारी और रोजगार की स्थिति में गतिशीलता को मापने के लिए है।
- इस प्रकार, प्रत्येक तिमाही में CWS प्रमुख श्रम बल संकेतकों के स्तर और परिवर्तन अनुमानों को सामने लाएगा। कार्यकर्ता- जनसंख्या अनुपात (WPR), श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), बेरोजगारी दर (UR)।
- दूसरे, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति और CWS दोनों में सभी महत्वपूर्ण मापदंडों के स्तर के अनुमान सालाना निकाले जाएंगे।

- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):** LFPR को जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात काम करने वाले या तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध) में व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):** WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **अनुपात बेरोजगार (PU):** इसे जनसंख्या में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **बेरोजगारी दर (UR):** बेरोज़गारी दर की गणना श्रम बल से बेरोज़गारों की संख्या को विभाजित करके की जाती है।

</td>
</tr>
<tr>
<td>

एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR)

सुर्खियों में: भारत में मौद्रिक संचरण' पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR - रेपो दर की तरह) से जुड़े बकाया ऋणों की हिस्सेदारी सितंबर 2019 के दौरान 2.4% से बढ़कर मार्च 2021 के दौरान 28.5% हो गई।

</td>
<td>

इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (IBLR):

- उधारदाताओं की आमतौर पर एक आंतरिक दर होती है, जो कि बेंचमार्क दर है। सभी ऋणों पर ब्याज दरें इससे जुड़ी हुई हैं।
- उदाहरण के लिए, एक ऋणदाता की बेंचमार्क दर 6% है।
- यह बेंचमार्क दर से 2% अधिक ऑटो ऋण की पेशकश करेगा, जो कि 8% होगा।
- इसी तरह, यह बेंचमार्क दर से 8% अधिक या 14% पर व्यक्तिगत ऋण प्रदान कर सकता है।
- प्रारंभ में, आरबीआई ने बेंचमार्क दर को पारदर्शी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसने बेंचमार्क दरों की गणना के लिए विभिन्न तरीके पेश किए जो इस प्रकार हैं।

<table>
<tr>
<td>प्राइम लेंडिंग रेट (PLR)
जून 2010 तक बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली</td>
<td>• इसके तहत, बैंक ऋणों की कीमत निधियों की वास्तविक लागत पर निर्धारित की गई थी।</td>
</tr>
<tr>
<td>न्यूनतम दर

जून 2010 से अप्रैल 2016 तक बैंकों द्वारा उपयोग किया गया</td>
<td>• आधार दर न्यूनतम ब्याज दर थी जिस पर वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को ऋण दे सकते थे।
• आधार दर की गणना तीन मापदंडों पर की जाती है - धन की लागत, संसाधनों की असंबद्ध लागत और निवल मूल्य पर वापसी।
• इसलिये दर अलग-अलग बैंकों पर निर्भर करती थी और जब भी उनके फंड की लागत तथा अन्य मापदंडों में बदलाव होता था, वे</td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>इसमें परिवर्तन करते थे।</td></tr>
<tr><td>उधार दर की सीमांत लागत (MCLR):

2016 से अक्टूबर 2019 तक प्रभावी रहा</td><td>

यह अस्थायी दर वाले ऋणों के लिए एक बेंचमार्क उधार दर है।
यह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक उधार दे सकते हैं।
यह दर चार घटकों- धन की सीमांत लागत (Marginal Cost Of Funds), नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio), परिचालन लागत (Operating Costs) और परिपक्वता अवधि (Tenor Premium) पर आधारित है।
MCLR वास्तविक जमा दरों से जुड़ा हुआ है। इसलिये जब जमा दरों में वृद्धि होती है, तो यह इंगित करता है कि बैंकों की ब्याज दर बढ़ने की संभावना है।

</td></tr>
</table>

IBLR व्यवस्था के साथ समस्या यह थी कि जब RBI ने रेपो और रिवर्स रेपो दरों में कटौती की तो बैंकों ने उधारकर्त्ताओं को पूरा लाभ नहीं दिया।
रेपो दर वह दर है जिस पर RBI अल्पावधि के लिए बैंकों को पैसा उधार देता है। यहां, केंद्रीय बैंक सुरक्षा खरीदता है।
आंतरिक बेंचमार्क व्यवस्था के तहत ब्याज दर निर्धारण प्रक्रियाओं में अस्पष्टता उधार दरों के संचरण में बाधा उत्पन्न करती है।

इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (IBLR) के बारे में

पूर्ण पारदर्शिता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिये RBI ने बैंकों को 1 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी ऋण श्रेणी के भीतर एक समान बाहरी बेंचमार्क अपनाने का आदेश दिया।
RBI ने बैंकों को 4 बाहरी बेंचमार्किंग तंत्रों में से चुनने का विकल्प दिया है:

RBI रेपो रेट
91 दिवसीय टी-बिल यील्ड
182 दिवसीय टी-बिल यील्ड
वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित कोई अन्य बेंचमार्क बाज़ार ब्याज दर।

बैंक, बाहरी बेंचमार्क पर विस्तार तय करने के लिये स्वतंत्र हैं। हालाँकि ब्याज दर को हर तीन महीने में कम-से-कम एक बार बाहरी बेंचमार्क के अनुसार रीसेट किया जाना चाहिये।
महत्व: तेज मौद्रिक संचरण + ब्याज दरों में पारदर्शिता + ब्याज दर तय करने का मानकीकरण।
चिंता

मार्च 2021 के दौरान 28.5 फीसदी बकाया कर्ज EBLR से जुड़े थे।
हालांकि, अभी भी बकाया ऋणों का 71.5% आंतरिक बेंचमार्क उधार दर (IBLR- जैसे आधार दर और MCLR) से जुड़े ऋण हैं, जो मौद्रिक नीति संचरण में बाधा डालते हैं।

</td>
</tr>
<tr>
<td>सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)</td>
<td>
खबरों में: भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही थोक और खुदरा भुगतान करने के लिए डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावना है।

वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति ने आरबीआई अधिनियम सहित कानूनी ढाँचे में बदलाव के साथ केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की सिफारिश की थी, जो वर्तमान में आरबीआई को बैंक नोट जारी करने के विनियमन का अधिकार देता है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)?

यह डिजिटल रूप में एक कानूनी निविदा और देश के केंद्रीय बैंक की देनदारी है।
यह एक संप्रभु मुद्रा में अंकित है और किसी देश के केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर दिखाई देता है।
CBDC एक डिजिटल मुद्रा है जिसे किसी राष्ट्र के समान मूल्यवर्ग की नकदी और पारंपरिक केंद्रीय बैंक जमा के बराबर परिवर्तित/विनिमय किया जा सकता है।
वर्तमान में, विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक सकारात्मक प्रभावों की जांच कर रहे हैं कि एक डिजिटल

</td>
</tr>
</table>

	मुद्रा वित्तीय समावेशन, आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार और बढ़ी हुई लेनदेन क्षमता में योगदान करती है। **CBDC के लाभ** ● यह बिना किसी इंटर-बैंक सेटलमेंट के वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगा। ● भारत का काफी उच्च मुद्रा-जीडीपी अनुपात सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडी) का एक और लाभ है, इससे काफी हद तक बड़े नकदी उपयोग (सीबीडीसी) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा कागज़ी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ● यह निजी आभासी मुद्राओं के उपयोग से जनता को होने वाले नुकसान को भी कम करेगा। ● **समय की मांग:** यदि निजी मुद्राओं को मान्यता मिल जाती है, तो सीमित परिवर्तनीयता वाली राष्ट्रीय मुद्राएं किसी प्रकार के खतरे में आ सकती हैं। सीबीडीसी इस प्रकार समय की आवश्यकता बन जाते हैं। ● **अस्थिरता:** सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक द्वारा कानूनी निविदा होने के कारण, क्रिप्टोकरेंसी के मामले में कोई अस्थिरता नहीं देखी जाएगी। ● **मुद्रा की आसान ट्रैकिंग:** एक राष्ट्र में सीबीडीसी की शुरुआत के साथ, इसका केंद्रीय बैंक मुद्रा की प्रत्येक इकाई के सटीक स्थान का ट्रैक रखने में सक्षम होगा। ● **अपराध पर अंकुश:** आपराधिक गतिविधियों को आसानी से देखा जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है जैसे कि आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आदि। ● **व्यापार का दायरा:** सीबीडीसी को अपनाने वाले देशों के बीच विदेश व्यापार लेनदेन में तेजी लाई जा सकती है। ● क्रिप्टोकरेंसी, जैसे कि बिटकॉइन, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क या ब्लॉकचैन द्वारा क्रिप्टोग्राफ़िक टूल का उपयोग करके बनाए गए डिजिटल टोकन हैं। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक द्वारा कानूनी निविदाएं हैं। ● जबकि क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकृत हैं, सीबीडीसी केंद्रीकृत हैं। ● क्रिप्टोकरेंसी अनामिता की पेशकश करती है, सीबीडीसी केंद्रीय बैंकों को यह जानने की अनुमति देगा कि किसके पास क्या है। ● CBDCs को किसी भी संपत्ति जैसे-सोना या फिएट मुद्रा से क्रिप्टोकरें□ी में देखी जा रही अस्थिरता के अनुसार नहीं जोड़ा जाएगा।
स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना **खबरों में:** हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से पाँच वर्षों की अवधि में 6,322 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ स्पेशलिटी स्टील (SS) के निर्माण हेतु उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना) को मंज़ूरी दी है।	**स्पेशलिटी स्टील के बारे में** ● यह मूल्य वर्धित स्टील है, जो सामान्य तैयार स्टील को संसाधित करके बनाया जाता है। ● इसे सामान्य रूप से तैयार स्टील को कोटिंग, प्लेटिंग और हीट ट्रीटिंग के माध्यम से उच्च मूल्यवर्द्धित स्टील में परिवर्तित करके निर्मित किया जाता है। ● ऑटोमोबाइल क्षेत्र और विशेष पूंजीगत वस्तुओं के अलावा उनका उपयोग विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों जैसे-रक्षा, अंतरिक्ष, बिजली आदि में किया जा सकता है। ● SS को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे- लेपित/प्लेटेड स्टील उत्पाद, उच्च शक्ति सहन क्षमता प्रतिरोधी स्टील, विशेष रेल, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद और स्टील के तार, विद्युत स्टील आदि। **PLI योजना के बारे में** ● यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर प्रोत्साहन देना है। ● यह योजना विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयाँ स्थापित करने के लिये आमंत्रित करती है, हालाँकि इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिये प्रोत्साहित करना है।

	• इसका उद्देश्य अन्य देशों से आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है। • इसे अप्रैल 2020 में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में 2020 के अंत में इसे 10 अन्य क्षेत्रों के लिए पेश किया गया था। • इसने इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों, मोबाइल फोन, ट्रांजिस्टर, डायोड आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों का निर्माण करने के लिए 4-6% का प्रोत्साहन दिया। • यह योजना भारत के आत्मानिर्भर भारत अभियान के अनुरूप शुरू की गई थी। • सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना और निर्यात बढ़ाना है। • और वित्तीय वर्ष 2022 से इस योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
फास्फेटिक चट्टान के स्वदेशी निक्षेप	• **खबरों में:** केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय देश में स्वदेशी फॉस्फेटिक चट्टानों के भंडारण का पता लगाएगा। • वर्तमान में हम मुख्य रूप से DAP (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) और (सिंगल सुपरफॉस्फेट) SSP के उत्पादन के लिए कच्चे माल के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं। • भारत को आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है। • उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत फॉस्फेटिक रॉक और पोटाश के स्वदेशी भंडार का पता लगाएगा और इसे स्वदेशी उद्योगों को उपलब्ध कराएगा। • रॉक फॉस्फेट डीएपी और एनपीके उर्वरकों के लिए प्रमुख कच्चा माल है। • वर्तमान में, भारत इस कच्चे माल के लिए आयात पर 90% निर्भर है। • अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता उर्वरकों की घरेलू कीमतों को प्रभावित करती है। • आयात पर निर्भरता देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति और विकास में भी बाधा डालती है और हमारे किसानों पर अतिरिक्त दबाव डालती है।

सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP)
 	
खबरों में: हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन 'सकल पर्यावरण उत्पाद' (Gross Environment Product'- GEP) के रूप में शुरू करेगी।
	• GEP किसी भी क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का माप है।
	• GEP एक निश्चित क्षेत्र के लोगों को पारितंत्रों (जंगलों, जल निकायों, महासागरों, आदि) द्वारा वितरित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य को मापता है।
	• वैश्विक स्तर पर इसकी स्थापना वर्ष 1997 में रॉबर्ट कोस्टांज़ा जैसे पारिस्थितिक अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई थी। यह पारिस्थितिक स्थिति को मापने हेतु एक मूल्यांकन प्रणाली है।
	• इसे उन उत्पाद और सेवा मूल्यों के रूप में लिया जाता है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र मानव कल्याण और आर्थिक एवं सामाजिक सतत् विकास को बढ़ावा मिलता है, इसमें प्रावधान, विनियमन तथा सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं शामिल हैं।
	उत्तराखंड और GEP
	• उत्तराखंड अपनी जैव विविधता के माध्यम से राष्ट्र को प्रति वर्ष 95,112 करोड़ रुपये की सेवाएं देता है।
	• राज्य में 71 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वनों के अधीन है।
	• यहाँ हिमालय का भी विस्तार है और गंगा, यमुना तथा शारदा जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है, साथ ही कॉर्बेट एवं राजाजी टाइगर रिज़र्व जैसे वन्यजीव अभयारण्य भी यहाँ स्थित हैं।
	• उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो बहुत सारी पर्यावरण सेवाएँ प्रदान करता है और निरंतरता के परिणामस्वरूप उन सेवाओं में प्राकृतिक गिरावट होती है।
	• GEP शुरू करने का उद्देश्य पारदर्शी नहीं है।
	  ○ क्या यह किसी राज्य की पारिस्थितिक संपदा के सरल मूल्यांकन की प्रक्रिया है, या यह आकलन करने के लिये कि यह सकल घरेलू उत्पाद के किस हिस्से में योगदान देता है।
	  ○ क्या यह राज्य द्वारा देश के बाकी हिस्सों को प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और/या अपने स्वयं के निवासियों को लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया के खिलाफ केंद्र से बजट का दावा करने का प्रयास है।

लिथियम अन्वेषण **खबरों में:** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में लिथियम अन्वेषण पर 7 परियोजनाएं शुरू की हैं।	• लिथियम (Li), आवर्त सारणी में समूह 1 (Ia) का रासायनिक तत्व, क्षार धातु समूह, ठोस तत्वों में सबसे हल्का। • यह धातु नरम, सफेद और चमकदार होती है और इसके कई मिश्रण और यौगिक औद्योगिक पैमाने पर निर्मित होते हैं। • लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में होता है। • लिथियम का उपयोग कुछ गैर-रिचार्जेबल बैटरियों में हृदय पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों जैसी चीज़ों के लिए भी किया जाता है। **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण** • इसकी स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे में कोयला भंडार खोजने के लिए की गई थी। • इतने वर्षों से इसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति के भू-वैज्ञानिक संगठन का दर्जा प्राप्त किया है। • **मुख्य कार्य:** राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचना का निर्माण और अद्यतन तथा खनिज संसाधन मूल्यांकन। • **मुख्यालय:** कोलकाता • **इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय:** लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता है। प्रत्येक राज्य की एक राज्य इकाई भी है। वर्तमान में, GSI खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है।
केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने के लिए गैर-बैंक PSPs	• **खबरों में :** हाल ही में आरबीआई ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (PSPs) को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS – RTGS और NEFT) में प्रत्यक्ष सदस्यों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी। • वर्तमान में केवल बैंकों, नाबार्ड और एक्ज़िम बैंक जैसे चुनिंदा गैर-बैंकों को ही CPS – RTGS और NEFT तक पहुंच की अनुमति है। **प्रमुख विशेषताऐं** • **चरणबद्ध तरीके से अनुमति:** पहले चरण में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई), कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) ऑपरेटरों जैसे पीएसपी को एक्सेस की अनुमति होगी। • **गैर-बैंकों के लिए अलग IFSC:** इसका अर्थ है गैर-बैंकों को एक अलग भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (IFSC) का आवंटन, RBI के साथ अपने कोर बैंकिंग सिस्टम (ई-कुबेर) में एक चालू खाता खोलना और आरबीआई के साथ एक निपटान खाता बनाए रखना। **महत्व क्या है?** • गैर-बैंकों के लिये 'केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली' तक सीधी पहुँच भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र जोखिम को कम कर सकती है। • भुगतान की लागत में कमी • निधि निष्पादन में विफलता या देरी को कम करना • कार्यक्षमता में बढ़ोतरी और बेहतर जोखिम प्रबंधन

पर्यावरण

गिद्धों का संरक्षण **सुर्खियों में:** हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व (Valmiki Tiger Reserve- VTR), बिहार में 150 गिद्ध देखे गए, जिसने वीटीआर के संरक्षित क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण योजना को	• यह मरा हुआ जानवर खाने वाले पक्षियों की 22 प्रजातियों में से एक है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। • भारत गिद्धों की 9 प्रजातियों यथा- ओरिएंटल व्हाइट बैकड (Oriental White Backed), लॉन्ग बिल्ड (Long Billed), स्लेंडर-बिल्ड (Slender Billed), हिमालयन (Himalayan), रेड हेडेड (Red Headed), मिस्र देशीय (Egyptian), बियरडेड (Bearded), सिनेरियस (Cinereous), यूरेशियन ग्रिफॉन (Eurasian Griffon) और इंडिया ग्रिफॉन (LC) का घर है। **आईयूसीएन स्थिति:** CE = गंभीर रूप से संकटग्रस्त; E = लुप्तप्राय; NT = खतरे के पास; LC = कम से

प्रेरित किया है।	कम चिंता ● गिद्ध सफाई करने वाले और पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। ● ये प्रकृति के कचरा संग्रहकर्त्ता के रूप में एक महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं और पर्यावरण से कचरा हटाकर उसे साफ रखने में मदद करते हैं। ● गिद्ध वन्यजीवों की बीमारियों को नियंत्रण में रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ● यह घातक एंथ्रेक्स, हैजा, पैर और मुंह की बीमारी, रेबीज और डिस्टेंपर पैदा करने वाले हानिकारक रोगजनकों के प्रसार को अदृश्य रूप से नियंत्रित करता है। ● **खतरे :** डाइक्लोफेनाक (Diclofenac) जैसे विषाक्त जो पशुओं के लिये दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानवजनित गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आवासों का नुकसान, भोजन की कमी और दूषित भोजन और बिजली लाइनों से करंट। ● हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिये एक 'गिद्ध कार्ययोजना 2020-25' (Vulture Action Plan 2020-25) शुरू की। ● संरक्षण को बढ़ाने के लिए उत्तर में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद जैसे चार बचाव केंद्र खोले जाएंगे। **वाल्मीकि टाइगर रिजर्व** ● बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है। ● इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मार्च 1994 में स्थापित किया गया था। ● यह भारत में हिमालयी तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ● देश के गंगा के मैदानों के जैव-भौगोलिक क्षेत्र में स्थित, जंगल में भाबर और तराई क्षेत्रों का संयोजन है। ● **जीवजंतु :** बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, काला भालू, भारतीय मंदता भालू, ऊदबिलाव, भारतीय तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भैंस, सूअर और भारतीय उड़ने वाली लोमड़ी ● थारू एक अनुसूचित जनजाति, इस क्षेत्र में प्रमुख समुदाय है। ● बिहार में अन्य संरक्षित क्षेत्र: ○ भीमबंध अभयारण्य ○ राजगीर अभयारण्य ○ कैमूर अभयारण्य ○ कंवर झील पक्षी अभयारण्य ○ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ○ गौतमबुद्ध अभयारण्य
फ्लाई ऐश **सुर्खियों में:** नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) लिमिटेड ने फ्लाई ऐश के शत-प्रतिशत उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने प्रयासों के तहत मध्य-पूर्व और अन्य क्षेत्रों के नामित संयंत्रों से फ्लाई ऐश की बिक्री के लिये 'रुचि की अभिव्यक्ति' (Expression of Interest-EOI) आमंत्रित की है।	● 'फ्लाई ऐश' तापीय विद्युत उत्पादन में कोयले के जलने से उत्पन्न उपोत्पाद है। ● इसे फ्लाई ऐश कहा जाता है क्योंकि यह दहन कक्ष से निकास गैसों द्वारा ले जाया जाता है। ● इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर या बैग फिल्टर द्वारा निकास गैसों से एकत्र किया जाता है। ● फ्लाई ऐश में पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO_2), एल्यूमीनियम ऑक्साइड (Al_2O_3), फेरिक ऑक्साइड (Fe_2O_3) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) शामिल हैं। ● यह सीमेंट युक्त गुण प्रदर्शित करता है जो जल के साथ मिश्रित होने पर कठोर हो जाती है। ● इसका उपयोग कंक्रीट और सीमेंट उत्पादों, रोड बेस, मेटल रिकवरी और मिनरल फिलर आदि में किया जाता है। ● भवन निर्माण में फ्लाई ऐश ईंटों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, एनटीपीसी ने अपने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लाई ऐश ईंट निर्माण संयंत्र स्थापित किए हैं। ● पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) स्टेशनों

	को फ्लाई ऐश ईंट/ब्लॉक/टाइल निर्माताओं को जारी करने और उन्हें मुफ्त में फ्लाई ऐश जारी करने के लिए उत्पादित कुल फ्लाई ऐश का कम से कम 20% रिजर्व में रखना चाहिए। • यहाँ तक कि राज्य सरकारें ने भी अपनी फ्लाई ऐश उपयोग नीतियाँ प्रस्तुत की हैं जैसे- इस नीति को अपनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था। • सरकार द्वारा फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की निगरानी के लिये एक वेब पोर्टल और "ऐश ट्रैक" (ASHTRACK) नामक एक मोबाइल आधारित एप लॉन्च किया गया है। **हानिकारक प्रभाव:** • फ्लाई ऐश के कण ज़हरीले वायु प्रदूषक हैं। वे हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग और स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। • ये जल के साथ मिलाने पर भूजल में भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बनते हैं। • यह मृदा को भी प्रदूषित करता है और पेड़ों की जड़ विकास प्रणाली को प्रभावित करता है।
एंटी-मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट: हरित धारा **सुर्खियों में:** हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) ने एक एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट 'हरित धारा' (Harit Dhara) विकसित किया है, जो मवेशी मीथेन उत्सर्जन को 17-20% तक कम कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप उच्च दूध उत्पादन भी हो सकता है।	**मवेशियों में मीथेन का उत्पादन:** • जुगाली करने वाले पशुओं - मवेशी, भेड़, भैंस, बकरियां, हिरण और ऊंट - में एक अग्र-पेट (या रुमेण) होता है जिसमें मिथेनोजेन्स नामक रोगाणु होते हैं, जो मोटे पौधों की सामग्री को पचाने में सक्षम होते हैं और जो पाचन के उप-उत्पाद के रूप में मीथेन का उत्पादन करते हैं (एंटरिक किण्वन): यह मीथेन जानवरों के डकार द्वारा वातावरण में छोड़ा जाता है (मुंह के माध्यम से पेट से हवा को बाहर निकालने का कार्य)। • वैश्विक स्तर पर कुल 90 मिलियन टन से अधिक पशुधन में से भारत में बेल्चिंग मवेशी, भैंस, भेड़ तथा बकरियाँ वार्षिक अनुमानित 9.25 मिलियन टन से 14.2 मिलियन टन मीथेन का उत्सर्जन करती हैं। • कुछ खाद्य योज्य रुमेण में मीथेन उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोक सकते हैं और बाद में मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ये फ़ीड एडिटिव सिंथेटिक रसायन (एंटीबायोटिक्स), प्राकृतिक पूरक और यौगिक जैसे- टैनिन और समुद्री शैवाल या वसा और तेल हो सकते हैं। **हरित धारा (HD) के बारे में** • HD रुमेन में प्रोटोजोआ रोगाणुओं की आबादी को कम करता है, जो हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और इसे मीथेन में CO2 की कमी के लिए आर्किया (बैक्टीरिया के समान संरचना) के लिए उपलब्ध कराता है। • HD टैनिन युक्त पौधों पर आधारित स्रोतों से बनाया गया है। टैनिन, कड़वे और कसैले रासायनिक यौगिकों वाले उष्णकटिबंधीय पौधों को रुमेन से प्रोटोजोआ को दबाने या हटाने के लिए जाना जाता है। • HD का उपयोग करने के बाद किण्वन अधिक प्रोपियोनिक एसिड का उत्पादन करने में मदद करेगा जो लैक्टोज (दूध शर्करा) के उत्पादन और शरीर के वजन को बढ़ाने के लिए अधिक ऊर्जा प्रदान करता है।
किंग कोबरा **खबरों में:** हाल ही में घोषित तिलारी संरक्षण रिजर्व (Tillari Conservation Reserve), महाराष्ट्र में एक किंग कोबरा (Ophiophagus	• वे पृथ्वी पर सबसे ज़हरीले साँपों में से एक हैं और सभी ज़हरीले साँपों में सबसे लंबे हैं। • ज़हरीले साँपों में उनका ज़हर सबसे अधिक घातक नहीं है, लेकिन एक बार काटते समय वे इतनी मात्रा में (एक तरल औंस के दो-दसवें हिस्से तक) न्यूरोटॉक्सिन मुक्त कर सकते हैं जो 20 लोगों या यहाँ तक कि एक हाथी को मारने के लिये पर्याप्त होता है। • वे दुनिया में एकमात्र ऐसे सांप हैं जो अपने अंडों के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं, जिनकी वे तब तक रक्षा करते हैं जब तक कि उनके बच्चे पैदा नहीं हो जाते। • **आवास:** ये मुख्य रूप से भारत, दक्षिणी चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के वर्षा वनों तथा मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं जिनमें जंगल, बांँस की झाड़ियाँ, मैंग्रोव दलदल, अधिक ऊंँचाई वाले घास के मैदान और नदियाँ शामिल हैं। • **आईयूसीएन स्थिति:** संवेदनशील; उद्धरण: परिशिष्ट-II;

Hannah) देखा गया।	- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची II **खतरा:** वनों की कटाई, अंतर्राष्ट्रीय पालतू व्यापार, त्वचा, भोजन और औषधीय प्रयोजनों के लिए मनुष्यों द्वारा उत्पीड़न।
खतरनाक रसायन के कारण मौतें	**खबरों में:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नवीनतम अनुमानों के मुताबिक, दुनिया भर में खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से होने वाली मौतों की संख्या में वर्ष 2019 से वर्ष 2016 के बीच 29% की वृद्धि हुई है। - खतरनाक रसायन एक ऐसा रसायन है जिसमें मानव या पशु स्वास्थ्य, पर्यावरण, या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होने की क्षमता वाले गुण होते हैं। - वे अक्सर कार्यस्थल में कच्चे माल, सॉल्वेंट्स, सफाई एजेंट, उत्प्रेरक, और कई अन्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। कई अंतरराष्ट्रीय रासायनिक सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायनों के उत्पादन, उपयोग और व्यापार को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित भी कर रहे हैं- - स्थायी जैविक प्रदूषकों (POPs) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन। - अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम कन्वेंशन। - खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान की सीमापारीय गतिविधियों के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन। - रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC) एक हथियार नियंत्रण संधि है जो राष्ट्र संघ द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, हस्तांतरण या उपयोग को प्रतिबंधित करती है। - पारे (Mercury) पर मिनामाता कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे तथा इसके यौगिकों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिये एक वैश्विक संधि है। - भारत इसके हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से एक है।
ब्लैक पैंथर (Black Panther) 	**समाचार में:** हाल ही में महाराष्ट्र के नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व (Navegaon-Nagzira Tiger Reserve- NNTR) में ब्लैक पैंथर देखा गया है। - तेंदुआ (Panthera Pardus) या तो हल्के रंग का होता है (हल्के पीले से गहरे सुनहरे या पीले रंग के) या इसके शरीर पर काले रंग के गुच्छे में फर/बाल पाए जाते हैं। - मेलानिस्टिक तेंदुआ का रंग या तो पूरी तरह से काला होता है या फिर यह बहुत गहरे रंग का होता है जो ब्लैक पैंथर के रूप में जाने जाता है। - यह धब्बेदार भारतीय तेंदुओं का रंग रूप है, जो दक्षिण भारत के घने जंगलों में पाया जाता है। - तेंदुओं के काले रंग के आवरण का कारण अप्रभावी एलील (Recessive Alleles) और जगुआर के एक प्रभावी एलील की उपस्थिति का होना है। प्रत्येक प्रजाति में एलील्स का एक निश्चित संयोजन जानवर के फर और त्वचा में बड़ी मात्रा में काले वर्णक मेलेनिन (मेलानिज्म) के उत्पादन को उत्तेजित करता है। **आवास:** वे मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिमी चीन, बर्मा, नेपाल, दक्षिणी भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। भारत में यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाया जाता है। - संरक्षण स्थिति : - IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable) - CITES: परिशिष्ट-I - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
जीका वायरस रोग	जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लैविवायरस है जिसे पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। इसे बाद 1952 में युगांडा में मनुष्यों में पहचाना गया।

खबरों में : हाल ही में केरल में पहली बार जीका वायरस रोग (ZVD) की सूचना मिली थी।	• ZVD मुख्य रूप से एडीज मच्छर (AM), मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी द्वारा प्रसारित वायरस के कारण होता है। यह वही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार फैलाता है। • **संचरण:** गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण में, यौन संपर्क, रक्त और रक्त उत्पादों के आधान और अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से। • **लक्षण:** ○ बुखार, लाल चकत्ते, नेत्रश्लेष्मलाशोथ, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता या सिरदर्द। ○ जीका वायरस संक्रमण वाले अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। ○ गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस के संक्रमण से शिशुओं का जन्म माइक्रोसेफली (सामान्य सिर के आकार से छोटा) और अन्य जन्मजात विकृतियों के साथ हो सकता है, जिन्हें जन्मजात जीका सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। • **इलाज:** ○ जीका के लिए कोई वैक्सीन या दवा नहीं है। ○ इससे निपटने के लिये शुरुआत में ही लक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। बुखार तथा दर्द से निजात पाने के लिये रिहाइड्रेशन एवं एसिटामिनोफेन (Acetaminophen) पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
मंकी बी वायरस (Monkey B Virus)	• मंकी बी वायरस का सबसे पहला मामला 1932 में सामने आया था। चीन के सीडीसी के मुताबिक यह वायरस किसी मरे हुए बंदर के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। • बी वायरस एकमात्र पहचाना गया ओल्ड-वर्ल्ड-मंकी हर्पीसवायरस है जो मनुष्यों में गंभीर रोगजनकता प्रदर्शित करता है। • यह मंकी बी वायरस कितना घातक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे संक्रमित लोगों की मरने की दर 70 से 80 फीसदी है। • मकाक बंदरों में आमतौर पर यह वायरस होता है और यह उनकी लार, मल (पूप), मूत्र (पेशाब), मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के ऊतकों में पाया जा सकता है। • लैब में संक्रमित बंदर से आने वाली कोशिकाओं में भी वायरस पाया जा सकता है। • बी वायरस नम सतहों पर घंटों तक जीवित रह सकता है। • संक्रमित बंदर द्वारा काटे जाने या खरोंचने पर मनुष्य संक्रमित हो सकते हैं। • एक संक्रमित बंदर के ऊतक या तरल पदार्थ को टूटी हुई त्वचा पर या आंखों, नाक या मुंह में, दूषित पिंजरे या अन्य तेज धार वाली सतह पर खुद को खरोंचना या काटना या संक्रमित बंदर के मस्तिष्क (विशेषकर), रीढ़ की हड्डी, या खोपड़ी के संपर्क में आना से हो सकता है। • वर्तमान में कोई भी टीके नहीं हैं जो बी वायरस के संक्रमण से रक्षा कर सके। • अब तक एक संक्रमित व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में बी वायरस फैलाने का केवल एक मामला दर्ज किया गया है।
नोरोवायरस (Norovirus)	• नोरोवायरस अत्यधिक संक्रामक विषाणुओं का एक समूह है जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। इसे शीतकालीन उल्टी बग भी कहा जाता है। • नोरोवायरस से संक्रमित लोग अरबों वायरस कणों को बहा सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों को बीमार होते हैं। • नोरोवायरस उस व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है जो दूषित भोजन या पानी का सेवन करता है या किसी दूषित सतह को छूता है और फिर बिना धुले हाथों को मुंह में डालते है। • संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है यह वायरस उसी तरह फैलता है जैसे मानव वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं।
नमक-स्रावित मैंग्रोव प्रजाति	**सुर्खियों में:** हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार अत्यधिक नमक-सहिष्णु और नमक-स्रावित करने वाली

एविसेनिया मरीना	मैंग्रोव प्रजाति एविसेनिया मरीना (Avicennia Marina) के संदर्भ-ग्रेड के एक पूरे जीनोम अनुक्रम (Genome Sequence) की जानकारी प्रदान की है। ● अध्ययन में उत्पन्न जीनोमिक संसाधन शोधकर्ताओं के लिए तटीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल प्रजातियों की सूखा और लवणता सहिष्णु किस्मों के विकास के लिए पहचाने गए जीन की क्षमता का अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। **एविसेनिया मरीना के बारे में** ● यह भारत में सभी मैंग्रोव संरचनाओं में पाया जाता है। ● यह एक नमक-स्रावित और असाधारण रूप से नमक-सहिष्णु मैंग्रोव प्रजाति है जो 75% समुद्री जल में भी बेहतर रूप से बढ़ती है तथा >250% समुद्री जल को सहन करती है। ● यह दुर्लभ पौधों की प्रजातियों में से है, जो जड़ों में नमक के प्रवेश को बाहर करने की असाधारण क्षमता के अलावा नमक ग्रंथियों के माध्यम से 40% नमक का उत्सर्जन कर सकती है। ● मैंग्रोव दलदली अंतर्ज्वारीय मुहाना क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियों का एक अनूठा समूह है यह समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र (इकोटोन) के बीच एक कड़ी बनाते हैं। ● वे कई अनुकूली तंत्रों के माध्यम से उच्च स्तर की लवणता (जिसे हेलोफाइट्स भी कहा जाता है) से बचे रहते हैं। ○ अवायवीय मिट्टी की स्थिति में श्वसन समस्या को दूर करने के लिए न्यूमेटोफोरस (अंधा जड़ें)। ○ रसीले पत्ते ○ विविपेरस ○ लवणीय वातावरण ○ जलभराव वाली मिट्टी की कम ऑक्सीजन (एनोक्सिक) स्थितियों के अनुकूल। ○ स्टिल्ट रूट्स ○ मैंग्रोव प्रजनन की विविपैरिटी मोड प्रदर्शित करते हैं। यानी बीज पेड़ में ही (जमीन पर गिरने से पहले) अंकुरित हो जाते हैं। ● मैंग्रोव दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः 25° उत्तर और 25° दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जड़ों से खारे पानी को छानने के लिए उच्च सौर विकिरण की आवश्यकता होती है।
भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन	● खबरों में: हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून के चकराता शहर में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। ✓ गार्डन में लाइकेन, फर्न और कवक (इनके सामूहिक रूप को क्रिप्टोगेमिक के रूप में जाना जाता है) की लगभग 50 प्रजातियाँ दिखाई देगी। ● क्रिप्टोगेम एक पौधा है जो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है। ● "क्रिप्टोगेम" शब्द का अर्थ है 'अदृश्य प्रजनन', इसका अभिप्राय यह है कि वे किसी भी प्रजनन संरचना, बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते हैं। ● इसी कारण इन्हें "फूल रहित" या "बीज रहित पौधे" या 'लोअर प्लांट" कहा जाता है। ● इन प्रजातियों के अनुकूलन हेतु आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ● ये जलीय और स्थलीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ● क्रिप्टोगेम के सबसे प्रसिद्ध समूह शैवाल, लाइकेन, काई और फर्न हैं। ○ पादप साम्राज्य को दो उप-राज्यों में विभाजित किया जा सकता है। क्रिप्टोगैम और फ़ैनरोगैम। ○ क्रिप्टोगैम में बीज रहित पौधे और पौधे जैसे जीव होते हैं जबकि फ़ैनरोगैम में बीज वाले पौधे होते हैं। ○ फेनरोगैम को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है अर्थात जिम्नोस्पर्म (नग्न बीज) और एंजियोस्पर्म (फलों द्वारा संरक्षित बीज)

<table>
<tr><td>वैश्विक जैव विविधता ढांचा</td><td>

● **सुर्खियों में:** जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD) द्वारा एक नया वैश्विक जैव विविधता ढांचा हाल ही में जारी किया गया।
● यह एक नया ढांचा है जो लोगों को प्रकृति और इसकी आवश्यक सेवाओं को संरक्षित करने के लिए 2030 तक दुनिया भर में कार्यों का मार्गदर्शन करेगा।
● **उद्देश्य:** जैव विविधता पर कन्वेंशन, इसके प्रोटोकॉल और अन्य जैव विविधता से संबंधित बहुपक्षीय समझौतों, प्रक्रियाओं और उपकरणों के उद्देश्यों में योगदान करने के लिए सरकारों और पूरे समाज द्वारा तत्काल और परिवर्तनकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।
● इस फ्रेमवर्क में परिवर्तन के सिद्धांत के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय मॉडल को बदलने के लिये वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई है।
● जिन प्रवृत्तियों ने जैव विविधता के नुकसान को बढ़ाया है, वे अगले 10 वर्षों (वर्ष 2030 तक) में जैव विविधता के नुकसान को कम करने वाली प्रवृत्तियों में स्थिरता लाई जा सके और अगले 20 वर्षों तक (वर्ष 2050 तक) प्रमुख सुधारों के साथ प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों में सुधार करके वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
नए ढांचे के चार लक्ष्य (2050 तक हासिल किए जाने हैं) हैं:
✓ जैव विविधता के विलुप्त होने और ह्रास को रोकने के लिए।
○ विलुप्त होने की दर कम से कम दस गुना कम होनी चाहिए
○ सभी टैक्सोनॉमिक और कार्यात्मक समूहों में प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम आधा होना चाहिए
○ जंगली और पालतू प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता को कम से कम 90% तक बनाए रखा जाना चाहिए
✓ संरक्षण द्वारा मनुष्यों को प्रकृति की सेवाओं को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए।
✓ आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी को उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना।
✓ उपलब्ध वित्तीय और कार्यान्वयन के अन्य साधनों के बीच की खाई को पाटना
2030 के दशक में तत्काल कार्रवाई के लिए रूपरेखा में 21 कार्य-उन्मुख लक्ष्य हैं, जिनमें शामिल हैं:
● यह सुनिश्चित करना कि विश्व स्तर पर कम से कम 30% भूमि और समुद्री क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों की प्रणालियों के माध्यम से संरक्षित हैं।
● आक्रामक विदेशी प्रजातियों की शुरूआत और स्थापना की दर को 50% तक रोकना या कम करना।
● पर्यावरण में खोए पोषक तत्वों को कम से कम आधा, कीटनाशकों को कम से कम दो तिहाई कम करना और प्लास्टिक कचरे के निर्वहन को खत्म करना।
● जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन में योगदान करने के लिए
● पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोणों का उपयोग करना
● उचित और न्यायसंगत तरीके से जैव विविधता के लिए हानिकारक प्रोत्साहनों को पुनर्निर्देशित, पुनर्उद्देश्य, सुधार या समाप्त करना और कम से कम $500 बिलियन प्रति वर्ष कम करना।
● विकासशील देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह में प्रति वर्ष कम से कम $10 बिलियन की वृद्धि करना।
</td></tr>
<tr><td>बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक (CA | TS) मान्यता</td><td>
खबरों में: हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के 14 बाघ अभयारण्यों (tiger reserve) को बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक 'कंजर्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स' (Conservation Assured | Tiger Standards (CA | TS) की मान्यता मिली है।
कंजर्वेशन एश्योर्ड के बारे में | बाघ मानक (CA|TS)
● आधिकारिक तौर पर 2013 में लॉन्च किया गया CA|TS लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है और प्रासंगिक संरक्षण क्षेत्रों में इन मानकों के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है।
</td></tr>
</table>

	• CA | TS मानदंड का एक सेट है, जो बाघ से जुड़े स्थलों को यह जांचने का अवसर देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा। • इसे टाइगर रेंज देशों (TRCs) के वैश्विक गठबंधन द्वारा मान्यता संबंधी उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे बाघ और संरक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। **14 मान्यता प्राप्त बाघ अभयारण्य हैं:** • आसन: मानस, काजीरंगा और ओरंगी • मध्य प्रदेश: सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना • महाराष्ट्र: पेंच • बिहार: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व • उत्तर प्रदेश: दुधवा • पश्चिम बंगाल: सुंदरबन • केरल: परम्बिकुलम • कर्नाटक: बांदीपुर टाइगर रिजर्व • तमिलनाडु: मुदुमलाई और अनामलाई टाइगर रिजर्व।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भारत में बाघ की सुरक्षा स्थिति भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय CITES: परिशिष्ट-I	**खबरों में :** टाइगर की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। • यह 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के समझौते की वर्षगांठ है। • 2010 में पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में, 13 टाइगर रेंज देशों के नेताओं ने बाघ के लिए और अधिक करने का संकल्प लिया और एक लोकप्रिय नारा 'टीएक्स 2' के साथ जंगली में इसकी संख्या को दोगुना करने के प्रयासों को शुरू किया। • प्रतिनिधियों द्वारा यह घोषित किया गया कि बाघ आबादी वाले देश वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने के प्रयास करेंगे। **बाघ संरक्षण और भारत** • भारत शाही बाघों की भूमि है और वर्तमान में बाघों की आबादी 2967 है जो वैश्विक बाघ आबादी का 70% है। • मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक 526 है, इसके बाद कर्नाटक (524) और उत्तराखंड (442) का स्थान आता है। • राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने M-STrIPES (बाघों के लिए निगरानी प्रणाली - गहन सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिति) वन रक्षकों के लिए एक मोबाइल निगरानी प्रणाली शुरू की है। • प्रोजेक्ट टाइगर 1973: यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है।

सामाजिक मुद्दे

व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट	• यह अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह सरकारी तस्करी विरोधी प्रयासों का दुनिया का सबसे व्यापक संसाधन है। • यह मानव तस्करी पर विदेशी सरकारों को शामिल करने के लिए यू.एस. सरकार का प्रमुख राजनयिक उपकरण भी है।

- मानव तस्करी में श्रम, यौन शोषण या गतिविधियों के उद्देश्य से बलपूर्वक या धोखे से व्यक्तियों का अवैध परिवहन शामिल है, जिसमें अन्य लोगों को आर्थिक रूप से लाभ होता है।

देशों को त्रि-स्तरीय प्रणाली पर नामित किया गया है-

- **टियर 1 देश:** वे देश शामिल हैं जिनकी सरकारें पूरी तरह से तस्करी पीड़ित संरक्षण अधिनियम (Trafficking Victims Protection Act- मानव तस्करी पर अमेरिका का कानून) के न्यूनतम मानकों का पालन करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और दक्षिण कोरिया टियर 1 में शामिल कुछ देश हैं।
- **टियर 2 देश :** टीवीपीए के न्यूनतम मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं (उदा: भारत)
- **टियर 3** में वे देश हैं जिनकी सरकारें न्यूनतम मानकों का पूरी तरह पालन नहीं करती हैं और ऐसा करने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं कर रही हैं अफगानिस्तान, म्याँमार, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, ईरान, रूस, दक्षिण सूडान, सीरिया और तुर्कमेनिस्तान इस श्रेणी में आते हैं।

2021 की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप मानव तस्करी के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है और मौजूदा यातायात-विरोधी प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई है।
- भारत ने अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं किया है। सरकार के प्रयास नाकाफी हैं।
- चीनी सरकार दस लाख से अधिक उइगरों, जातीय कज़ाखों, जातीय किर्गिज़ और अन्य मुसलमानों की निरंतर सामूहिक मनमानी बंदी के माध्यम से व्यापक रूप से जबरन श्रम में लगी हुई है।

तस्करी से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए उपाय

- **अनुच्छेद 23:** यह मानव तस्करी और बेगार (बिना भुगतान के जबरन श्रम) को प्रतिबंधित करता है।
- **अनुच्छेद 24 :** यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक स्थानों में रोज़गार पर रोक लगाता है।
- IPC की धारा 370 और 370A मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने हेतु व्यापक उपाय प्रदान करती हैं, जिसमें शारीरिक शोषण या किसी भी रूप में यौन शोषण, गुलामी, दासता या अंगों को जबरन हटाने सहित किसी भी रूप में शोषण के लिये बच्चों की तस्करी शामिल है।
- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (ITPA) व्यावसायिक यौन शोषण के लिये तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून है।
- राज्य सरकारों ने भी इस मुद्दे से निपटने के लिए विशिष्ट कानून बनाए हैं (उदाहरण के लिए पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012)।
- गृह मंत्रालय में 2006 में एंटी-ट्रैफिकिंग नोडल सेल की स्थापना की गई थी।
- **मानव तस्करी रोधी इकाई (AHTU):** गृह मंत्रालय ने एक व्यापक योजना 'स्ट्रेंथनिंग लॉ एनफोर्समेंट रिस्पांस इन इंडिया अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स' (2010) के तहत देश के कई ज़िलों में AHTU की स्थापना के लिये फंड जारी किया है। AHTU की प्राथमिक भूमिका पीड़ितों की देखभाल और पुनर्वास के लिये कानून प्रवर्तन और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क करना है।

खुले में शौच करने वालों की संख्या में गिरावट : वॉश रिपोर्ट

- **सुर्खियों में:** वाश (WASH) इंस्टीट्यूट (तमिलनाडु में मुख्यालय के साथ एनजीओ) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2015 के बाद से (पूर्ण संख्या के संदर्भ में) खुले में शौच करने वालों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई।
- WASH पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता (Water, Sanitation and Hygiene- WASH) का संक्षिप्त रूप है। ये क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वॉश रणनीति 2018-25 को सदस्य राज्य संकल्प (WHA 64.4) तथा सतत विकास के लिये 2030 एजेंडा (SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, SDG 6: स्वच्छ जल व स्वच्छता) की अनुक्रिया के रूप में विकसित किया गया है।

खुले में शौच:

- यह उस प्रथा को संदर्भित करता है जिसके द्वारा लोग शौच के लिए शौचालय का उपयोग करने के बजाय खेतों,

<table>
<tr><td></td><td>झाड़ियों, जंगलों, पानी के खुले निकायों, या अन्य खुले स्थानों में बाहर जाते हैं।
● यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है (बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता)
● यह महिलाओं को सांप के काटने जैसे शारीरिक हमलों और मुठभेड़ों के खतरे के बारे में बताता है।
● भारत के भीतर खुले में शौच कम से कम 2006 के बाद से क्षेत्रीय रूप से अत्यधिक परिवर्तनशील था, लेकिन 2016 तक सभी राज्यों में खुले में शौच में कमी आई, जिसमें सबसे बड़ी गिरावट हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में देखी गई थी।
● 2016 और 2020 के बीच, घर पर सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की पहुंच वाली वैश्विक आबादी 70% से बढ़कर 74% हो गई।</td></tr>
<tr><td>मलेरिया मुक्त चीन</td><td>सुर्खियों में: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चीन को "मलेरिया मुक्त" घोषित किया है।
● यह सात दशक लंबी बहु-आयामी स्वास्थ्य रणनीति का परिणाम है जो लगातार चार वर्षों तक मलेरिया के घरेलू मामलों को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम थी।
● हाल ही में विश्व स्तर पर 40 देशों और क्षेत्रों को डब्ल्यूएचओ से मलेरिया-मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें अल सल्वाडोर (2021), अल्जीरिया (2019), अर्जेंटीना (2019), पराग्वे (2018) और उज़्बेकिस्तान (2018) शामिल हैं।
मलेरिया के बारे में
● मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है।
● यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
● परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलते हैं।
● लक्षण: बुखार और फ्लू जैसी बीमारी, जिसमें कंपकंपी ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है।
● यह रोकथाम योग्य होने के साथ-साथ इलाज योग्य भी है।
● विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2020 (World Malaria Report, 2020) के अनुसार, वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की संख्या लगभग 229 मिलियन थी, जिसमें मच्छरजनित बीमारी से 4,09,000 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी।

चीन की मलेरिया रणनीति
● चीन द्वारा 1950 के दशक से मलेरिया को लेकर रणनीतिक स्तर पर प्रयास शुरु किये गए। जिसमें मैदानों में मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को लक्षित करते हुए और कीटनाशक छिड़काव का उपयोग करते हुए मलेरिया-रोधी दवाएं उपलब्ध कराने का बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया।
● 523 प्रोजेक्ट: इसके तहत 1970 के दशक में आर्टीमिसिनिन (Artemisinin) की खोज की गई । यह 'आर्टीमिसिनिन-आधारित संयोजन उपचारों' (Artemisinin-Based Combination Therapies) का मुख्य यौगिक है, जो आज उपलब्ध सबसे प्रभावी मलेरिया-रोधी दवाओं में से एक है।
● कीटनाशक-उपचारित जाल: 1980 के दशक में चीन ने व्यापक रूप से कीटनाशक-उपचारित जालों (Insecticide-treated Nets) का उपयोग करना शुरू किया। वर्ष 1988 तक 2.4 मिलियन जाल वितरित किये गए।
● 1-3-7 रणनीति: रणनीति का अर्थ है:
○ मलेरिया निदान की रिपोर्ट करने हेतु एक दिन की समय सीमा
○ किसी मामले की पुष्टि करना और तीसरे दिन तक प्रसार का निर्धारण करना
○ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निरंतर निगरानी के साथ-साथ सातवें दिन तक प्रसार रोकने के उपाय करना।
● वैश्विक कोष का लाभ उठाना: वर्ष 2003 में शुरू होने वाले एड्स, तपेदिक और मलेरि□ा से लड़ने हेतु ग्लोबल फंड की सहायता से चीन ने "प्रशिक्षण, स्टाफिंग, प्रयोगशाला उपकरण, दवाएं◌ँ और मच्छर नियंत्रण उपायों में वृद्धि की।</td></tr>
<tr><td>कप्पा (Kappa)</td><td>● कप्पा और लैम्ब्डा वेरिएंट को डब्ल्यूएचओ द्वारा रुचि के वेरिएंट के रूप में लेबल किया गया है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>और लाम्ब्डा (Lambda) कोविड-19 का संस्करण</td>
<td>

इसका मतलब यह है कि इसमें शामिल आनुवंशिक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की गई है या यह ज्ञात है कि यह संचरण क्षमता, रोग की गंभीरता, या प्रतिरक्षा से बचने को प्रभावित करता है।
यह इस तथ्य की भी स्वीकृति है कि विविधता ने कई देशों और जनसंख्या समूहों में महत्वपूर्ण सामुदायिक प्रसारण का कारण बना है।

कप्पा संस्करण

कप्पा पहली बार भारत में पाया गया था।
भारत द्वारा GISAID पहल के लिए जमा किए गए 30,000 संचयी नमूनों में से 3,500 से अधिक इसी प्रकार के हैं। GISAID एक सार्वजनिक मंच है जिसे WHO द्वारा 2008 में देशों को जीनोम अनुक्रम साझा करने के लिए शुरू किया गया था

लैम्ब्डा वेरिएंट (LV)

पहली बार दिसंबर 2020 में पेरू में इसकी पहचान की गई। यह दक्षिण अमेरिकी देश में प्रमुख प्रकार है, जिसमें 81% नमूने पाए गए हैं।
स्पाइक प्रोटीन में इसके कम से कम सात महत्वपूर्ण उत्परिवर्तन हैं (डेल्टा संस्करण में तीन हैं)
LV में अल्फा और गामा प्रकार (क्रमशः यूके और ब्राजील में उत्पन्न होने के लिए जाना जाता है) की तुलना में अधिक संक्रामकता है।
भारत ने अभी तक LV के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है।

चिंता का प्रकार (VoC)

एक प्रकार जिसके लिए संचरण क्षमता में वृद्धि, अधिक गंभीर बीमारी (जैसे, अस्पताल में भर्ती या मृत्यु में वृद्धि), पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी द्वारा बेअसर करने में महत्वपूर्ण कमी, उपचार या टीकों की कम प्रभावशीलता, या क्लीनिक पहचान आदि विफलताओं का प्रमाण है।
ये चार हैं - अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा - जिन्हें "चिंता के प्रकार" के रूप में नामित किया गया है और उन्हें एक बड़ा खतरा माना जाता है।
इन सभी को हाल ही में ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों के नाम पर रखा गया था ताक उनके मूल देश के साथ जुड़ाव से बचा जा सके।

</td>
</tr>
<tr>
<td>जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन</td>
<td>

हाल ही में स्पेनिश सरकार ने एक ऐसे मसौदा विधेयक को मंज़ूरी दी है जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा निदान या हार्मोन थेरेपी के बिना कानूनी रूप से लिंग बदलने की अनुमति देगा।
वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक रिकॉर्ड में अपना लिंग परिवर्तित करने से पहले कानूनी रूप से दो साल की हार्मोन थेरेपी और एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

भारत और ट्रांसजेंडर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ, 2014 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'थर्ड जेंडर' घोषित किया।
नवतेज सिंह जौहर मामला, 2018 - धारा 377 को अपराध से मुक्त करना
ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019

ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा: यह अधिनियम किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता।
पहचान का प्रमाण पत्र: अधिनियम में कहा गया है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को स्व-कथित लिंग पहचान का अधिकार होगा।
पहचान का प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है और लिंग परिवर्तन होने पर संशोधित प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है।
माता-पिता और तत्काल परिवार के सदस्यों के साथ निवास का अधिकार।
यह अधिनियम शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

</td>
</tr>
</table>

	○ इसमें 'राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद' की स्थापना का प्रावधान है। दंड: इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के मामले में जुर्माने के अलावा छह महीने से दो वर्ष तक की कैद की सज़ा का प्रा धान किया गया है।
बाल सैनिकों को भर्ती करने वाले देशों की सूची	• **खबरों में:** अमेरिका ने पाकिस्तान और 14 अन्य देशों को चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट में शामिल किया है, जो उन विदेशी सरकारों की पहचान करती है जिनके पास सरकार समर्थित सशस्त्र समूह हैं जो बाल सैनिकों की भर्ती या उनका उपयोग करते हैं। ○ चाइल्ड सोल्जर में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्हें सशस्त्र बल या सशस्त्र समूह में भर्ती किया जाता है या फिर उनकी क्षमता का भर्ती में उपयोग किया जाता है। ○ चाइल्ड सोल्जर में लडकें,लडकियाँ और बच्चे शामिल होते हैं, लेकिन यह उन बच्चों, लड़कों और लड़कियों तक सीमित नहीं है, जिनका उपयोग लड़ाकों, रसोइयों, कुलियों, जासूसों या यौन उद्देश्यों हेतु किया जाता है (सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी पर पेरिस सिद्धांत 2007)। • यूएस चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट (US Child Soldiers Prevention Act -CSPA), 2008 को वार्षिक ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स (Trafficking in Persons-TIP) रिपोर्ट में प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें उन विदेशी सरकारों की सूची/लिस्ट शामिल होती है जिन्होंने बाल सैनिकों की भर्ती की है या उनका इस्तेमाल किया है। • CSPA अमेरिकी सरकार को बाल सैनिकों की भर्ती और उनका उपयोग करने वाले देशों को सैन्य सहायता प्रदान करने से रोकता है, जिसमें धन, सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण या सैन्य उपकरणों की प्रत्यक्ष बिक्री शामिल है। • सैनिकों के रूप में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की भर्ती या उपयोग बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CRC) और जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल दोनों द्वारा निषिद्ध है। **भारत** • भारत बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (CRC) का पक्षकार है। • अनुच्छेद 39 (f) में कहा गया है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्रता एवं सम्मान की स्थिति में विकसित होने का अवसर और सुविधाएँ दी जाती हैं तथा शोषण व नैतिक, भौतिक परित्याग के खिलाफ बच्चों एवं युवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। • भारतीय दंड संहिता राज्य सशस्त्र बलों या गैर-राज्य सशस्त्र समूहों द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की शत्रुता में भर्ती या उपयोग को अपराध घोषित करती है। • 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती किया जाता है।
पीएम-केयर फॉर चिल्ड्रन	• **खबरों में :** सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए COVID-19 से अनाथ बच्चों के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। इसमें कोई भी नागरिक सरकार को सूचित कर सकता है। पोर्टल के माध्यम से इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र बच्चे के संबंध में योजना की मुख्य विशेषताएं हैं: **10 लाख रुपए का कोष** • इनमें से प्रत्येक बच्चे को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए का कोष आवंटित किया जाएगा। • यह 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा प्रदान करेगा। • 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे एकमुश्त के रूप में कोष की राशि मिलेगी। **बच्चों को शिक्षा (10 वर्ष से कम):** • केन्द्रीय विद्यालयों/निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करना। • समान पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक्स के लिए PM CARES भुगतान करेगा। • यदि बच्चे का प्रवेश किसी निजी स्कूल में होता है तो आरटीई के मानदंडों के अनुसार शुल्क प्रदान किया जाएगा। **बच्चों को शिक्षा (11-18 वर्ष):** • बच्चे को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। • यदि बच्चे को अभिभावक की देखरेख में जारी रखना है, तो उसे नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय/निजी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।

	उच्च शिक्षा: ● ट्यूशन फीस/शैक्षिक ऋण के बराबर छात्रवृत्ति का प्रावधान। ● ऋण पर ब्याज का भुगतान PM-CARES फंड द्वारा किया जाएगा। **स्वास्थ्य बीमा:** ● आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी बच्चों को लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। ● प्रीमियम राशि का भुगतान PM-CARES द्वारा तब तक किया जाएगा जब तक कोई बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता।
आत्महत्या रोकने के लिए गेटकीपर मॉडल	**समाचार में:** देश भर की जेलों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से उत्पन्न आत्महत्याओं को रोकने के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (NIMHANS), बेंगलुरु ने "गेटकीपर मॉडल" की सिफारिश की है। ● NIMHANS राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। ● बंगलौर जेल मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन ने जेल की आबादी के लगभग 80% में मानसिक बीमारी और मादक द्रव्यों के सेवन विकार की व्यापकता की ओर इशारा किया है। **गेटकीपर मॉडल के बारे में** ● "गेटकीपर" में आत्महत्या के जोखिम वाले कैदियों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित चयनित कैदी उन्हें उपचार या सहायक सेवाओं के लिए रेफर करेंगे। ● निमहंस ने बंदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया है। ● आत्महत्या के जोखिम की गंभीरता के लिए मानसिक विकारों से ग्रस्त कैदियों का नियमित रूप से आकलन करना और नियमित पर्यवेक्षित दवा देना भी महत्वपूर्ण था। ● NIMHANS की सलाह में कहा गया है कि 'बडी सिस्टम' की अवधारणा - प्रशिक्षित कैदियों के माध्यम से "मित्र" या "श्रोता" कहे जाने वाले सामाजिक समर्थन - का आत्मघाती कैदियों की भलाई पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।
सलवा जुडूम	● सलवा जुडूम (गोंडी भाषा में अर्थ शान्ति यात्रा या शुद्धिकरण शिकार) एक मिलिशिया संगठन था जिसे छत्तीसगढ़ में माओवाद विरोधी अभियानों में तैनात किया गया था। ● इसका उद्देश्य क्षेत्र में नक्सली हिंसा का मुकाबला करना था। ● स्थानीय आदिवासी युवाओं से बनी इस मिलिशिया को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। ● उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा इसे अवैध और प्रतिबंधित कर दिया गया है। SC ने मिलिशिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया और भंग करने का आदेश दिया। ● हालांकि, यह सशस्त्र सहायक बलों, जिला रिजर्व समूह और अन्य निगरानी समूहों के रूप में मौजूद है।

संस्कृति और इतिहास

<table>
<tr>
<td>कालबेलिया नृत्य</td>
<td>

सुर्खियों में: हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण कालबेलिया नृत्य (Kalbeliya Dance) करने वाले छात्रों के बीच चेंडाविया (Chendavia) नामक एक एप लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है।
कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है।
यह इसी नाम की एक राजस्थानी जनजाति से जुड़ा है।
इसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठनों (UNESCO) की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सूची में शामिल किया गया था।
कालबेलिया जनजाति के लोग कभी पेशेवर रूप से सर्प को पकड़ने (Professional Snake Handlers) का कार्य करते थे, आज वे संगीत और नृत्य में अपने पूर्व व्यवसाय को बनाए हुए हैं जो नए व रचनात्मक तरीकों के माध्यम से सामने आ रहा है।
घेरदार काले घाघरे में (काली स्कर्ट) में महिलाएं गोल गोल घूमते हुए सर्प की नकल करते हुए नृत्य करती हैं, जबकि पुरुष उनके साथ ‘खंजारी’ (khanjari) और ‘पुंगी’ (Poongi) वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो पारंपरिक रूप से सांँपों को पकड़ने हेतु बजाया जाता है।
नर्तक पारंपरिक टैटू डिजाइन, आभूषण और छोटे दर्पण और चांदी के धागे के साथ बड़े पैमाने पर कढ़ाई वाले वस्त्र पहनते हैं।
कालबेलिया गीत कहानियों के माध्यम से पौराणिक ज्ञान का प्रसार करते हैं, जबकि रंगों के त्योहार होली के दौरान विशेष पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं।
गीत कालबेलिया के काव्य कौशल को भी प्रदर्शित करते हैं, जो स्वचालित रूप से गीत लिखने और प्रदर्शन के दौरान गीतों को सुधारने के लिए जाने जाते हैं।
पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेषित, गीत और नृत्य एक मौखिक परंपरा का हिस्सा हैं जिसके लिए कोई पाठ या प्रशिक्षण नियमावली मौजूद नहीं है।
राजस्थान के अन्य पारंपरिक लोक नृत्य: गैर, कच्छी घोड़ी, घूमर, भवई आदि।

</td>
</tr>
<tr>
<td>कुवेम्पु पुरस्कार 2020 (Kuvempu Award 2020)
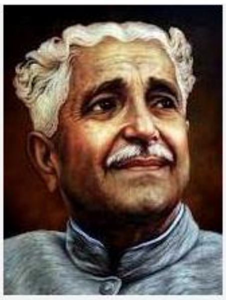
Kuvempu (1904-94)

खबरों में: हाल ही में उड़िया कवि डॉ. राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार (पुरस्कार)</td>
<td>

डॉ. पांडा ओडिशा के एक कवि और उपन्यासकार हैं। अब तक उनके कुल 16 कविता संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं।1985 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।

कुवेम्पु पुरस्कार के बारे में

कन्नड़ कवि पुरस्कार विजेता कुवेम्पु की स्मृति में पुरस्कार। उन्हें मुख्य तौर पर 20वीं सदी के सबसे महान कन्नड़ कवियों में से एक माना जाता है। वह कन्नड़ भाषा के पहले लेखक थे जिन्हें रामायण के उनके स्वयं के संस्करण 'श्री रामायण दर्शनम' के लिये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
कुवेम्पु पुरस्कार उस लेखक को प्रतिवर्ष दिया जाता है जिसने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान दिया हो।
इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक एवं एक प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार

भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार
केवल भारतीय नागरिकों के लिए
अंग्रेजी + 8वीं अनुसूची भाषाएं
इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति-पत्र तथा वाग्देवी (सरस्वती) की कास्य की

</td>
</tr>
</table>

2020 के लिए चुना गया है।	प्रतिमा प्रदान की जाती है। ● भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित। ○ साहू जैन परिवार द्वारा 1944 में स्थापित नई दिल्ली में स्थित साहित्यिक और शोध संगठन। इस ट्रस्ट द्वारा अन्य पुरस्कार हैं मूर्तिदेवी पुरस्कार और नवलेखन पुरस्कार (युवा हिंदी लेखकों के लिए)। **साहित्य अकादमी पुरस्कार** ● ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ● 1954 में स्थापित ● 24 पुरस्कार सालाना: 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं + अंग्रेजी + राजस्थानी ○ भारत की भाषाओं से और साहित्यिक अनुवादों के लिए समान संख्या में पुरस्कार। ● साहित्य अकादमी, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। ○ स्थानीय सरकार द्वारा पुरस्कारों के माध्यम से साहित्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार। ○ संस्कृति मंत्रालय ○ भारत से परे भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के साथ साहित्यिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भी करता है।
इटली में भारतीय सैनिक: द्वितीय विश्व युद्ध	● **सुर्खियों में:** भारतीय सेनाध्यक्ष (COAS) ब्रिटेन और इटली की आधिकारिक यात्रा के दौरान इटली के कसिनो शहर में एक भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे। ● यह स्मारक 3,100 से अधिक राष्ट्रमंडल सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेतु बनाया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) में इटली को आज़ाद कराने के प्रयास में भाग लिया था। ● इस स्मारक पर 900 भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई है। ● द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना सबसे बड़ी स्वयंसेवी शक्ति थी, जिसमें 2.5 मिलियन (20 लाख से अधिक) भारतीयों ने भाग लिया था। ● इन सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों के हिस्से के रूप में धुरी शक्तियों (जर्मनी, इटली और जापान) से लड़ाई लड़ी।
सिलंबम (Silambam) 	● सिलंबम एक प्राचीन हथियार आधारित मार्शल आर्ट (Weapon-Based Martial Art) है जिसकी उत्पत्ति तमिलकम में हुई जो वर्तमान में भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है। ● सिलप्पादिक्करम और संगम साहित्य (Sangam literature) में इस प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है तथा यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। ● इस्तेमाल किए गए हथियार: बांस (मुख्य हथियार), मारू- एक जोरदार हथियार जो हिरण के सींगों से बना होता है, अरुवा (सिकल), सवुकू (एक चाबुक), वाल (घुमावदार तलवार), कुट्टू कटाई (नुकीला अंगुली डस्टर)। ● भारत के अन्य मार्शल आर्ट्स ✓ कलारीपयट्टू- केरल ✓ मर्दानी खेल- महाराष्ट्र ✓ पाइका- उड़ीसा ✓ थाग ता- मणिपुर ✓ पांग ल्हबसोल- सिक्किम ✓ मुस्ति युद्ध - उत्तर प्रदेश ✓ परी खंड- बिहार ✓ छोलिया- उत्तराखंड ✓ गतका-पंजाब
आषाढ़ी बीज	● यह कच्छी नव वर्ष है। यह हिंदू नव वर्ष गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मनाया जाता है।

(Ashadhi Bij)	● यह शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन या शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। ● आषाढ़ी बीज एक परंपरागत 'वर्षा आगमन का उत्सव' है। ● आषाढ़ी बीज के दौरान स्थानीय किसान यह अनुमान लगाते हैं कि वातावरण में नमी का स्तर कितना है जिसके आधार पर वे सबसे अनुकूल फसल की बुवाई कर सकें।
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI)	● **सुर्खियों में:** केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित राष्ट्रीय अभिलेखागार के रिकॉर्ड को अगले वर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में एक वर्ष के भीतर डिजिटाइज़ किया जाएगा। ● NAI संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। ● यह 1891 में कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। ● वर्ष 1911 में राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के बाद भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस वर्तमान भवन का निर्माण वर्ष 1926 में किया गया था। ● भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में वर्तमान में 50 लाख से अधिक फाइलें/दस्तावेज जोत में हैं।
प्रह्लाद नाटक	● यह भारतीय राज्य ओडिशा का एक पारंपरिक नाटक है। ● संगीत-नाटक विष्णु के मानव-शेर अवतार, नृसिंह या नरसिम्हा की कहानी कहता है और यह पूर्व दक्षिणी ओडिशा में एक छोटे से राज्य, जालंतारा के राजा रामकृष्ण छोटाराय के एक पाठ पर आधारित है, जो अब आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में है। ● ओडिशा-आंध्र सीमा पर एक छोटी सी रियासत जालंतर के अंतिम राजा रामकृष्ण छोत्तराय ने प्रह्लाद नाटक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे स्थानीय रूप से राजा नाता (राजा का नृत्य) के रूप में जाना जाता है। ● यह कर्नाटक के यक्षगान या असम के अंकिया भाओना जैसे भारतीय शास्त्रीय और लोक रंगमंच परंपराओं के तत्वों का एक अनूठा संगम है। ● यह यह नाटक राक्षस राजा हिरण्यकश्यप, उसके पुत्र प्रह्लाद और नरसिंह, विष्णु के आधे शेर और आधे पुरुष अवतार की कहानी के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे राजा रामकृष्ण के आग्रह पर एक प्रमुख दरबारी कवि और संगीतकार गौरहरी परीछा ने लिखा था।
NCR में पुरापाषाणकालीन गुफा चित्र	● पुरातत्वविदों ने राष्ट्रीय राजधानी से दूर हरियाणा के एक चट्टानी और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वे ऊपरी पुरापाषाण काल के हैं। रॉक कला और खुली हवा में औपचारिक स्थल भी पाए गए। ○ ऊपरी पुरापाषाण युग लगभग 40,000 साल पहले शुरू हुआ और लगभग 10,000 साल पहले तक चला। ● ये गुफाएं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में क्वार्टजाइट चट्टानों के बीच प्राथमिक वन के एक हिस्से के पास, एक पवित्र उपवन, जिसे मंगर बानी कहा जाता है उनके बीच बसा हुआ है। ● यह पेंटिंग शिवालिक पहाड़ियों, नर्मदा और अरावली में पाई जाने वाली सोअनियन संस्कृति की निरंतरता में हैं। ● गुफा चित्रों में मानव मूर्तियों, जानवरों, पत्ते और ज्यामितीय के चित्र शामिल थे। ● गुफाएं और पेंटिंग स्वयं मध्य प्रदेश में भीमबेटका की याद दिलाती हैं, जो भारत में सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला का घर है, जो मेसोलिथिक युग (लगभग 10,000 साल पहले) की है। ● हालांकि, ये मंगर गुफा कला 20,000-40,000 साल पुरानी है। इसलिए, निष्कर्ष संभावित रूप से चित्रों को भारत की सबसे पुरानी गुफा कलाओं में से एक कह सकते हैं। ● अधिकांश पेंटिंग गेरू रंग की हैं। पाषाण युग के चित्रों में आमतौर पर लाल और गेरू रंगों का उपयोग किया जाता था। इन रंगों के पत्थर स्थानीय रूप से उपलब्ध होते थे और वह के निवासियों ने पेंटिंग के लिए रंग तैयार करने के लिए पत्थरों को कूट कर बनाया।
कांवर यात्रा	● कांवर यात्रा हिंदू कैलेंडर माह श्रावण (सावन) में आयोजित एक तीर्थयात्रा है।

	● भगवाधारी शिव भक्त आमतौर पर गंगा या अन्य पवित्र नदियों के पवित्र जल के घड़े के साथ नंगे पैर चलते हैं। ● गंगा के मैदानी इलाकों में, उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री, बिहार के सुल्तानगंज और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या या वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों से पानी लिया जाता है। ● भक्त पवित्र जल के घड़े को अपने कंधों पर ले जाते हैं, जिन्हें कंवरों के नाम से जाना जाता है। ● तीर्थयात्रियों द्वारा महत्वपूर्ण मंदिरों में शिव लिंग की पूजा के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। ● उत्तर भारत में कांवर यात्रा की समानता वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार, जिसे कावड़ी उत्सव कहा जाता है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, जिसमें भगवान मुरुगा की पूजा की जाती है।
ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना (Historic Urban Landscape Project)	● **खबरों में:** मध्य प्रदेश राज्य में, ओरछा (Orchha) और ग्वालियर (Gwalior) शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी 'ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना (Historic Urban Landscape Project)' के तहत चुना गया है। ○ इन शहरों के विकास और प्रबंधन की योजना यूनेस्को द्वारा तैयार की जाएगी। इसमें इतिहास, संस्कृति, खान-पान, रहन-सहन, आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास समेत तमाम पहलुओं को शामिल किया जाएगा। ○ इन स्थानों को अब यूनेस्को, भारत सरकार और मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया जाएगा। ● मध्य प्रदेश में ग्वालियर और ओरछा को दिसंबर 2020 में अपने शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया था। ○ **ग्वालियर:** यह 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल कछवाहो और सिंधिया द्वारा शासित था। ○ **ओरछा:** यह अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है और 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। **'ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य' दृष्टिकोण के बारे में:** ● इसे 2011 में यूनेस्को के आम सम्मेलन में अपनाया गया। ● यूनेस्को ने HUL दृष्टिकोण को गतिशील और विकसित वातावरण में पाए जाने वाले विरासत संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया है। ● HUL एक शहर के भीतर अंतर्संबंधों को स्वीकार करता है, जो निर्मित और प्राकृतिक वातावरण, मूर्त और अमूर्त मूल्यों के साथ-साथ एक समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं के बीच होते हैं। ● दृष्टिकोण शहरी विकास प्रक्रिया में स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सार्वजनिक और निजी अभिनेताओं सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए नीति, शासन और प्रबंधन संबंधी चिंताओं को संबोधित करता है।
यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व विरासत का दर्जा दिया	● लिवरपूल (इंग्लैंड में) को इसकी स्थापत्य सुंदरता और 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक के रूप में अपनी भूमिका के लिए 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ● विरासत सूची को इमारतों, स्मारकों और अन्य स्थलों को संरक्षित करने और चिन्हित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और लिवरपूल को हटाने का यह निर्णय शहर की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। **अन्य असूचीबद्ध साइटें** ● 2007 में ओमान में वन्यजीव अभयारण्य। कारण: अवैध शिकार और निवास स्थान का नुकसान। ● 2009 में जर्मनी में ड्रेसडेन एल्बे घाटी। कारण: नदी के ऊपर एक चार लेन का मोटरवे पुल बनाया गया था।
यूनेस्को ने काकतीय रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया	● रामप्पा मंदिर काकतीय वंश के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। ● यह शिव मंदिर है जो तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित है। ● इस मंदिर का नाम मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे बनाया था, और शायद दक्षिण

	भारत में यह एकमात्र मंदिर है जिसका नाम एक शिल्पकार के नाम पर रखा गया है जिसने इसे बनाया था। ● यूरोपीय व्यापारी मार्को पोलो ने काकतीय साम्राज्य की अपनी यात्रा के दौरान कथित तौर पर मंदिर को "दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा" कहा था **काकतीय राजवंश** ● काकतीय वंश ने CE 1083-1323 से वारंगल (तेलंगाना) पर शासन किया। ● इसे सिंचाई और पीने के पानी के लिए टैंकों के एक नेटवर्क के निर्माण के लिए जाना जाता है और इस तरह क्षेत्र के समग्र विकास को एक बड़ा बढ़ावा दिया। ● काकतीय वंश के गणपति देव, रुद्रमा देवी और प्रतापरुद्र जैसे काकतीय राजाओं के संरक्षण में सैकड़ों हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। ● उदाहरण: (1) हजार स्तंभ मंदिर या रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर, तेलंगाना। यह विष्णु, शिव और सूर्य को समर्पित एक तारे के आकार का त्रिकुटालयम (त्रिकूटालयम) है। (2) रामप्पा मंदिर, वारंगल, तेलंगाना; (3) हैदराबाद, तेलंगाना में गोलकु डा का किला।
भारत का 40वाँ विश्व धरोहर स्थल: धौलावीरा	हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Valley Civilisation- IVC) की पहली साइट है। ● धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आद्य-ऐतिहासिक कांस्य युग शहरी बस्ती है। ● तीसरी से दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक डेटिंग। ● अब तक खोजे गए 1,000 से अधिक हड़प्पा स्थलों में से छठा सबसे बड़ा। ● साइट में एक प्राचीन आईवीसी/हड़प्पा शहर के खंडहर हैं। इसके दो भाग हैं: एक चारदीवारी युक्त शहर और शहर के पश्चिम में एक कब्रिस्तान। ○ चारदीवारी वाले शहर में एक मज़बूत प्राचीर से युक्त एक दृढ़ीकृत गढ़/दुर्ग और अनुष्ठानिक स्थल तथा दृढ़ीकृत दुर्ग के नीचे एक शहर स्थित था। ○ गढ़ के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की एक शृंखला पाई जाती है। ● शहरी नियोजन, अपनी पूर्वकल्पित नगर योजना के साथ; बहुस्तरीय किलेबंदी ● निर्माण सामग्री के रूप में पत्थर का व्यापक उपयोग। ● नियोजित और अलग-अलग शहरी आवासीय क्षेत्रों के साथ नियोजित शहर संभावित रूप से भिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक स्तरीकृत समाज के आधार पर। ● जल संरक्षण प्रणाली, जल संरक्षण के उद्देश्य से जल निकासी प्रणाली में तकनीकी प्रगति। ● आम तौर पर नदियों और पानी के बारहमासी स्रोतों के पास स्थित अन्य हड़प्पा पूर्ववर्ती शहरों के विपरीत, खादिर द्वीप में धौलावीरा का स्थान विभिन्न खनिज और कच्चे माल के स्रोतों (तांबा, खोल, एगेट-कारेलियन, स्टीटाइट, सीसा, बैंडेड) का दोहन करने के लिए रणनीतिक था। ● चूना पत्थर, मगन (आधुनिक ओमान प्रायद्वीप) और मेसोपोटामिया क्षेत्रों में आंतरिक और बाहरी व्यापार की सुविधा के लिए।
कीलाडी	● **सुर्खियों में:** कीलाडी पुरातात्विक स्थल पर उत्खनन के हर मौसम में रिंग वेल का पता चला है, जो उन्नत जल संरक्षण तकनीक का एक संकेतक है जो 2,000 से अधिक साल पहले मौजूद था। ● कीझाड़ी (कीलाडी के रूप में भी) उत्खनन स्थल एक पूर्व-संगम (लौह युग) बस्ती है। ● यह तमिलनाडु में आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल के बाद बड़े पैमाने पर की गई खुदाई है। ● यह बस्ती वैगई नदी के तट पर स्थित है और तमिल लोगों की प्राचीन संस्कृति को दर्शाती है। ● इस स्थान को पांडियन राजवंश का शहर माना जाता है जिसे "पेरुमानलुर" कहा जाता है, जो साहित्य का अग्रणी है।
इरुलास	● इरुला, जिसे इरुलिगा के नाम से भी जाना जाता है, एक द्रविड़ जातीय समूह है जो भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में निवास करती है।

	• एक अनुसूचित जनजाति, इस क्षेत्र में उनकी आबादी लगभग 200,000 लोगों की है। • परंपरागत रूप से, इरुलास का मुख्य व्यवसाय सांप, चूहा पकड़ना और शहद संग्रह करना रहा है। • वे बुवाई और कटाई के मौसम में या चावल मिलों में जमींदारों के खेतों में मजदूर (कुली) के रूप में भी काम करते हैं। • इनका मत्स्य पालन और पशु फार्म भी एक प्रमुख व्यवसाय है।

भूगोल और समाचारों में स्थान

हीट डोम (Heat Dome) **समाचारों में:** हाल ही में, प्रशांत नॉर्थवेस्ट और कनाडा के कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जिससे "ऐतिहासिक" गर्मी की लहर पैदा हुई। यह एक घटना का परिणाम है जिसे "हीट डोम" कहा जाता है।	• ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है, जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है। यह दो दिनों से अधिक समय तक रहता है। • ग्रीष्म लहर मार्च-जून के बीच चलती है परंतु कभी-कभी जुलाई तक भी चला करती है। • पिछले कुछ दशकों में पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि हुई है और यह पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान से अपेक्षाकृत अधिक है। 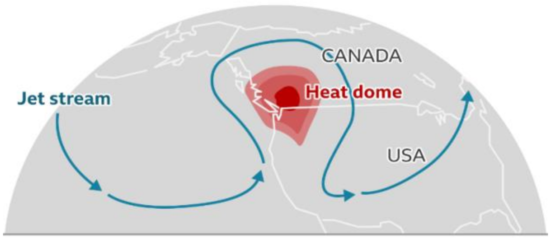 हीट डोम घटना तब शुरू होती है जब समुद्र के तापमान में एक मजबूत परिवर्तन (या ढाल) होता है। • संवहन : जैसे-जैसे प्रचलित हवाएँ गर्म हवा को पूर्व की ओर ले जाती हैं, वैसे-वैसे जेट स्ट्रीम की उत्तरी शिफ्ट हवा को भूमि की ओर मोड़ देती है, जहाँ यह समाप्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप गर्म लहरों का जन्म होता है। • गर्म हवा बाहर निकलने का प्रयास करती है लेकिन उच्च दबाव उसे नीचे धकेल देता है। • हीट डोम बादलों को भी रोकते हैं जो गर्मी से कुछ राहत प्रदान करते हैं **'हीट डोम' के प्रभाव:** • बिना एयर कंडीशनर के रहने वाले लोग अपने घरों के तापमान को असहनीय रूप से बढ़ते हुए देखते हैं, जिससे अचानक मृत्यु हो सकती है। • गर्मी के कारण फसलों को भी नुकसान हो सकता है, वनस्पति सूख सकती है और इसके परिणामस्वरूप सूखा पड़ सकता है। • प्रचंड गर्मी की लहर से ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि होगी, विशेष रूप से बिजली की जिससे इसकी मूल्य दरों में वृद्धि होगी। • 'हीट डोम' जंगल की आग के लिये ईंधन के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो हर साल अमेरिका में बहुत सारे भूमि क्षेत्र को नष्ट कर देता है।

मंगल के असतत अरोरा **संदर्भ:** हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के होप अंतरिक्षयान ने मंगल ग्रह पर रात के दौरान आकाश में चमकती वायुमंडलीय रोशनी की छवियों को कैप्चर किया है, जिसे ‘असतत् औरोरा’ (Discrete Aurora) के रूप में जाना जाता है।	**पृथ्वी पर अरोरा:** ● ऑरोरा आकाश में एक प्रकाशदीप्ति है जिसे मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों (आर्कटिक और अंटार्कटिक) में देखा जाता है। इसे ध्रुवीय प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। ● विशिष्ट अरोरा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अंतरिक्ष से आवेशित कणों के बीच टकराव के कारण होता है (ऊर्जा का हस्तांतरण उन्हें उत्तेजित करता है जिससे प्रकाश उत्सर्जन होता है)। ● ये आमतौर पर उच्च उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर घटित होते हैं, यह मध्य अक्षांशों पर कम पाए जाते हैं, और कभी-कभी भूमध्य रेखा के पास देखे जाते हैं। ● आमतौर पर एक औरोरा दूधिया हरा रंग, लाल, नीला, बैंगनी, गुलाबी और सफेद भी दिख सकता है। ये रंग लगातार बदलते आकार की एक किस्म के रूप में दिखाई देते हैं। ● औरोरा केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि यदि किसी ग्रह में वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, तो संभवतः वहाँ पर भी औरोरा की उपस्थिति होती है। **मंगल के असतत् औरोरा:** ● पृथ्वी पर औरोरा के विपरीत जो केवल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास देखा जाता है, मंगल ग्रह पर असतत् औरोरा (Discrete Aurora) को रात के समय ग्रह के चारों ओर देखा जाता है। ● इन DAs का पता लगाया जाता है जहां मंगल की सतह पर खनिजों से उत्पन्न होने वाले क्रस्टल चुंबकीय क्षेत्रों के एक पैची नेटवर्क द्वारा फ़नल किए जाने के बाद ऊर्जावान कण वातावरण को उत्तेजित करते हैं। ● मंगल ग्रह के औरोरा का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात का सुराग दे सकता है कि जीवन को बनाए रखने हेतु आवश्यकताओं के बीच लाल ग्रह ने अपना चुंबकीय क्षेत्र और घने वातावरण को क्यों खो दिया। **मंगल ग्रह के अरोरा पृथ्वी से किस प्रकार भिन्न हैं?** ● पृथ्वी के विपरीत, जिसमें एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, मंगल का चुंबकीय क्षेत्र काफी हद तक समाप्त हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के आंतरिक भाग में पिघला हुआ लोहा - जो चुंबकत्व पैदा करता है - ठंडा हो गया है। ● हालाँकि मंगल ग्रह की भूपर्टी, जो अरबों वर्ष पहले कठोर हो गई थी, में कुछ चुंबकत्व है। ● तो, पृथ्वी के विपरीत, जो चुंबक की तरह काम करती है, मंगल ग्रह पर चुंबकत्व असमान रूप से वितरित होता है, पूरे ग्रह में फैले हुए क्षेत्र, दिशा और मजबूती में भिन्न होते हैं। ● ये असंबद्ध क्षेत्र सौर हवा को मंगल ग्रह के वायुमंडल के विभिन्न भागों में प्रसारित करते हैं, जिससे ग्रह की पूरी सतह पर "असतत" औरोरा बनते हैं क्योंकि आवेशित कण आकाश में परमाणुओं और अणुओं के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जैसा कि वे पृथ्वी पर करते हैं।
गिंडी राष्ट्रीय उद्यान: तमिलनाडु	● चेन्नई स्थित गिंडी राष्ट्रीय उद्यान (तमिलनाडु) शहर के लोगों को विभिन्न पारितंत्र सेवाएँ (Ecosystem Services) प्रदान करता है। ● यह भारत का आठवाँ सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और उन चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यानों में से भी एक है, जो शहर के अंदर अवस्थित हैं। यह चेन्नई के महानगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। ● यह कोरोमंडल तट के उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों के अंतिम हिस्सों में से एक है। ● गिंडी राष्ट्रीय उद्यान की लगभग 22 एकड़ जमीन को बाह्य-स्थाने संरक्षण (Ex Situ Conservation) के लिये चिल्ड्रन पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया है। ● **वनस्पति और प्राणीजगत :** इसमें वृक्षों की 30 से अधिक प्रजातियाँ और कई शताब्दी पुराने विशाल बरगद के वृक्ष मौजूद हैं। ○ साथ ही इसमें काले हिरण, चित्तीदार हिरण, सियार, साँपों की भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ, पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियाँ और तितलियों की 60 से अधिक प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।

	● गिंडी सर्प उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही स्थित है। इसे वर्ष 1995 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority- CZA) से एक मध्यम चिड़ियाघर के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। ● **तमिलनाडु में अन्य संरक्षित क्षेत्र:** ✓ मन्नार की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान (धनुषकोडी)। ✓ मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ऊटी। ✓ मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई।
वेम्बनाड झील **सुर्ख़ियों में:** एक सुदृढ़ टीकाकरण अभियान के बीच वेम्बनाड झील में केरल हाउसबोट (Kerala houseboats) के शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है।	● वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। ● इस झील का स्रोत चार नदियों मीनाचिल (Meenachil), अचनकोविल (Achankovil), पम्पा (Pampa) और मणिमाला (Manimala) से संबंधित है। ● यह एक संकीर्ण द्वीप द्वारा अरब सागर (Arabian Sea) से अलग होती है तथा केरल में एक लोकप्रिय लेगून दरार (Backwater Stretch) का निर्माण करती है। ● वल्लम काली (यानी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस) एक स्नेक बोट रेस है जिसका आयोजन हर वर्ष अगस्त माह में वेम्बनाड झील में किया जाता है। ● यह सुंदरबन के बाद ही भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है ● कुमारकोम पक्षी अभयारण्य (Kumarakom Bird Sanctuary) इस झील के पूर्वी तट पर स्थित है। ● 2019 में, कोच्चि शहर में स्थित एक बंदरगाह, विलिंगडन द्वीप, वेम्बनाड झील को काटकर बनाया गया था। ● इस झील की सबसे उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक 1252 मीटर लंबी निर्मित खारे पानी की बाधा, थन्नीरमुकोम (Thanneermukkom) है, जिसे कुट्टनाड में खारे पानी को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था।
तिलारी संरक्षण रिजर्व	● तिलारी महाराष्ट्र राज्य का सातवाँ वन्यजीव गलियारा है जिसे 'संरक्षण रिज़र्व' के रूप में घोषित किया गया है। ● यह गोवा में महादेई अभयारण्य और कर्नाटक में भीमगढ़ को जोड़ता है। ● इसमें अर्ध-सदाबहार जंगल, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और कई अनोखे पेड़, तितलियाँ और फूल हैं। **भारत में संरक्षण भंडार** ○ संरक्षण भंडार और सामुदायिक भंडार देश के संरक्षित क्षेत्रों को दर्शाने वाले शब्द हैं जो आमतौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या कनेक्टर्स और माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं। ○ उन्हें इस तरह नामित किया जाता है यदि वे निर्जन हैं और पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, लेकिन समुदायों और सामुदायिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किए जाते हैं यदि भूमि का कुछ हिस्सा निजी स्वामित्व में है। ○ इन संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों को पहली बार 2002 के वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम में पेश किया गया था। ○ इन श्रेणियों को भूमि के निजी स्वामित्व के कारण मौजूदा या प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्रों में उसके आसपास कम सुरक्षा के कारण जोड़ा गया था।
नवेगांव-नागजीरा टाइगर रिजर्व (NNTR)	● यह महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिलों में स्थित है। ● रणनीतिक रूप से यह टाइगर रिज़र्व, केंद्रीय भारतीय बाघ परिदृश्य के केंद्र में स्थित हैजहाँ देश की कुल बाघ आबादी का लगभग 1/6 भाग पाया जाता है। ● इसे दिसंबर 2013 में भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। ● NNTR मध्य भारत में प्रमुख बाघ अभयारण्यों के साथ सीमा साझा करता है जैसे, ○ ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व, महाराष्ट्र ○ कान्हा और पेंच टाइगर रिज़र्व, मध्यप्रदेश ○ इंद्रावती टाइगर रिज़र्व, छत्तीसगढ़ ○ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कवाल टाइगर रिज़र्व तथा और नागार्जुन सागर और छत्तीसगढ़ में अचनकमार टाइगर रिज़र्व (अप्रत्यक्ष रूप से)

	○ यह उमरेद-करहंदला अभयारण्य और ब्रह्मपुरी डिवीज़न (महाराष्ट्र) जैसे महत्त्वपूर्ण बाघ क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ है। ● यहाँ प्रमुख रूप से 'दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन' पाए जाते हैं। कुछ कांटेदार पौधे भी पाए जाते हैं और बांस बहुतायत में होता है। ● महाराष्ट्र में अन्य संरक्षित क्षेत्र: ✓ सह्याद्री टाइगर रिजर्व। ✓ मेलघाट टाइगर रिजर्व। ✓ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सैंक्चुअरी। ✓ करनाला पक्षी अभयारण्य। ✓ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ✓ पेंच राष्ट्रीय उद्यान।
कंचनजंगा बायोस्फीयर	**सुर्ख़ियों में:** भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) द्वारा हाल ही में एक प्रकाशन में यह बताया गया था कि सिक्किम भारत का 1% से कम भूभाग वाला सबसे छोटा राज्य है, जो देश में पाए जाने वाले सभी फूलों के पौधों का 27% का घर है। ● सिक्किम कंचनजंगा जीवमंडल परिदृश्य का एक हिस्सा है **कंचनजंगा बायोस्फीयर के बारे में** ● कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो सिक्किम में स्थित है, दुनिया के सबसे ऊंचे पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है यह समुद्र तल से 1, 220 मीटर की ऊंचाई तक है। ● जीवमंडल में विभिन्न ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो उप-उष्णकटिबंधीय से आर्कटिक तक भिन्न हैं, साथ ही विभिन्न बायोम में प्राकृतिक वन हैं, जो वन प्रकारों और आवासों की अत्यधिक समृद्ध विविधता का समर्थन करते हैं। ● विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, माउंट खंगचेंदज़ोंगा इसी पार्क में स्थित है। ● 26 किमी लंबे जेमू ग्लेशियर सहित कई झीलें और ग्लेशियर बायोस्फीयर रिजर्व इसके भाग हैं। ● खंगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान (KNP) को 2016 में 'मिश्रित' श्रेणी के तहत एक विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था (मिश्रित विरासत स्थलों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व के तत्व होते हैं)। ● सिक्किम में खांगचेंदज़ोंगा बायोस्फीयर रिज़र्व, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची चोटी माउंट खांगचेंदज़ोंगा के आसपास है इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ़ बायोस्फीयर रिज़र्व में जोड़ा गया है, जिससे यह नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां जीवमंडल बन गया है। ● इसकी अवस्थिति - नेपाल, तिब्बत (चीन) की सीमा और भूटान के निकट पड़ोसी देशों के साथ जैव विविधता के संयुक्त सहयोग और संरक्षण के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। ● अनियंत्रित पर्यटन में वृद्धि, परिदृश्य के बारे में जागरूकता की कमी और कर्मचारियों की कमी रिजर्व की पवित्रता को बनाए रखने में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
लेमरू हाथी रिजर्व	**सुर्ख़ियों में :** हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू हाथी रिज़र्व क्षेत्र को 1,995 वर्ग किमी. से घटाकर 450 वर्ग किमी. तक रखने का प्रस्ताव दिया है। ● यह छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित हाथी अभ्यारण्य है। ● लेमरू उस क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष को रोकने के लिए नियोजित दो हाथी भंडारों में से एक है, जिसमें हाथी ओडिशा और झारखंड से छत्तीसगढ़ में आते हैं। ● इस रिजर्व के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र हसदेव अरण्य जंगलों का हिस्सा है, एक बहुत ही विविध बायोज़ोन जो कोयले के भंडार में भी समृद्ध है। ● बादलखोल तमोरपिंगला, 1048.30 वर्ग किलोमीटर का अन्य हाथी रिजर्व, सितंबर 2011 में अधिसूचित किया गया था।
सुंदरबन	● सुंदरवन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा (दुनिया का सबसे बड़ा) पर भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में एक विशाल सन्निहित मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र है।

	• इसमें दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन हैं। • यह विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन है जिसमें बाघों का निवास है। • सुंदरवन टाइगर रिजर्व 1973 में बनाया गया था। • सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, 1984 में स्थापित, बाघ अभयारण्य के भीतर एक मुख्य क्षेत्र का गठन करता है। • इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। • सुंदरबन को 2001 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। • सुंदरबन वेटलैंड, भारत को जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' के रूप में मान्यता दी गई थी।
करलापट वन्यजीव अभयारण्य, ओडिशा	**ख़बरों में :** हाल ही में ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टीसीमिया (HS) के कारण छह हाथियों की मौत हो गई। • यह कालाहांडी जिले, ओडिशा में स्थित है। • यह पूर्वी हाइलैंड्स नम पर्णपाती वन ईकोरियोजन के भीतर स्थित है। • **वनस्पति:** साल, बीजा, आसन, हरिदा, अमला, बहाड़ा और बांस और औषधीय पौधों की किस्में।
कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य	• राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित यह अभयारण्य अरावली पर्वतमाला में फैला हुआ है। • यह खथियार-गिर शुष्क पर्णपाती वनों के क्षेत्र का हिस्सा है। • इसे एशियाई शेर के पुनरुत्पादन के लिए माना जाता है।
बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य: असम	• **सुर्ख़ियों में:** असम के सबसे छोटे वन्यजीव अभयारण्यों में से एक यह राज्य में बाघ का सबसे नया घर हो सकता है। • बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य असम के सबसे छोटे वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है यह इस राज्य में बाघ का सबसे नया घर हो सकता है। तथा 26.22 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला है। • बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य (BWS) उत्तरी असम के बक्सा और उदालगुरी ज़िलों में भूटान की सीमा के निकट स्थित है। • इस अभयारण्य का नाम बोर्नडी नदी के नाम पर रखा गया है जो इसकी पश्चिमी सीमा पर बहती है।
कांडला पोर्ट	• कांडला, गुजरात का पहला ग्रीन एसईजेड बन गया है। • इसने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की IGBC (इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल) ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल की है। **इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल?** • भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) का हिस्सा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) का गठन वर्ष 2001 में किया गया था। • **विजन:** "सभी के लिए एक स्थायी निर्मित वातावरण को सक्षम करने और भारत को 2025 तक टिकाऊ निर्मित वातावरण में वैश्विक नेता बनने की सुविधा प्रदान करना"। • परिषद नई हरित भवन रेटिंग कार्यक्रम, प्रमाणन सेवाएं और हरित भवन प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने जैसी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। • परिषद हरित भवनों पर अपने वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का भी आयोजन करती है। • परिषद समिति आधारित, सदस्य संचालित और आम सहमति केंद्रित है। • निर्माण उद्योग के सभी हितधारक स्थानीय अध्यायों के माध्यम से परिषद की गतिविधियों में भाग लेते हैं। • परिषद देश में हरित भवन अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, विश्व हरित भवन परिषद, द्विपक्षीय बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है।
चेरी की मिश्री किस्म	• **ख़बरों में:** बागवानी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कश्मीर घाटी से मिश्री किस्म की स्वादिष्ट चेरी का पहला वाणिज्यिक लदान (शिपमेंट) श्रीनगर से दुबई के लिए निर्यात किया गया है।

	• मिश्री किस्म की यह चेरी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ विटामिन, खनिज और वनस्पति यौगिक भी भरपूर मात्रा में होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में देश की वाणिज्यिक किस्मों की चेरी के कुल उत्पादन का 95 प्रतिशत से अधिक उत्पादन होता है। यहां चेरी की चार किस्मों - डबल, मखमली, मिश्री और इटली का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। **क्या आप जानते हैं?** • जम्मू और कश्मीर में, चार जिले - पुलवामा, बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ - केसर उगाते हैं। चार में से, पुलवामा जिले के पंपोर ने सबसे अच्छी गुणवत्ता केसर उगाने के लिए कश्मीर के "भगवा शहर" का खिताब अर्जित किया है।
राजा मिर्च 'राजा मिर्चा' 	• **समाचार में:** 'राजा मिर्चा' की एक खेप जिसे नागालैंड में किंग मिर्च भी कहा जाता है, भारत के नगालैंड (Nagaland) से राजा मिर्च की एक खेप पहली बार हवाई मार्ग से गुवाहाटी के रास्ते लंदन निर्यात की गई। • नागा राजा मिर्च स्कोविल हीट यूनिट्स (एसएचयू) यानी तीखापन मापने के मानदंड के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में शीर्ष पांच में लगातार बनी हुई है। • 'राजा मिर्च' को किंग चिली (King Chilli), 'भूत जोलोकिया' और 'घोस्ट पेपर' (Bhoot Jolokia and Ghost pepper) भी कहा जाता है। इसे 2008 में भौगोलिक संकेतक का प्रमाण पत्र यानी जीआई टैग मिला था। • •ताज़ी किंग चिली का निर्यात इसकी अत्यधिक खराब होने वाली प्रकृति के कारण एक चुनौती बन गया। • 2021 में एपीडा ने त्रिपुरा के कटहल को लंदन और जर्मनी, असम के नींबू को लंदन, असम के लाल चावल को संयुक्त राज्य अमेरिका और लेटेकु 'बर्मी ग्रेप' को दुबई निर्यात करने में मदद की है।
कांजीवरम सिल्क साड़ी: तमिलनाडु	• **समाचारों में :** राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुनकर बी. कृष्णमूर्ति ने कांजीवरम सिल्क साड़ी बुनाई के लिये सभी पारंपरिक डिज़ाइन, पैटर्न और रूपांकनों के नमूनों का एक भंडार तैयार किया है, जो भावी पीढ़ी के लिये टुकड़ों को संरक्षित करता है। **कांजीवरम साड़ियों के बारे में:** • परंपरागत रूप से कांजीवरम साड़ी को प्रायः शहतूत के रेशमी धागों से हाथ से बुना जाता है और इसमें शुद्ध सोने या चांदी की ज़री प्रयोग होती है जो इसे एक महत्त्वपूर्ण गुणवत्ता प्रदान करती है। • तमिलनाडु के 'कांचीपुरम' गाँव में निर्मित कांजीवरम साड़ी को 'रेशम की साड़ियों की रानी' भी माना जाता है। • दक्षिण भारत विशेष रूप से कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों की मंदिर वास्तुकला पारंपरिक कांजीवरम रूपांकनों के लिये डिज़ाइन प्रेरणा के रूप में काम करती है। • कांजीवरम साड़ी के डिज़ाइन में ऐसे कई रूपांकन खोजे जा सकते हैं, जैसे- पौराणिक पक्षी 'यली' (हाथी-शेर का संलयन) और 'गंडाबेरुंडा (दो सिर वाला राजसी पौराणिक पक्षी) आदि। • यह चोल राजवंश से अपने लंबे और समृद्ध इतिहास का पता लगाता है। • कांचीपुरम रेशम को वर्ष 2005-06 में भौगोलिक संकेत (GI टैग) भी प्राप्त हुआ है।
मदुरै मल्ली (चमेली के फूल)	• **सुर्ख़ियों में:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को घर और मंदिरों में देवताओं को ताजे फूलों की आपूर्ति मिलती रहे इसे सुनिश्चित करने के लिए, जीआई (भौगोलिक संकेचक) प्रमाणित मदुरै मल्ली और अन्य पारंपरिक फूलों जैसे बटन गुलाब, लिली, चमंथी और मैरीगोल्ड की खेप तमिलनाडु से आज संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई को निर्यात की गई। • मदुरै मल्ली चमेली का फूल है, जो अपने मजबूत और शक्तिशाली रहस्यमय रूप से आकर्षक और मोहक सुगंध के लिए जाना जाता है। • यह एक बहुत पुराना पारंपरिक फूल है और इसका वानस्पतिक नाम "जैस्मिनियम" है। • यह मुख्य रूप से मदुरै जिले और मदुरै के पड़ोसी स्थानों जैसे थेनी, शिवगंगा, विरुधुनगर और डिंडीगुल में खेती की जाती है। • चमेली दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय फूलों में से एक है। • चमेली की महक मदुरै के मीनाक्षी मंदिर के वैभव का पर्याय है। • मदुरै अपने पड़ोस में उगाई जाने वाली मल्लिगाई के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में उभरा है और भारत की

	'चमेली राजधानी' के रूप में विकसित हुआ है।
सुर्ख़ियों में जलविद्युत परियोजनाएं	**पुलीचिंतला परियोजना** • यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण की जरूरतों को पूरा करती है। • यह पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर और प्रकाशम के चार तटीय जिलों के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सिंचाई सुविधा है, जहां 13 लाख एकड़ में सिंचाई की सुविधा है। • यह कृष्णा नदी के पास गुंटूर जिले में स्थित है। **नागार्जुन सागर डैम** • यह नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी पर एक चिनाई वाला बांध है जो तेलंगाना में नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के बीच की सीमा में फैला है। **श्रीशैलम डैम** • यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी के पार श्रीशैलम मंदिर शहर के पास बनाया गया है और यह देश में दूसरा सबसे बड़ा क्षमता वाला जलविद्युत स्टेशन है। **पोलावरम परियोजना** • यह पश्चिम गोदावरी जिले में गोदावरी नदी और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है। **पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना** • यह एक नदी को जोड़ने वाली परियोजना है जो गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से जोड़ती है।
बगराम एयर फील्ड	**सुर्ख़ियों में:** लगभग 20 वर्षों के बाद, अमेरिकी सेना ने बगराम एयरफील्ड को छोड़ दिया। • बगराम एयरफील्ड-BAF, जिसे बगराम एयर बेस के नाम से भी जाना जाता है, अफगानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा था। • यह तालिबान को भगाने और अमेरिका पर 9/11 के आतंकवादी हमलों के अल-कायदा के अपराधियों से लड़ने के लिए युद्ध का केंद्र था।

आंतरिक सुरक्षा

वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (GCI)	• अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा जारी किया गया। • भारत ने GCI 2020 में 37 स्थान ऊपर उठकर 10वां (97.5/100 का स्कोर) स्थान हासिल किया। • पहला –अमेरिका; दूसरा – यूके और सऊदी अरब; तीसरा – एस्टोनिया • GCI साइबर सुरक्षा के पांच मानकों पर आधारित है: कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग ○ ITU संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है यह संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए। ○ यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं को आवंटित करता है, जो तकनीकी मानकों को विकसित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क और प्रौद्योगिकियां निर्बाध रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं, तथा दुनिया भर में कम सेवा वाले समुदायों के लिए ICTs तक पहुंच में सुधार करने का प्रयास करती है। ○ हाल ही में भारत को 1- 4 साल के कार्यकाल के लिए 2019 से 2022 तक ITU परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। भारत 1952 से एक नियमित सदस्य बना हुआ है। • साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य, जांच तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध को संबोधित करने का प्रयास करती है। यह 1 जुलाई 2004 को लागू हुआ। भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा	• **सुर्ख़ियों में:** भारत में समुद्री सुरक्षा के मुद्दों से निपटने वाले कई संगठनों के बीच सुगमता और तेजी से निर्णय लेना

समन्वयक (NMSC)	सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति करने की संभावना है। **NMSC के बारे में** ● समुद्री सुरक्षा समन्वयक NSA के तहत काम करेगा और समुद्री सुरक्षा डोमेन पर सरकार का प्रमुख सलाहकार होगा। ● NMSC राष्ट्रीय समुद्री आयोग (NMC) का नेतृत्व करेगा, जो भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल (ICG), जहाजरानी मंत्रालयों और बंदरगाहों जैसे सभी संगठनों के साथ समन्वय करेगा। सुरक्षा समन्वयक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) को रिपोर्ट करने की संभावना है। ● **उद्देश्य:** राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (NMSC) की स्थापना का उद्देश्य भारत की सुरक्षा वास्तुकला और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नागरिक और सैन्य समुद्री डोमेन के बीच एक इंटरफेस बनाना है। **राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की आवश्यकता** ● विशेषज्ञों का कहना है कि नौसेना, तटरक्षक और राज्य के समुद्री बोर्ड एक-दूसरे से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और लगातार एक-दूसरे के विरोधी होते हैं। ● ऐतिहासिक रूप से, भारत भूमि आधारित सुरक्षा सिद्धांतों के साथ समुद्री अंधापन से पीड़ित रहा है। ● कच्चे तेल सहित भारतीय व्यापार का 70% से अधिक समुद्र के माध्यम से ले जाया जाता है और समुद्री शिपिंग लेन की सुरक्षा भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ● भारत सरकार ब्लू वाटर इकॉनमी के लिए डीप ओशन मिशन को भी मंजूरी दे रही है। इसलिए हमारी परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक है। ● सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, चीन समुद्र आधारित सुरक्षा सिद्धांत की ओर बढ़ रहा है और पाकिस्तान और म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है। ● NMSC का पद इस प्रकार समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्व प्राप्त करता है।
आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की नई पीढ़ी	● **समाचारों में :** आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली एक नई पीढ़ी का डीआरडीओ द्वारा हवाई रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा तट से एक एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। ○ आकाश मिसाइल (आकाश-NG) के नए संस्करण में मूल संस्करण की तुलना में थोड़ी बेहतर रेंज है जो लगभग 25 किमी की दूरी पर लक्ष्य पर हमला कर सकती है। ○ परीक्षण के दौरान मिसाइल ने तेज और फुर्तीले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए आवश्यक उच्च गतिशीलता का प्रदर्शन किया। **आकाश मिसाइल प्रणाली के बारे में** ● आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कई दिशाओं से अनेक लक्ष्यों को भेद सकती है। ● **निर्मित:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ● प्रत्येक मौसम में चलने वाली मिसाइल ध्वनि की गति से 2.5 गुना अधिक गति से लक्ष्य को भेद सकती है और कम, मध्यम और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों का पता लगा कर नष्ट कर सकती है। ● आकाश मिसाइल प्रणाली को भारत के 30 साल पुराने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के हिस्से के रूप में डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसमें नाग, अग्नि, त्रिशूल और पृथ्वी जैसी अन्य मिसाइलें भी शामिल हैं। ● परमाणु-सक्षम मिसाइल 18 किमी की अधिकतम ऊंचाई पर मच 2.5 (लगभग 860 मीटर/सेकेंड) तक की गति से उड़ सकती है। ● यह 30 किमी की दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों पर हमला कर सकता है। **आकाश की अनूठी विशेषताएं:** ● इसे युद्धक टैंक या पहिएदार ट्रक जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लगभग 90% मारने की संभावना है। ● इस मिसाइल को 'राजेंद्र' नामक स्वदेशी रूप से विकसित रडार द्वारा समर्थित किया जाता है जो समूह या स्वायत्त

	मोड में कई दिशाओं से अत्यधिक पैंतरेबाज़ी करने वाले कई लक्ष्यों को संभाल सकता है। ● ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी और उच्च तकनीक वाले राडार के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की पैट्रियट मिसाइलों की तुलना में मिसाइल कथित तौर पर सस्ती और अधिक सटीक है।
व्यायाम इंद्र-21	● **खबरों में:** भारत और रूस के बीच 12वाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 (Exercise INDRA) का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा। ● इस अभ्यास में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ एक संयुक्त बल द्वारा संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत काउंटर टेरर ऑपरेशन का संचालन करना होगा। ● इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, जिसे दोनों देशों के बीच बारी-बारी से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। हालाँकि पहला संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास (Tri-Services Exercise) वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। ● भारत और रूस के बीच पिछला संयुक्त, त्रि-सेवा अभ्यास दिसंबर 2019 में भारत में आयोजित किया गया था। यह बबीना (झांसी के निकात), पुणे और गोवा में एक साथ आयोजित किया गया था।
शेकेतकर समिति (Shekatkar Committee)	लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीबी शेकातकर की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति (CoE) सशस्त्र बलों के युद्ध अनुकूलता और पुनर्संतुलन रक्षा व्यय को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए। समिति द्वारा अनुशंसित उपायों और कार्यान्वयन के लिए उठाए गए उपायों में शामिल हैं: ● रेडियो मॉनिटरिंग कंपनियों, कोर एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट, एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट, कम्पोजिट सिग्नल रेजिमेंट, कोर ऑपरेटिंग और इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंट के विलय को शामिल करने के लिए सिग्नल प्रतिष्ठानों का अनुकूलन। ● फील्ड आर्मी में बेस वर्कशॉप, एडवांस बेस वर्कशॉप और स्टेटिक/स्टेशन वर्कशॉप को शामिल करने के लिए सेना में मरम्मत के क्षेत्रों का पुनर्गठन। ● इन्वेंटरी नियंत्रण तंत्र को सुव्यवस्थित करने के अलावा वाहन डिपो, आयुध डिपो और केंद्रीय आयुध डिपो को शामिल करने के लिए आयुध क्षेत्रों का पुनर्नियोजन। ● आपूर्ति और परिवहन क्षेत्रों तथा पशु परिवहन इकाइयों का बेहतर उपयोग। ● शांति स्थानों पर सैन्य फार्मों और सेना के डाक प्रतिष्ठानों को बंद करना। ● सेना में लिपिकीय कर्मचारियों और ड्राइवरों की भर्ती के लिए मानकों में वृद्धि। ● राष्ट्रीय कैडेट कोर की दक्षता में सुधार।

विज्ञान और तकनीक

राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU)	• यह दुनिया का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है जो फोरेंसिक, व्यवहारिक, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक और संबद्ध विज्ञान को समर्पित है। • यह भारत सरकार द्वारा अधिनियम, 2020 के माध्यम से देश और दुनिया भर में फोरेंसिक विशेषज्ञों की बढ़ती मांग के खिलाफ तीव्र कमी को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। • अधिनियम गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (GFSU), गांधीनगर (GFSU अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित) और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीयक्रिमिनोलॉजी विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को गुजरात में NFSU नामक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करता है। • इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है (गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में)।
शनि ग्रह के चंद्रमाओं पर मीथेन	**सुर्ख़ियों में:** राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration-NASA) के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने अपने पंखों (2017 में) के माध्यम से उड़ान भरकर शनि ग्रह के चंद्रमाओं (टाइटन और एनसीलाडस) के पल्म से उड़ान के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एवं डाइहाइड्रोजन के साथ असामान्य रूप से मीथेन की उच्च सांद्रता की उपस्थिति दर्ज की गई। • यह पाया गया कि शनि (Titan) के वायुमंडल में मीथेन विद्यमान है और एनसीलाडस (Enceladus) के पास एक तरल महासागर है जिसमें गैस व पानी का प्रस्फुटन होता है। • एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने इस बात को समझने हेतु नए सांख्यिकीय तरीकों का इस्तेमाल किया है कि क्या सूक्ष्मजीवों द्वारा मीथेनोजेनेसिस या मीथेन उत्पादन (Methanogenesis or Methane Production) आणविक हाइड्रोजन और मीथेन की व्याख्या कर सकता है। **मेथेनोजेन के बारे में:** • ज्ञात हो कि पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश मीथेन मूलतः जैविक रूप से उत्पन्न हुई है। मेथेनोजेन नामक सूक्ष्मजीव एक चयापचय उपोत्पाद के रूप में मीथेन उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। • इन्हें जीवित रहने के लिये ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और ये प्रकृति में व्यापक रूप से वितरित होते हैं। • ये दलदल, मृत कार्बनिक पदार्थों और यहाँ तक कि मानव आँत में भी पाए जाते हैं। • ये उच्च तापमान में जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं और सिमुलेशन अध्ययनों से पता चला है कि वे मंगल ग्रह की स्थितियों में रह सकते हैं। • ग्लोबल वार्मिंग में मेथेनोजेन के योगदान को समझने के लिये भी इनका व्यापक अध्ययन किया गया है। **एन्सेलेडस पर मेथनोगेंस की संभावना:** • एन्सेलेडस के क्रोड में मौजूद कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक विघटन से मीथेन का निर्माण हो सकता है। • हाइड्रोथर्मल प्रक्रियाएं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के निर्माण में मदद कर सकती हैं। • एन्सेलेडस के हाइड्रोथर्मल वेंट पृथ्वी जैसे सूक्ष्मजीवों (मेथनोगेंस) के रहने योग्य हो सकते हैं।
गुरुत्त्वाकर्षण तरंगों के नए स्रोत	• वैज्ञानिकों ने पहली बार न्यूट्रॉन तारे (neutron star) और ब्लैक होल की टक्कर से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों (gravitational waves) का पता लगाया है।

	• इस खोज से पता चलता है कि न्यूट्रॉन स्टार-ब्लैक होल सिस्टम हैं। यह प्रणाली ब्रह्मांड से संबंधित कई सवालों के जवाब देने में मदद करेगी, जिसमें तारा बनने से लेकर ब्रह्मांड की विस्तार दर तक शामिल है। • जब आकाशीय पिंड टकराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न होती हैं और आने वाली ऊर्जा अंतरिक्ष-समय के ताने-बाने में तरंगें पैदा करती हैं जो पृथ्वी पर डिटेक्टरों तक ले जाती हैं। • 2015 में पहली बार प्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चला था। तब से, खगोलविदों ने भविष्यवाणी की है कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार विलय की प्रणाली मौजूद हो सकती है। हालांकि, 2021 में अवलोकन संबंधी साक्ष्यों (observational evidences) का पता चला था।
मिट्टी रहित कृषि	• **खबरों में:** एक पूर्व नौसेना अधिकारी जो मिट्टी रहित कृषि में विशेषज्ञ हैं, यह 'मिशन हल्दी 2021' अभियान चला रहे हैं। ○ इसका उद्देश्य लोगों को मिट्टी के बजाय कोको-पीट (नारियल की भूसी के गूदे से बने) से भरे ग्रो बैग (उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन से बने बड़े झरझरा कंटेनर) में छाया घरों में हल्दी की खेती करना सिखाकर "नारंगी क्रांति" शुरू करना है। . ○ इस विधि के परिणामस्वरूप उच्च करक्यूमिन सामग्री के साथ बेहतर उपज प्राप्त हुई। ○ हल्दी में करक्यूमिन एक चमकीले पीले रंग का फेनोलिक यौगिक है जो कैंसर से लड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। • मिट्टी के बिना जड़ वाले माध्यम के रूप में मिट्टी के उपयोग के बिना पौधों को उगाने की किसी भी विधि के रूप में मिट्टी रहित संस्कृति को परिभाषित किया गया है। • मिट्टी रहित कृषि में जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, सूक्ष्म और स्थूल पोषक तत्व जो पहले से एक जल भंडार में मिश्रित किए गए हैं इन्हें उच्च स्तर के ऑक्सीजन के साथ पौधों की जड़ों को कुशलतापूर्वक वितरित किए जाते हैं। **मिट्टी रहित कृषि के लाभ** • तेज विकास • पानी और पोषक तत्वों के उपयोग में अत्यधिक कमी • **नियंत्रित पर्यावरण कृषि (CEA) :** CEA कृषि की एक विधि है जो एक खेत के बढ़ते वातावरण के भीतर तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह और प्रकाश का अनुकूलन करती है। • **स्थान:** खेत उपभोक्ता के नजदीक होता है यह डिलीवरी के कार्बन फुटप्रिंट को कम करके उत्पाद की ताजगी बढ़ाता है। • बढ़ने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। **मिट्टी रहित कृषि की चुनौतियाँ** • मिट्टी रहित कृषि को जादुई समाधान नहीं माना जा सकता। • उच्च प्रारंभिक निवेश के अलावा, विधि को सफल होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। • मिट्टी आधारित खेती की तुलना में उत्पादकों को विभिन्न मापदंडों का अधिक सावधानीपूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। • और अच्छे परिणामों के बावजूद, हाइड्रोपोनिक्स से उपज के लिए कोई प्रीमियम मूल्य निर्धारण नहीं है। • पारिस्थितिकी तंत्र में मिट्टी द्वारा निभाई गई जटिल भूमिका को छूट नहीं दी जा सकती है इसलिए मिट्टी रहित कृषि को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।
नासा वाइपर मिशन (NASA's VIPER Mission)	**सुर्ख़ियों में :** अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने घोषणा की है कि वह 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट 'वाइपर' (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover- VIPER) भेजने की घोषणा की है। **उद्देश्य:** • चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए। • 'वाइपर' डेटा एकत्र करेगा और वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का मानचित्रण करने में मदद करेगा।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

- इसकी सतह पर पानी की सांद्रता के साथ-साथ अन्य संभावित संसाधनों का मूल्यांकन करना।
- यह समझने के लिए कि क्या स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके मानव जीवन का वहाँ टिकना संभव है।
- VIPER के निष्कर्ष "आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत भविष्य के लैंडिंग साइटों को उन स्थानों को निर्धारित करने में मदद करके सूचित करना जहां पानी और अन्य संसाधनों का संचयन किया जाता " ताकि मनुष्यों को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके।

आर्टेमिस कार्यक्रम के बारे में

- आर्टेमिस कार्यक्रम के दौरान, नासा पहले से कहीं अधिक चंद्र सतह का पता लगाने के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करते हुए चंद्रमा पर पहली महिला और पहले व्यक्ति को उतारेगा।
- नासा अन्य वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करेगा और पहली बार स्थायी अन्वेषण स्थापित करेगा।
- फिर चंद्रमा की खोज से सीखने से नासा अगली लम्बी छलांग लगाने में सक्षम होगा- अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजना।

</td>
</tr>
<tr>
<td>

फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट

</td>
<td>

- **समाचार में:** NTPC ने आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट (ac) का फ्लोटिंग सोलर चालू किया है।
- फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स का तात्पर्य जल निकायों की सतह पर फोटोवोल्टिक पैनलों की उपस्थिति से है।

फ़्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्रों के लाभ

- **भूमि अधिग्रहण का मुद्दा:** अक्षय ऊर्जा संयंत्र मालिकों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां- भूमि अधिग्रहण, ग्रिड कनेक्टिविटी, संयंत्रों का रखरखाव और ऑफ-टेक (Off-Take) हैं।
- **कूलिंग इफेक्ट:** जल स्रोत एक कूलिंग इफेक्ट (Cooling Effect) उत्पन्न करते हैं, जिससे सौर फोटोवोल्टिक पैनलों की कार्य क्षमता में 5-10% की वृद्धि होती है।
- ग्रिड इंटरकनेक्शन की लागत में कमी, जल के वाष्पीकरण में कमी, जल की गुणवत्ता में सुधार तथा एल्गी प्रस्फुटन (Algal Blooming) में कमी।

चुनौतियां:

- महंगा
- **क्षरण और जंग:** नमी के कारण स्थापना में गिरावट और क्षरण का खतरा है।
- चूंकि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में पानी और बिजली दोनों शामिल होते हैं, इसलिये केबल प्रबंधन और इन्सुलेशन परीक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, खासकर जब केबल पानी के संपर्क में हों।

</td>
</tr>
<tr>
<td>

उपकक्षीय उड़ान

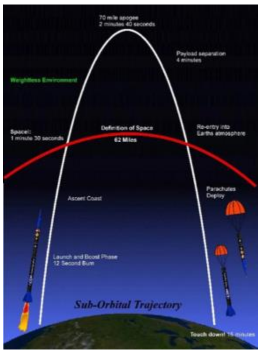

</td>
<td>

- **खबरों में :** हाल ही में ‘वर्जिन गेलेक्टिक’ (Virgin Galactic) के ‘वीएसएस यूनिटी स्पेसशिप’ पर छह व्यक्तियों के एक चालक दल ने ‘एज ऑफ स्पेस’ की संक्षिप्त यात्रा की, जिसे उपकक्षीय उड़ान (Suborbital Flight) के रूप में जाना जाता है।
    - भारत में पैदा हुई अंतरिक्ष यात्री ‘सिरीशा बंदला’ (Sirisha Bandla) चालक दल का हिस्सा थीं। वह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला हैं।
    - ‘वर्जिन गेलेक्टिक’ एक ब्रिटिश-अमेरिकी स्पेसफ्लाइट कंपनी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत है।
- जब कोई वस्तु लगभग 28,000 किमी./घंटा या अधिक की क्षैतिज गति से यात्रा करती है, तो वह वायुमंडल से ऊपर होते हुए कक्षा में चली जाती है।
    - ऐसा उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गति कर रहा होगा। लेकिन इसकी क्षैतिज गति इतनी तेज़ होती है कि नीचे की गति को लंबवत कर सके ताकि यह एक वृत्ताकार पथ पर ही आगे बढ़े।
- सबऑर्बिटल उड़ानें वह हैं जहां रॉकेट सिस्टम का वेग कक्षा में डालने के लिए पलायन वेग तक नहीं पहुंचता है। नतीजतन, यह इसके बजाय एक परवलयिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करेगा, लूपिंग करेगा और फिर वापस नीचे जाएगा।

</td>
</tr>
<tr>
<td>

न्यू शेफर्ड रॉकेट प्रणाली

</td>
<td>

- **खबरों में:** अमेज़ॅन के सीईओ जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में 10 मिनट

</td>
</tr>
</table>

(NEW SHEPHARD ROCKET SYSTEM)	की उड़ान के बाद वापस पृथ्वी पर आए। ● अंतरिक्ष यात्रियों ने शून्य-गुरुत्वाकर्षण के तीन से चार मिनट का अनुभव किया और अंतरिक्ष की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा, कार्मन रेखा से ऊपर यात्रा की। **न्यू शेपर्ड रॉकेट प्रणाली के बारे में** ● यह एक रॉकेट प्रणाली है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों और अनुसंधान पेलोड को कार्मण रेखा से आगे ले जाने के लिये डिज़ाइन किया गया है। ● यह विचार अकादमिक अनुसंधान, कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमशीलता के उपक्रमों जैसे उद्देश्यों के लिये अंतरिक्ष में आसान और अधिक लागत प्रभावी पहुँच प्रदान करेगा। ● यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा बनाई गई है। ● न्यू शेफर्ड का नाम अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी थे। ● न्यू शेफर्ड पृथ्वी से 100 किमी. से अधिक की दूरी पर अंतरिक्ष के लिये उड़ानों और पेलोड हेतु आवास प्रदान करता है। ● यह प्रणाली पूरी तरह से पुन: प्रयोज्य, लंबवत टेकऑफ़ और लंबवत लैंडिंग अंतरिक्ष वाहन है।
आकाशीय बिजली (तड़ित) संबंधी घटनाएँ **संदर्भ:** हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में तीस लोगों की मौत हो गई। प्राकृतिक कारणों से होने वाली आकस्मिक मौतों में आकाशीय बिजली का सबसे बड़ा योगदान है।	● आकाशीय बिजली/तड़ित और कभी-कभी गरज के साथ 'बादल और जमीन के बीच बहुत कम अवधि और उच्च वोल्टेज के प्राकृतिक निर्वहन' की घटना की प्रक्रिया है। **बिजली कैसे होती है?** ● यह बादल के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के बीच विद्युत आवेश के अंतर का परिणाम है। ● जैसे-जैसे बादल में जलवाष्प ऊपर की ओर बढ़ता है, तापमान कम होने के कारण यह संघनित होकर पानी में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे पानी के अणु और ऊपर की ओर धकेलते हैं। ● जैसे-जैसे वे शून्य से कम तापमान की ओर बढ़ते हैं, जल की बूंँदें छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती हैं। चूँकि वे ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं, वे तब तक एक बड़े पैमाने पर इकट्ठा होती जाती हैं, जब तक कि वे इतने भारी न हो जाए कि नीचे गिरना शुरू कर दें। ● यह एक ऐसी प्रणाली की ओर गति करती है जहाँ बर्फ के छोटे क्रिस्टल ऊपर की ओर, जबकि बड़े क्रिस्टल नीचे की ओर गति करते हैं। इसके चलते इनके मध्य टकराव होता है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यह विद्युत स्पार्क के समान कार्य करता है। गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों में और अधिक टकराव होता जाता है एवं इलेक्ट्रॉन बनते जाते हैं; यह एक चेन रिएक्शन का निर्माण करता है। ● गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक टकराव पैदा करते हैं और अधिक इलेक्ट्रॉन एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की ओर ले जाते हैं। ● इस प्रक्रिया के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें बादल की ऊपरी परत धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है, जबकि मध्य परत नकारात्मक रूप से आवेशित होती है। ● थोड़े समय में ही दोनों परतों के बीच एक विशाल विद्युतधारा (लाखों एम्पीयर) बहने लगती है। ○ इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे बादल की दोनों परतों के बीच मौजूद वायु गर्म होने लगती है। ○ इस गर्मी के कारण बिजली के दौरान वायु स्तंभ लाल दिखाई देता है। ● पृथ्वी विद्युत की सुचालक है। वैद्युत रूप से तटस्थ होने पर यह बादल की मध्य परत की तुलना में अपेक्षाकृत धनात्मक रूप से आवेशित होती है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान प्रवाह का अनुमानित 20-25% पृथ्वी की ओर निर्देशित होता है। इस वर्तमान प्रवाह के परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति को नुकसान होता है। **क्या आप जानते हैं?** ● ‘लाइटनिंग कंडक्टर’ एक उपकरण है जिसका उपयोग इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिये किया जाता है। भवन के निर्माण के दौरान इसकी दीवारों में भवन से ऊँची धातु की छड़ लगाई जाती हैं । ○ यदि बिजली संरचना से टकराती है, तो यह अधिमानतः रॉड से टकराएगा और संरचना से गुजरने के बजाय तार के माध्यम से जमीन पर जाएगा, जहां यह आग उत्पन्न कर या इलेक्ट्रोक्यूशन का कारण बन

	सकता है। ● बिजली गिरने की घटनाएं सीधे तौर पर जलवायु संकट और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूमि पर अधिक नमी की उपलब्धता से संबंधित हैं। ○ वर्ष 2015 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में इस बात को लेकर चेतावनी दी गई कि तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से आकाशीय बिजली के गिरने की आवृत्ति में 12% की वृद्धि होगी।
क्लाउड कंप्यूटिंग **सुर्ख़ियों में :** Google क्लाउड ने देश में अपने दूसरे 'क्लाउड रीजन' के साथ भारत में अपने पदचिह्न का विस्तार करने की घोषणा की।	● सीधे शब्दों में कहें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर ("क्लाउड") सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस सहित कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी है। ● यह नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लिकेशन और सेवाओं जैसे साझा संसाधनों का पूल है जो उपभोक्ता को प्रदान किया जाता है, न कि उपभोक्ता अपने दम पर उनका प्रबंधन करता है जो महंगा और समय अधिक लेता है। ● अपने स्वयं के कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे या डेटा केंद्रों के मालिक होने के बजाय, कंपनियां या व्यक्ति क्लाउड सेवा प्रदाता से भंडारण (या एप्लिकेशन या सेवाओं) तक पहुंच किराए पर ले सकते हैं। ● लाभ ○ कम पूंजीगत व्यय ○ फ्लेक्सिबल संसाधन ○ पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं ○ बेहतर आपदा वसूली और विश्वसनीयता **एज कंप्यूटिंग** ● एज कंप्यूटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें एज (Edge) अर्थात् किनारा तथा कंप्यूटिंग (Computing) अर्थात् संगणना। क्लाउड कंप्यूटिंग के विपरीत एज कंप्यूटिंग के अंतर्गत संगणना संबंधी कार्यों के लिये डेटा का संग्रह डिवाइसेज़ के निकट ही किया जाता है। ○ इसका अर्थ है क्लाउड में कम प्रक्रियाओं को चलाना और उन प्रक्रियाओं को स्थानीय स्थानों पर ले जाना जैसे कि उपयोगकर्ता के कंप्यूटर या एज सर्वर पर। ● एज कंप्यूटिंग डेटा का स्थानीय रूप से विश्लेषण किया जाता है वास्तविक समय में बिना विलंबता के इसे संग्रहीत किया जाता है। ● एज कंप्यूटिंग डेटा सेंटर या क्लाउड पर भेजे जाने से पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस के डेटा को नेटवर्क के किनारे पर विश्लेषण करने की अनुमति देता है। ● वैश्विक बढ़त कंप्यूटिंग बाजार 2025 तक 8 बिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है, जिसका मूल्य 2019-2025 के बीच 32% से अधिक की दर से बढ़ रहा है।
यूवी-सी तकनीक (UV-C technology)	**समाचारों में :** संसद में 'SARS-COV-2 के वायु में संचरण को कम करने' के लिए शीघ्र 'पराबैंगनी-सी' (Ultraviolet-C) या यूवी-सी (UV-C) कीटाणुशोधन तकनीक लगायी जाएगी। ● UV विकिरण एक्स-रे और दृश्य प्रकाश के बीच विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। ● UV विकिरण का सबसे सामान्य रूप सूर्य का प्रकाश है, जो तीन मुख्य प्रकार की UV किरणें पैदा करता है: UVA, UVB और UVC। ● UVA किरणों में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, इसके बाद UVB और UVC किरणें सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती हैं। ● UVA और UVB किरणों का संचरण वायुमंडल के माध्यम होता है। जबकि, पृथ्वी की ओजोन परत द्वारा सभी UVC तथा कुछ UVB किरणें अवशोषित हो जाती हैं। ● इस प्रकार, हम जिन अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आते हैं, उनमे अल्प मात्रा में UVB किरणों सहित अधिकांशतः UVA किरणें होती है। **अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग:** ● पराबैगनी विकिरण (UV radiations), का प्रयोग सामान्यतः सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए किया जाता है। ● पराबैंगनी रोगाणुनाशक विकिरण (Ultraviolet germicidal irradiation-UVGI), जिसे UV-C भी कहा

	जाता है, एक कीटाणुशोधन (disinfection) विधि है। • UVGI में लघु-तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी प्रकाश का प्रयोग सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने अथवा निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है, इसके दवारा सूक्ष्मजीवों के न्यूक्लिक एसिड को नष्ट कर दिया जाता है अथवा यह उनके DNA को भंग कर देता है जिस कारण सूक्ष्मजीव आवश्यक कोशिकीय क्रियाएं करने में तथा वृद्धि करने में अक्षम हो जाते हैं। • UVGI का प्रयोग भोजन, हवा तथा जल शोधन, जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। • कीटाणुशोधन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले यूवीसी लैंप यूवीसी तरंग दैर्ध्य, खुराक और विकिरण जोखिम की अवधि के आधार पर संभावित स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं। • कुछ UVC लैंप से त्वचा और आंखों के यूवीसी विकिरण के सीधे संपर्क में आने से आंखों में दर्द हो सकता है और त्वचा में जलन जैसी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। • कुछ UVC लैंप ओजोन उत्पन्न करते हैं। ओजोन साँस लेना वायुमार्ग को परेशान कर सकता है। • शोध अध्ययनों के अनुसार, इस उपकरण को विशेष रूप से निर्जीव चीजों को कीटाणुरहित करने के लिए विकसित किया गया है। इसलिए, इस उपकरण में प्रयुक्त यूवी-सी विकिरण जीवित प्राणियों की त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। **UV-C वायु नली कीटाणुशोधन प्रणाली के बारे में** • CSIR-CSIO (केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन) द्वारा विकसित। • • यह सिस्टम, हर तरह की मौजूदा वायु-वाहिकाओं में फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें, उस स्थान पर रहने के समय और यूवी-सी तीव्रता (UV-C intensity) का उपयोग करते हुए विषाणुनाशक खुराक (virucidal dosages) को मौजूदा स्थान के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। • UV-C प्रकाश के अंशशोधित स्तरों (calibrated levels) द्वारा ऐरोसॉल कणों में मौजूद वायरस निष्क्रिय हो जाता है। • इस सिस्टम का, ऑडिटोरियम, मॉल, शैक्षणिक संस्थानों, एसी बसों और रेलवे आदि जगहों में उपयोग किया जा सकता है।
बुध का ठोस हृदय **सुर्ख़ियों में:** मैरीलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में प्रचलित परिकल्पना पर विवाद है कि बुध के अपने मंडल (इसके मूल और परत के बीच की परत) के सापेक्ष एक बड़े आकार का कोर क्यों है।	• वैज्ञानिकों ने तर्क दिया था कि हमारे सौर मंडल के निर्माण के दौरान अन्य पिंडों के साथ टकराने और हटने के परिणामस्वरूप बुध के चट्टानी मेंटल को हटा दिया गया, जिससे बड़े, घने, धातु के कोर को पीछे छोड़ दिया गया। • लेकिन नए शोध से पता चलता है कि इसका कारण सूर्य का चुंबकत्व है न कि टकराव। • शोधकर्ताओं ने एक मॉडल विकसित किया जो दर्शाता है कि एक चट्टानी ग्रह के कोर का घनत्व, द्रव्यमान और लोहे की मात्रा सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से इसकी दूरी से प्रभावित होती है। • एक ढाल होती है जिसमें हमारे सौर मंडल के चार आंतरिक ग्रहों के सूर्य से आगे बढ़ने पर कोर में धातु की मात्रा कम हो जाती है। • वर्तमान कार्य यह दर्शाते हैं कि प्रारंभिक सौर मंडल में कच्चे माल का वितरण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया गया था। • जब उस धूल और गैस के गुच्छों से ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ, तो सूर्य के करीब के ग्रहों ने अपने कोर में दूर की तुलना में अधिक लोहे को शामिल किया।
AI द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन	**खबरों में :** हाल ही में रक्षा मंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया। जिसको रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी-कानपुर की मदद से विकसित किया है। • यह परियोजना शिकायत निवारण में AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करने के लिये सरकार द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। यह एक नागरिक केंद्रित सुधार है। • **द्वारा विकसित:** IIT-कानपुर की मदद से रक्षा मंत्रालय (MoD)। • यह लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से देखकर उनका विश्लेषण करेगा और मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा, समय की बचत करेगा तथा शिकायतों के निपटान में अधिक पारदर्शिता लाएगा।

	● **महत्व:** ○ इस एप्लीकेशन का अधिकाधिक उपयोग शिकायतों की प्रकृति को समझने तथा जहाँ से शिकायतें आ रही उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में होगा जिससे ऐसे नीतिगत बदलाव लाने में मदद मिलेगी जिनकी सहायता से शिकायतों को दूर करने हेतु प्रणालीगत सुधार किये जा सकते हैं। ○ इस एप्लीकेशन की शुरुआत शासन और प्रशासन में AI-आधारित नवाचारों की शुरूआत का प्रतीक है। इस परियोजना की सफलता अन्य मंत्रालयों में इसके विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी।
चंद्रमा के डगमगाने का प्रभाव **सुर्ख़ियों में:** नासा के शोधकर्ताओं द्वारा एक नये अध्ययन के अनुसार 2030 के दशक के मध्य में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई तटीय शहरों में चंद्रमा के डगमगाने (Moon's wobble) के कारण उच्च ज्वार की वृद्धि से बाढ़ का अनुभव होगा, जिससे मौजूदा जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्र के स्तर में और वृद्धि होगी।	● यह चंद्रमा की कक्षा में एक चक्रीय परिवर्तन है और चंद्रमा की कक्षा में नियमित रूप से चलायमान (दोलन) है। ● इसे पहली बार 1728 में प्रलेखित किया गया था। इस डगमगाने की प्रक्रिया को पूरा होने में 18.6 वर्षों का समय लगता है। इसे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के परिणाम के रूप में देखा जाता है। ● चंद्रमा का डगमगाना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को प्रभावित करता है जो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर ज्वार-भाटा के उतार-चढ़ाव को प्रभावित करता है। ● डगमगाने के प्रत्येक चक्रीय प्रक्रिया में पृथ्वी पर ज्वार को बढ़ाने और दबाने की शक्ति होती है। ○ वर्तमान में इन 18.6 वर्षों के आधे समय में पृथ्वी के नियमित ज्वार दब जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उच्च ज्वार सामान्य से कम और निम्न ज्वार सामान्य से अधिक देखे जाते हैं। ○ दूसरे भाग में प्रभाव उल्टा होता है, जिसे चंद्रमा का ज्वार-प्रवर्धक चरण कहा जाता है। **संबंधित चिंताएँ:** ● इस चक्र के 2030 के मध्य में फिर से होने की उम्मीद है तथा आने वाले चरण में एक बार फिर से ज्वार में वृद्धि होगी। ● इस चक्र में आने वाले परिवर्तन गंभीर खतरा पैदा करेंगे, क्योंकि उच्च ज्वार में वृद्धि तथा बढ़ते समुद्री जल स्तर से दुनिया के सभी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। ● यह आधार रेखा को ऊपर उठाता है और जितना अधिक आधार रेखा को ऊपर उठाया जाता है, उतनी ही न्यून मौसमीय घटनाएँ बाढ़ का कारण बनती हैं। ● उच्च ज्वार से आने वाली बाढ़–इसे उपद्रव बाढ़ या धूप बाढ़ के रूप में भी जाना जाता है जो क्लस्टर में हो सकती है और महीनों या लंबी अवधि तक भी रह सकती है। ● चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, समुद्र के बढ़ते स्तर, और जलवायु परिवर्तन का संयोजन दुनिया भर में तटीय बाढ़ को और बढ़ा देगा।
सीरो सर्वे (Sero Survey)	**चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष** ● भारत की दो-तिहाई आबादी में कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडी हैं। ● 67.6% वयस्क सेरोपोसिटिव थे, जबकि 62% से अधिक वयस्कों का टीकाकरण नहीं हुआ था। ● भारत के 1.4 अरब लोगों में से लगभग 400 मिलियन लोगों के पास एंटीबॉडी नहीं थी। ● सीरो अध्ययन लोकप्रिय रूप से सेरो सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है, यह पता लगाता है कि आबादी में कितने लोग COVID-19 से संक्रमित हुए हैं। ● सीरो सर्वेक्षण मोटे तौर पर निम्नलिखित बातों का संकेत देता है; ○ जनसंख्या का प्रतिशत वायरस के संपर्क में है। ○ कौन से समूह अधिक उजागर हुए हैं या उनमें संक्रमण की दर अधिक है। ○ किसी क्षेत्र विशेष में संक्रमण की दर कैसे बढ़ रही है। **सेरो सर्वे कैसे किया जाता है?** ● व्यक्तियों के समूह के रक्त सीरम (प्लाज्मा का द्रव भाग) की जांच एंटीबॉडी (स्वयं वायरस नहीं) के लिए की जाती है जो वायरस के संपर्क में आने की प्रतिक्रिया में विकसित होते हैं। ● सेरोपोसिटिव => एंटीबॉडी की उपस्थिति => कोरोनावायरस के संपर्क में आने से। ● प्रत्येक किसी का परीक्षण नहीं किया जा सकता है, केवल यादृच्छिक रूप से चुने गए कुछ लोगों का परीक्षण

	किया जाता है। परिणाम उन लोगों के अनुपात का अनुमान है जो अतीत में संक्रमित हुए थे।
नासा का नया अंतरिक्षयान: NEA स्काउट	• **सुर्ख़ियों में:** हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) ने घोषणा की है कि उसके नए अंतरिक्षयान (नियर-अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट या NEA स्काउट) ने सभी आवश्यक परीक्षण पूरे कर लिये हैं तथा इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट के अंदर सुरक्षित रूप से स्थापित कर दिया गया है। **NEA स्काउट के बारे में** • यह एक छोटा अंतरिक्ष यान है, जिसे क्यूबसैट के नाम से जाना जाता है। • इसका मुख्य मिशन एक निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह से उड़ान भरना और डेटा एकत्र करना है। ○ इसे क्षुद्रग्रह तक पहुँचने में लगभग दो वर्ष लगेंगे और क्षुद्रग्रह से संपर्क के दौरान यह पृथ्वी से लगभग 93 मिलियन मील दूर होगा। • यह कई नीतभारों में से एक है जो आर्टेमिस-I पर सवारी करेगा, जिसके नवंबर, 2021 में लॉन्च होने की उम्मीद है। ○ आर्टेमिस-I तेजी से जटिल मिशनों की श्रृंखला में पहला है जो चंद्रमा और मंगल पर मानव अन्वेषण को सक्षम करेगा। • NEA स्काउट (NEA Scout) को वर्ष 2021 में आर्टेमिस 1 पर सवार अन्य छोटे उपग्रहों के बेड़े के साथ चंद्रमा के लिये लॉन्च किया गया। • NEA स्काउट चंद्रमा पर अपने 86-वर्ग-मीटर सौर सेल को तैनात कर धीरे-धीरे सर्पिलाकार गति करते हुए चंद्रमा की कक्षा से बाहर हो जाएगा। • यह एक नियर-अर्थ क्षुद्रग्रह की यात्रा करेगा और सतह की नज़दीकी छवियों को कैप्चर करते हुए धीमी गति से उड़ान भरेगा। • NEA स्काउट द्वारा एकत्र की गई छवियाँ क्षुद्रग्रह के भौतिक गुणों जैसे-कक्षा, आकार, मात्रा, रोटेशन, इसके आसपास की धूल और मलबे के क्षेत्र, साथ ही इसकी सतह के गुणों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगी। **NEA स्काउट के बारे में अद्वितीय** • यह विशेष सौर सेल प्रणोदन का उपयोग करते हुए अमेरिका का पहला अंतरग्रहीय मिशन भी होगा। • अब तक, अंतरिक्ष यान सौर ऊर्जा का उपयोग उन्हें शक्ति प्रदान करने और महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करने के लिए करता रहा है। यह पहली बार होगा जब कोई अंतरिक्ष यान जोर उत्पन्न करने और आगे बढ़ने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग हवा के रूप में करेगा। • अंतरिक्षयान सौर क्रूज़र के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा, जो वर्ष 2025 में उड़ान भरते समय 16 गुना बड़े पाल (Sail) का उपयोग करेगा।
गामा-किरण विस्फोट	**सुर्ख़ियों में :** हाल ही में खगोलविदों के एक समूह ने उच्च-ऊर्जा विकिरण के एक बहुत ही कम अवधि के ऐसे शक्तिशाली विस्फोट का पता लगाया है जिसे गामा-किरण विस्फोट (Gamma-Ray Bursts- GRB) के रूप में भी जाना जाता है जो लगभग एक सेकंड तक हुआ था। • इसके घटित होने की तारीख के बाद इसका नाम GRB 200826A रखा गया, जो कि 26 अगस्त, 2020 है। इसे राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) के फर्मी गामा-किरण स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखा गया थाI • भारत की ओर से, इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे (IUCAA), नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स - टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, पुणे (NCRA) और IIT मुंबई ने भी इस काम में भाग लिया। • विस्फोट से पूरे मिल्की वे आकाशगंगा द्वारा एक ही समय में 14 मिलियन गुना ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, जिससे यह अब तक देखी गई सबसे ऊर्जावान छोटी अवधि के GRB में से एक बन गया। **गामा रे विस्फोट (GRB) के बारे में** • GRB ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली घटनाएं हैं, जिनका पता अरबों प्रकाश-वर्षों में लगाया जा सकता है। • खगोलविद उन्हें इस आधार पर लंबे या छोटे के रूप में वर्गीकृत करते हैं कि घटना दो सेकंड से अधिक या

	कम समय तक चलती है या नहीं। ● वे बड़े सितारों की मृत्यु के समय लंबे समय तक हुए विस्फोट का निरीक्षण करते हैं। ● GRB की इस हाल की पहचान ने पहली बार दिखाया कि एक मरता हुआ तारा छोटा विस्फोट भी पैदा कर सकता है। ● जब सूर्य से बहुत अधिक विशाल तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है, तो उसका केंद्रीय भाग (कोर) अचानक ढह जाता है और एक कृष्ण विवर (ब्लैक होल) बन जाता है। ● जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल की ओर घूमता है, उसमें से कुछ अंश दो शक्तिशाली धाराओं (जेट) के रूप में बाहर की ओर निकल जाते हैं और जो फिर विपरीत दिशाओं में लगभग प्रकाश की गति से बाहर की ओर भागते हैं। ● खगोलविद् GRB का ही पता केवल तब लगा पाते हैं जब इनमें से एक प्रवाह लगभग सीधे पृथ्वी की ओर जाने का संकेत दे देता है।
रूस का नउका साइंस मॉड्यूल **सुर्ख़ियों में:** हाल ही में नौका को 21 जुलाई को कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से प्रोटॉन रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। यह 29 जुलाई को इसके अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने का अनुमान है।	● नउका, जिसका अर्थ रूसी में "विज्ञान" है, रूस द्वारा अब तक लॉन्च की गई सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। ● यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर एक रूसी मॉड्यूल पीर की जगह लेगा, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान के लिए डॉकिंग पोर्ट के रूप में यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में जाने के लिए एक दरवाजे के रूप में किया जाता है। ● अब, नउका अंतरिक्ष स्टेशन पर रूस की मुख्य अनुसंधान सुविधा के रूप में काम करेगी। ● यह नउका 42 फीट लंबी और वजन 20 टन है। ● यह ISS में एक अन्य ऑक्सीजन जनरेटर, एक अतिरिक्त बिस्तर, एक अन्य शौचालय और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा निर्मित एक रोबोट कार्गो क्रेन भी ला रहा है। ● ISS, 1998 से अंतरिक्ष में है। ● यह पांच भाग लेने वाली अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग का परिणाम है जो इसे चलाते हैं: नासा (संयुक्त राज्य अमेरिका), रोस्कोस्मोस (रूस), जेएक्सए (जापान), ईएसए (यूरोप), और सीएसए (कनाडा)। ● ISS पृथ्वी का लगभग 93 मिनट में चक्कर लगाता है, प्रति दिन 15.5 परिक्रमा पूरी करता है। ● ISS एक माइक्रोग्रैविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है जिसमें खगोलीय जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिकी और अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं।
इंट्रानैसल वैक्सीन (Intranasal Vaccine)	● **खबरों में:** अगले दो से ढाई महीनों में, भारत बायोटेक के पास अपने इंट्रानैसल COVID-19 वैक्सीन पर महत्वपूर्ण डेटा होने जा रहा है, जिसका क्लीनिकल परीक्षण चल रहा है। ○ नया टीका BBV154 है - COVID-19 के लिए एक उपन्यास एडेनोवायरस वेक्टरेड, इंट्रानैसल वैक्सीन हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया जा रहा । ● इंट्रानैसल वैक्सीन एक व्यक्ति को नाक के माध्यम से दिया जाने वाला टीका है और इसके लिए सुई की आवश्यकता नहीं होती है। **इंट्रानैसल वैक्सीन के लाभ** ● यह अधिक प्रभावी होने का वादा करता है, क्योंकि इससे संक्रमण के स्थान पर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होने की उम्मीद है (श्वसन श्लेष्मा) ● गैर-आक्रामक, सुई मुक्त। ● प्रशासन में आसानी - प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की आवश्यकता नहीं है। ● सुई से जुड़े जोखिमों (चोटों और संक्रमणों) का उन्मूलन। ● उच्च अनुपालन (बच्चों और वयस्कों के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त)। ● स्केलेबल विनिर्माण - वैश्विक मांग को पूरा करने में सक्षम। यह एक महीने में 100 मिलियन खुराक का उत्पादन कर सकता है।

भू-इमेजिंग उपग्रह "EOS-03" **खबरों में:** इसरो द्वारा 2021 की तीसरी तिमाही में जियो-इमेजिंग उपग्रह "ईओएस-03" का प्रक्षेपण निर्धारित है।	• EOS-03 पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह है जो बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम होगा। • पृथ्वी अवलोकन पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी का संग्रह है। • इसरो द्वारा लॉन्च किए गए अन्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में रिसोर्ससैट-2, 2ए, कार्टोसैट-1, 2, 2ए, 2बी, रिसैट-1 और 2, ओशनसैट-2, मेघा-ट्रॉपिक्स, सरल और स्कैटसैट-1, इन्सैट-3डीआर, 3डी आदि शामिल हैं। • EOS-03 पूरे देश की प्रतिदिन 4-5 बार इमेजिंग करने में सक्षम है। • प्राकृतिक आपदाओं के अलावा, EOS-03 जल निकायों, फसलों, वनस्पति की स्थिति, वन आवरण परिवर्तन आदि की निगरानी भी सक्षम करेगा।
डेल्टा संस्करण चिकन पॉक्स के रूप में संक्रामक है **ख़बरों में:** यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) दस्तावेज़ के अनुसार, कोरोनावायरस का डेल्टा संस्करण चिकनपॉक्स जितना ही संक्रामक है।	**डेल्टा वेरिएंट के बारे में** • SARS-CoV-2 डेल्टा संस्करण, जिसे वंश B.1.617.2 के रूप में भी जाना जाता है, SARS-CoV-2 के वंश B.1.617 का एक प्रकार है, जो वायरस COVID-19 का कारण बनता है। • भारत में पहली बार 2020 के अंत में इसका पता चला था। • WHO ने 31 मई 2021 को इसे डेल्टा संस्करण का नाम दिया। **मुख्य निष्कर्ष** • डेल्टा वैरिएंट संभवत: पिछले उपभेदों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है। • अन्य देशों के निष्कर्षों की समीक्षा से पता चलता है कि डेल्टा से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति औसतन आठ अन्य लोगों को संक्रमित करता है, जिससे यह चेचक के रूप में संक्रामक हो जाता है लेकिन फिर भी खसरे से कम होता है। • टीके लगे व्यक्तियों में सफलता के मामले उतने ही संक्रमणीय हो सकते हैं जितने कि टीकाकरण न किए गए मामले। इसके अलावा, टीका लगाए गए लोगों में सफलता के संक्रमण अत्यधिक संक्रामक होते हैं। ○ एक सफल संक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति जिसे पूरी तरह से टीका लगाया जाता है, वह वायरस को अनुबंधित करता है। किसी भी टीके से इस तरह के संक्रमण की उम्मीद की जानी चाहिए क्योंकि वे संक्रमण को रोकने में कभी भी 100 प्रतिशत प्रभावी नहीं होते हैं। • वैक्सीन प्रभावोत्पादकता अनुमान अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं, लेकिन CDC का अनुमान है कि गंभीर बीमारी या मृत्यु का जोखिम टीके लगाने वाले व्यक्ति में 10 गुना या उससे अधिक कम हो जाता है, जबकि संक्रमण का जोखिम तीन गुना या अधिक कम हो जाता है।
हार्डवेयर वॉलेट (Hardware Wallet)	• प्रत्येक डिजिटल संपत्ति एक क्रिप्टोग्राफिक पासवर्ड से जुड़ी होती है जिसे 'निजी कुंजी' कहा जाता है ताकि उपयोगकर्ता इसे एक्सेस कर सकें। यह कुंजी क्रिप्टोकरेंसी को चोरी और अनधिकृत पहुंच से बचाती है। • हार्डवेयर वॉलेट एक क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट है जो एक सुरक्षित हार्डवेयर डिवाइस में उपयोगकर्ता की निजी कुंजी (ब्लॉकचेन नेटवर्क पर आउटगोइंग लेनदेन को अधिकृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी) को संग्रहीत करता है। ○ हार्डवेयर वॉलेट के पीछे मुख्य सिद्धांत निजी कुंजी और आपके आसानी से हैक होने वाले कंप्यूटर या स्मार्टफोन के बीच पूर्ण अलगाव प्रदान करना है। • संपत्ति के मालिक, एक सुरक्षित हार्डवेयर वॉलेट की मदद से कहीं से भी क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए निजी कुंजी का उपयोग कर सकता है। अधिकांश हार्डवेयर वॉलेट उपयोगकर्ताओं को कई खातों का प्रबंधन करने की अनुमति देते हैं; कुछ उपयोगकर्ताओं को अपने Google या Facebook खातों से कनेक्ट करने की अनुमति भी देते हैं। • हार्डवेयर वॉलेट और भौतिक उपकरण गोपनीय चाबियों के लिए कोल्ड स्टोरेज की तरह काम करते हैं। पासवर्ड एक पिन द्वारा सुरक्षित होते हैं, जिससे हैकर्स के लिए निजी कुंजी निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह जानकारी इंटरनेट के संपर्क में नहीं आती है। • हार्डवेयर वॉलेट को अक्सर एक संरक्षित माइक्रोकंट्रोलर में संग्रहित किया जाता है और इसे डिवाइस से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, जिससे वे सुरक्षित हो जाते हैं। • इंटरनेट से उनका अलगाव भी संपत्ति से छेड़छाड़ के जोखिम को कम करता है। इसके अलावा यह किसी

	तीसरे पक्ष के ऐप पर निर्भर नहीं करता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

वन वित्त गठबंधन को तीव्र करके उत्सर्जन कम करना	• 2021 में जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन, LEAF (वन वित्त को तेज करके उत्सर्जन कम करना) में गठबंधन की घोषणा की गई थी। • LEAF गठबंधन उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा के लिए अब तक के सबसे बड़े सार्वजनिक-निजी प्रयासों में से एक होगा और अपने उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध देशों को वित्त पोषण में कम से कम 1 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने का इरादा रखता है। • LEAF संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे की सरकारों का एक समूह है। • चूंकि यह एक सार्वजनिक-निजी प्रयास है, इस प्रकार यूनिलीवर plc, Amazon.com, नेस्ले, Airbnb आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय निगमों (TNCs) द्वारा भी समर्थित है। • इसमें भाग लेने के इच्छुक देश को गठबंधन द्वारा निर्धारित कुछ पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। • LEAF वनों की कटाई और वन क्षरण (REDD+) तंत्र से उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्यों को मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है। • REDD+ का लक्ष्य वन संरक्षण को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन को कम करना है। • यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) द्वारा बनाया गया था। • वे बहुत गीले स्थान हैं, प्रति वर्ष 200 सेमी से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, या तो मौसमी रूप से या पूरे वर्ष में। • उष्णकटिबंधीय वन, बंद-चंदवे वाले वन हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के भीतर उगते हैं।
हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS)	• यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसकी परिकल्पना भारतीय नौसेना द्वारा 2008 में की गई थी। • 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है, जो समुद्री सहयोग को बढ़ाने व क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं को एक साथ लाता है।

<table>
<tr>
<td>सुर्ख़ियों में: हाल ही में ‘हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी’ (IONS) के 7वें संस्करण की मेज़बानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा रीयूनियन द्वीप पर की गई थी।</td>
<td>

यह प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) सुनिश्चित करने का भी कार्य करता है।
‘हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी’ (IONS) की अध्यक्षता भारत (2008-10), संयुक्त अरब अमीरात (2010-12), दक्षिण अफ्रीका (2012-14), ऑस्ट्रेलिया (2014-16), बांग्लादेश (2016-18) और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान (2018-21) द्वारा की गई है।
IONS में 24 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) क्षेत्र की सीमा पर मौजूद हैं तथा 8 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं।
सदस्यों में शामिल देश हैं: बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र), ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस (रीयूनियन), केन्या, मॉरीशस, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, जानिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर-लेस्ते।

भारत के लिये महत्त्व:

हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों के साथ संबंधों को मज़बूत और गहरा करना।
शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) होने की अपनी नेतृत्व क्षमता और आकांक्षाओं को स्थापित करना।
IOR में नियम-आधारित और स्थिर समुद्री व्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण को पूरा करना।
मलक्का जलडमरूमध्य से होर्मुज तक अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करना।
इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का प्रतिसंतुलन।

</td>
</tr>
<tr>
<td>लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना (LAHEP)</td>
<td>
सुर्ख़ियों में: केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ‘सतलुज जल विद्युत निगम’ (एसजेवीएन) और नेपाल के निवेश बोर्ड (आईबीएन) के बीच को नेपाल में 679 मेगावाट की ‘लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना’ (Lower Arun Hydro Electric Project) को पूरा करने के लिये काठमांडू में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के संखुवासभा और भोजपुर जिलों में स्थित है।
इस परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा और यह 900 मेगावाट की अरुण-3 जल विद्युत परियोजना’ की पनचक्की की जल धारा (tail race) पर विकसित होगी।
इसके पूरा होने पर 2970 मिलियन यूनिट बिजली/सालाना पैदा होगा।
बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर SJVN को 25 वर्षों के लिए परियोजना आवंटित की गई है और इसे चार वर्षों में पूरा किया जाना है।
नेपाल में SJVN को प्रदान की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है, पहली परियोजना संखुवासभा जिले में 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है।

</td>
</tr>
<tr>
<td>ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध (GERD)</td>
<td>

सुर्ख़ियों में: हाल ही में इथियोपिया ने ऊपरी ब्लू नील नदी पर एक ग्रैंड इथियोपियाई रेनेसां डैम (Grand Ethiopian Renaissance Dam’s - GERD) जलाशय को भरने (Filling) का दूसरा चरण शुरू किया है, जिसके कारण इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आगामी बैठक से पूर्व सूडान और मिस्र से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील एक दशक से चल रहे जटिल विवाद के केंद्र में है, इस विवाद में कई देश शामिल हैं, जो नदी के जल पर निर्भर हैं।
इथियोपिया द्वारा वर्ष 2011 में ब्लू नील नदी पर GERD के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था।

यह 145 मीटर लंबी पनबिजली प्रोजेक्ट है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है जिसका नील नदी पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।
ब्लू नील, नील नदी की एक सहायक नदी है और यह इसके पानी की मात्रा का दो-तिहाई भाग तथा अधिकांश गाद का वहन करती है।

मिस्र नील नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र में स्थित है इसलिये इसने बांध के निर्माण पर आपत्ति जताई है तथा इस परियोजना के लिये एक लंबी समयावधि प्रस्तावित की है।

</td>
</tr>
</table>

	• मिस्र का मानना है कि जलाशय प्रारंभिक अवस्था में जल से भरा होता है लेकिन नदी पर इथियोपिया का नियंत्रण होने से उसकी सीमाओं के भीतर जल स्तर कम हो सकता है। • सूडान भी अपनी अवस्थिति के कारण इसमें शामिल रहा है। • इस क्षेत्र में नील नदी एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है इसलिए चिंताएं हैं कि यह विवाद मिस्र और इथियोपिया के बीच एक पूर्ण संघर्ष में विकसित हो सकता है। • हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्यस्थता करने के लिए कदम बढ़ाया है।
OIC के प्रस्ताव को भारत ने खारिज किया	• **खबरों में:** हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता में सहयोग के लिये 'इस्लामिक सहयोग संगठन' (OIC) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। • OIC ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बैठक की व्यवस्था करने की पेशकश की और जम्मू और कश्मीर में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव रखा। • पाकिस्तान ने बार-बार OIC में कश्मीर मुद्दे को उठाने की मांग की है • OIC संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के बाद 57 राज्यों की सदस्यता के साथ दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। • मुख्यालय: जेद्दा, सऊदी अरब; 1969 में स्थापित। अपने चार्टर के अनुसार, OIC का लक्ष्य है: • इस्लामी सामाजिक और आर्थिक मूल्यों का संरक्षण; • सदस्य देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना; • सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना; • अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना; • उन्नत शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। • OIC फिलिस्तीन, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और बोस्निया जैसे संघर्ष प्रभावित मुस्लिम क्षेत्रों के साथ-साथ तुर्की साइप्रस राज्य, कोसोवो और जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करता है। • संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ में OIC के स्थायी प्रतिनिधिमंडल हैं। • भारत ने 1969 में OIC के गठन के दौरान सदस्य बनने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया।
महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर इस्तांबुल कन्वेंशन **सुर्ख़ियों में :** तुर्की महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर इस्तांबुल कन्वेंशन से हट गया है।	• यूरोप की परिषद ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को रोकने और उन पर मुकदमा चलाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस्तांबुल कन्वेंशन, एक मानवाधिकार संधि की स्थापना की। • यह संधि मई 2011 में अनुसमर्थन के लिए खोली गई। • सम्मेलन का उद्देश्य हिंसा की रोकथाम, पीड़ित संरक्षण और अपराधियों की दण्ड से मुक्ति को समाप्त करना है। • इस्तांबुल कन्वेंशन पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है जो "महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा और दृष्टिकोण बनाता है" और घरेलू हिंसा को रोकने, पीड़ितों की रक्षा करने और आरोपी अपराधियों पर मुकदमा चलाने पर केंद्रित है।
वैश्विक शांति सूचकांक (GPI)	• **सुर्ख़ियों में:** अर्थशास्त्र और शांति संस्थान (IEP) द्वारा घोषित ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) के 15वें संस्करण के अनुसार, भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है जबकि पाकिस्तान को 163 देशों के वैश्विक शांति सूचकांक में 150वें स्थान पर रखा गया है। . • इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा घोषित ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) के 15वें संस्करण के अनुसार, भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है, जबकि पाकिस्तान को 163 देशों के वैश्विक शांति सूचकांक में 150वें स्थान पर रखा गया है। • GPI इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा निर्मित एक रिपोर्ट है जो राष्ट्रों और क्षेत्रों की शांति की सापेक्ष स्थिति को मापती है। • GPI को शांति संस्थानों और थिंक टैंक के शांति विशेषज्ञों के एक अंतरराष्ट्रीय पैनल के परामर्श से विकसित

	किया गया है, जिसमें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एकत्रित और एकत्रित डेटा शामिल है।
भारत और नेपाल रेल व्यापार को बढ़ावा	● यह सभी अधिकृत कार्गो ट्रेन ऑपरेटरों को कंटेनर और अन्य माल को नेपाल ले जाने के लिये भारतीय रेलवे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा (भारत तथा नेपाल या तीसरे देश के बीच भारतीय बंदरगाहों से नेपाल तक)। ● भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच विनिमय पत्र (LoE) पर भी हस्ताक्षर किए गए। ● इस LoE के बाद, सभी श्रेणियों के वैगनों (wagons) में सभी प्रकार के कार्गो जो भारत के भीतर भारतीय रेलवे नेटवर्क पर माल ढुलाई कर सकते हैं, वे भी नेपाल और वहां से माल ले जा सकते हैं। **LoE के लाभ** ● यह उदारीकरण नेपाल में रेल माल ढुलाई खंड में बाजार की ताकतों को आने की अनुमति देगा। ● दक्षता और लागत-प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने की संभावना, अंततः नेपाली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। ● इस कदम से ऑटोमोबाइल और कुछ अन्य उत्पादों के लिए परिवहन लागत कम हो जाएगी, जिनकी ढुलाई विशेष वैगनों (wagons) में होती है। ● इस LoE पर हस्ताक्षर "नेबरहुड फर्स्ट" नीति के तहत क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के भारत के प्रयासों में एक और मील का पत्थर है।
ब्रिक्स (BRICS) **खबरों में:** ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक के दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित STI-led के नेतृत्व वाली ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्य योजना (2021-24) पर सभी ब्रिक्स देशों ने सहमति व्यक्त की है।	● ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे-ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ब्रिक्स संगठन के रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन यह एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। ● ब्रिक्स का आविष्कार उसके किसी सदस्य ने नहीं किया था। 2001 में, गोल्डमैन सैच (Goldman Sachs) के जिम ओ' नील ('Jim O'Neill) ने "बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स" नामक एक पेपर लिखा, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में भविष्य की GDP वृद्धि चीन, भारत, रूस और ब्राजील से आएगी। ● महत्वपूर्ण बात यह है कि अखबार ने उनके लिए अलग समूह बनाने की सिफारिश नहीं की, लेकिन यह मामला बनाया कि G-7 में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ● यह कागज आगे कि BRIC अर्थव्यवस्थाएं संयुक्त रूप से 2039 से पहले पश्चिमी प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था को पछाड़ देंगी। ● 2006 में, BRIC देशों के नेता सेंट पीटर्सबर्ग रूस में G-8 (अब रूस के निष्कासन के साथ G-7 कहलाते हैं) शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे और उस वर्ष BRIC को औपचारिक रूप दिया गया था। ● 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट ने इस विचार को पुष्ट किया क्योंकि BRIC देश बाजार के पतन में अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। ● सदस्यों के लिए साझा आधार यह सुनिश्चित करके बनाया गया कि फोरम में कोई द्विपक्षीय मुद्दा नहीं उठाया गया था।
भूटान में लॉन्च हुआ भीम-UPI **सुर्ख़ियों में:** हाल ही में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने समकक्ष भूटान के वित्त मंत्री के साथ मिलकर भीम-UPI अर्थात् भारत इंटरफेस फॉर मनी-यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Bharat Interface for Money-Unified Payments	● भूटान अपने त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response-QR) कोड हेतु UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश है। यह भीम एप के माध्यम से भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में मोबाइल आधारित भुगतान स्वीकार करने वाला प्रथम देश भी है। ● भूटान एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो रुपे कार्ड (RuPay Cards) जारी करने और स्वीकार करने के साथ-साथ भीम-यूपीआई को भी स्वीकार करेगा। ● **लाभ:** दो देशों के बीच सुगम संपर्क से भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक और व्यवसायी लाभान्वित होंगे जो प्रत्येक वर्ष भूटान की यात्रा करते हैं। **एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)** ● UPI एक भुगतान प्रणाली है। अप्रैल 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया, जो स्मार्टफोन का उपयोग करके किसी भी दो बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। ● UPI ग्राहक को क्रेडिट कार्ड विवरण, IFSC कोड, या नेट बैंकिंग/वॉलेट पासवर्ड टाइप करने की परेशानी के बिना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विभिन्न व्यापारियों को सीधे बैंक खाते से भुगतान करने की अनुमति देता है।

Interface- BHIM-UPI) को भूटान में लॉन्च किया है।	● यह "पीयर टू पीयर (Peer to Peer)" संग्रह अनुरोध को भी पूरा करके शेड्यूल किया जाता है और आवश्यकता तथा सुविधा के अनुसार भुगतान किया जाता है। **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)?** ● यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। ● यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है। ● कंपनी अधिनियम 1956 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) की धारा 25 के प्रावधानों के तहत इसे "लाभ के लिए नहीं" कंपनी के रूप में शामिल किया गया। ● 2016 में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक बैंकों को शामिल करने के लिए 56 सदस्य बैंकों के लिए शेयरधारिता व्यापक थी। ● UPI के साथ, अन्य प्रणालियों में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS), भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS), RuPay, FASTag आदि शामिल हैं।
चीन ने शुरू की कार्बन ट्रेडिंग योजना	● कार्बन ट्रेडिंग GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बाजार-उन्मुख तंत्र है। ● कार्बन क्रेडिट एक परमिट है जो कंपनी को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। ● एक क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की अनुमति देता है। ● कार्बन क्रेडिट तथाकथित "कैप-एंड-ट्रेड (cap-and-trade)" कार्यक्रम का आधा हिस्सा है, जिसे आमतौर पर कार्बन ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है। ● प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को क्रेडिट दिया जाता है जो उन्हें एक निश्चित सीमा तक प्रदूषण जारी रखने की अनुमति देता है। ● इस बीच, कंपनी किसी भी अनावश्यक क्रेडिट को किसी अन्य कंपनी को बेच सकती है, जिसे उनकी आवश्यकता है उसे कार्बन ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है। ● इस प्रकार निजी कंपनियों को ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए दोगुना प्रोत्साहन दिया जाता है। ○ सबसे पहले, सीमा से अधिक होने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ○ दूसरा, वे अपने कुछ उत्सर्जन भत्तों की बचत और पुनर्विक्रय करके पैसा कमा सकते हैं। ● अंतर्निहित सिद्धांत सरल है। यदि एक पक्ष CO_2 का उत्सर्जन बंद नहीं करता है, तो वह दूसरे को कम उत्सर्जन करने के लिए कह सकता है, जैसे कि पहला CO_2 का उत्पादन करता है और वातावरण में कार्बन की कुल मात्रा कम हो जाती है। ● कंपनियां अपने मौजूदा उत्सर्जन के लिए क्रेडिट खरीदकर अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सकती हैं। ● अगले तीन से पांच वर्षों में, बाजार सात अतिरिक्त उच्च-उत्सर्जन उद्योगों में विस्तार करने के लिए तैयार है: पेट्रोकेमिकल्स, रसायन, निर्माण सामग्री, लोहा और इस्पात, अलौह धातु, कागज और घरेलू विमानन। ● अन्य व्यापारिक कार्यक्रमों में उत्सर्जन पर पूर्ण सीमा के अधीन होने के बजाय, चीनी कंपनियां उन भत्तों के साथ शुरुआत करेंगी जो पिछले वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर बेंचमार्क का उपयोग करते हैं जिन्हें बातचीत या नीलामी द्वारा कारोबार किया जाता है।
दक्षिण अफ्रीका में हिंसा	● **खबरों में :** हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में दंगों और लूटपाट में 70 से अधिक लोग मारे गए हैं तथा हजारों व्यवसायों और प्रमुख बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ● 1994 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन के अंत के बाद से यह सबसे खराब नागरिक अशांति है। ● हाल की हिंसा का कारण ● 2009-18 तक देश की सेवा करने वाले और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की रिहाई के आह्वान पर विरोध शुरू हुआ। ● हालांकि हिंसा जैकब जुमा के कारावास से प्रेरित हो सकती है, यह एक उग्र महामारी और विफल अर्थव्यवस्था के

	बीच बेरोजगारी और गरीबी की अंतर्निहित समस्याओं से प्रेरित है।
नया क्वाड	• **सुर्ख़ियों में:** संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उजबेकिस्तान क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित एक नया चतुर्भुज राजनयिक मंच स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। • पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि शांति और क्षेत्रीय संपर्क परस्पर मजबूत हैं। • पार्टियां व्यापार का विस्तार करने, ट्रांजिट लिंक बनाने और व्यापार-से-व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करने का इरादा रखती हैं। • अफगानिस्तान की सामरिक स्थिति को लंबे समय से देश के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के रूप में देखा जाता रहा है। • ऐतिहासिक सिल्क रोड के केंद्र में स्थित, अफगानिस्तान लंबे समय से एशियाई देशों के बीच वाणिज्य का चौराहा था जो उन्हें यूरोप से जोड़ता था और धार्मिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संपर्कों को बढ़ाता था। • अफगानिस्तान में अपनी बेल्ट रोड पहल (BRI) का विस्तार करने की चीन की इच्छा के बीच नए क्वाड समूह का गठन महत्वपूर्ण है।
G7 की बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पहल	• G7 देश यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं। • इसका उद्देश्य विकासशील और कम आय वाले देशों में बुनियादी ढाँचे के निवेश घाटे को दूर करना है, जहाँ चीन ने BRI के अंतर्गत लगभग 2,600 परियोजनाओं के माध्यम से अरबों डॉलर का निवेश किया है। • B3W पहल विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक आवश्यक लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर की मांग को पूरा करने के लिये एक पारदर्शी साझेदारी प्रदान करेगी। • इस अवसंरचना योजना का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। • हालांकि, इस बारे में अभी घोषणा नहीं की गई है कि योजना वास्तव में कैसे काम करेगी या अंततः कितनी पूंजी आवंटित करेगी। • यह जलवायु मानकों और श्रम प्रथाओं का पालन करते हुए निजी क्षेत्र के सहयोग से सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च करने का आह्वान करता है।
फिट फॉर 55 पैकेज: यूरोपीय संघ	• हाल ही में यूरोपीय संघ (EU) ने 2030 तक ब्लॉक के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 55 प्रतिशत (1990 के स्तर की तुलना में) में कटौती करने के उपायों का प्रस्ताव करते हुए मसौदा कानून का एक हिम तूफान शुरू किया है। **पैकेज (Package) की मुख्य बातें** • यूरोपीय संघ का यह नया पैकेज प्रस्तावित परिवर्तनों के माध्यम से NDC और कार्बन तटस्थता लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये प्रस्तावित परिवर्तन अर्थव्यवस्था, समाज और उद्योग को प्रभावित करेंगे तथा वर्ष 2030 तक निष्पक्ष, प्रतिस्पर्द्धी एवं ग्रीन ट्रांज़ीशन सुनिश्चित करेंगे। • जलवायु तटस्थता की स्थिति तब प्राप्त होती है जब किसी देश के उत्सर्जन को वहाँ के वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और उन्मूलन से संतुलित किया जाता है। इसे शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की स्थिति के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। • यह पैकेज नुकसान से बचते हुए 'नियामक नीतियों' और बाज़ार-आधारित कार्बन मूल्य निर्धारण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। • 2035 के बाद जीवाश्म ईंधन वाली नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध; • यह यूरोपीय संघ के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय स्रोत के बाध्यकारी लक्ष्य को 40% (पहले 32%) तक बढ़ाने और वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता में 36% (पहले 32.5%) तक सुधार करने का प्रस्ताव करता है। • इसके तहत सार्वजनिक धन का उपयोग प्रमुख राजमार्गों पर प्रत्येक 60 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिये किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा। • यह हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों के नेटवर्क को वित्तपोषित करने में भी मदद करेगा। • इसने यूरोपीय संघ की कार्बन डाइआक्साइड (CO_2) की सिंक क्षमता को 310 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिससे सदस्य देशों के विशेष राष्ट्रीय लक्ष्यों द्वारा प्राप्त किया जाएगा। • जीवाश्म ईंधन की ऊंची कीमतों से असमान रूप से प्रभावित कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए एक नया

	"सामाजिक जलवायु कोष" प्रस्तावित किया गया है, जो "अस्थायी" आय समर्थन और लंबी अवधि के निवेश की पेशकश करता है। ● फिट फॉर 55 पैकेज, यूरोप को इलेक्ट्रिक कार बैटरी, अपतटीय पवन उत्पादन या हाइड्रोजन पर चलने वाले विमान इंजन जैसी नई तकनीकों में सबसे आगे रख सकता है। ● सामूहिक रूप से यूरोपीय संघ के 27 राष्ट्र वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं, जो 2019 में केवल चीन, अमेरिका और भारत के बाद लगभग 3.5 बिलियन टन CO_2 के बराबर है।
चीन के नेतृत्व वाली दक्षिण एशियाई पहल	● हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को कोविड-19 टीकों और गरीबी उन्मूलन हेतु चीन के नेतृत्व वाली दक्षिण एशियाई पहल (China-led South Asian Initiative) में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया है। ● इसमें चीन-दक्षिण एशियाई देशों के आपातकालीन आपूर्ति रिज़र्व (China-South Asian Countries Emergency Supplies Reserve) और चीन में एक गरीबी उन्मूलन एवं सहकारी विकास केंद्र (Poverty Alleviation and Cooperative Development Centre) की स्थापना शामिल है। **चीन-दक्षिण एशियाई पहल के बारे में** ● **सदस्य:** चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ● भारत, भूटान और मालदीव अन्य सार्क देश हैं जो इस पहल का हिस्सा नहीं हैं। ● **चीन का दृष्टिकोण:** चीन के विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों के साथ विभिन्न प्रकार के रणनीतिक, समुद्री, राजनीतिक और वैचारिक हित हैं, इसलिए वह भारत को संतुलित करने के लिए प्रत्येक देश के साथ अपने जुड़ाव को समान स्तर पर बढ़ा रहा है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में बंदरगाहों, सड़कों और बिजली स्टेशनों का निर्माण भी कर रहा है। ● **भारत का रुख:** लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की आक्रामकता के कारण उत्पन्न तनाव को देखते हुए भारत का मानना है कि सीमा गतिरोध के समाधान के बिना अन्य द्विपक्षीय संबंध आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन	● **प्रसंग:** हाल ही में अमेरिका ने 'जर्मनी-रूस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन' (NS2P) परियोजना को मंज़ूरी दी है, जिससे रूस पर यूरोप की ऊर्जा निर्भरता काफी बढ़ जाएगी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन ● 2015 में रूसी ऊर्जा प्रमुख गज़प्रोम और पांच अन्य यूरोपीय फर्मों ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 का निर्माण करने का निर्णय लिया, जिसकी कीमत लगभग 11 बिलियन डॉलर थी। ● यह 1,200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो रूस में उस्त-लुगा से जर्मनी में ग्रीफ्सवाल्ड तक बाल्टिक सागर के रास्ते होकर गुज़रती है। इसमें प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस ले जाने की क्षमता होगी। ● 'नॉर्ड स्ट्रीम 1 सिस्टम' को पहले ही पूरा किया जा चुका है और 'नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन' के साथ मिलकर यह जर्मनी को प्रतिवर्ष 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति करेगा। ● नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन यूरोपीय संघ के सदस्यों जर्मनी और डेनमार्क के क्षेत्र में आती है यह लगभग 98% पूर्ण है ● यह प्राकृतिक गैस के लिये रूस पर यूरोप की निर्भरता को और अधिक बढ़ाएगा, जबकि वर्तमान में यूरोपीय संघ के देश पहले से ही अपनी 40% गैस संबंधी आवश्यकताओं के लिये रूस पर निर्भर हैं। ● रूस और यूरोप के बीच एक मौजूदा पाइपलाइन है, जो कि यूक्रेन से होकर गुज़रती है, किंतु 'नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन' परियोजना पूरी हो जाने के बाद यह यूक्रेन को बायपास कर देगी और इसके कारण यूक्रेन को प्रति वर्ष लगभग 3 बिलियन डॉलर के महत्त्वपूर्ण पारगमन शुल्क का नुकसान होगा। ● दूसरी ओर, अमेरिका जैसे सहयोगियों के विरोध के बावजूद, जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 के पूरा होने के पीछे मजबूती से खड़ा रहा है, जर्मन सरकार ने जोर देकर कहा कि यह एक व्यावसायिक रूप से लाभकारी परियोजना है। ● US-जर्मनी समझौता दर्शाता है कि अगर 'रूस ऊर्जा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने का प्रयास करता है' तो जर्मनी स्वयं प्रतिबंध लगाएगा तथा रूसी निर्यात को सीमित करेगा। ● जर्मनी को मौजूदा रूस-यूक्रेन गैस पारगमन समझौते को 10 वर्ष तक बढ़ाने के लिये "सभी उपलब्ध शक्तियों या लाभों का उपयोग" करना है।

	• जर्मनी को भी यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था में सुधार हेतु नए निर्मित 1 बिलियन डॉलर के ग्रीन फंड में कम-से-कम 175 मिलियन डॉलर का योगदान करना है।
'कटलैस एक्सप्रेस' अभ्यास	• हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज़ 'तलवार' ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर आयोजित एक बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास 'कटलैस एक्सप्रेस' 2021 में भाग लिया। • यह अभ्यास पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। • भारतीय नौसेना अभ्यास में 'प्रशिक्षक की भूमिका' में भाग ले रही है। • इस अभ्यास के वर्ष 2021 के संस्करण में 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO), ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC), इंटरपोल, यूरोपीय संघ नौसेना बल (EUNAVFOR) तथा क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स इंडियन ओसियन (CRIMARIO) के भागीदार शामिल हैं। • इस अभ्यास को संयुक्त समुद्री कानून प्रवर्तन क्षमता का आकलन करने और उसमें सुधार करने, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन को बढ़ाने हेतु डिज़ाइन किया गया है। • भारत का 'सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र' (IFC-IOR) भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। • इस अभ्यास में भारत की भागीदारी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग हेतु भारत द्वारा घोषित 'सागर' (Security and Growth for All in the Region- SAGAR) पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
इराक में अपने लड़ाकू मिशन को समाप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका	• अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और इराकी प्रधान मंत्री मुस्तफा अल-कदीमी ने हाल ही में 2021 के अंत तक इराक में अमेरिकी लड़ाकू मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए एक समझौते पर मुहर लगाई। • वर्तमान में इराक में 2,500 अमेरिकी सैनिक ISIS से का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। • हालांकि, अमेरिकी सेनाएं अभी भी एक सलाहकार की भूमिका में काम करेंगी। • इराक में यू.एस. की भूमिका पूरी तरह से प्रशिक्षण और इराकी सेना को अपनी रक्षा करने की सलाह देने में बदल जाएगी।
संयुक्त राष्ट्र कर समिति	• इसमें विकसित और विकासशील देशों के 25 विशेषज्ञ शामिल हैं और अंतरराष्ट्रीय कराधान के विभिन्न पहलुओं पर मानदंड निर्धारित कर उनके निष्पादन में मदद करते हैं। • हालांकि, समिति एक राजनीतिक निकाय नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसमें ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि अपने देशों का। • यह वैश्वीकृत व्यापार और निवेश, एक तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था और बिगड़ती पर्यावरणीय गिरावट की वास्तविकताओं के अनुकूल मजबूत और अधिक दूरंदेशी कर नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए देशों के प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। • यह देशों को दोहरे या एकाधिक कराधान के साथ-साथ गैर-कराधान को रोकने, उनके कर आधार को व्यापक बनाने, प्रशासन को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी और परिहार को रोकने के उनके प्रयासों में सहायता करता है। • संयुक्त राष्ट्र कर समिति घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कर मामलों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। • यह मार्गदर्शन विकसित करने और मानदंडों, नीतियों की समावेशी सेटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार, नागरिक समाज, व्यवसाय और शिक्षाविदों के पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर काम करता है।

विविध

सर चेट्टूर शंकरन नायर

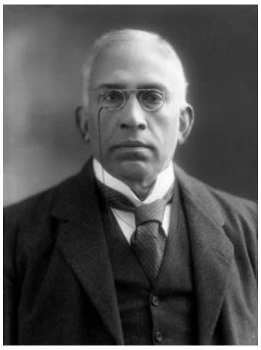

सुर्ख़ियों में : शीघ्र ही सर चेट्टूर शंकरन नायर (Sir Chettur Sankaran Nair) के जीवन पर आधारित एक बायोपिक का निर्माण किया जाएगा। यह वर्ष 2019 में रघु पलत और पुष्पा पलत द्वारा लिखित पुस्तक 'द केस दैट शुक द एम्पायर' (The case that shook the Empire) पर आधारित होगी।

- इनका जन्म वर्ष 1857 में मालाबार क्षेत्र में पालक्काड़ ज़िले के मनकारा गांँव में हुआ।
- इन्हें सामाजिक सुधारों के समर्थक और भारत के आत्मनिर्णय में दृढ़ विश्वास हेतु जाना जाता है।
- वे मद्रास उच्च न्यायालय में एक प्रशंसित वकील और न्यायाधीश थे।
- वर्ष 1885 में कॉन्ग्रेस पार्टी के इतिहास में वे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और इस पद को संभालने वाले एकमात्र मलयाली थे।
- 1902 में लॉर्ड कर्जन ने उन्हें रैले विश्वविद्यालय आयोग का सदस्य नियुक्त किया।
- 1904 में, उन्हें राजा-सम्राट द्वारा भारतीय साम्राज्य के साथी के रूप में नियुक्त किया गया था और 1912 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी।
- 1915 में, वे वायसराय की परिषद का हिस्सा बने, जिसे शिक्षा विभाग का प्रभारी बनाया गया था।
- 1919 में, वायसराय की कार्यकारी परिषद के हिस्से के रूप में, उन्होंने मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- जब जलियांवाला बाग (13 अप्रैल, 1919) का नरसंहार हुआ, तो उन्होंने विरोध में वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया।
- अपनी पुस्तक 'गांधी और अराजकता' में, उन्होंने गांधी के तरीकों, विशेष रूप से अहिंसा, सविनय अवज्ञा और असहयोग के तरीकों की अपनी आलोचना की। उनका मानना था कि इनमें से कोई भी आंदोलन दंगों और रक्तपात को जन्म देने के लिए नियत था।
- उसी पुस्तक में उन्होंने पंजाब के उपराज्यपाल माइकल ओ'डायर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में अत्याचारों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्हें माइकल ओ'डायर द्वारा इंग्लैंड में दायर मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ा। हालांकि नायर केस हार गए, लेकिन मुकदमे का भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा।
- बुडासना बनाम फातिमा (वर्ष 1914) वाद में उन्होंने महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए हैं उन्हें बहिष्कृत नहीं माना जा सकता है। कुछ अन्य मामलों में उन्होंने अंतर्जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों को भी मान्यता दी।

स्वामी विवेकानंद

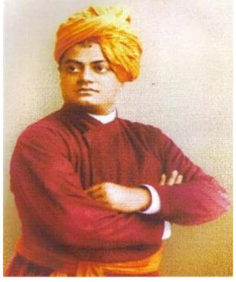

- स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था।
- स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस आयोजित किया जाता है।
- उन्होंने हमारी मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया।
- मानव निर्मित चरित्र निर्माण शिक्षा की वकालत की।
- 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं।
- सांसारिक सुख और आसक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के चार मार्गों का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है - राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग।

सुर्ख़ियों में: 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है।	• सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को "आधुनिक भारत का निर्माता" कहा था। • वे 19वीं सदी के रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे और उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो उनका स्थायी निवास बन गया।

मुख्य फोकस

वैक्सीन हिचकिचाहट और अनिवार्य टीकाकरण (accine Hesitancy & Mandatory Vaccination)

संदर्भ: वैक्सीन हिचकिचाहट के मद्देनजर, देश के तीन उच्च न्यायालयों ने टीकाकरण दर को बढ़ावा देने के लिए राज्य-अनिवार्य प्रेरक उपायों की व्यवहार्यता के बारे में एक बहुत ही आवश्यक कानूनी बहस शुरू की है।

- 2015 में, WHO ने टीके की हिचकिचाहट को "टीकाकरण सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद टीकाकरण की स्वीकृति या इनकार में देरी" के रूप में परिभाषित किया।

वैक्सीन हिचकिचाहट के मुख्य कारण

- गलत सूचना
- टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता में विश्वास की कमी
- दुष्परिणामों का डर
- सामाजिक-राजनीतिक धारणाएं
- टीका लगवाने में असुविधा
- प्रोत्साहन का अभाव

अनिवार्य टीकाकरण पर न्यायालय

मेघालय हाई कोर्ट ने जबरदस्ती खारिज किया

- मेघालय सरकार ने दुकानदारों, विक्रेताओं, स्थानीय टैक्सी ड्राइवरों और अन्य लोगों के लिए अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने से पहले खुद को टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया था। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
- मेघालय उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि अनिवार्य टीकाकरण आम जनता को प्रभावित करने की तुलना में किसी व्यक्ति के अधिकार, पसंद और स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और एक व्यक्ति के स्वायत्त निर्णय पर टीकाकरण नहीं करने का चयन करता है।
- इसने राज्य सरकार को विशेष रूप से ऐसी स्थिति में सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां लाभार्थी संदेहपूर्ण, अतिसंवेदनशील और समाज के कमजोर/हाशिए के वर्ग से संबंधित हैं।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को रेखांकित किया

- गुवाहटी उच्च न्यायालय ने माना कि मिजोरम सरकार द्वारा कोविड-19 का टीका लगवाने वाले व्यक्तियों की आवाजाही और काम पर लगाया गया प्रतिबंध असंवैधानिक और मनमाना है।
- इस तरह के प्रतिबंध आजीविका कमाने के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन हैं (पहली खुराक से टीकाकरण और टीकाकरण दोनों ही वायरस से संक्रमित हो सकते हैं)।

मद्रास उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बैट्स किया (Madras high court bats for public health)

- मद्रास उच्च न्यायालय इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या कोई व्यक्ति टीकाकरण से इनकार कर सकता है, जबकि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो सकता है।
- अदालत ने मामले को उचित स्तर पर विस्तृत जांच के लिए छोड़ दिया और राज्य सरकार से आग्रह किया कि जागरूकता अभियान चलाने वाले लोगों को मनाने की कोशिश करें।

टीकाकरण को अनिवार्य बनाने के क्या तर्क हैं?

- **जन स्वास्थ्य:** व्यापक जनहित में टीकाकरण को अनिवार्य बनाया जा सकता है क्योंकि टीकाकरण न कराने वाले दूसरों के जीवन के अधिकारों के लिए खतरा हैं।
- जीवन का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का स्थान लेता है: आत्मनिर्णय का अधिकार या शारीरिक स्वायत्तता निजता के अधिकार के ऐसे पहलू हैं जो अन्य लोगों के जीवन के अधिकार से कम हैं।

- **सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर:** टीकाकरण को अनिवार्य बनाना केंद्र और राज्यों के अधिकार में है क्योंकि संविधान उन्हें माता-पिता (राष्ट्र के माता-पिता) का दर्जा देता है।
- **प्रोत्साहन की कोई आवश्यकता नहीं:** नागरिकों को मुफ्त में टीके देने वाली सरकार से बड़ा प्रोत्साहन कोई नहीं हो सकता है जहाँ उनकी जान बचाई जा सके।

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम- निजी स्कूलों द्वारा कोटा का समाप्ति

- यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बीच के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करता है।
- इसके लिए सभी निजी स्कूलों को बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है (सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना के हिस्से के रूप में राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी है)।
- इसमें "नो डिटेंशन पॉलिसी" के लिए एक क्लॉज था जिसे बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत हटा दिया गया है।
- यह संबंधित मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है:
- छात्र शिक्षक अनुपात (PTRs)
- भवन और बुनियादी ढांचा
- स्कूल-कार्य दिव
- शिक्षक के काम के घंटे
- RTE अधिनियम सफलतापूर्वक उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) में नामांकन बढ़ाने में सफल रहा है।
- सख्त बुनियादी ढांचे के मानदंडों के परिणामस्वरूप विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है।
- RTE के तहत 3.3 मिलियन से अधिक छात्रों ने 25% कोटा मानदंड के तहत प्रवेश प्राप्त किया।
- प्राथमिक मुद्दों में से एक: प्रत्येक वर्ष RTE के माध्यम से उपलब्ध सीटों में से केवल 1/3 सीटें ही भरी जाती हैं, जो दर्शाता है कि 2/3 सीटें खाली हो जाती हैं।

कुछ कमियां जिन्होंने RTE अधिनियम के अनुमानित प्रभाव को कमजोर किया है:

1. राज्यों द्वारा भागीदारी का अभाव

- ऐसे कई राज्य हैं जहां स्कूलों ने इस अधिनियम को लागू नहीं किया है और बच्चों के लिए सीटों को सुलभ नहीं बनाया है।
- अधिनियम की केंद्रीकृत प्रकृति के कारण राज्य सरकारें सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही हैं।

2. लाभार्थियों के लिए संभावित स्कूलों की क्लस्टर-वार सूची का प्रावधान नहीं

- अधिनियम मानता है कि लाभार्थी इसके अच्छे प्रिंट को समझेंगे और अपने बच्चों को अपने दम पर स्कूलों में प्रवेश दिलाएंगे।
- कई लाभार्थियों को अधिनियम के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मांग और आपूर्ति दोनों होने के बावजूद आपूर्ति के बारे में कोई जागरूकता नहीं है।

3. ग्रेड स्तर पर छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षाओं की गैर-मानक गुणवत्ता

- स्कूलों को उनकी प्रवेश परीक्षा की नियमित प्रक्रिया के माध्यम से RTE कोटे के तहत छात्रों को प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं।
- हालांकि, स्कूल RTE कोटा सीटों के लिए अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं, जहां परीक्षा का कठिनाई स्तर अधिक होता है जिससे आवेदकों को अस्वीकार कर दिया जाता है।
- यह प्रणालीगत बहिष्करण के लिए एक और उपकरण बन गया है।

4. RTE का लाभ उठाने वाले बच्चों के सीखने के परिणामों को मापने के लिए एक तंत्र का अभाव

- RTE कोटे के छात्र जिन्हें अक्सर अलग-अलग वर्गों में रखा जाता है, उन्हें काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है या मुश्किल बच्चे होने के बहाने छोड़ दिया जाता है।
- नामांकन पर इतना ध्यान केंद्रित किया गया है कि निजी स्कूलों में RTE कोटे के छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता का कोई अवलोकन नहीं किया गया।

5. एक गतिशील डैशबोर्ड का अभाव जो प्रत्येक स्कूल में आरक्षित सीटों की स्थिति को अद्यतन करता है

- एक गतिशील डैशबोर्ड के अभाव में, निगरानी में देरी और अक्षमता होती है।
- लाभार्थियों को अब तक RTE द्वारा किए गए प्रभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
- इस नीति के आउटपुट के बारे में सब कुछ अस्पष्ट रहता है और इसलिए जब कोई गतिशील डेटा नियमित अपडेट नहीं दिखाता है तो जांच और उपाय अप्रभावी होते हैं।

कृषि निर्यात

- **संदर्भ:** वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि-निर्यात $41.8 बिलियन पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाता है।

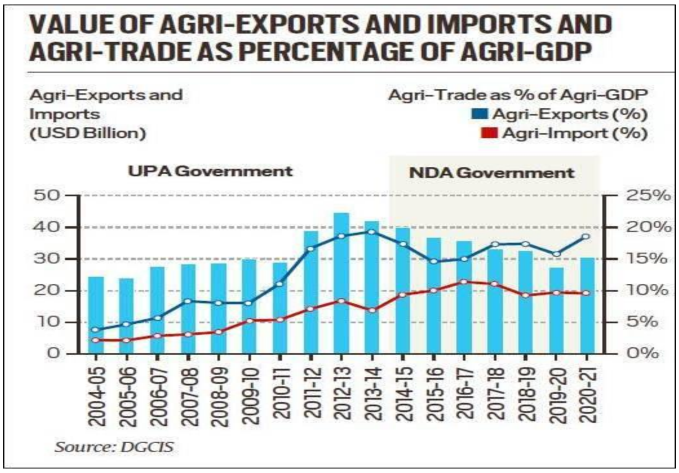

विभिन्न कृषि-वस्तु निर्यातों में

- चावल का पहला स्थान 17.7 मिलियन टन है, जिसका मूल्य 8.8 बिलियन डॉलर है, जो कृषि-निर्यात के कुल मूल्य का लगभग 21% है।
- समुद्री उत्पाद - $6 बिलियन - 14.3%
- मसाले - $4 बिलियन - 9.5%
- साँड़ (भैंस) का मांस - $3.2 बिलियन - 7.6%
- चीनी - $2.8 बिलियन - 6.6%

चिंताएं:

- **सतत विकास :** इस बात को लेकर चिंताएं हैं कि क्या 18% की यह उच्च विकास दर लंबी अवधि तक स्थिर रह सकती है।
- **लक्ष्य से कम:** कृषि-निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 (43.3 अरब डॉलर) के स्तर से कम रहा है। इसके अलावा, निर्यात 60 बिलियन डॉलर के लक्ष्य से कम है जिसे केंद्र सरकार ने 2022 तक हासिल करने के लिए निर्धारित किया है।
- पानी की गहन फसलों चावल और चीनी के बारे में पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी चिंताएं जो देश के कृषि-निर्यात बास्केट का पर्याप्त हिस्सा (27.6%) हैं।
- **विश्व व्यापार संगठन में विवाद :** चीनी के अत्यधिक घरेलू स्टॉक को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा दी गई निर्यात सब्सिडी ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और थाईलैंड जैसे कई अन्य चीनी निर्यातक देशों को विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रेरित किया है, जिसका बचाव करना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है।
- **निर्यात किया जा रहा पानी :** 2020-21 में भारत ने 7.5 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया, जिसका अर्थ है कि कम से कम 15 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी अकेले चीनी के माध्यम से निर्यात किया गया था। यह चिंता का विषय है क्योंकि भारत पहले से ही पानी की कमी वाला देश है।
- **बढ़ा हुआ कार्बन फुटप्रिंट:** कृषि-निर्यात के कुल मूल्य में वृद्धि का 21% योगदान है। किसी को चिंता होनी चाहिए कि चावल की खेती कृषि से उत्पन्न GHG उत्सर्जन में 18% से अधिक का योगदान करती है।
- **आयात में संरक्षणवादी**

आगे की राह

- किसानों को पानी बचाने, धान और चीनी से कम पानी की खपत वाली फसलों में स्विच करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता है।
- हमें पानी की प्रत्येक बूंद से अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है। वैकल्पिक अलटरनेट वेटिंग ड्रइंग (AWD), सीधे बीज वाले चावल (DSR) और सूक्ष्म सिंचाई जैसे खेती के तरीकों को युद्ध स्तर पर शुरू करना होगा।
- खाद्य प्रसंस्करण - मूल्यवर्धन और बढ़ी हुई आय।
- निर्यात आधारित रणनीति में बेहतर बुनियादी ढांचे और लॉगिस्टिक्स में निवेश करके लॉगिस्टिक्स लागत को कम करने की आवश्यकता है।

इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स (Integrated Theatre Commands)

- **प्रसंग:** 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' (Chief of Defence Staff- CDS) के चीफ की नियुक्ति के बाद रक्षा सुधारों में अगला महत्त्वपूर्ण कदम 'एकीकृत थिएटर कमांड्स' (Integrated Theatre Commands-ITC) का गठन करना होगा।

प्रमुख बिंदु:

- 'विभिन्न एकीकृत कमांड्स' के गठन पर सिफारिशें करने के लिये तीनों सेवाओं के उपाध्यक्षों के नेतृत्त्व में अनेक टीमों का गठन किया गया है।
- 'वायु सेना के लिये एकीकृत रक्षा कमान' पर गठित टीम का अध्ययन पूरा होने वाला है तथा जल्द ही वायु सेना के लिये 'एकीकृत रक्षा कमान' के गठन की उम्मीद है।

हमारे सशस्त्र बलों की वर्तमान संरचना

- अभी तक, तीनों सेनाओं के पास थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच 17 कमांड हैं।
- भले ही ये कमांड एक ही क्षेत्र में काम करते हों, फिर भी ये एक साथ स्थित नहीं होते हैं, और जरूरी नहीं कि उनके परिचालन जिम्मेदारी के क्षेत्र समान हों।

इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होते हैं?

- सरल शब्दों में यह एक एकीकृत कमान है जिसके तहत खतरे की धारणा के आधार पर थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी संसाधनों को एकत्रित किया जाता है।

Army	Seven commands	Northern, Eastern, Southern, Western, Central, Southwestern and Army Training Command (ARTRAC).
Navy	Seven commands	Western, Eastern, Southern, Southwestern, Central, Training, and Maintenance commands.
Air Force	Three commands	Western, Eastern and Southern, of which Southern is largely about training.
	Andaman and Nicobar Command	• It is **tri-Service command** • It is headed by rotation by officers from the three Services
	Strategic Force Command,	• It is **tri-Service command** • It is responsible for India's nuclear assets.

- कमांड भौगोलिक हो सकते हैं - जैसे किसी विशेष देश के साथ सीमा को देखना - या कार्यात्मक जैसे प्रशिक्षण।
- थिएटर कमांड बलों के बीच संयुक्तता को बढ़ाता है और संसाधनों के दोहराव को भी कम करता है।
- दुनिया के कई देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सहित थिएटर कमांड हैं। भारत में अंडमान और निकोबार कमांड थिएटर कमांड का एक उदाहरण है।

प्रस्तावित आदेश हैं:

- मैरीटाइम थिएटर कमांड, जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों पर देश की सभी समुद्री सुरक्षा जरूरतों का ख्याल रखेगा और इसमें सेना की हवाई हमले की संपत्ति और दोनों बल शामिल होंगे।
- वायु रक्षा कमान, जो देश भर में और बाहर हवाई रक्षा के साथ अनिवार्य होगी। लड़ाकू विमानों के पास टोही और निगरानी संपत्ति भी होगी।
- दो या तीन भूमि आधारित आदेश प्रस्तावित हैं। यदि दो कमांड हैं, तो चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं के लिए एक-एक होगी।
- उस क्षेत्र में देश के अद्वितीय क्षेत्र और सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाओं को देखते हुए एक और कमान रखने का भी प्रस्ताव है।
- **फंक्शनल ट्राई-सर्विसेज कमांड्स:** इन थिएटर कमांड्स के अलावा, निम्नलिखित फंक्शनल कमांड्स पर भी विचार किया जाता है:
- लॉजिस्टिक्स कमांड, जिसमें एक व्यक्ति के अधीन सभी सेवाओं का लॉजिस्टिक्स होगा।
- प्रशिक्षण और सिद्धांत आदेश, ताकि सभी सेवाएं एक सामान्य सिद्धांत के तहत काम करें और कुछ बुनियादी सामान्य प्रशिक्षण हो।
- इनमें से प्रत्येक कमांड के पास तीनों बलों की आवश्यक संपत्ति होगी। उन सभी संपत्तियों पर परिचालन नियंत्रण, बल की परवाह किए बिना, उस थिएटर के कमांडर के पास रहेगा।
- थिएटर कमांडर की उपस्थिति से सेवा प्रमुखों के पास अपनी संपत्ति पर परिचालन पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होगा।

- इसका मतलब यह नहीं है कि प्रमुखों की भूमिकाएं बेमानी हो जाएंगी। अब उनके पास अपने संबंधित बलों को बढ़ाने, प्रशिक्षित करने और बनाए रखने के मुख्य कार्य होंगे।
- साथ ही प्रत्येक प्रमुख COSC का सदस्य होगा और अपने डोमेन का एक विशेषज्ञ होगा जिससे सभी परिचालन निर्णयों के लिए उसके इनपुट आवश्यक होंगे।
- चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) में तीन सेवा प्रमुख शामिल हैं, और CDS इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करते हैं।

जबकि सेना और नौसेना प्रस्ताव के साथ हैं, वायु सेना के पास कुछ आरक्षण हैं।

- **वायु सेना के थल और नौसेना के सहायक बनने के खतरे:** वायु सेना नहीं चाहती कि वायु सेना प्रमुख वायु संपत्ति का परिचालन नियंत्रण खो दे।
- वायु सेना इस बात से चिंतित है कि उसकी सारी संपत्ति इन एकीकृत थिएटरों में विभाजित हो सकती है।
- **औपचारिकता से पहले विचार-विमर्श:** साथ ही यह बेहतर है कि संरचना को औपचारिक रूप देने से पहले इस तरह की आपत्तियां और असहमतिपूर्ण राय सामने आएं।

पहले राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के साथ आने की जरूरत है

- आजादी के सात दशकों के बावजूद, भारत में अभी भी स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति नहीं है।
- केवल ऐसी रणनीति ही उन आकस्मिकताओं के प्रकारों को परिभाषित कर सकती है जिनसे सेना द्वारा समन्वित संचालन के लिए आवश्यक संरचनाओं को संबोधित करने और परिभाषित करने की अपेक्षा की जाती है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति विकसित करते समय एक बौद्धिक अभ्यास के परिणामस्वरूप वायु शक्ति को प्रमुख तत्व के रूप में पहचाना जाता है।
- इस प्रकार CDS को एकीकृत बलों के माध्यम से हड़बड़ी करने के बजाय ऐसी अत्यधिक रणनीति तैयार करने का अनुसरण करना चाहिए था।

भविष्य के संघर्षों के लिए सशक्त वायु सेना की आवश्यकता है

- 1962 के बाद का रक्षा कार्यक्रम इस धारणा पर आधारित था कि चीन सबसे बड़ा खतरा है और भारतीय वायुसेना को सेना की कुछ प्रतिरोध क्षमता को संभालने में सक्षम बनाया जाए।
- चीन के साथ हाल के सीमा संघर्षों के दौरान भी, 1962 के मुकाबले लड़ाकू वायु शक्ति का उपयोग करने के इरादे ने चीन को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- वायु सेना के नियोजन में कम विशेषज्ञता वाले भूमि सेना कमांडर द्वारा फ्रंटल डिफेंसिव लड़ाई लड़ने में भारतीय वायुसेना अपने सीमित संसाधनों को बर्बाद होते नहीं देखना चाहती।

संरचनात्मक अंतरालों का समाधान नहीं किया गया है

- किसी भी निचले ढांचे के लिए एक संस्थागत उच्च रक्षा संगठन की आवश्यकता होती है, जो 1950 के दशक में कैबिनेट की रक्षा समिति (DCC) के समाप्त होने के बाद से गायब है।
- CDS, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) के स्थायी अध्यक्ष के रूप में, थिएटर/कार्यात्मक आदेशों के संचालन नियंत्रण का भी प्रयोग करेंगे, एक ऐसा कदम जो राजनीतिक-नौकरशाही नेतृत्व के लिए सुखद होने की संभावना नहीं है।
- इसलिए एकीकृत थिएटर कमांड के साथ आगे बढ़ने से पहले इन संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करना बेहतर है

निष्कर्ष

- विवेक की मांग है कि सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श और चर्चा के बिना ऐसी संरचनाओं को गिराने के बजाय, हम पहले राजनीतिक उद्देश्यों के साथ परमाणु पृष्ठभूमि में उपयुक्त सैन्य रणनीति विकसित करें।

दहेज (Dowry)

- **प्रसंग:** हाल ही में केरल की विस्मया नायर नाम की एक युवती अपने घर में मृत पाई गई। उसके माता-पिता ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया

मुद्दे

- दहेज की प्रथा सती या बाल विवाह के रूप में निंदनीय है और यह फलती-फूलती रहती है।
- दुल्हन अब एक वस्तु तरह है, जिसे एक पैकेज के रूप में दिया जाता है, जिसमें सोना, सामान, एक कार और जमीन का एक टुकड़ा होता है।

- दहेज निषेध अधिनियम 60 साल पहले पारित किया गया था और यह प्रथा नए रूपों में जारी है।
- शिक्षा के बढ़ते स्तर के बावजूद, शादियों का भव्य आयोजन जारी है, जिसमें दुल्हन के माता-पिता अक्सर कर्ज लेते हैं और लगभग स्वयं को दिवालिया बना लेते हैं।

दहेज के खतरे से निपटने के लिए आगे बढ़ने वाले उपाय

1. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना

- दहेज प्रथा के लिए बड़ा संदर्भ कार्यबल में महिलाओं की खराब उपस्थिति और उनके परिणामस्वरूप वित्तीय स्वतंत्रता की कमी है।
- इसलिए महिलाओं को नौकरी करने और स्वतंत्र आय प्राप्त करने के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए।

2. महिला हितैषी सरकारी निवेश

- महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने का मतलब है कि सरकार को चाइल्डकैअर (childcare) और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करना चाहिए, काम पर रखने में भेदभाव को कम करना चाहिए और कार्यस्थल के अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए।
- लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए राज्यों को जीवन चक्र में लिंग-पृथक डेटा देखना चाहिए - जन्म, प्रारंभिक बचपन, शिक्षा, पोषण, आजीविका, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच आदि।

3. परिवार और स्कूलों में हस्तक्षेप

- घर पर, पुरुषों को घरेलू काम और देखभाल की जिम्मेदारियों को साझा करना चाहिए।
- शिक्षक और पाठ्यपुस्तकें विश्वासों और मूल्यों को ढालती हैं।
- लड़कों और लड़कियों को लैंगिक समानता के मूल मूल्य पर व्यवस्थित रूप से संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- "समाज क्या कहेगा" इसके डर से पीड़ित महिलाओं को पति के घर वापस भेजने के बजाय परिवारों को घरेलू हिंसा/दुर्व्यवहार की रिपोर्ट पहली बार में देनी चाहिए।

4. प्रशासनिक परिवर्तन

- पंचायत सचिवों को विवाह पंजीकरण का विकेंद्रीकरण। सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना
- लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए कानूनों और विनियमों की जांच की जानी चाहिए, "जनशक्ति" जैसे शब्दों को लिंग-तटस्थ समकक्षों के साथ बदल दिया जाना चाहिए।

5. सेलिब्रिटी प्रभाव का उपयोग कर सामाजिक परिवर्तन

- दहेज स्वीकार करना एक सामाजिक कलंक बन जाना चाहिए और सभी पीढ़ियों को संबोधित किया जाना चाहिए। इनको साबुन और शीतल पेय के विज्ञापन के साथ सुपरस्टारों से इसका प्रचार करवाना चाहिए
- साधारण, सस्ती, दहेज रहित शादियां सामान्य होनी चाहिए, न कि बॉलीवुड शैली के फालतू के आयोजनों में।

निष्कर्ष

- सक्रिय रूप से जागरूकता फैलाने और एकजुटता प्रदर्शित करके, सरकारें और नागरिक समाज अधिक समान समाज के निर्माण में एक शक्तिशाली भूमिका निभा सकते हैं।

संघवाद से संबंधित नई चुनौतियाँ

- **संदर्भ:** तमिलनाडु राज्य ने सार्वजनिक चर्चा में संघ शब्द को फिर से पेश किया और अन्य राज्यों ने बढ़े हुए राजकोषीय केंद्रीकरण के विरुद्ध जोर दिया।

भारतीय संघवाद के मुद्दे

- **गठबंधन राजनीति ने संघवाद के लिए बहुत कम परिणाम दिए:** लगभग दो दशकों की गठबंधन सरकारों के बावजूद राजकोषीय और प्रशासनिक केंद्रीकरण जारी रहा। उदाहरण: आधार, एनएफएसए, जीएसटी, मनरेगा।
- **चुनावी व्यावहारिकता संघवाद को कमजोर करती है:** चुनावी राजनीति की आकस्मिकताओं ने वास्तविक संघवाद के लिए राजनीतिक आम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा की हैं। उदाहरण: राज्यपाल और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके गठबंधन सरकार को गिराना।
- **राष्ट्रवाद की आड़ में संघवाद कमजोर:** केंद्र सरकार ने विकास और राष्ट्रवाद के व्याकरण में संघवाद के साथ कमजोर हुआ है। उदाहरण: एक राष्ट्र - एक बाजार, एक राशन कार्ड, एक ग्रिड।
- **संघवाद को गलत तरीके से पढ़ना:** वर्तमान संदर्भ में संघवाद को क्षेत्रवाद और एक संकीर्ण संकीर्णतावाद के साथ जोड़ा जा रहा है जो विकास-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी है।

- **राज्य स्तर पर केंद्रीकरण:** साथ ही अधिकांश क्षेत्रीय दल अपने ही पीछे विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को स्थिर रखने में विफल रहे हैं। इससे पता चलता है कि राज्य स्वयं संघवाद की भावना का पालन नहीं कर रहे हैं।
- **अन्य राज्यों के संघीय मुद्दों पर राज्यों की शांति:** उदाहरण के लिए: जम्मू-कश्मीर की स्थिति को कम करना, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2021 जिसने संघवाद को कमजोर कर दिया, शायद ही उन पार्टियों द्वारा विरोध देखा गया जो इनसे सीधे प्रभावित नहीं थे।
- **राज्यों के बीच विचलन:** अमीर (दक्षिणी और पश्चिमी) और गरीब राज्यों (उत्तरी और पूर्वी) के बीच बढ़ता अंतर, अंतर-राज्य संबंधों में तनाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है जो राज्यों के बीच सामूहिक कार्रवाई के लिए एक वास्तविक बाधा बन गया है।
- **राजकोषीय संघवाद का कमजोर होना:** महामारी द्वारा बिना पट्टे पर दिए गए वित्तीय संकट के मद्देनजर संघ की प्रतिक्रिया राज्यों से राजस्व को कम करने की रही है (राज्यों के साथ साझा करने योग्य नहीं) जो कि संघीय भावना के खिलाफ है।

निष्कर्ष

- सिद्धांत से ऊपर, संघवाद की एक नई राजनीति एक चुनावी आवश्यकता है। कोई भी गठबंधन, लंबे समय में, बिना किसी ग्लू (glue) के, जो उसे बांधे रखता है, सफल नहीं हुआ है। संघवाद पर राजनीतिक सहमति बनाना वह ग्लू (glue) हो सकता है।

ड्राफ्ट सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021

- जून 2021 में, केंद्र सरकार द्वारा 'सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021' का मसौदा (The draft Cinematograph (Amendment) Bill 2021) जारी किया गया है। इसके माध्यम से 'सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952' में संशोधन किया जाएगा।

बिल की मुख्य विशेषताएं

- आयु-आधारित प्रमाणीकरण (Age-based certification) हेतु विधेयक में आयु-आधारित वर्गीकरण और श्रेणीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत, फिल्मों के लिए मौजूदा श्रेणियों (U, U/A और A) को फिर से तीन आयु-आधारित समूहों (U /A 7+, U/A 13+ और U/A 16+) में विभाजित करने का प्रस्ताव है।
- **पायरेसी (piracy) के खिलाफ प्रावधान:** वर्तमान में, फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमैटोग्राफी एक्ट में कोई सक्षम प्रावधान नहीं हैं। ड्राफ्ट बिल में पायरेसी के लिए दंडात्मक प्रावधान शामिल है।
- **प्रमाणपत्र की वैधता:** इसमें फिल्मों को हमेशा के लिए प्रमाणित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में CBFC द्वारा जारी प्रमाण पत्र केवल 10 वर्षों के लिए वैध है।
- **केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियां:** यह केंद्र सरकार को पहले से प्रमाणित फिल्म की 'पुन: परीक्षा' का आदेश देने का अधिकार देती है, अगर इसके खिलाफ कोई शिकायत है।

चिंताएं

- **सुपर सेंसर के रूप में सरकार:** केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियां। प्रभावी रूप से इसे देश में सिनेमा प्रदर्शनी पर सर्वोच्च शक्ति बना देगा।
- **बोलने की स्वतंत्रता:** रचनात्मक स्वतंत्रता पर केंद्र सरकार का अतिक्रमण, यह अनिवार्य करने में कि किन फिल्मों का निर्माण और उपभोग किया जाता है, संभावित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं और एक परिपक्व लोकतंत्र के दायरे को कमजोर करते हैं।
- **सरकार की बढ़ती नियामक भूमिका:** सिनेमैटोग्राफ (संशोधन विधेयक) 2021, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बाद के प्रतिबंध और FCAT को खत्म करने से आग में और भी इजाफा होता है।
- **टूटी हुई व्यवस्था नहीं:** केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के पास फिल्म प्रमाणन के लिए एक मजबूत तंत्र है और जो टूटा नहीं है उसे ठीक करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- **सार्वजनिक परामर्श:** सरकार ने सार्थक परामर्श के लिए पर्याप्त समय (केवल 14 दिन) प्रदान नहीं किया है और प्रस्तावित परिवर्तन CBFC सुधार पर विशेषज्ञों की दो समितियों द्वारा रिपोर्ट के सुझावों की अनदेखी करते हैं।

निष्कर्ष

- ऐसा लगता है कि वैश्विक सिनेमाई चलन सार्थक, सूक्ष्म सिनेमा और श्रृंखला के करीब जा रहा है, जो बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स के साफ-सुथरे और ग्लैमराइज़्ड के दायरे से परे है। हम ऐसे नियमों के साथ अब एक या दो कदम पीछे ले जा रहे है।

Q. अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार के लिए OECD-G20 द्वारा दो-स्तंभ योजना को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समन्वय में ऐतिहासिक समझौता माना जाता है। समालोचनात्मक विश्लेषण करें।

- OECD ने 1 जुलाई को एक बयान जारी कर 130 देशों (139 प्रतिभागियों में से) के बीच "अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार के लिए दो-स्तंभ योजना" पर आम सहमति का संकेत दिया।
- इस योजना के हस्ताक्षरकर्ता 130 देशों और क्षेत्राधिकारों में शामिल थे जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते थे।

एक स्तंभ (Pillar One)

- यह डिजिटल कंपनियों सहित सबसे बड़े MNEs के संबंध में देशों के बीच लाभ और कर अधिकारों का उचित वितरण सुनिश्चित करेगा।
- यह MNEs पर उनके घरेलू देशों से उन बाजारों में कुछ कर अधिकार फिर से आवंटित करेगा जहां उनकी व्यावसायिक गतिविधियां और लाभ अर्जित करना, भले ही फर्मों की वहां फिजिकल उपस्थिति हो।

दो स्तंभ (Pillar Two)

- यह वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर की शुरूआत के माध्यम से कॉर्पोरेट आयकर पर प्रतिस्पर्धा को एक मंजिल देने का प्रयास करता है, जिसका उपयोग देश अपने कर आधारों की रक्षा के लिए करते हैं।

दो स्तंभ प्रस्तावों के निहितार्थ

- यह सरकारों को अत्यावश्यक राजस्व सहायता प्रदान करेगा।
- बढ़ा हुआ राजस्व सरकारों को आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे में निवेश करने में सक्षम बनाना और COVID वसूली के बाद की मजबूत और गुणवत्ता को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए आवश्यक उपाय करता है।
- नए ढांचा अर्थव्यवस्थाओं के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करना चाहता है।
- यह सीमा पार लाभ स्थानांतरण पर चिंताएं दूर करने और संधि खरीदारी को रोकने के लिए कर के अधीन नियम लाने का प्रयास करता है।
- यह भारत के रुख के अनुरूप है जिसने स्रोत या बाजार क्षेत्राधिकार के लिए अधिक कर अधिकारों की वकालत किया था।
- इन विचार-विमर्शों में भाग लेने से भारतीय नीति-निर्माताओं ने जो अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, उसे देखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि कानून-निर्माता एक परिष्कृत और सूक्ष्म प्रत्यक्ष कराधान कानून का अनावरण करेंगे।

चिंताएं

- **दो स्तंभों का डिज़ाइन:** कठिन नियमों में MNE समूह के वैश्विक व्यापार राजस्व से संबंधित डेटा के लिए सूत्रों को लागू करना शामिल है। इसने विशेषज्ञों को इन प्रस्तावों की व्यावहारिक सफलता पर संदेह किया है।
- **रीयल-टाइम सूचना साझा करने की आवश्यकता:** इसके अलावा, इसके आवेदन के लिए दुनिया भर में कर-अधिकारियों द्वारा रीयल-टाइम सूचना साझाकरण और संयुक्त कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। इसमें संदेह है कि क्या ऐसा साझा कर-निर्धारण व्यवहार में प्राप्त किया जा सकता है।
- **इन स्तंभों का सीमित 'दायरा':** डिजाइन के अनुसार, दो स्तंभ करदाताओं के एक छोटे वर्ग को कवर करते हैं- MNEs जिनका वैश्विक कारोबार 20 बिलियन यूरो से अधिक है और पिलर वन के लिए शुद्ध लाभ 10% से अधिक है।
- **दबाव में घरेलू कानून:** भारत दो-स्तंभ समाधान को स्वीकार करने का तात्पर्य है कि यह अपने नए अंतरराष्ट्रीय कर उपायों, विशेष रूप से समकारी लेवी को पूर्ववत करने के लिए दबाव में है।
- **उत्तर-दक्षिण राजनीति:** इस बात पर वास्तविक संदेह है कि विकसित देश बाजार अर्थव्यवस्थाओं को अधिक कराधान अधिकारों की अनुमति देने के लिए कितनी सहानुभूति रखेंगे, जो हो रही रही बातचीत का केंद्र बिंदु है।
- इसका परिणाम अनिश्चित प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी अर्थशास्त्री प्रत्येक क्षेत्राधिकार या भारत के लिए राजस्व के आंकड़ों का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम नहीं है।

निष्कर्ष

- यह सही दिशा में एक कदम है, हालांकि देवील (devil) विवरण में निहित है और काउंटियों को बातचीत करनी चाहिए ताकि परिणाम सभी के लिए उचित हों।

‘राइट-टू-रिपेयर’ आंदोलन

- **संदर्भ:** हालिया वर्षों में विश्व के कई देशों में एक प्रभावी ‘राइट-टू-रिपेयर’ कानून को पारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

‘राइट-टू-रिपेयर’ क्या है?

- ‘राइट-टू-रिपेयर’ एक ऐसे अधिकार अथवा कानून को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करना और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देना है, जहाँ अन्यथा ऐसे उपकरणों के निर्माता उपभोक्ताओं को केवल उनके द्वारा प्रस्तुत सेवाओं के उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
- ‘राइट-टू-रिपेयर’ का विचार मूल रूप से अमेरिका से उत्पन्न हुआ था, जहाँ ‘मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट, 2012’ किसी भी व्यक्ति को वाहनों की मरम्मत करने में सक्षम बनाने के लिये वाहन निर्माताओं को सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।
- इसके अलावा, कॉरपोरेट 'नियोजित अप्रचलन' संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं - जिसका अर्थ है कि उपकरणों को विशेष रूप से सीमित समय तक चलने और प्रतिस्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इस पृष्ठभूमि में, दुनिया भर के कार्यकर्ता और संगठन 'मरम्मत के अधिकार' आंदोलन के हिस्से के रूप में उपभोक्ताओं के अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों की मरम्मत करने में सक्षम होने के अधिकार की वकालत कर रहे हैं।
- इस आंदोलन की जड़ें 1950 के दशक में कंप्यूटर युग की शुरुआत से जुड़ी हुई हैं।
- इस आंदोलन का लक्ष्य, कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों के स्पेयर पार्ट्स, उपकरण तथा इनको ठीक करने हेतु उपभोक्ताओं और मरम्मत करने वाली दुकानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना है, जिससे इन उत्पादों का जीवन-काल बढ़ सके और इन्हें कचरे में जाने से बचाया जा सके।
- इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत का अधिकार सरकारी कानून को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत और संशोधन करने की क्षमता प्रदान करना है, जहां ऐसे उपकरणों के निर्माता को उपभोक्ता को केवल उनकी पेशकश की गई सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

लाभ

- रिपेयर/मरम्मत करने वाली छोटी दुकानें स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्त्वपूर्ण भाग होती हैं, इस अधिकार को दिये जाने से इन दुकानों के कारोबार में वृद्धि होगी।
- यह ई-कचरे की विशाल मात्रा को कम करने में मदद करेगा, जो कि महाद्वीप पर प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है।
- यह उपभोक्ताओं को पैसा बचाने में मदद करेगा।
- यह उपकरणों के जीवनकाल, रखरखाव, पुन: उपयोग, उन्नयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार कर चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों में योगदान देगा।

क्या आप जानते हैं?

- UK ने भी मरम्मत के अधिकार के नियम पेश किये जिससे TV और वाशिंग मशीन जैसे दैनिक उपयोग के गैजेट्स को खरीदना तथा उनकी मरम्मत करना बहुत आसान हो गया है।
- वाशिंग मशीन, टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसे उत्पादों के निर्माताओं को बिजली के उपकरण खरीदने वाले लोगों को स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।
- नया कानून निर्माताओं को नए कानून का पालन करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने के लिए दो साल का समय देता है।
- हालांकि, यह सभी विद्युत उपकरणों को कवर नहीं करता है। इसमें डिशवॉशर, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेशन उपकरण और टीवी शामिल हैं। हालांकि, स्मार्टफोन और लैपटॉप को बाहर रखा गया है।

यूपी की जनसंख्या नीति (UP’s Population Policy)

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का उद्देश्य है:

- 2026 तक कुल प्रजनन दर को 2.7 से घटाकर 2.1 और 2030 तक 1.7 करना।
- आधुनिक गर्भनिरोधक प्रसार दर को 31.7- 45%, 2026 तक और 52%, 2030 तक बढ़ाना।

- गर्भनिरोधक उपयोग के पुरुष तरीकों को 2026 तक 10.8% से बढ़ाकर 15.1% और 2030 तक 16.4% करना।
- मातृ मृत्यु दर को 197 से घटाकर 150 से 98 और शिशु मृत्यु दर को 43 से 32 से 22 और 5 से कम शिशु मृत्यु दर को 47 से 35 से 25 तक कम करना।
- राज्य की नीति का उद्देश्य 2030 तक जीवन प्रत्याशा को 64.3 से बढ़ाकर 69 करना और 2030 तक बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) को 899 से बढ़ाकर 919 करना है।
- इसे प्राप्त करने के लिए, एक नया कानून- यूपी जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक 2021- 30 का मसौदा तैयार किया गया है।

यूपी जनसंख्या विधेयक के प्रमुख प्रावधान हैं

1. सरकारी कर्मचारी को प्रोत्साहन:

- दूसरे बच्चे के बाद स्वयं या पति या पत्नी की स्वैच्छिक नसबंदी पर, एक सरकारी कर्मचारी सेवा की अवधि के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्राप्त कर सकता है, सरकारी निकायों से संपत्ति की खरीद पर सब्सिडी, आसान शर्तों पर आवास ऋण, उपयोगिता शुल्क पर छूट, 12 महीने की मातृत्व/पितृत्व अवकाश, NPS में सरकार से 3% अतिरिक्त योगदान।
- एक बच्चे के बाद नसबंदी के लिए, बच्चे के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और बीमा, स्नातक तक मुफ्त शिक्षा, लड़की होने पर छात्रवृत्ति आदि है।

2. गैर-सरकारी व्यक्ति को प्रोत्साहन : जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और अभी भी जनसंख्या को नियंत्रण रखने में योगदान करते हैं, उन्हें पानी, आवास, गृह ऋण आदि पर करों में छूट जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे।

3. वित्तीय प्रोत्साहन: एक बच्चा नीति अपनाने वाले BPL दंपतियों को सरकार की ओर से एकमुश्त राशि मिलेगी।

4. हतोत्साहन: दो-बच्चे के मानदंड का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित कर और किसी भी राज्य सरकार की नौकरी के लिए आवेदन करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

5. चुनाव योग्यता मानदंड: यह प्रस्ताव करता है कि कोई भी नागरिक जो दो बच्चों की नीति का "उल्लंघन" करता है, उसे स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है।

6. जागरूकता: राज्य सरकार सभी माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगी। उन समुदायों, संवर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों में जागरूकता और व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनकी प्रजनन दर अधिक है

7. प्रयोज्यता: इस कानून का प्रावधान एक विवाहित जोड़े पर लागू होगा जहां लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं है।

8. गैर-जबरदस्ती (Non-Coercive) : नीति स्वैच्छिक होगी - इसे किसी पर लागू नहीं किया जाएगा

9. निष्ठा कोष (Dedicated Fund): उत्तर प्रदेश सरकार उपायों को लागू करने के लिए एक राज्य जनसंख्या कोष स्थापित करने की योजना बना रही है।

चिंताएं

- ये सिफारिशें जबरदस्ती की संस्कृति में निहित हैं क्योंकि कल्याण को सशर्त बनाना जबरदस्ती का एक रूप है।
- एक नीति या कानून जो सरकारों को नागरिकों पर अधिक अधिकार देता है, एक मूलभूत कारण से गलत है: भारत को "जनसंख्या विस्फोट" का खतरा नहीं है। बल्कि, भारत स्वाभाविक रूप से जनसंख्या में गिरावट देख रहा है।
- TFR 1994 में 3.4 से घटकर 2015 में 2.2 हो गया है। यहां तक कि आबादी वाले यूपी में, राज्य के जबरदस्ती उपायों के बिना TFR एक दशक की अवधि में प्रभावशाली 1.1 अंक गिरकर 2.7 हो गया।
- पहले से ही विषम लिंगानुपात को दो बच्चों के मानदंड के अनुरूप एक बेटा होने की उम्मीद में एक बेटी का गर्भपात कराने वाले परिवारों द्वारा जोड़ा जाता है।
- निश्चित संख्या में बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करने से जनसांख्यिकीय विकृति हो सकती है।
- अन्य बातों के अलावा निजता के अधिकार में अंतरंग व्यक्तिगत विकल्पों जैसे कि प्रजनन को नियंत्रित करने वाले विकल्पों पर स्वतंत्रता भी शामिल है।

निष्कर्ष

- जनसंख्या वृद्धि को रोकने में भारत के दक्षिणी राज्यों की सफलता इंगित करती है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान देना दंडात्मक उपायों की तुलना में बड़े परिवारों को हतोत्साहित करने के लिए कहीं बेहतर काम करता है।

- सरकार को जनसांख्यिकीय लक्ष्यों से ऊपर जाकर प्रजनन स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसा कि जनसंख्या और विकास कार्यक्रम, 1994 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिपादित किया गया है।

मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन

- **संदर्भ:** मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने देश में तैनात राजनयिकों और "उच्चायोग की गरिमा पर हमला करने वाले आवर्ती लेख और सोशल मीडिया पोस्ट" कहे जाने के बाद सरकारी कार्रवाई और अधिक सुरक्षा की मांग की है।
- मालदीव में 'इंडिया आउट' अभियान पिछले साल मालदीव में जमीनी विरोध के रूप में शुरू हुआ था और बाद में उसी हैशटैग के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से फैल गया।
- यह लोगों के बीच संघर्ष (भारतीय डायस्पोरा) से संबंधित नहीं है, लेकिन मालदीव सरकार और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों पर असंतोष है।

मालदीव में भारत विरोधी भावनाओं के कारण कौन से कारक हैं?

1. घरेलू राजनीति

- भारत विरोधी भावना पिछले साल सिर्फ रातों रात ही नहीं पनपी, बल्कि लगभग एक दशक पुरानी है और इसका पता 2013 में अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम के राष्ट्रपति बनने के समय से लगाया जा सकता है।
- उन्होंने अपनी राजनीतिक लामबंदी के लिए भारत विरोधी भावनाओं का इस्तेमाल किया और चीन को झुकाना शुरू कर दिया।
- 2013-18 से यामीन के शासन के दौरान भारत-मालदीव संबंध बिगड़ गए।
- इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, जो 2018 में राष्ट्रपति बने उन्होंने मालदीव को भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बहाल कर दिया है।

2. भारत के हेलीकॉप्टर उपहार पर विवाद

- दो ध्रुव एडवांस्ड हल्के हेलीकॉप्टर (ALF) जो भारत द्वारा मालदीव को 2010 और 2015 में दिए गए थे।
- इन दोनों का उपयोग समुद्र में खोज और बचाव कार्यों, समुद्री मौसम निगरानी और द्वीपों के बीच रोगियों को एयरलिफ्ट करने के लिए किया गया था।
- यामीन की पार्टी PPM ने यह दिखाने की कोशिश की कि इन हेलीकॉप्टरों को उपहार में देकर भारत देश में सैन्य उपस्थिति पैदा कर रहा था क्योंकि वे सैन्य हेलिकॉप्टर थे।
- राजनीतिक दल द्वारा स्थिति को तोड़-मरोड़ कर पेश करने से भारत विरोधी भावनाओं को और भी बढ़ावा मिला क्योंकि मैडिव्स सिटीजन्स (Madives Citizens) ने इसे अपनी संप्रभुता का अपमान माना।
- हालांकि, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने 2018 में पदभार ग्रहण करने के बाद देश में इन हेलिकॉप्टरों के ठहरने और उपयोग को बढ़ा दिया।

3.भारत-मालदीव संबंधों में अस्पष्टता

- सोशल मीडिया में एक आवर्ती शिकायत इब्राहिम सोलिह सरकार और भारत के बीच हस्ताक्षर किए जा रहे समझौतों में पारदर्शिता की कमी है।
- अगर मालदीव की संसद में इन द्विपक्षीय समझौतों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की गई होती तो अधिकांश 'इंडिया आउट' अभियान का उदय नहीं होता।
- लेकिन सत्ताधारी सरकार और रक्षा मंत्रालय ने इन समझौतों को गोपनीय बताते हुए इंडिया आउट कैंपेन को हवा देने के संदेह को और बढ़ा दिया।

4. घरेलू मामलों में हस्तक्षेप की धारणा

- भारत एक बड़ा पड़ोसी देश होने के नाते, मालदीव में तैनात भारतीय राजनयिकों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने पर निराधार धारणाएं और आरोप हैं।
- ऐसी गलत सूचना भी भारत विरोधी अभियानों का एक कारण है।

निष्कर्ष

- 'इंडिया आउट' अभियान के माध्यम से आम नागरिकों को लामबंद (mobilising) करना भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है।
- इसलिए भारत को मालदीव में धारणा प्रबंधन पर काम करना है और लोगों की सद्भावना अर्जित करने की आवश्यकता है।

स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना

- **संदर्भ:** कोविड-19 महामारी ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है कि विकेंद्रीकरण शहरी क्षेत्रों में बीमारियों की सफल रोकथाम, पता लगाने और प्रबंधन की कुंजी है।
- जबकि पूरे भारत में नगर पालिका कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किसी न किसी तरह से निकटता से शामिल हैं, वे ज्यादातर राज्य सरकारों से सीधे या जिला कलेक्टरों के माध्यम से निर्देश ले रही हैं।
- कर्नाटक में 74वें CAA के कार्यान्वयन के ऑडिट पर CAG की हालिया ऑडिट रिपोर्ट में अधिकांश राज्यों के लिए सबक हैं।

कर्नाटक से संबंधित रिपोर्ट में निम्नलिखित अवलोकन और सिफारिशें जिनके राष्ट्रीय निहितार्थ हैं:

- शहरों में कार्यों का विकेन्द्रीकरण वास्तविक से अधिक औपचारिक है। जबकि ULBs द्वारा संभाले जाने वाले 18 कार्यों में से 17 राज्य नगरपालिका अधिनियमों के तहत सौंपे गए हैं, ULBs के पास केवल तीन पर पूर्ण अधिकार हैं।
- हालांकि 23 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव होने थे, लेकिन 280 शहरी स्थानीय निकायों में से 210 में कोई कार्य परिषद नहीं थी। निर्वाचित परिषद का न होना लोकतंत्र का मखौल है।
- भारतीय संविधान ने शहरी शासन में नागरिकों की भूमिका को बढ़ाने के साधन के रूप में वार्ड समितियों की स्थापना की परिकल्पना की थी। ऑडिट के समय बेंगलुरु को छोड़कर 10 नगर निगमों में से किसी ने भी उनका गठन नहीं किया था।
- महानगरीय योजना समिति, जिसकी भूमिका समग्र रूप से महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करना है उसका गठन करके प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- राज्य वित्त आयोगों का समय पर गठन करके और उनकी सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। SFC की सिफारिशों को लागू करने में अब तक नौ साल की देरी हो चुकी है।
- राज्य के पैरास्टेटल्स ने ULBs की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित स्थानीय स्वशासन के रूप में स्थिति को कमजोर कर दिया है।
- राजस्व जुटाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता की सीमाओं को तत्काल हटाने की आवश्यकता है। 2018-19 तक जल शुल्क का बकाया दोगुना से अधिक 200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
- शहरी स्थानीय निकायों को यथार्थवादी बजट पेश करने की आवश्यकता है। बजट और वास्तविक के बीच 23-98 प्रतिशत की सीमा में एक महत्वपूर्ण अंतर था।
- शहरी स्थानीय निकायों को कार्यों के अनुमोदन के लिए ज्यादा अधिकार की आवश्यकता है। नगर परिषद केवल 2 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे सकती है।
- शहरी स्थानीय निकायों को अपने मानव संसाधनों पर पूर्ण अधिकार की आवश्यकता है। 56000 स्वीकृत कर्मचारियों में से 31 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जिनमें से 53 प्रतिशत ग्रेड A से C में हैं।

निष्कर्ष

- जैसा कि इस ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है, 27 वर्षों में अब तक बहुत कम किया गया है और 74वें CAA को अक्षरश: लागू करने के लिए तत्काल और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

चीनी सुधार (Sugar reforms)

1. 2013 में विनियंत्रण की शुरुआत

- विनियंत्रण व्यवसाय के चीनी पक्ष पर केंद्रित था। इसने चीनी मिलों को एक समय और अपनी पसंद की कीमत पर जितनी भी मात्रा में चाहें बेचने की अनुमति दी।
- PDS के माध्यम से वितरण के लिए सरकार को रियायती मूल्य पर लेवी (levy) चीनी की आपूर्ति भी समाप्त कर दी गई।
- हालांकि, गन्ना पक्ष पर नियंत्रण बना रहा और यह आज भी जारी है जब सरकार गन्ने की कीमत तय कर रही है।

2. 2016-17 में गन्ने की नई किस्म (CO 238)

- यह उत्तर प्रदेश (UP) में उपयोग के लिए विकसित किया गया था, जिसने काफी अधिक उपज (पहले की किस्मों से 22 टन के मुकाबले 30 टन प्रति एकड़) और यहां तक कि उच्च वसूली (सुक्रोज सामग्री पहले 9.5 प्रतिशत के मुकाबले 11.5 प्रतिशत थी) प्रदान की।
- यह देखते हुए कि यूपी भारत के गन्ने का बड़ा उत्पादन करता है, देश के चीनी उत्पादन में इसका हिस्सा 25 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया।
- इसने भारत को लगातार अधिशेष चीनी उत्पादक बना दिया।

3. अधिशेष प्रबंधन

- आज उत्पादन घरेलू खपत से 60 लाख टन अधिक हो गया है और ध्यान अधिशेष के प्रबंधन पर केंद्रित हो गया है।
- इससे सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए मासिक बिक्री कोटा फिर से शुरू करना पड़ा और चीनी के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य तय किया ताकि नकदी की कमी से चीनी मिलों को चीनी के साथ घरेलू बाजार में बाढ़ न आए। इससे स्थानीय कीमतें स्थिर रहीं।
- चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को समाप्त करने के लिए उसने निर्यात सब्सिडी की घोषणा की।
- सब्सिडी के बिना भारतीय निर्यात अव्यावहारिक है क्योंकि चीनी उत्पादन की लागत (गन्ने की ऊंची कीमत के कारण) अंतरराष्ट्रीय चीनी मूल्य से काफी अधिक है।
- विश्व व्यापार संगठन में अन्य देशों द्वारा इसका तुरंत विरोध किया गया। भारत को दिसंबर 2023 तक सब्सिडी जारी रखने की अनुमति दी गई है। भय यह है कि 2023 के बाद क्या होगा।

4. इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना और अधिशेष के प्रबंधन के लिए इसे उपकरण के रूप में उपयोग करना

- भारत का इथेनॉल कार्यक्रम - ऑटो ईंधन के रूप में उपयोग के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण, पहली बार 2003 में घोषित किया गया था।
- इथेनॉल सम्मिश्रण कई लाभ प्रदान करता है-
  - चीनी मिलों के नकदी प्रवाह में सुधार
  - किसानों के लिए बेहतर दाम सुनिश्चित करना
  - भारत की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि
  - प्रदूषण घटाना
- कई कारणों से इसने कभी उड़ान नहीं भरी -
  - सम्मिश्रण के लिए आपूर्ति किए गए इथेनॉल की खराब कीमत
  - चीनी की आवधिक कमी
  - पीने योग्य शराब क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी मांग
- केंद्र सरकार ने एथनॉल के लिए आकर्षक मूल्य तय करके कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया, जिसे तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने सम्मिश्रण के लिए खरीदा था। इसने चीनी मिलों को इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया।
- सरकार ने तब चीनी मिलों को चीनी उत्पादन के पहले चरण (गन्ने का रस और B-शीरा) से इथेनॉल का उत्पादन करने की अनुमति दी थी, न कि केवल C-शीरा से।
- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने गन्ने के रस और B-शीरा (चीनी उत्पादन में कमी के लिए मिलों को क्षतिपूर्ति करने के लिए) से उत्पादित इथेनॉल के लिए उच्च कीमतों की पेशकश की।
- इन उपायों से न केवल इथेनॉल की उपलब्धता में वृद्धि हुई बल्कि चीनी अधिशेष से निपटने में भी मदद मिली।
- 2019-20 चीनी सीजन (अक्टूबर-सितंबर) में, चीनी उत्पादन का 8 लाख टन इथेनॉल में बदल दिया गया। अगले दो-तीन वर्षों में 60 लाख टन चीनी अधिशेष को इथेनॉल में बदलने की योजना है।
- यदि किसी विशेष वर्ष में चीनी का उत्पादन गिरता है, तो सरकार गन्ने के रस के सीधे खरीद मूल्य को कम करके इथेनॉल में परिवर्तित कर सकती है। इस प्रकार, इथेनॉल चीनी अधिशेष के प्रबंधन के लिए एक अच्छा उपकरण साबित हो रहा है।

निष्कर्ष

- भारतीय चीनी उद्योग को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल एक कदम बाकी है - गन्ना मूल्य निर्धारण को मुक्त करना।
- सरकार द्वारा आज निर्धारित गन्ने की कीमत का अंतिम उत्पादों से होने वाली प्राप्ति से बहुत कम संबंध है। इससे मिलों को भारी नुकसान और गन्ने का बकाया निर्माण होता है।
- एक समाधान उपलब्ध है। रंगराजन समिति ने चीनी और अन्य उप-उत्पादों की कीमत में गन्ना मूल्य फैक्टरिंग तय करने के लिए एक सूत्र का सुझाव दिया है।
- यदि सूत्र द्वारा प्राप्त गन्ना मूल्य सरकार के उचित भुगतान के रूप में कम हो जाता है, तो यह इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक समर्पित फंड से अंतर को पाट सकता है और फंड बनाने के लिए उपकर लगाया जा सकता है।

मास्टरकार्ड पर आरबीआई का प्रतिबंध

- **संदर्भ:** हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 जुलाई से मास्टरकार्ड को भारत में ग्राहकों को नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया।
- यह सुनिश्चित करने के लिए ये प्रतिबंध केवल मास्टरकार्ड के नए कार्ड पर हैं, न कि मौजूदा ग्राहकों के पास।
- **प्रतिबंध का कारण:** मास्टरकार्ड जो यू.एस. कार्ड जारीकर्ता है, 2018 में आरबीआई द्वारा घोषित स्थानीय डेटा भंडारण नियमों का पालन करने में विफल रहा है।
- मास्टरकार्ड ग्राहकों के डेटा को देश के बाहर स्थित सर्वरों पर संग्रहीत कर रहा था और विदेशी सर्वरों से 24 घंटे के भीतर लेनदेन डेटा के भारतीय चरण को अनिवार्य रूप से मिटाने में भी विफल रहा।
- संसाधित किए गए लेनदेन पर डेटा का एक निश्चित हिस्सा भारत में स्थानांतरित कर दिया गया है और मास्टरकार्ड इसे रक्षा के रूप में उपयोग कर रहा है, लेकिन आरबीआई देश में स्थानीय स्तर पर शुरू से अंत तक संग्रहीत करना चाहता है।
- कार्ड नेटवर्क देश की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी-इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-in) द्वारा प्रमाणित एक घरेलू ऑडिटर नियुक्त करने के लिए आरबीआई की आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर रहा है, ताकि इसका बाहरी अनुपालन ऑडिट किया जा सके।

स्थानीय डेटा संग्रहण की क्या आवश्यकता है?

- विशेषज्ञों का मानना है कि ग्राहक की गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तविक चिंताएं हैं जिन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।
- सरकारें यह भी मान सकती हैं कि विदेशी कंपनियों को स्थानीय अवसंरचना स्थापित करने के लिए बाध्य करने से उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
- स्थानीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के पक्ष में करने के लिए सरकारें डेटा स्थानीयकरण को अनिवार्य करती हैं।
- उदाहरण के लिए चीन ने अपने साइबर सुरक्षा कानूनों का इस्तेमाल विदेशी कंपनियों के साथ भेदभाव करने के लिए किया है। इसी तरह की प्रवृत्ति भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता पर केंद्र के जोर के साथ चल रही है।
- हालांकि, कई लोग यह भी मानते हैं कि डेटा स्थानीयकरण नियम बहुत कड़े हैं और उनका उपयोग सरकारों द्वारा आर्थिक संरक्षणवाद के उपकरण के रूप में किया जा सकता है।

इन कंपनियों ने क्या आपत्ति जताई?

- कॉरपोरेट्स का यह भी तर्क है कि सीमाओं के पार डिजिटल जानकारी के भंडारण को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक अंतरराष्ट्रीय कानून इन चिंताओं से निपटने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं।
- 2018 में, मास्टरकार्ड ने अमेरिकी सरकार से शिकायत की थी कि केंद्र सरकार रुपे जैसे भारतीय कार्डों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं और यह विदेशी कार्ड कंपनियों के कारोबार को प्रभावित कर रहा है।

आगे क्या छिपा है?

- **व्यापार प्रभावित:** भारतीय बैंक जो वर्तमान में मास्टरकार्ड नेटवर्क में नामांकित हैं, उनसे अन्य कार्ड कंपनियों के साथ वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ महीने लगने की उम्मीद है, और उनके कार्ड व्यवसाय के इस बीच एक महत्वपूर्ण हिट होने की उम्मीद है।
- **घरेलू कार्ड कंपनियों को लाभ:** आरबीआई की डेटा स्थानीयकरण नीति, क्योंकि यह विदेशी कार्ड कंपनियों पर बोझ डालती है, RuPay जैसे घरेलू कार्ड जारीकर्ताओं के पक्ष में हो सकती है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब पर प्रतिबंध से भारतीय कार्ड नेटवर्क RuPay को फायदा हुआ।
- **लाभ प्रतियोगी:** मास्टरकार्ड के पास भारत में लगभग एक-तिहाई बाजार हिस्सेदारी है और आरबीआई के प्रतिबंध से इसके प्रतिस्पर्धियों को काफी लाभ होने की संभावना है।
- **अन्य विदेशी कंपनियों को प्रभावित करता है:** वीज़ा, एक विदेशी कंपनी जो भारत में कार्ड भुगतान पर हावी है यह निकट भविष्य में दबाव में आ सकती है।
- **लंबी अवधि में प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाता है:** इस प्रकार कार्ड भुगतान क्षेत्र कुछ घरेलू कंपनियों तक सीमित होकर बदले में प्रतिस्पर्धा को कम कर सकता है। इसका मतलब ग्राहकों के लिए उच्च लागत और कम गुणवत्ता वाली सेवाएं हो सकता है।
- **डेटा स्वामित्व पर निरंतर अस्पष्टता:** इसके अतिरिक्त, खर्च करने के पैटर्न और अन्य ग्राहक डेटा के बारे में जानकारी कंपनियों द्वारा विभिन्न तरीकों से मुद्रीकृत की जाती है। ग्राहक डेटा का मालिक कौन है और किस हद तक है, इस पर कोई स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण, डेटा स्वामित्व को लेकर विवाद कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है।

आरबीआई परिपत्र, 2018

- बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, इन सिस्टम प्रदाताओं के साथ-साथ उनके सेवा प्रदाताओं / मध्यस्थों / तीसरे पक्ष के विक्रेताओं और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य संस्थाओं के साथ संग्रहीत डेटा तक निर्बाध पर्यवेक्षी पहुंच होना महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि:
- सभी सिस्टम प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डेटा केवल भारत में एक सिस्टम में संग्रहीत किया जाता है। इस डेटा में संदेश / भुगतान निर्देश के हिस्से के रूप में संपूर्ण लेनदेन विवरण / एकत्रित / ले जाने / संसाधित की गई पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए। लेन-देन के विदेशी चरण के लिए, यदि डेटा को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में भी संग्रहीत किया जा सकता है।
- सिस्टम प्रदाता छह महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त (i) का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और 15 अक्टूबर, 2018 तक आरबीआई को इसके अनुपालन की रिपोर्ट करेंगे।
- सिस्टम प्रदाता उपरोक्त (i) पर आवश्यकता पूरी होने पर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट (SAR) प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त (i) में गतिविधि के पूरा होने को प्रमाणित करने वाले CERT-IN पैनलबद्ध लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। सिस्टम प्रदाताओं के बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित SAR 31 दिसंबर, 2018 के बाद रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

पेगासस परियोजना (Project Pegasus)

- **संदर्भ:** एक वैश्विक सहयोगी खोजी परियोजना ने पता लगाया है कि इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल दुनिया भर में हजारों लोगों को लक्षित करने के लिए किया गया था। माना जाता है कि भारत में कम से कम 300 लोगों को निशाना बनाया गया।

पेगासस क्या है?

- इज़राइली कंपनी NSO द्वारा निर्मित और विपणन किया गया, Pegasus एक ऐसा सॉफ़्टवेयर है जो अनधिकृत तरीके से डेटा को मास्टर सर्वर पर स्थानांतरित करके पीड़ितों पर उपकरणों और जासूसों को संक्रमित करता है।
- पेगासस को "गंभीर अपराधों और आतंकवाद" की निगरानी के लिए स्पष्ट रूप से विपणन किया जाता है।
- यह केवल अच्छे मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों के सैन्य, कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

यह कैसे काम करता है?

- पेगासस बहुत ही मूल रूप में इंटरनेट से जुड़े उपकरणों को संक्रमित कर सकता है। कुछ अद्यतन संस्करण पीड़ित द्वारा किसी लिंक या संदेश पर क्लिक किए बिना भी फोन को संक्रमित कर सकते हैं।
- अधिकांश स्पाइवेयर और स्टाकरवेयर ऐप्स स्वयं को चोरी-रोधी एप्लिकेशन के रूप में बदल जाते हैं जिनका उपयोग चोरी या खोए हुए उपकरणों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।
- जबकि एंटी-वायरस सॉफ़्टवेयर द्वारा वायरस और मैलवेयर का पता लगाया जा सकता है, स्पाइवेयर और स्टाकरवेयर ऐप्स स्वयं को उपयोगी के रूप में बदल जाते हैं और उपयोगकर्ताओं के ज्ञान के बिना केंद्रीय सर्वर को चुराए गए डेटा भेजते हैं।
- रिमोट सर्वर के निर्देशों के आधार पर सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से कैमरा और माइक्रोफ़ोन को चालू कर चैट में देख सकता है, कैलेंडर तक पहुंच सकता है और एसएमएस-एस और ईमेल पढ़ सकता है।

मुद्देः

- **उपयोग का पैमाना:** यहां आरोप नए नहीं हैं। जो नया है वह कथित तौर पर हो रहे निर्दोष लोगों को निशाना बनाने का पैमाना है। इस सूची में 21 देशों के करीब 200 पत्रकारों के फोन नंबर हैं।
- **असंतुष्टों पर हमला:** यह असंतुष्टों और विरोधियों के खिलाफ हैकिंग सॉफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2019 में भी, एचआर और छोटे कार्यकर्ताओं को हैक करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया।
- **पत्रकारों की सुरक्षा खतरे में:** गोपनीयता के अभाव में, पत्रकारों की सुरक्षा, विशेषकर उन लोगों की सुरक्षा, जिनके काम से सरकार की आलोचना होती है, और उनके स्रोतों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** एक निगरानी प्रणाली का अस्तित्व, चाहे वह कानून के प्रावधान के तहत हो या इसके बिना, निजता के अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (A-21) के प्रयोग को प्रभावित करता है।
- **प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट:** रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा निर्मित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ने 2021 में 180 देशों में से भारत को 142वें स्थान पर रखा है (2016 में भारत का 133वां स्थान)।

- **स्व-सेंसरशिप की ओर ले जाता है:** कथित खतरा, उचित संदेह पर आधारित है कि निगरानी हो सकती है, स्वयं ऐसे विचारों को व्यक्त करने, प्राप्त करने और चर्चा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है।
- **बड़े पैमाने पर निगरानी के खतरे:** जैसे-जैसे स्पाइवेयर अधिक किफायती होता जाता है और अवरोधन अधिक कुशल होता जाता है, विशिष्ट व्यक्तियों को लक्षित करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हर कोई संभावित रूप से राज्य-प्रायोजित सामूहिक निगरानी के अधीन होगा।
- **कमजोर विधायी संरक्षण:** भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से संबंधित प्रस्तावित कानून सरकारी अधिकारियों को व्यापक छूट प्रदान करते हुए निगरानी पर विचार करने में विफल रहता है।

आगे की राह

- सामान्य रूप से निगरानी प्रणालियों पर न्यायिक निगरानी और विशेष रूप से पेगासस हैकिंग की न्यायिक जांच आवश्यक है।
- केवल न्यायपालिका ही यह तय करने में सक्षम हो सकती है कि निगरानी के विशिष्ट उदाहरण आनुपातिक हैं या नहीं, सरकार के सुरक्षा उद्देश्यों की आवश्यकता को प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों के साथ संतुलित करने के लिए क्या कम कठिन विकल्प उपलब्ध हैं।

भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों के तहत होती है

- टेलीग्राफ अधिनियम कॉलों के अवरोधन से संबंधित है।
- सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी से निपटने के लिए आईटी अधिनियम बनाया गया।

1. टेलीग्राफ अधिनियम

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1884 की धारा 5(2) में कहा गया है कि सरकार कुछ स्थितियों पर "संदेश या संदेशों की श्रेणी" को रोक सकती है।
- कुछ स्थितियां - भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या किसी अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए।
- ये वही प्रतिबंध हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रतिबंध भी तभी लागू किए जा सकते हैं, जब कोई मिसाल मौजूद हो, कोई सार्वजनिक आपातकाल की घटना या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में।

इंटरसेप्शन के लिए परिचालन प्रक्रिया और प्रक्रियाएं

- प्रक्रिया भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419A में दिखाई देती है।
- 1996 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में फैसले के बाद 2007 में टेलीग्राफ नियमों में नियम 419A जोड़ा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेलीफोन पर बातचीत निजता के अधिकार से आच्छादित है। केवल तभी भंग किया जा सकता है जब स्थापित प्रक्रियाएं हों।
- नियम 419A के तहत, निगरानी के लिए केंद्र या राज्य स्तर पर गृह सचिव की मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन "अपरिहार्य परिस्थितियों" में संयुक्त सचिव या ऊपर के अधिकारियों द्वारा मंजूरी दी जा सकती है, यदि उनके पास गृह सचिव का अधिकार है।
- के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ का 2017 का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी की आवश्यकता को दोहराते हुए कहा कि यह कानूनी रूप से वैध होना चाहिए और सरकार के वैध उद्देश्य को पूरा करना चाहिए।
- अदालत ने यह भी कहा कि अपनाए गए साधन निगरानी की आवश्यकता के समानुपाती होने चाहिए और निगरानी के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रियाएं होनी चाहिए।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

- आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से संबंधित है।
- यदि यह "भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में है, तो यह सरकार को "किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन" की सुविधा प्रदान करता है।
- धारा 69 द्वारा अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की प्रक्रिया 2009 के नियमों में विस्तृत है जो इसके दायरे में व्यापक हैं।
- धारा 69 IT अधिनियम एक और पहलू जोड़ता है जो इसे व्यापक बनाता है - "अपराध की जांच के लिए" डिजिटल जानकारी का अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि यह टेलीग्राफ अधिनियम के तहत निर्धारित शर्त को समाप्त करता है जिसके लिए "सार्वजनिक सुरक्षा के हित में

सार्वजनिक आपातकाल की घटना" की आवश्यकता होती है, जो कानून के तहत शक्तियों के दायरे को विस्तृत करता है।

निष्कर्ष

- इसलिए, पेगासस जैसे स्पाइवेयर को कानूनी रूप से इस्तेमाल करने के लिए, सरकार को IT अधिनियम और टेलीग्राफ अधिनियम दोनों को लागू करना होगा।

भारत को तालिबान 2.0 के साथ सीधे जुड़ना चाहिए

- **सुर्ख़ियों में:** अफगानिस्तान से संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी की प्रक्रिया में, भारत की अफगान नीति एक प्रमुख चौराहे पर है; वहां अपनी नागरिक संपत्तियों की रक्षा करने के साथ-साथ अफगानिस्तान में और उसके आसपास होने वाले 'महान खेल' में प्रासंगिक बने रहने के लिए।
- भारत ने अमेरिका की उपस्थिति के संरक्षण के तहत 3 अरब डॉलर से अधिक की विकास सहायता प्रदान की थी। इनका उद्देश्य अफगानों की सद्भावना हासिल करना और सरकारों के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना था।
- अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो भारत की सहायता से अछूता रहा हो अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में 400 से अधिक परियोजनाएं शुरू की गई।
- सलमा बांध, जरांज-देलाराम राजमार्ग, अफगान संसद, बिजली की बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएं, परिवहन, क्षमता निर्माण आदि।

अफगानिस्तान में भारत की हालिया कार्रवाई क्या रही है?

- भारत ने कंधार में अपने वाणिज्य दूतावास को 'अस्थायी रूप से' बंद कर दिया है और वहां तैनात अपने राजनयिकों और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों को निकाल लिया है।
- यह जलालाबाद और हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावासों में परिचालन के निलंबन के बाद है। भारत का केवल काबुल में दूतावास और मजार-ए-शरीफ में वाणिज्य दूतावास है।
- दूसरे शब्दों में, नई दिल्ली ने युद्धग्रस्त देश में अपनी नागरिक उपस्थिति को कम करने का फैसला किया है, जो एक पूर्ण गृहयुद्ध के लिए तैयार है।
- जो यह दर्शाता है कि केवल काबुल में सरकार पर सट्टा लगाना एक बड़ी भूल थी।
- और यह यह भी दर्शाता है कि भारत को तालिबान के भारतीय संपत्ति और अफगानिस्तान में उपस्थिति के खतरे का एहसास है।

क्या हाल के दिनों में तालिबान के प्रति भारत की नीति बदली है?

- भारत पिछले कुछ वर्षों से तालिबान के प्रति अपनी सख्त नीति को लगातार छोड़ रहा है।
- 2018 में भारत ने एक सम्मेलन के लिए दो सेवानिवृत्त राजनयिकों का एक 'गैर-आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल' मास्को भेजा, जिसमें तालिबान और अन्य क्षेत्रीय देश शामिल थे।
- सितंबर 2020 में भारत के विदेश मंत्री (EAM) दोहा में इंट्रा-अफगान (तालिबान और अफगान सरकार) वार्ता के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए।
- नवीनतम रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से तालिबान तक पहुंचना शुरू कर दिया है, जिसकी परोक्ष रूप से विदेश मंत्री द्वारा पुष्टि की गई थी।
- कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तालिबान के प्रति भारत का दृष्टिकोण आधा-अधूरा, आधा-शर्मिंदा और वैचारिक रूप से संकोची रहा है।

वे कौन से कारण हैं जिन्होंने तालिबान के साथ भारत के संबंधों को धीमा और आधा-अधूरा रखा है?

अफगान सरकार को परेशान नहीं करना चाहता:

- यदि नई दिल्ली तालिबान को सीधे तौर पर शामिल करने का विकल्प चुनती है, तो यह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को असहज कर सकती है, जो अब तक भारत के भरोसेमंद साथी हैं।
- यह संभावित रूप से उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत राजनीतिक अस्तित्व के लिए चीन और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की ओर देखने के लिए प्रेरित कर सकता है।

तालिबान में किससे बात करनी की दुविधा है

- नई दिल्ली को मुश्किल है कि तालिबान के भीतर किससे बात की जाए क्योंकि यह शायद ही एक पत्थर का खंभा है।

- नई दिल्ली की अफगानिस्तान में जमीन पर लड़ाकों तक बहुत कम पहुंच हो सकती है। इसलिए, दोहा स्थित तालिबान वार्ताकार ही एकमात्र विकल्प हो सकता है।

संलग्न होने की हड़बड़ी के विरुद्ध चेतावनी देने वाले नैतिक सिद्धांत

- तालिबान को अपनी रूढ़िवादी और लोकतंत्र विरोधी नीतियों के लिए भारत सहित वैश्विक आलोचना का सामना करना पड़ा।
- तालिबान आज बदला हुआ संगठन है या नहीं, इस बारे में सबूतों की कमी के कारण, नई दिल्ली तालिबान को इतनी जल्दी अदालत में पेश नहीं करना चाहेगी।
- इससे भी अधिक इस बारे में बहुत कम स्पष्टता है कि तालिबान के वास्तविक इरादे क्या आगे बढ़ रहे हैं और काबुल में सत्ता में आने के बाद वे क्या करेंगे।

पाकिस्तान फैक्टर

- यदि भारत को तालिबान के साथ गहरे संबंध स्थापित करने हैं, तो पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में भारत के खिलाफ और अधिक आक्रामक कार्रवाई करने की संभावना है।

भारत को तालिबान के साथ अधिक सक्रिय और खुले तौर पर क्यों जुड़ना चाहिए?

- **वास्तविकता को स्वीकार करना:** तालिबान एक तरह से या किसी अन्य, अफगानिस्तान में राजनीतिक शक्ति का हिस्सा बनने जा रहा है और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान को मान्यता देने/बातचीत करने/व्यापार करने जा रहे हैं।
- **पाकिस्तान कारक:** तालिबान के साथ भारतीय जुड़ाव जितना कम सक्रिय होगा, पाकिस्तान-तालिबान संबंध उतने ही मजबूत होंगे, जो इस क्षेत्र में भारत के हित के खिलाफ है।
- **तालिबान की राजनीतिक जरूरत:** तालिबान आज विशेष रूप से पड़ोस में मान्यता और वैधता के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारों की तलाश कर रहा है। इसके अलावा, अपने पड़ोसी पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए, तालिबान भारत को अपने रणनीतिक भागीदार के रूप में देख सकता है।
- **भारत की नागरिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए:** भारत द्वारा विकास सहायता में 3 अरब डॉलर से अधिक खर्च करने के बाद अफगानिस्तान से हटने का न तो रणनीतिक और न ही आर्थिक अर्थ है। इसलिए, भारत को अपनी नागरिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तालिबान के साथ जुड़ने की जरूरत है।
- **भौगोलिक आवश्यकता:** भारत की अफगानिस्तान तक प्रत्यक्ष भौतिक पहुंच की कमी। इसलिए भारत सरकार को उस शक्ति के साथ जुड़ना होगा जो देश को सुचारू आर्थिक संबंध और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए शासन करती है।
- **क्षेत्रीय नियति को आकार देने के लिए:** यदि भारत कम से कम अभी अफगानिस्तान में सक्रिय नहीं है, तो रूस, ईरान, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान के राजनीतिक और भू-राजनीतिक भाग्य के निर्माता के रूप में उभरेंगे, जो निश्चित रूप से वहां भारतीय हितों के लिए हानिकारक होगा।
- **भीड़भाड़ वाले उत्तर-पश्चिमी सीमा को खोलना:** पाकिस्तान के साथ बैकचैनल वार्ता और परिणामी युद्धविराम, मुख्यधारा के कश्मीरी नेतृत्व के साथ राजनीतिक बातचीत, तालिबान के साथ गुप्त वार्ता सभी संकेत देते हैं कि नई दिल्ली अपनी भीड़भाड़ वाली उत्तर-पश्चिमी सीमा को खोल रही है। तालिबान की सक्रिय भागीदारी इस प्रयास को और अधिक रणनीतिक ऊंचाई प्रदान करेगी।

निष्कर्ष

- अंत में, तालिबान के साथ भारत की भागीदारी बहुत कुछ हासिल कर सकती है या नहीं, लेकिन गैर-व्यवसाय निश्चित रूप से भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाएगी
- इसलिए नई दिल्ली को अपनी सामूहिक स्मृति से IC-814 (दिसंबर 1999 अपहरण) के डेमोन्स (demons) को भूल जाना चाहिए और तालिबान 2.0 के साथ जुड़ना चाहिए - इसके बारे में गुप्त या शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

असम-मिजोरम विवाद

- **सुर्ख़ियों में:** अंतर-राज्यीय सीमा पर गोलीबारी में असम के कम से कम छह पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए।
- दोनों राज्यों के बीच की सीमा जो आज 165 किमी जाती है इसका इतिहास उस समय से है जब मिजोरम असम का एक जिला था और लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था।
- 1874 और 1933 में सीमा सीमांकन, विशेष रूप से दूसरा विवाद के केंद्र में हैं।

- उस वर्ष 20 अगस्त को अधिसूचित 1874 का सीमांकन, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) अधिनियम, 1873 से लिया गया। इसने लुशाई पहाड़ियों को असम की बराक घाटी में कछार के मैदानी इलाकों से अलग किया। यह मिजो प्रमुखों के परामर्श से किया गया था और यह दो साल बाद गजट में इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट सीमांकन का आधार बन गया।
- 1933 का सीमांकन लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच एक सीमा को चिह्नित करता है, जो लुशाई हिल्स, कछार जिले और मणिपुर के त्रिकोणीय जंक्शन से शुरू होता है। मिज़ो लोग इस सीमांकन को इस आधार पर स्वीकार नहीं करते कि इस बार उनके प्रमुखों से सलाह नहीं ली गई थी।
- सीमा रेखा को 1875 की भीतरी रेखा के दक्षिण में आगे और खींचा गया, जिससे मिज़ो लोगों को ब्रिटिशों द्वारा लाए गए बाहरी बसने वालों (मुख्य रूप से बांग्लादेशियों) की सुविधा के लिए अनुकूल ढलानों और समतल भूमि से वंचित किया गया।
- 1972 में मिजोरम के एक केंद्र शासित प्रदेश और फिर 1987 में एक राज्य बनने के बाद से विवाद तेज हो गया है। दोनों राज्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कि सीमाओं में स्थापित नो-मैन्स लैंड पर यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए।
- जबकि असम अपनी दावा की गई सीमा को अतिक्रमण के रूप में देखता है, मिजोरम अपने क्षेत्र के अंदर असम द्वारा एकतरफा कदमों का हवाला देता है।
- मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर जो अलग-अलग संस्थाओं के रूप में अस्तित्व में थे, असम को अपने सभी उत्तर-पूर्वी पड़ोसियों के साथ सीमा की समस्या थी।
- **स्वतंत्रता के बाद राज्य का पुनर्गठन:** प्राथमिक कारण यह है कि अन्य राज्यों जो ब्रिटिश शासन के दौरान असम का हिस्सा थे उसने असम से अलग होने और समय के साथ पूर्ण राज्य बनने के बाद सीमाओं का विरोध किया है (नागालैंड राज्य का दर्जा) 1963; मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 1971 में राज्य का दर्जा; अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में राज्य का दर्जा मिला)।
- **संवैधानिक समाधान बनाम ऐतिहासिक आधार:** असम ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सीमा आयोगों की कई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अन्य राज्य "ऐतिहासिक सीमाओं" से जुड़े हुए हैं जो 1826 से पहले की अवधि में वापस जाते हैं, जब अंग्रेजों ने अविभाजित असम को शामिल किया था।
- **नागालैंड का मुद्दा:** नागालैंड सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि 1960 के 16-सूत्रीय समझौते, जिसके कारण नागालैंड का निर्माण हुआ, उनमें सभी नागा क्षेत्रों की "पुनर्स्थापना" भी शामिल है, जिन्हें 1826 में असम से अंग्रेजों के कब्जे के बाद नागा पहाड़ियों से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था।
- **मेघालय का मुद्दा:** मेघालय ने 1971 के असम पुनर्गठन अधिनियम को चुनौती दी है, जिसमें दावा किया गया है कि असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दो ब्लॉक तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स के थे, जिन्हें 1835 में बनाया गया था।

आगे की राह

- **आम आदमी का बोझ:** सीमा पर रहने वाले लोग अशांति का खामियाजा तब तक झेलते रहेंगे जब तक कोई स्वीकार्य समाधान नहीं निकल जाता।
- अंतर्राज्यीय सीमा पर दोनों राज्यों के पुलिस कर्मियों द्वारा केंद्रीय बलों के साथ संयुक्त गश्त।
- **शांति और व्यवस्था बनाए रखना:** विवादास्पद सीमा की रक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के अलावा, राज्य सरकारों को सीमा तनाव पर जोड़ने वाले अपराधियों और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के बीच समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन

- **सुर्ख़ियों में:** हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन में नौ पर्यटकों की दुखद मौत हो गई।
- **कारण:** हाल ही में राज्य में असाधारण रूप से भारी बारिश ने पहाड़ी ढलानों को अस्थिर कर दिया और निर्मित क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बना दिया ।
- भूस्खलन को एक ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान की गति के रूप में परिभाषित किया गया है। भूस्खलन "बड़े पैमाने पर बर्बादी" का एक प्रकार है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत मिट्टी और चट्टान के किसी भी ढलान की गति को दर्शाता है।
- ढलान की गति तब होती है जब नीचे-ढलान (मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण) कार्य करने वाले बल ढलान की रचना करने वाली पृथ्वी सामग्री की ताकत से अधिक हो जाते हैं।
- भूस्खलन तीन प्रमुख कारकों के कारण होता है: भूविज्ञान, आकृति विज्ञान और मानव गतिविधि।

- भूविज्ञान सामग्री की विशेषताओं को संदर्भित करता है। पृथ्वी या चट्टान कमजोर या खंडित हो सकती है, या अलग-अलग परतों में अलग-अलग ताकत कठोर हो सकती है।
- आकृति विज्ञान से तात्पर्य भूमि की संरचना से है। उदाहरण के लिए ढलान जो अपनी वनस्पति को आग या सूखे में खो देते हैं, भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
- वनस्पति मिट्टी को अपने स्थान पर रखती है पेड़ों, झाड़ियों और अन्य पौधों की जड़ सिस्टम के बिना भूमि के खिसकने की संभावना अधिक होती है।
- मानव गतिविधि जिसमें कृषि और निर्माण शामिल हैं, भूस्खलन के जोखिम को बढ़ाते हैं।

मुद्दे

- हिमालयी परिदृश्य भूस्खलन के लिए अतिसंवेदनशील है। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने के कारण बनी, पूर्व की उत्तर की ओर गति चट्टानों पर निरंतर दबाव डालती है, जिससे वे कमजोर होकर भूस्खलन और भूकंप (उच्च भूकंपीय क्षेत्र) की संभावना होती है। यह खड़ी ढलानों, ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति, उच्च भूकंपीय भेद्यता और वर्षा के साथ मिलकर एक घातक कॉकटेल बनाते हैं।
- **संसाधनों का अंधाधुंध दोहन:** बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं (हरित ऊर्जा का स्रोत) और इस क्षेत्र में जंगलों के विनाश और नदियों को बांधना, बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधि पारिस्थितिकी के कई पहलुओं को बदल देती है, जिससे क्षेत्र बादल फटने जैसी घटनाओं के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। तब अचानक बाढ़, भूस्खलन और भूकंप आते है।
- **कड़वी हकीकत:** हिमालयी राज्य अपनी पारिस्थितिकी के नुकसान के कारण अपरिवर्तनीय गिरावट के चरण में प्रवेश कर रहे हैं और लगातार आपदाएं अपरिहार्य हो सकती हैं।
- **प्रशासन की उपेक्षा:** COVID प्रोटोकॉल में ढील के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य में पर्यटक गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया। दुर्भाग्य से, जोखिम भरे क्षेत्रों की यात्रा के खिलाफ पर्याप्त सतर्कता नहीं थी

आगे की राह

- दुर्घटना हिमालयी राज्यों की पारिस्थितिकी की नाजुकता को दर्शाती है। नाजुक स्थलाकृति और जलवायु-संवेदनशील योजना के लिए सरकारें अवहेलना जारी नहीं रख सकती हैं।
- पहाड़ों के बारे में ज्ञान साझा करने और प्रसार करने के लिए पूर्व चेतावनी और बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और हिमालयी राज्यों का एक सीमा-पार गठबंधन होना महत्वपूर्ण है।
- साथ ही, क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और एक स्थायी योजना तैयार करना महत्वपूर्ण है जो इस टूटने-फूटने वाले क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और जलवायु संकट के प्रभाव का सम्मान करता है।
- **शमन (Mitigation):**
  - भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों जैसे सड़कों और बांधों पर प्रतिबंध।
  - कृषि को घाटियों और मध्यम ढलान वाले क्षेत्रों तक सीमित करना।
  - उच्च सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में बड़ी बस्तियों के विकास पर नियंत्रण।
  - पानी के प्रवाह को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वनीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और बांधों का निर्माण करना।
  - उत्तरपूर्वी पहाड़ी राज्यों में टेरेस फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहां झूमिंग (स्लेश एंड बर्न/शिफ्टिंग कल्टीवेशन) अभी भी प्रचलित है।

यूरोप में बाढ़

- **प्रसंग:** यूरोप के कई देश जैसे जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड और स्पेन में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अधिकांश देशों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जहां कई यूरोपीय देशों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है वहीं नीदरलैंड ने अपने जल प्रबंधन से एक मिसाल पेश की है, वहां भारी बारिश के बाद भी कोई जनहानि नहीं हुई है।
- ऐसा माना जाता है कि यूरोप के इन क्षेत्रों में एक सदी से भी अधिक समय से इतनी भारी वर्षा नहीं हुई है।
- बाढ़ और उसके बाद अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों में केरल के अगस्त 2018 के अनुभव के समान ही असाधारण समानता है।
- इन चरम और अप्रत्याशित घटनाओं को जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है

जलवायु परिवर्तन किस प्रकार बार-बार बाढ़ का कारण बन रहा है?

- जितना अधिक CO_2 दुनिया वायुमंडल में उत्सर्जित करेगी, हवा का तापमान उतना ही गर्म होगा।

- गर्म हवा में अधिक नमी होती है और इसके परिणामस्वरूप अधिक वर्षा होती है, जिससे बाढ़ आती है।
- इसके अतिरिक्त, ध्रुवों पर बढ़ते तापमान के परिणामस्वरूप मध्य अक्षांशों में तूफानों की गति धीमी हो जाती है। फलस्वरूप, तूफान एक विशिष्ट स्थान पर अधिक समय तक टिके रहते हैं।
- धीमी गति से चलने वाले तूफान के संयोजन और वातावरण में अतिरिक्त नमी की उपस्थिति के परिणामस्वरूप कम समय में एक स्थान पर तीव्र वर्षा होती है।
- जर्मनी की उच्च बाढ़ चेतावनी प्रणाली ने भारी बारिश और बाढ़ की संभावना का पूर्वानुमान लगाया था। लेकिन स्थानीय अधिकारी पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया देने और व्यापक आबादी को चेतावनियों को संप्रेषित करने में असमर्थ थे।
- बारिश और बाढ़ इतनी तेजी से हुई कि सभी निवासियों को सुरक्षित निकालने और उनके पास मौजूद ज्यादा बचाव और राहत बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तैनात करने का समय नहीं था।

नीदरलैंड ने बाढ़ से निपटने में क्या सही किया?

- डच बाढ़ से खुद को बचाने के लिए बांधों, दीवारों और फाटकों पर अपनी पारंपरिक निर्भरता से आगे निकल गए।
- उनका वर्तमान आपदा प्रतिरोध मंत्र है पानी के साथ जीना, प्रकृति के साथ निर्माण करना और नदी के लिए जगह बनाना।
- वे नदियों के उफान के लिए पर्याप्त जगह बनाने की हिमायत करते हैं।
- बाढ़ के मैदानों को मानवीय हस्तक्षेप और मानवीय गतिविधियों से बचाना
- नदी तलों को गहरा करना।
- अतिरिक्त पानी के लिए वैकल्पिक चैनल बनाना।
- 1993 और 1995 में दो बड़ी बाढ़ के बाद, डचों ने नदी के किनारों को चौड़ा करने और नदियों के आसपास के क्षेत्रों को फिर से आकार देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू कीं।
- इसके अलावा बेहतर संगठन, बेहतर तैयारी, उन्नत बाढ़ प्रबंधन प्रणाली और सदियों के अनुभव ने नीदरलैंड को बाढ़ का बेहतर प्रबंधन करने में मदद की है।

भारत के साथ-साथ अन्य देशों के लिए भी आगे की राह

- "पानी के साथ जियो, प्रकृति के साथ निर्माण करो और नदी के लिए जगह बनाओ" डच मॉडल से सीखना।
- **जोखिम क्षेत्रों का मानचित्रण:** बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान कर नदियों के लिए जगह बनाने के लिए परियोजनाओं को तत्काल आधार पर शुरू किया जाना चाहिए।
- पानी के प्रवाह के लिए अधिक जगह बनाकर नदियों और नहरों की जल निकासी क्षमता में वृद्धि करना। इसमें मौजूदा जल चैनलों से अवरोधों और अतिक्रमणों को हटाना, ऐसे चैनलों का उचित रखरखाव और पानी के प्रवाह के लिए अतिरिक्त चैनल बनाना शामिल है।
- **अतिरिक्त वर्षा जल का भंडारण:** कम जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे खेल के मैदान या कृषि क्षेत्रों को अतिरिक्त वर्षा जल को संग्रहीत करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।
- इन भंडारण इकाइयों में पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- इससे मौजूदा ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम होगा।
- संग्रहित पानी को बाद में उच्च पानी के कम होने पर वापस ड्रेनेज चैनल में छोड़ा जा सकता है।
- **आपदा की तैयारी को मजबूत करना:** अल्पावधि में, मजबूत आपदा तैयारी, योजना और अचानक तीव्र बारिश और परिणामी बाढ़ से निपटने में मदद करेगी।
- जबकि राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अनुभव, क्षमता और व्यावसायिकता में विकसित हुए हैं, सरकार के सभी स्तरों पर उच्च स्तर के समन्वय और तैयारी की आवश्यकता है।

बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अभ्यास किए जाने की आवश्यकता है।

- **चेतावनी संदेशों को संशोधित करना:** हमें बाढ़ चेतावनियों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने की आवश्यकता है। चेतावनियां स्थानीय भाषाओं में और सरल शब्दों में होनी चाहिए।
- अपेक्षित बारिश की मिलीमीटर की भविष्यवाणी करने के बजाय, संपत्ति और जीवन को हुए नुकसान के बारे में विशिष्ट जानकारी देने से प्रभावित समुदायों को सतर्क रहने और शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

मनरेगा- भुगतान का मुद्दा

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2006 के तहत योजना है।
- मनरेगा विश्व के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
- **उद्देश्य:** इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है।
- **कार्य का कानूनी अधिकार:** यह योजना मामले में अपील के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करती है, काम प्रदान नहीं किया जाता है या भुगतान में देरी होती है।
- लाभार्थियों में कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD) कार्यान्वयन निकाय है।
- आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम की मांग की जाती है, आवेदक को मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या काम मांगने की तिथि से रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार।
- **विकेंद्रीकृत योजना:** इन कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महत्वपूर्ण भूमिका देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
- मनरेगा कार्य जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता को संबोधित करते हैं और किसानों को ऐसे जोखिमों से बचाते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं।
- इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है जो कुशल श्रम की पूरी लागत और इस कानून के तहत किए गए कार्यों के लिए सामग्री की लागत का 75% वहन करती है।
- केंद्र और राज्य सरकारें इस अधिनियम के तहत किए गए कार्यों का ऑडिट CEGC (केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद) और SEGC (राज्य रोजगार गारंटी परिषद) द्वारा तैयार वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से करती हैं। इन रिपोर्टों को विधायिका में मौजूदा सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।
- इस योजना ने मजदूरी की अस्थिरता और श्रम में लिंग वेतन अंतर को भी कम किया है।\

मनरेगा में भुगतान प्रणाली

- इस अधिनियम के तहत, श्रमिकों को काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी मिलनी चाहिए, ऐसा न करने पर वे देरी के लिए मुआवजे के हकदार हैं। मनरेगा भुगतान प्रक्रिया में दो चरण होते हैं।
- **चरण 1 :** राज्य की जिम्मेदारी - पंचायत/ब्लॉक द्वारा कार्यकर्ता विवरण के साथ फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) डिजिटल रूप से भारत सरकार को भेजा जाता है + काम पूरा होने के बाद 8 दिनों में पूरा किया जाना चाहिए।
- **चरण 2 :** भारत सरकार तब FTO को संसाधित करती है और मजदूरी को सीधे श्रमिकों के खातों में स्थानांतरित करती है + पूरी तरह से भारत सरकार की जिम्मेदारी + चरण 1 के बाद सात दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

मनरेगा के साथ भुगतान के मुद्दे

- **प्रसंस्करण और भुगतान में देरी:** दूसरे चरण में लेनदेन को संसाधित करने के लिए भारत सरकार को औसतन 26 दिन लगे। साथ ही अप्रैल-जून 2021 के लेनदेन का केवल 26% भारत सरकार द्वारा निर्धारित सात दिनों की अवधि के भीतर जमा किया गया था।
- **न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन:** 2018 में, SC ने देरी के लिए मुआवजे का भुगतान नहीं करने के लिए भारत सरकार को फटकार लगाते हुए कड़े आदेश दिए। तीन साल बाद, भारत सरकार अधिनियम और अदालत के आदेशों का उल्लंघन करना जारी रखे हुए है।
- **वर्ष की शुरुआत के दौरान देरी:** वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मजदूरी के भुगतान में अत्यधिक देरी देखी जा रही है, जब कार्यक्रम को धन के साथ फ्लश करना होता है।

- **डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में प्रगति के बावजूद देरी:** भारत ने आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में 4,355 करोड़ डिजिटल खुदरा लेनदेन (मिनटों/24 घंटे के भीतर पूरा) का दावा किया। इसकी तुलना में मनरेगा लेनदेन, जो इनकी मात्रा में केवल 1.6% हैं, जो नियमित रूप से विलंबित हो जाते हैं
- **विलंबित भुगतानों की जवाबदेही:** ये विलंब पूरी तरह से बेहिसाब थे क्योंकि ये मनरेगा MIS में परिलक्षित नहीं होते थे।
- **फीडबैक की कमी:** मनरेगा की डिजिटल भुगतान प्रणाली 2012 से कई प्रयोगों की प्रयोगशाला रही है। हालांकि इन प्रणालियों की मजबूती का मूल्यांकन करने के लिए श्रमिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

जाति के आधार पर भुगतान अलग करना:

- 2 मार्च को भारत सरकार ने भुगतान प्रणाली को बदलने के लिए एक परिपत्र जारी किया ताकि श्रमिकों की जाति (एससी, एसटी और "अन्य") के आधार पर भुगतान अलग से किया जा सके।
- भारत सरकार द्वारा भुगतान पृथक्करण आदेश को यह आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि एससी/एसटी समुदायों को मनरेगा से कितना लाभ हुआ।
- जबकि उद्देश्य अच्छा है, पर्याप्त बहस के बिना भुगतान वास्तुकला के साथ प्रयोग करना चिंता पैदा करता है (मनरेगा की सार्वभौमिकता के क्षरण का डर) खासकर जब मजदूरी भुगतान पूरा होने के बाद समान डेटा की गणना आसानी से की जा सकती है।

MORE IN BABAPEDIA

Issue/Analysis	Application/Value Add/ Think
टॉपिक: भारत और धर्म	**GS-I- Society**
संदर्भ: प्यू (Pew) रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट, धर्म और भारत: सहिष्णुता और अलगाव लगभग 30,000 उत्तरदाताओं के साथ गंभीर सर्वेक्षण डेटा पर आधारित है।	
सर्वेक्षण से मुख्य निष्कर्ष • सभी धर्मों में अत्यधिक धार्मिक देश। यह धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर सामाजिक पहचान, विश्वास और व्यवहार तक धर्म के हर आयाम के बारे में भी सच है। उच्च स्तर की धार्मिकता जो शिक्षा या वर्ग के साथ कम नहीं होती है। • **दूसरे धर्म का सम्मान बहुत अधिक है:** 80% हिंदू और 79% मुसलमान कहते हैं कि दूसरे धर्मों का सम्मान करना उनकी धार्मिक पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। • **धार्मिक संवेदनाएं समान हैं:** कर्म के सिद्धांत में विश्वास करने वालों की संख्या हिंदुओं और मुसलमानों में समान है। • **खंडित सहनशीलता:** भारत सहिष्णुता की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन व्यवहार खंडित सहिष्णुता: प्रत्येक समुदाय का अपना स्थान होता है जब तक कि प्रत्येक अपने स्थान पर रहता है। उदाहरण के लिए: 63% हिंदू और 70% मुसलमान अंतर्जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों का विरोध करते हैं। • **भोजन और धर्म:** खाद्य प्रथाएं धार्मिक पालन का सबसे मजबूत चिह्नक बनी हुई हैं: गोमांस खाना या सूअर का मांस खाना केवल एक ही चीज है जिसके बारे में आपके दो-तिहाई सह-धर्मवादियों का मानना है कि आप उस धर्म से अयोग्य हो जाएंगे। • **भाषा, धर्म और राष्ट्रवाद:** 64% प्रतिशत हिंदू सोचते हैं कि एक अच्छा भारतीय होने के लिए हिंदू होना/या हिंदी के साथ पहचान जरूरी है। • **राजनीति में धर्म:** सभी समुदायों के दो-तिहाई सदस्य सोचते हैं कि राजनेताओं के लिए धर्म में उलझना ठीक है।	**क्या आप जानते हैं?** 2007 और 2019 के बीच, दुनिया आम तौर पर कम धार्मिक थी (जिसमें भारत अपवाद था); अध्ययन किए गए 49 देशों में से 43 ने धर्म में उल्लेखनीय गिरावट देखी।
सर्वेक्षण में भारत की समग्र तस्वीर एक धार्मिक देश की है, जो वैचारिक रूप से धार्मिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बहिष्करण और इसके सहिष्णुता में खंडित है।	निष्कर्ष

Issue/Analysis	Application/Value Add/ Think
टॉपिक: वैश्वीकरण और भारत	**GS-II-International**
संदर्भ: वैश्वीकरण के कुछ पारंपरिक रूप (सामान की मुक्त आवाजाही, धन, लोग) आंशिक रूप से पीछे हट रहे हैं, लेकिन वैश्वीकरण विकसित हो रहा है क्योंकि नए एजेंडा फोकस में आते हैं।	परिचय
वैश्वीकरण चरण- II को आकार देने वाले नए एजेंडा जो भारत के लिए फायदेमंद नहीं हो सकते हैं: **1. जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना** • हालांकि भारत 2015 के पेरिस समझौते का एक उत्साही कार्यान्वयनकर्ता है, लेकिन उसे नई प्रौद्योगिकियों पर स्विच करने और कोयला आधारित ऊर्जा जैसी पुरानी तकनीकों को छोड़ने के लिए कोई सहायता (वित्तीय या तकनीकी) नहीं मिलेगी। • साथ ही कार्बन गैसों के ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार देशों को मुफ्त पास मिलता है।	पेरिस जलवायु समझौते में भारत की क्या प्रतिज्ञाएँ हैं?
2. वैश्विक कंपनियों का कराधान • नई अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कराधान व्यवस्था जिस पर काम किया जा रहा है, उस देश में भुगतान की जाने वाली कर की न्यूनतम दर निर्धारित करती है जहां राजस्व उत्पन्न होता है। • भारत को इससे खुश होना चाहिए, लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने पर इसका मुख्य लाभ अमीर देश होंगे।	
3. वैश्विक सार्वजनिक भलाई के रूप में वैक्सीन आपूर्ति और स्वास्थ्य • टीकों की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति पर भी, G7 देशों के समृद्ध क्लब की हालिया बैठक में जिन संख्याओं पर सहमति बनी, वे उल्लेखनीय नहीं हैं। • लेकिन कोविड के टीकों पर पेटेंट से छूट के लिए भारत के प्रयास पर ध्यान दिया जाना बाकी है।	क्या सरकार को अपने राजनयिक उपकरण के हिस्से के रूप में वैक्सीन आपूर्ति (भारत टीकों का सबसे बड़ा उत्पादक है) का उपयोग करना चाहिए?
4. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विकास • इस क्षेत्र पर हावी होने वाली विशाल तकनीकी कंपनियों ने स्वतंत्र रूप से काम किया है, लेकिन भारत सहित संप्रभु राज्य शक्ति के खिलाफ तेजी से सामने आई हैं। • वैश्विक व्यापार के लिए वैश्विक नियमों की स्थापना के लिए यह एक उपयुक्त मामला होना चाहिए (वैश्विक सहयोग का नया रूप) • शक्तिशाली एकतंत्रीय देशों (चीन, रूस, तुर्की आदि) के उदय को देखते हुए, यह एक कठिन चुनौती होगी।	सोशल मीडिया पर आपकी क्या राय है? क्या यह आपको सशक्त बनाता है? या यह एक व्याकुलता है? Mail us your opinions to team@iasbaba.com
पुराना वैश्वीकरण अनिवार्य रूप से भारत के लिए अच्छा था। नया वैश्वीकरण अच्छी और बुरी खबरों का मिश्रण हो सकता है।	निष्कर्ष

Issue/Analysis	Application/Value Add/ Think
टॉपिक : पेट्रोल और ऐलकोहल को GST में शामिल करना	**GS-III- Economy**
संदर्भ: 2017 से यह आम धारणा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को GST के तहत लाया जाएगा और GST के तहत शामिल होने के बाद कीमतें कम हो जाएंगी।	परिचय
पेट्रोलियम को GST में शामिल करने के लिए तर्क • आज तक, जीएसटी की अधिकतम दर 28% और उपकर लागू है। • चूंकि पेट्रोलियम उत्पाद वर्तमान में GST के दायरे में नहीं हैं, इसलिए वर्तमान में	

वैट और उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और पेट्रोल की कीमत का लगभग 150% एकत्र किया जाता है। • पेट्रोलियम को GST में शामिल करने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी आएगी। • चूंकि पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इनपुट पर सेट-ऑफ की अनुमति न देने के कारण कुल लागत में वृद्धि हुई है।	
पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल करने के खिलाफ तर्क • इस निर्णय को लागू करने से राज्य और केंद्र सरकारों के राजस्व पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। • राज्यों को न केवल कराधान राजस्व खोने का डर है बल्कि कराधान अधिकार भी खोने का डर है। इससे राज्य को अपने बजट की योजना बनाने में लचीलापन रखने की शक्तियां और भी कम हो जाती है।	शराब के लिए भी यही तर्क और प्रतिवाद लागू होते हैं।
चार साल बीत चुके हैं लेकिन पेट्रोलियम उत्पाद और शराब अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। यह उचित समय है कि विभिन्न हितधारकों के बीच इस पर बहस हो कि इसे शामिल किया जाना चाहिए या नहीं।	निष्कर्ष

More interesting analysis & issues discussed in Babapedia

Topic: Social Security for Informal Workers

Context: On June 29, the Supreme Court finally delivered its judgment on the plight of the migrant labour

- First, it recognised that there was large-scale exclusion of migrant informal workers from existing schemes due to the lack of their registration and outdated eligibility lists.
- Second, it mandated that the portal for registration of all informal/migrant workers should be fully operational before July 31…….

Topic: China-Africa: Learning & Opportunity for India

Analysing Chinese engagement with Africa

- **Biggest Economic Partner**: China…..
- **Relocation Site for Chinese Firms**: Chinese-built industrial…
- **Learning Experience**: Chinese …

Topic: Global financing of climate change

Issues

- **Privatising the profits and universalising pollution:** The cost towards mitigation and adaptation of climate change is largely borne by the government and people and profits are appropriated by the business.
- **Inadequate Attention to Mitigation:** 93% of the total public and private finances flow to mitigation activities while adaptation activities receive less than 7%.
- ………….

Topic: Democratic Quad vs China's Quad

Context: Even as the sherpas of the Quad democracies — the USA, India, Japan and Australia — prepare for a summit of the top leaders in Washington later this year, a rival quadrilateral grouping is in the making

This rival QUAD consists of China, Russia, Pakistan and Iran……

Topic: Fake News

Definition: Fake news is disinformation that has no basis in reality, but is presented as fact.

Consequences of Fake News on History

- India's diversity & conflicts that are rooted in historical claims will get intensified if the related fake news are not contextually analysed and challenged. This leads to further **widening of fault lines in the society**.
- Fake news which gets propagated with being challenged **impairs the world view of youngsters** & stunts their scientific thinking capabilities.....

What is Babapedia?

Babapedia is a dedicated platform for the Current Affairs Preparation divided into **Prelimspedia** and **Mainspedia** (respectively for UPSC Prelims and UPSC Mains).

It covers relevant exam-oriented content from 'The Hindu', 'The Indian Express', 'PIB', 'Business Line', 'Live Mint' etc., Important issues are also covered from other sources like Down to Earth, Government Reports, etc.

It is **organized** in a manner that making notes and **revision** becomes very effective.

Babapedia is a part of our Flagship initiative - Integrated Learning Program (ILP) - 2022.

Scan here to know more -

प्रैक्टिस MCQs

Q 1. निम्नलिखित में से कौन सा चालू खाते का घटक नहीं है?

a) माल में व्यापार b) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

c) सेवाओं में व्यापार d) प्रेषण

Q 2. हाल ही में जारी 'वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020' के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया जाता है।

2. भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा में चीन और पाकिस्तान के नीचे की रैंकिंग में है।

3. CERT-IN साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारत में नोडल एजेंसी है।

4. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ एक स्वायत्त संगठन है और संयुक्त राष्ट्र के साथ पर्यवेक्षक की स्थिति है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है / सही हैं?

a) केवल 1 और 3

b) 2, 3 और 4 केवल

c) 3 और 4 केवल

d) 1, 2, 3 और 4

Q 3. हाल ही में GST का परिचय चार साल पूरा हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्यक्ष कर अनुपालन में क्षमताओं को लाने के लिए भारत में GST पेश की गई थी।

2. GST काउंसिल केंद्र और प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाले राज्यों का एक संयुक्त मंच है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है/ सही हैं?

a) केवल 1 b) 2 केवल

c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q 4. कलाबेलिया का लोक नृत्य है:

a) कर्नाटक b) उत्तराखंड

c) राजस्थान d) मणिपुर

Q 5. हाल ही में समाचारों में देखे गए LEAF गठबंधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे सरकारों का एक समूह है

2. यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को ठोस बनाने की दिशा में एक कदम है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है/ सही हैं?

a) केवल 1

b) 2 केवल

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q 6. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाली याचिका सुनने पर सहमत हुए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति के शासन के दौरान संसद राज्य के लिए राष्ट्रपति या इस संबंध में उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को कानून बनाने की शक्ति का प्रतिनिधि दे सकती है।

2. संसद या राष्ट्रपति या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए कानून केवल तब तक जारी रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति के शासन की घोषणा राज्य में लागू न हो।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है / सही हैं?

a) केवल 1 b) 2 केवल

c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q 7. भारतीय महासागर नौसेना संगोष्ठी के सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन सा है?

1. ऑस्ट्रेलिया

2. मोज़ाम्बिक

3. जापान

4. मेडागास्कर

5. फ्रांस

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1, 2, 3 और 4

b) केवल 2, 3 और 5

c) केवल 1, 2 और 5

d) केवल 2, 3, 4 और 5

Q 8. निम्नलिखित में से कौन रामसर साइट नहीं है?

a) सस्थामकोट्टा झील

b) परवूर झील

c) वेम्बनाड झील
d) अष्टमुडी झील

Q 9. हाल ही में समाचार में देखा गया " बोल्ड परियोजना" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।
2. इसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योग कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए निरंतर रोजगार प्रदान करना है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है / सही हैं?
a) केवल 1
b) 2 केवल
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q 10. हाल ही में समाचार में देखा गया 'इस्तांबुल कन्वेंशन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा को रोकने और मुकाबला करने पर एक सम्मेलन है।
2. यह कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है।
3. भारत इस सम्मेलन का एक पक्ष है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है / सही हैं?
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) 3 केवल
d) 2 और 3 केवल

Q 11. समाचार में देखा गया "हरित धारा" है:
a) पौधे के विकास और उपज को बढ़ाने के लिए बायोफर्टिलाइज़र
b) कॉफी परिवार के जीनस से संबंधित नई प्रजातियां
c) मवेशियों के लिए एंटी-मेथनोजेनिक फ़ीड पूरक
d) राजमार्गों के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना

Q12. हाल ही में शुरू किए गए 'NIPUN भारत मिशन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है।
2. इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है / सही हैं?
a) केवल 1
b) 2 केवल
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.13. एंटी-डंपिंग डूटीएस (Anti-Dumping Duties) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ये निर्यातक देश में इन वस्तुओं के उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी की भरपाई के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क हैं।
2. व्यापार उपचार महानिदेशालय जांच करने और डंपिंग रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए भारत में शीर्ष संगठन है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है / सही हैं?
a) केवल 1
b) 2 केवल
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.14 हाल ही में खबरों में रहा तिलारी संरक्षण रिजर्व स्थित है:
a) आंध्र और निकोबार द्वीप समूह
b) लक्षद्वीप द्वीप समूह
c) पश्चिमी घाट
d) पूर्वी घाट

Q.15 ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध (GERD) नदी पर बनाया जा रहा है:
a) ऑरेंज
b) कांगो
c) ज़म्बेज़ी
d) नील

Q.16 भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा सहकारी समितियों से संबंधित है?
a) भाग IX

b) भाग IX-A
c) भाग IX-B
d) भाग IX-C

Q.17 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं?
1. वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है।
2. राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है।
नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.18 हाल ही में केंद्र द्वारा कई राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया था। इस संदर्भ में राजस्व घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह केवल सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित है।
2. इससे सरकारी संपत्ति में कमी आती है।
3. इससे अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति पैदा होती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) केवल 2 और 3

Q.19 RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. इस योजना का उद्देश्य संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को सुगम बनाना है।
2. यह पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन तक पहुंच प्रदान करेगा।
नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.20 हाल ही में, 2030 तक प्रकृति के प्रबंधन के लिए एक नया वैश्विक ढांचा जारी किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी किया गया है।
2. इसमें 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों की शुरूआत की दर में 50% अधिक कमी का लक्ष्य शामिल है।
3. यह 2050 तक जैव विविधता के विलुप्त होने और गिरावट को रोकने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.21 हाल ही में, भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन (cryptogamic garden) का उद्घाटन किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. क्रिप्टोगैम में बीज वाले पौधे होते हैं।
2. क्रिप्टोगैम को जीवित रहने के लिए शुष्क परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.22 'सबऑर्बिटल फ्लाइट' शब्द को कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उपकक्षीय उड़ान में अंतरिक्ष यान 28000 किमी/घंटा से अधिक के क्षैतिज वेग तक पहुंचता है।
2. पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए उपग्रहों को उपकक्षीय प्रक्षेपवक्र की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है।
2. GIFT IFSC भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.24 परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन को कहा जाता है:
a) पिंक हाइड्रोजन
b) ग्रीन हाइड्रोजन
c) ब्लू हाइड्रोजन
d) ग्रे हाइड्रोजन

Q.25 जिला खनिज कोष (DMF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 प्रत्येक राज्य सरकार को एक DMF स्थापित करने के लिए अनिवार्य है।
2. DMF को मिलने वाली धनराशि का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू करने के लिए किया जाता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.26 हाल ही में समाचारों में देखा गया " Fit for 55" कानून किसके द्वारा शुरू किया गया है:
a) यूनेस्को
b) यूरोपीय संघ
c) यूएनईपी
d) विश्व बैंक

Q.27 किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है?
a) मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है
b) मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है
c) रहने की कम लागत
d) आर्थिक विकास में तेजी

Q.28 "Fit for 55 Package" पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्पादन में 55% की कटौती करने का आह्वान करता है।
2. इस पहल में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म शामिल है जो आयातित उत्पादों से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आधार पर टैरिफ लगाएगा।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 29 निम्नलिखित पर विचार करें:
1. STRIVE
2. UDAY
3. SANKALP
4. ASEEM
उपरोक्त में से कौन भारत सरकार की कौशल विकास योजनाएँ हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 4
c) केवल 1, 3 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.30 निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेज़न नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है?
a) ब्राजील
b) कोलंबिया
c) इक्वाडोर
d) अर्जेंटीना

Q.31 निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं?

a) कोयना, मुसी और वारना
b) पेंगंगा, मनेर और सब्रीक
c) वर्धा, मांजरा और प्रवर:
d) काबिनी, सुवर्णावती और भवानी

Q.32 साइबर अपराध के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. Pegasus चीन में विकसित एक स्पाइवेयर है जिसका इस्तेमाल लोगों की सहमति के बिना उनकी जासूसी करने के लिए किया जाता है।
2. भारत बुडापेस्ट कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है, जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q.33 निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार करें:

1. मानसी
2. बन्नेरघट्टा
3. केवलादेव

उपरोक्त में से कौन टाइगर रिजर्व घोषित है/हैं?

a) केवल 1 b) केवल 1 और 2
c) केवल 3 d) केवल 2 और 3

Q.34 मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।
2. इसमें प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 450 कैलोरी और उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी वाला पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.35 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु राज्य सूची में शामिल है/हैं?

1. सार्वजनिक व्यवस्था
2. पुलिस
3. आपराधिक कानून

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 b) केवल 1 और 2
c) केवल 3 d) केवल 2 और 3

Q.36 हाल ही में संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं हो सकता है।
2. एक स्थगन संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.37 हाल ही में खबरों में रहे NEA स्काउट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह इसरो द्वारा विकसित एक क्यूबसैट है।
2. इसका मुख्य मिशन एक निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह से उड़ान भरना और डेटा एकत्र करना है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.38 भारत सरकार द्वारा SMILE योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है:

a) विकलांग लोगों को वहनीय, उन्नत, वैज्ञानिक रूप से विकसित, सहायता और उपकरणों की खरीद में सहायता करना।
b) कचरा ढोने वालों को वैकल्पिक व्यवसायों में उनके पुनर्वास के लिए सहायता करना।
c) बीपीएल श्रेणी से संबंधित सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और सहायक जीवित उपकरण प्रदान करना।
d) भीख मांगने में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास सुनिश्चित करना

Q.39 'आदर्श स्मारक योजना' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह देश में थीम आधारित पर्यटन परिपथों के विकास के लिए एक योजना है।
2. यह पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1 b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q.40 'ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य' परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह यूनेस्को की एक पहल है।
2. भारत में इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।
3. वाराणसी और अजमेर इस परियोजना के तहत चुने गए शहर हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q.41 भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. मैंग्रोव दुनिया भर में मुख्यतः 30° उत्तर और 30° दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं।
2. मैंग्रोव जीव जंतु होते हैं।
3. भारत में 80% मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q.42 हाल ही में खबरों में रही 'एविसेनिया मरीना' है:

a) कॉफी परिवार के जीनस से संबंधित पेड़

b) समुद्री शैवाल की नई प्रजातियां

c) नमक सहिष्णु मैंग्रोव प्रजातियां

d) जंगली सूर्य गुलाब की नई प्रजातियां

Q.43 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है।
2. चाय निर्यात के मामले में भारत चौथे स्थान पर है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.44 "नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन" अपतटीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की एक प्रणाली है जो निम्न के तहत चल रही है:

a) काला सागर b) बाल्टिक सागर

c) भूमध्य सागर d) सेल्टिक सागर

Q.45 निम्नलिखित में से कौन सा/से मानदंड है जिसके आधार पर किसी साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है?

1. एक साइट जो मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करती है।
2. एक साइट जो स्थलीय, ताजे पानी, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के विकास और विकास में महत्वपूर्ण चल रही पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q.46 इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का एक प्रभाग है।
2. आईजीबीसी ग्रीन सिटीज रेटिंग प्रणाली एक स्वैच्छिक और आम सहमति आधारित कार्यक्रम है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1 b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q.47 हाल ही में खबरों में रही " Nauka" है:

a) भारतीय नौसेना की स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी

b) युनाइटेड स्टेट्स नेवी की सीवॉल्फ श्रेणी की पनडुब्बी

c) रूस द्वारा शुरू की गई अंतरिक्ष प्रयोगशाला

d) इज़राइल का ग्राउंड-आधारित मिसाइल-रक्षा रडार

Q.48 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रेया सिंघल का निर्णय, जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) निजता का अधिकार

b) सार्वजनिक विरोध का अधिकार

c) ऑनलाइन फ्री स्पीच

d) ट्रांसजेंडर अधिकार

Q. 49 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य हैं?

1. प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को हटा दें

2. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना

3. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करें

4. भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करें

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए

a) केवल 1, 2 और 3

b) केवल 1, 3 और 4

c) केवल 2, 3 और 4

d) 1, 2, 3 और 4

Q.50 'जल जीवन मिशन' पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

2. इसमें 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

3. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, GP भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना शामिल है।

4. यह केवल पानी के आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन पर केंद्रित है

ऊपर दिए गए उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं?

a) केवल 1, 2 और 3 b) केवल 1, 3 और 4

c) केवल 1 और 4 d) 2 और 4

जुलाई 2021 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

1.	B
2.	A
3.	D
4.	C
5.	A
6.	A
7.	C
8.	B
9.	A
10.	B
11.	C
12.	A
13.	B
14.	C
15.	D
16.	C
17.	D
18.	B
19.	B
20.	D
21.	D
22.	D
23.	C
24.	A
25.	C
26.	B
27.	A
28.	B
29.	C
30.	D

31. A
32. D
33. A
34. B
35. B
36. D
37. B
38. D
39. D
40. C
41. A
42. C
43. C
44. B
45. C
46. B
47. C
48. C
49. D
50. C

Struggling To Clear UPSC?

The issues might be lack of Consistency / Multiple Books / Inadequate practice / Improper Revision / Misguidance & many more.

To address all these shortcomings, IASbaba is launching its flagship Program

Integrated Learning Program (ILP) - 2022

The Largest Online Self Study Program

Integrated Learning Program (ILP) - 2022

1. **DAILY TARGETS**
   Microplanning
2. **VALUE ADDED NOTES**
   (For both Prelims & Mains)
   Well researched, Crisp & Compiled Notes
3. **ESSAY GUIDANCE**
   Directional Videos-
   Model Essays/-
   Best Copies/Topper Copies
4. **MAINS TEST SERIES**
   66 Tests (24 Module wise, 22 Current Affairs,10 Full length & 10 Essay Tests)
   Detailed Synopsis*
5. **PRELIMS TEST SERIES**
   -63 Tests (Module wise & Current Affairs)
   -6 Revision Tests & 5 Full length Tests
   -CSAT Tests
6. **BABAPEDIA FOR CURRENT AFFAIRS**
   -Prelimspedia
   -Mainspedia
7. **STRATEGY CLASSES**
   (For All Subjects)
8. **MIND MAPS**
   (Mains Topics)

ADD-ONS
Mentorship
Mains Evaluation

TOPPERS TESTIMONIALS

SAUMYA PANDEY
Rank 4 UPSC CSE 2016 – ILP Student

Enrolling in ILP was the best decision for me. I give full credit to IASbaba for my success. Their effort matches their vision of enabling aspirants sitting at the remotest part of the country to secure a single-digit rank in UPSC and my result stands true to it.

SAURABH BHUWANIA
Rank 113 UPSC CSE 2018 – ILP Student

For a working professional and a novice like me something as readymade as Integrated Learning Programme (ILP) in 2017 was so important that I cannot stop thanking for. Even in 2018 preparation. I enrolled for the same and also wrote all the questions which were made available for practice.

New Batches- Enrollments Open!

Available in English & हिंदी

SCAN QR/
Visit Website